राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 15

बुधवार;

28 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त खेद का विषय है कि राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पवन शर्मा ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरी विधान सभा के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको कोई बात कहनी हो तो चैम्बर में आकर मिलिएगा। विधान सभा की किसी भी गतिविधि पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : जो भी विधान सभा का कर्मचारी है, विधान सभा से सम्बन्धित है उसका मामला आप सदन में नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यह काहे का प्रश्नकाल चला रहे हो ? (व्यवधान) हमको प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं, हमारी अटेन्डेन्स शीट आयी नहीं, कर्मचारी जो काम करते हैं...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : पूरा सिस्टम कोलेप्स हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : न प्रश्नों का उत्तर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, न अटेन्डेन्स शीट आयी है, काहे का प्रश्नकाल कर रहे हैं आप ? सारे कर्मचारी... (व्यवधान)

(मोहम्मद माहिर आजाद)

प्रश्नकाल आप कर रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिला है। कोई कर्मचारी आज काम पर आया नहीं है, आज अटेन्डेन्स शीट हमारी आयी नहीं, आप प्रश्नकाल कर रहे हैं। तो कर्मचारी क्यों हड़ताल पर हैं ? क्या है, पहले उस व्यवस्था को तो दुरूस्त करें, फिर उसके बाद आप चलाइए।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के कर्मचारियों से मेरी बात हो चुकी है। मैंने उनको कहा है कि जीरो आवर के बाद आपकी बात सुनकर सारा फैसला किया जाएगा उससे पहले क्वेश्चन आवर के बाद शोकाभिव्यक्ति होगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है इसलिए वह होगी और पहले क्योंकि रिपोर्टर्स मौजूद हैं इसलिए प्रश्नकाल होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया। जो कर्मचारी इस काम में लग रहे हैं वे कर्मचारी आये नहीं आज। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्वेश्चन्स के रिप्लाई तो आए ही नहीं हैं, सवाल कहां से पूछें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तीन-तीन खेड़ होकर पूछते हैं, मैं निवेदन कर रही हूं, आसन को समझ नहीं आता। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो विधान सभा का स्टाफ.......

श्री अध्यक्ष : अभी तो आप मेरे चैम्बर में बैठे थे और इस बात से सहमत थे कि जीरो आवर तक आप कुछ न करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर नहीं मिले। बात तो कहने दो आप, काहे की शेम-शेम होती है ? अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप वहां पर बैठे इस बात से सहमत थे और इस बात को आपने खुद कहा कि आप जीरो आवर तक का समय मांग रही हैं, जीरो आवर तक का समय दीजिएगा आप इन्हें, और अब आप यहां आकर बोले जा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं, न पास बन रहे हैं दर्शकों के, न प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, न हमारी अटेन्डेन्स शीट आयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिपोर्टस मौजूद हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : काहे का प्रश्नकाल है ?

श्री अध्यक्ष : इसकी चर्चा सदन में नहीं की जा सकती है। इसकी चर्चा आप बाद में जाकर मेरे चैम्बर में कीजिए, यहां नहीं की जा सकती।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, बिना उत्तर के हम प्रश्न क्या पूछेंगे ? यह जिम्मेदारी असैम्बली सैक्रेटेरियट की नहीं है, अध्यक्ष की नहीं है कि उत्तर मिले हमें। हमें उत्तर ही नहीं मिल रहा है, आप चर्चा करवा रहे हैं। प्रश्न का उत्तर जब हमारे पास नहीं है तो सप्लीमैन्ट्री क्या पूछेंगे ? आपको कम से कम, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, सदन में प्रश्नकाल में हमें उत्तर चाहिए। उत्तर ही नहीं है तो चार्चा क्या करेंगे, सप्लीमैन्ट्री क्या उठाऐंगे ? यह अध्यक्षीय व्यवस्था का काम नहीं है क्या ? उन्होंने चैम्बर में बात की, चैम्बर की बात अलग होगी। (व्यवधान) आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक आप हमको प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, सप्लीमैन्ट्री क्या करेंगे हम ? (व्यवधान) हमें पहले उत्तर दीजिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले हमें उत्तर चाहिए, फिर सप्लीमैन्ट्री पूछेंगे हम।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो मिल गया आपको।

डा. सी.पी. जोशी : जवाब कहां मिला, हमको ? (व्यवधान) आपके पास होगा, हमारे पास नहीं है। आप उसका जवाब दीजिए हमको। आप खुद ही व्यवस्था कर लें, अध्यक्ष महोदय, कि यदि प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं आया है.....

मोहम्मद माहिर आजाद : वहां जो बात हुई वह सारी की सारी यहां थोड़े ही कह सकते हैं। (व्यवधान) मैं भी कहूं, क्या-क्या बातें हुई थी वहां पर ?

श्री हरिमोहन शर्मा : चैम्बर में कोई वार्तालाप हो, यहां नहीं कही जा सकती।

डा. सी.पी. जोशी : बिना प्रश्न के उत्तर प्राप्त हुए, अध्यक्ष महोदय, हम सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ सकते।

श्री बाबूलाल नागर : प्रश्नकाल तो हो जाने दो, मालिक, उसके बाद कर लेना आप। राजस्थान का कितना सरकार का पैसा लगा है......(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उत्तर चाहिए, अध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिना उत्तर के सप्लीमेन्ट्री कैसे पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिला है। आपके तैयार हैं लाबी में। जब औरों को मिल गया तो आप कैसे कह रहे हैं कि उत्तर नहीं मिला ?

डा. सी.पी. जोशी : किसी को नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय। नहीं मिला, आप देख लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : पंचायती राज का सवाल लगा हुआ है, जवाब नहीं मिला।

डा. सी.पी. जोशी : यह व्यवस्था तो आपका काम है, हमारा काम थोड़े ही है कि यहां पड़ा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है। सदस्य के पास पहुंचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, प्रश्नों के जवाब या प्रश्न यहां पूछे जाने से पहले उत्तर उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था बहुत बाद में हुई है। (व्यवधान) सुनिए, पूरी बात नहीं सुन रहे हैं आप। यह व्यवस्था बहुत बाद में हुई है। इससे पूर्व 1957, 1962, 1967 तक बिलकुल यह व्यवस्था नहीं थी, जब भी लोग पूछते थे सप्लीमेन्ट्री। तो एक दिन में ऐसी क्या बात हो गयी कि आप बिना उत्तरों के सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ सकते ? आप तो इतने ज्ञानी हैं कि आपमें तो.....

डा. सी.पी. जोशी : हम तो महान ज्ञानी हैं। ज्ञानी का प्रश्न नहीं, हम तो महान ज्ञानी हैं। व्यवस्था का ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है, अध्यक्ष महोदय। व्यवस्था का सम्बन्ध व्यवस्था से है। ज्ञान है या नहीं है, यह बाहर का प्रश्न है। आप कभी 1952 की बात करते हैं, कभी 1957 की बात करते हैं। आपको जो आज नियम चल रहे हैं उनकी बात करनी पड़ेगी। जब चाहे परम्परा की बात कर लें, जब चाहे नियम की बात कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा करें, कोई न कोई व्यवस्था देकर जो एक व्यवधान आया है इसको बैठकर के हल करने की कोशिश करें। नहीं तो आगे भी सदन की कार्यवाही चलाने में अव्यवस्था होगी। बैठकर इसको एमीकेबली साल्व करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, इस बारे में मेरी बातचीत हो चुकी है और मैंने उनसे कहा कि जीरो आवर के बाद में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तब तक जल्दी के अन्दर न मैं सब की बात सुन पाई थी, न कुछ और कर पाई थी। और वे इस बात से आश्वस्त होकर गये हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, जीरो आवर तक आप चलाइये, और सदन में जिनको काम करना है वे कर्मचारी आएंगे। यह वे मुझे कहकर गये हैं कि सदन के काम में बाधा नहीं पड़ेगी, सदन से सम्बन्धित सब कामों के यहां कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसलिए आप जीरो आवर तक अपनी कार्यवाही को चलने दें। उसके बाद बैठकर मैं उनसे बात कर रही हूं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

परबतसर में निगम बस सेवा

332. **श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर (नागौर) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें किस-किस रूट पर चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में निजी आपरेटरों को किन-किन शर्तों पर परमिट दिऐ हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट नहीं दिए जाते हैं ? यदि हां, तो उक्त वाहन किस आधार पर चलते हैं ? क्या उक्त के संचालन से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान हुआ है ?

(श्री राकेश मेघवाल)

(4) क्या सरकार परबतसर-मकराना वाया विदियाद मार्ग पर निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री युनूस खान) : (1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर (नागौर) में परबतसर होकर निगम के विभिन्न आगारों द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) किसी भी क्षेत्र में वाहन स्वामियों को दो प्रकार के अनुज्ञा पत्र जारी किए जा सकते हैं। ये अनुज्ञा पत्र वाहनों के स्टेज कैरिज के रूप में संचालन हेतु अथवा वाहन के संविदा यान के रूप में संचालन हेतु दिए जा सकते हैं। स्टेज कैरिज वाहनों के अनुज्ञा पत्र एवं संविदा वाहन के अनुज्ञा पत्र जारी करते समय जो शर्ते आरोपित की जाती हैं उनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष : यह किसका मोबाइल बज रहा है ? माननीय सदस्य, किसी का भी हो कृपया बन्द करें इसे। Mr. Banshal, this is very bad.

- एक तो आप खो चुके हैं और दूसरे को बजा रहे हैं। (व्यवधान) बजा कैसे नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : मेरा नहीं है।

श्री युनूस खान : (3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को अनुज्ञा पत्र नहीं दिए जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत जिन वाहनों को पर्यटक अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं वे वाहन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित किए जा सकते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 88(8) के तहत जिन यात्री वाहनों को विशेष अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं, वे भी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार स्टेज कैरिज वाहनों को भी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 10 किलोमीटर अथवा योजना भाग के 1/5 भाग जो भी कम हो, तक की दूरी की प्रतिच्छाद (ओवरलैब) की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्रतिच्छाद (ओवरलैबिंग) की छूट के साथ ही वाहन स्वामी के अनुज्ञा पत्र पर

(श्री यूनूस खान)

यह शर्त भी आरोपित की जाती है कि वाहन स्वामी प्रतिच्छादित मार्ग पर न तो सवारियां बैठा सकता है न ही सवारियां उतार सकता है। उक्त संचालन से सरकार को राजस्व हानि नहीं हो रही है।

(4) जी नहीं। परबतसर-मकराना वाया बिदियाद पंचम अध्याय का मार्ग है। वर्तमान में इस अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर लगभग प्रत्येक घण्टे के अन्तराल पर निजी वाहन संचालित हैं इसलिए निगम वाहनों का संचालन अनार्थिक रहने की सम्भावना है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा, परबतसर-बिदियाद वाया मकराना और बोराबड़ देश के कोने-कोने से वहां व्यापारी आते हैं, आपने जी हां, जी नहीं, करके जवाब दे दिया, क्या आप इसको राष्ट्रीकृत मार्ग घोषित करने का मानस रखते हैं ? और रखते हैं तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ? हिन्दुस्तान के कोने-कोने से वहां मार्बल व्यवसायी आते हैं। यह रीको का एरिया है। खाली गांव बिदियाद है लेकिन बहुत बड़ा रीको का राजस्थान की बहुत बड़ी मण्डी का भू-भाग है।

दूसरा, आपने लिखा है कि मकराना और परबतसर इतनी बसें आती हैं, क्या उन बसों की व्यवस्था के लिये परबतसर में आपने कोई कारगर उपाय किया ? जो पुराने जमाने का बस स्टैण्ड बना हुआ है उसी में चाहे अजमेर से आओ, चाहे जयपुर से आओ, चाहे चूरू से आओ, चाहे सवाई माधोपुर से आओ। वह बस स्टैण्ड पुराने दानदाता ने बनाया था, वह जर्जर अवस्था में है। वहां आप पर्याप्त मात्रा में बस स्टैण्ड की व्यवस्था करेंगे ?

जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उन पर आगे-आगे तो चलती हैं प्राइवेट बसें और पीछे चलती हैं रोडवेज की बसें, क्या आप इसका पुख्ता इन्तजाम करेंगे ? चाहे अजमेर से परबतसर हो, चाहे परबतसर से बघरीहंसोर हो, चाहे परबतसर से बड़ूबिदियाद हो, चाहे परबतसर से नागौर हो, पूरे जिले में आगे तो प्राइवेट बसें चलती हैं और पीछे चलती हैं इनकी बसें राष्ट्रीय राजमार्ग पर। क्या आप

(श्री राकेश मेघवाल)

कोई अभियान चलाकर उनको बन्द करेंगे ? आज तक अजमेर से डेगाना सरकारी रोडवेज की बसें नहीं चली हैं, उसके पीछे भी क्या राज है ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य डेगाना का जिक्र कर रहे हैं, हमने मांग इसलिये नहीं की कि चोर ज्यादा आते हैं। राष्ट्रीयकृत होने से इन सड़कों पर चोर ज्यादा आएं, इसलिये प्राइवेट बसें चल रही हैं, इसलिये हमने मांग नहीं की वहां।

श्री राकेश मेघवाल : अच्छा, मांग नहीं की।

क्या आप जयपुर-बड़ू रोडवेज को वापस चालू करेंगे ? अजमेर-बड़ू बन्द हो गयी बस को वापस चालू करेंगे ? क्या अजमेर से छीपरा वाया बघरी रोडवेज वापस चालू करेंगे ? क्या परबतसर से बिदियाद बोराबड़ बस वापस चालू करेंगे ? परबतसर नागौर से राजस्थान रोडवेज की बसें बोरावड़ होकर पहले चलती थीं, आगे आजकल प्राइवेट बसें चलती हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को जो घाटा होता है यह प्राइवेट बस वालों की वजह से होता है। माननीय विधायक डेगाना वालों ने जो आपके बारे में प्रश्नचिन्ह लगाया है, क्या उसका पुख्ता इन्तजाम करके वहां राजस्थान रोडवेज की बस चलाने का आप विचार रखते हैं ?

डा. भंवर सिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा। आपको भी समय दूंगी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरे से सम्बन्धित सवाल है, आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ लूं। डेगाना के बस स्टैण्ड के सम्बन्ध में एक जानकारी चाहता हूं। अभी जहां बसें खड़ी होती हैं प्राइवेट जगह, दादागीरी से उनसे पैसा वसूला जाता है। सात साल पहले पंचायती राज विभाग ने जहां जमीन बस स्टैण्ड के लिये दे रखी है, चारदीवारी वहां बना रखी है, क्या आप भविष्य में बस स्टैण्ड को वहां स्थानान्तरित करने की मंशा रखते हैं, यह बताइये ?

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

डा. भंवर सिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर से मकराना और नागौर से परबतसर जितनी भी प्राइवेट बसें चलती हैं उनकी लिस्ट मैं दे चुका हूं, वे बिना परमिट के कई वर्षों से चल रही हैं आज से नहीं।

दूसरी बात, नागौर से एक रोडवेज आती है, कई दफा निवेदन किया जा चुका है कि यह नेशनलाइज रूट है, यहां पर ज्यादा बसें बढ़ायी जाएं, क्या आप वापस रोडवेज की बसें लगाएंगे ?

अजमेर से रात में दो-तीन बसें मकराना आती हैं, उसमें कन्डक्टर ज्यादा लोगों को टिकट नहीं देते हैं और इवेजन करते हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि क्या उसको चैक करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र बेनीवाल... (व्यवधान) इन प्रश्नों का तो जवाब देने दीजिये। जो आये हैं सम्बन्धित उनका तो जवाब मिलने दीजिये।

श्री राकेश मेघवाल : पहले मेरे प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे प्रश्न का भी जवाब आ जाएगा। बारां और कोटा जिले में अलग से प्राइवेट बस अड्डा बना हुआ है। प्राइवेट बस अड्डा होने के कारण नेशनल हाइवे रूट एन.एच. 76 पर पूरी प्राइवेट बसें चल रही हैं और रोडवेज की बसें उनके पीछे चलती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे रूट पर हमने अधिकृत रूप से परमिट देकर बसें चालू कर रखी हैं या सरकार उनको रोकना चाहती है ?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय मंत्रीजी, बोराबड़ जो बस स्टैण्ड रूका हुआ है उस बस स्टैण्ड को चालू कर पुनः बस स्टैण्ड बनाएंगें ? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आने दीजिये पहले। जवाब आने दीजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में फर्माया कि क्षेत्र में जो प्राइवेट बसें परमिट के मार्फत चल रही हैं वे बसें नियमों की पालना कर रही हैं जो कि विभाग द्वारा जारी किये गये हैं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

और रास्ते में वे कोई भी सवारी नहीं उठाती हैं। क्या यह सत्य है कि वे रास्ते से कोई सवारी नहीं उठाती हैं या केवल यह एक निर्देश मात्र है ?

इसके साथ-साथ आपने फर्माया कि राजस्व की हानि नहीं हो रही है। जब प्राइवेट बसें पूरे रूट पर चल रही हैं और रोडवेज बसें खाली जा रही हैं तो क्या राजस्व की हानि नहीं मानी जाएगी ? कृपया इसका उत्तर दें।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित मेरा एक प्रश्न सं. 348 आज ही लगा हुआ है। क्वेश्चन का पूरा सार है, क्या यह सही है कि निजी वाहनों के अवैध संचालन, भ्रष्टाचार व अधिक लागत खर्च, निगम के घाटे के प्रमुख कारण हैं ? यदि हां, तो इन पर रोक लगाने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? और यदि नहीं, तो फिर कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से निरन्तर घाटा हो रहा है ? निगम को लाभ में लाने के लिये विभाग की क्या कार्य योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बांसवाड़ा-बोरावड़ जो एक रोडवेज चलती है वह नावा-सरदारगढ़ होकर जाती है, कई दिनों से बन्द हो गयी, कई यात्री परेशान हो रहे हैं, इसको चलाने की मन्शा रखते हैं ?

जयपुर-अहमदाबाद गाड़ी चलती है, उसमें कई सवारियों से फुल होकर चलती है पर कन्डक्टर द्वारा कलेक्शन नहीं बताया जाता है, उसके बारे में भी सुना है कि बन्द करने जा रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूछो प्रश्न, भाषण देने लग गये। प्रश्न पूछिये, भाषण देने का यहां नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : प्रश्न पूछ रहा हूं। जयपुर-अहमदाबाद रोडवेज को.....

श्री अध्यक्ष : यहां अहमदाबाद कहां से आ गया बीच में डेगाना के। मकराना-डेगाना के बीच में कहां से आ गया अहमदाबाद ?

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया माननीय मंत्रीजी ने। पहले मेरे, प्रश्नकर्ता के जवाब दीजिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, पहले पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे दें। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : प्राइवेट बसों की सारे राजस्थान की समस्या है। बिना परमिट के चल रही हैं, सभी रोड्स पर चल रही हैं....(व्यवधान)

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबका एक साथ जवाब दे दूंगा.....

श्री अध्यक्ष : सारे राजस्थान से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। प्रश्न जहां से सम्बन्धित है उसी का उत्तर देंगे मंत्रीजी।

श्री हेमराज मीणा : यह तो नीतिगत सवाल है कि रोडवेज जहां पर चल रही है, उस राष्ट्रीयकृत रोड पर भी प्राइवेट गाडियां चल रही हैं और बिना परमिट के चल रही हैं। तो यह तो नीतिगत सवाल भी है।

श्री युनूस खान : आपकी सब बातों का जवाब आ जाएगा मेरा उत्तर तो सुन लीजिये पहले आप।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मेरा एक प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, खाली एक प्रश्न है। जहां पर भी प्राइवेट बसों को....(व्यवधान)

श्री युनूस खान : मेरा आप उत्तर सुनेंगे, माननीय सदस्य, तो सब बातों का उत्तर मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान पैदा नहीं करें, मंत्रीजी को उत्तर देने दें।

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो मकराना-बिदियाद की बात कही, उस पर मैंने प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि एक-एक घण्टे के अन्तराल के बाद गाड़ी चलती है और हमने निजी वाहनों को परमिट दे रखे हैं। इसके बावजूद भी हम सर्वे करवा लेंगे, इस तरह की कोई आवश्यकता हुई, क्योंकि वहां राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, उसका अलग से नोटिफिकेशन होता है तो अगर तरीके की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से हम उसको रोकेंगे।

(श्री युनूस खान)

क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है मकराना-बिदियाद और परबतसर के बीच में, तो प्राइवेट नहीं जाकर घण्टे भर बाद....

श्री राकेश मेघवाल : उसको मकराना से अटैच करना था। दूरी बढ़ गयी, 30 किलोमीटर है।

श्री युनूस खान : वहां गाडियां एक घण्टे के अन्तराल पर चलती हैं। वहां उपलब्धता होगी और आर.एस.आर.टी.सी. यह समझेगी कि वहां हमारा लोड फैक्टर हो सकता है, सवारियां हो सकती हैं तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, आपने जो यह परबतसर के बस स्टैण्ड के सम्बन्ध में कहा कि वहां बस स्टैण्ड दानदाता और नगर पालिका द्वारा बनाया हुआ है, उसके विकास हेतु हमारे पास प्रस्ताव आएगा, मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि वह अपने विधायक कोटे से भी पैसा दें और हम भी हमारी तरफ से पैसे देकर उसके विकास करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का प्रस्ताव आएगा, तो उस पर सुविधाएं दी जाएंगी।

इन्होंने अजमेर-डेगाना, जयपुर-बरडू आदि बसों के बारे में पूछा, चूंकि इन्होंने इतनी लम्बी लिस्ट दी है, उसकी सूची हमको दे देंगे, लोड फैक्टर होगा, क्योंकि लोड फैक्टर कम होने की वजह से निरन्तर घाटे में चलने की वजह से उन बसों को बन्द किया गया, अगर वहां सवारियों की उपलब्धता है तो आप जो हमें सूची देंगे उसका पूरा अध्ययन करवाकर वहां नयी बसें वापस शुरू करने की अगर आवश्यकता पड़ी तो करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने मकराना के बारे में पूछा, निजी बसों के बारे में ज्यादातर माननीय सदस्यों ने चिन्ता की थी, एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारी स्टेट कैरिज और कान्ट्रेक्ट कैरिज की बसें चलती हैं, स्टेट कैरिज की बसें तो परमिट लेकर रूट की समय सारिणी के अनुसार चलती हैं, लेकिन कान्ट्रेक्ट कैरिज की बसें जो परमिट लेती हैं वे निश्चित रूप से परमिट का वायोलेशन करती हैं। अलग-अलग सदस्यों ने यह जो मुद्दा उठाया कि रोडवेज की बसों के आगे पांच

(श्री युनूस खान)

मिनट पहले या दस मिनट पहले बसें चलती हैं, आने वाली पांच तारीख से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनी हुई है उसके माध्यम से और उसके अलावा हमारा डिपार्टमेन्ट, आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. के माध्यम से संयुक्त अभियान चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर समस्या यह आती है, राजस्थान में लगभग 32 लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं, 10-12 लाख के बीच यात्री आर.एस.आर.टी.सी. से यात्रा करते हैं, 15 लाख तक यात्री जो हमारी स्टेट कैरिज की बसें हैं, उनसे करते हैं, अन्य यात्री किसी न किसी अवैध वाहन से या निजी वाहन से यात्रा करते हैं, कोई विकल्प मौजूद नहीं है, वाहनों की उपलब्धता नहीं है। वह संख्या बढ़ाकर हम जब इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, हमारी रोडवेज की बसों की उपलब्धता हो जाएगी तो उन रोड्स पर लगाकर प्रभावी ढंग से हम कार्यवाही करेंगे। यह हमारा अभियान विधान सभा सत्र के बाद पांच तारीख से चालू हो जाएगा। जितने भी अवैध वाहन राजस्थान के किसी भी कोने में चल रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि वर्ष भर में इतने चालान करते हैं, जो प्राइवेट जीपें हैं, जो अनआंथोराईज्ड वाहन चलते हैं, उनके खिलाफ उस कार्यवाही को प्रभावी ढंग से करने के लिए काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारा वर्तमान बस स्टैण्ड है वह चूंकि निजी बस स्टैण्ड है उन्होंने दूसरी मांग रखी कि हमें पंचायत की तरफ से जो जमीन अलाट की गयी है क्या उसके विकास की योजना हमारी सरकार रखती है। हम पूरा प्रयास करेंगे, उस बस स्टैण्ड को चालू करने की हमारी योजना है और माननीय विधायक से चर्चा करके हम उस बस स्टैण्ड को डवलप करेंगे। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अवैध वाहनों के बारे में कहा, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने हानि वाली बात उठायी। मेरे मूल प्रश्न का उत्तर था उसमें मैंने यह कहा है कि जो पर्यटक वाहन हैं उनको हम 88(8), 88(9) में जो परमिट देते हैं उनसे अभी रेवेन्यू का नुकसान नहीं होता है। उनसे हमारी रेवेन्यू आती है। मूल

(श्री युनूस खान)

प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में हमने यह हानि और लाभ की बात कही है।

अध्यक्ष महादेय, इसके अलावा माननीय सदस्य नवरतन जी राजोरिया ने पूछा, उनका प्रश्न संख्या 17 अलग से है, उस प्रश्न का जब नम्बर आएगा उसका जवाब दे दूंगा। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा उसके बारे में भी यह कहूंगा कि जो हमारी बसें बन्द हो गयी हैं, सवारियों की उपलब्धता के आधार पर अगर इस तरह की जन हित में कोई मांग आएगी तो उस पर विचार करेंगे।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि विधायक कोष का कितना प्रतिशत देंगे और आपका विभाग कितना प्रतिशत देगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैकस्ट क्वेश्चन, मैंने नाम पुकार लिया है।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, हमारे बस स्टैण्ड का जवाब...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है मंत्रीजी ने सब की बातों का बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है....(व्यवधान)

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : बस स्टैण्ड सैंक्शन हो चुका है, बस स्टैण्ड पर गाडियां नहीं खड़ी कर रहे हैं। बस स्टैण्ड पर विधायक का एक लाख रूपया लग चुका है। बोरावड़ के बस स्टैण्ड का जवाब नहीं दिया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : बोरावड़ का जवाब नहीं दिया है.... (व्यवधान) हमारा जवाब तो आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सबकी बातों का जवाब दे दिया। (व्यवधान)

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : बोरावड़ के बस स्टैण्ड का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : विधायक कोष से कितना देना है और यह विभाग से कितना देंगे, यह आप क्लीयर करवा दें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नो नीड टू स्टैण्ड अप, पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली के माडा योजना में चयनित गांव

333. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम ढाणी/कस्बे को माडा योजना में चयनित किये जाने के क्या आधार हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बाली के पंचायत मुख्यालय पीपला, काकराड़ी तथा ग्राम कुण्डाल में अनुसूचित जनजाति की कितनी-कितनी आबादी है ? इन गांवों की पृथक-पृथक कुल आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी के प्रतिशत सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्राम/पंचायत मुख्यालय माडा योजना में चुने जाने के निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करते हैं ? यदि हां, तो इन्हें अब तक माडा योजना में चयनित नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या सरकार उक्त गांवों को माडा योजना में चयनित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) ग्राम ढाणी/कस्बे को माडा योजना में चयनित किये जाने के निम्न आधार हैं :-

1. माडा लघु खण्डों के गठन हेतु जिले को इकाई माना गया है।
2. प्रत्येक माडा लघु खण्ड में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक होनी चाहिए जिसकी 50 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिये।
3. माडा लघु खण्ड में सम्मिलित ग्रामों की बाउन्ड्री आपस में गांवों से मिली हुई होनी चाहिये साथ ही गांवों का एक समूह प्रकट होना चाहिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

4. माडा लघु खण्ड की सीमा के प्रत्येक ग्राम में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति होना आवश्यक है।

नियमों व आदेशों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बाली के पंचायत मुख्यालय पीपला, काकराड़ी तथा ग्राम कुण्डाल में अनुसूचित जनजाति की आबादी एवं इन गांवों की पृथक-पृथक कुल आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	ग्राम	कुल जनसंख्या	जनजाति संख्या	प्रतिशत
1.	पंचायत मुख्यालय पीपला	2595	2155	80.04
2.	पंचायत मुख्यालय काकराड़ी	777	656	84.43
3.	ग्राम कुण्डाल	1937	1742	89.93

(3) जी हां। उक्त ग्रामों में से पंचायत मुख्यालय काकराड़ी पूर्व में स्वीकृत माडा ग्रामों की सूची में सम्मिलित है। जहां तक पंचायत मुख्यालय पीपला व ग्राम कुण्डाल के चयन का प्रश्न है, इन्हें जनजाति उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवा दिये गये हैं। माडा व टी.एस.पी. में सम्मिलित किए जाने हेतु माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा सर्वे किया जाता है। उस सर्वे में विलम्ब के कारण यह हुआ है।

(4) जी नहीं। क्योंकि उक्त गांवों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जा चुके हैं। भारत सरकार की स्वीकृति के साथ ही इन्हें जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि माडा क्षेत्र में पूरे राजस्थान में आपने लास्ट में कौनसे सन् में गांवों को सम्मिलित किया ? आपने खुद बताया कि 80,85 और 89 तीनों

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हैं, और भारत सरकार को भेजा है, यह कब आपने भारत सरकार को भेजा है और कब तक माडा में ये गांव सम्मिलित होंगे ? दस हजार से ज्यादा लघु खण्ड चयनित किये जाएंगे। आज दिन तक कितने लघु खण्ड आपने चयनित किये ? आप पहले यह बताएं कि लास्ट माडा के कितने गांव आपने कब सम्मिलित किये ?

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने पूछा, इनके क्षेत्र बाली में काकराड़ी, पीपला, कुण्डाल के अभी तक माडा में सम्मिलित नहीं होने का कारण तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी यह....

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने यह प्रस्ताव भारत सरकार को कब भेजा है ?

श्री कनकमल कटारा : हमने भारत सरकार को 23-1-1995 को यह प्रस्ताव भेज दिया है। यह आ जाएगा, स्वीकृत हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी माडा के अलावा यह जो क्षेत्र है इसे हम टी.एस.पी. के क्षेत्र के अन्दर भी लाना चाहते हैं, उनका सर्वे भी करवा लिया है और उसके भी हम प्रस्ताव भेज रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : आपने 1995 में भेजा, आज 2004 है, 9 साल तो ये हो गये, अब कब तक आप हमको इसमें सम्मिलित करेंगे ? मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि लास्ट बार माडा में आपने कितने गांवों को सम्मिलित किया, कौनसी सन् में किया, कब सरकार ने प्रस्ताव भेजा ?

श्री कनकमल कटारा : माडा के अतिरिक्त 255 कुल मिलाकर गांव (व्यवधान) लास्ट हमने भेजा......

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : लास्ट किस सन् में सम्मिलित हुए माडा क्षेत्र में ?

श्री अमराराम (धोद) : किस साल में सम्मिलित हुए, कौन से ईयर में, यह बताएं।

श्री कनकमल कटारा : वह भी मैंने बताया कि टी.एस.पी. और माडा, इनमें माडा में तो हमने 23-1-1995 को भेजा, इसके बाद टी.एस.पी. का ....

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : आप बात समझें। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपकी सरकार ने प्रस्ताव 1995 में भेजा, सरकार ने लास्ट बार गांवों को कब शामिल किया ? आपकी सरकार ने लास्ट बार कब चयन किया ?

श्री कनकमल कटारा : इसके बाद जो सर्वे हुआ उसके बाद तो जोड़ा ही नहीं आपका। अब तक प्रस्ताव आये ही नहीं। जो मानदण्ड बने हुए हैं उनके आधार पर नहीं आ रहा था इसलिए हमने जोड़ा नहीं। अब हमने इसका सर्वे कराया है और भेजा है। अभी लास्ट में 29-4-2004 को हमने भिजवाया है, उससे पहले जो आए थे उनको 1978 में भिजवाया था।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य आपसे यह पूछ रहे हैं कि आपने उन गांवों का माडा में चयन कौन से वर्ष में किया लास्ट बार। यह बताएं आप उनको।

श्री कनकमल कटारा : 1978 में चयन हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1995 में जो गांव शामिल करने के लिए भेजे थे, विभाग ने कब-कब उनका रिमाइण्डर भेजा और विभाग ने दिल्ली जाकर इसको सम्मिलित करने के लिए कब-कब कार्यवाही की, यह बता दें ? (व्यवधान)

माडा योजना में गांवों को शामिल करने का पत्र फर्स्ट कब और लास्ट में कब भेजा, कौन से साल में भेजा, कितने गांव सम्मिलित किए गए ?

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर)

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से सवाल है कि इन्होंने प्रश्न संख्या....(व्यवधान) के नम्बर दो पर बताया...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मैंने अभी तक पूछा ही नहीं। मंत्री महोदय ने यह कहा कि 1978 में लास्ट बार गांवों को सम्मिलित किया गया और 1978 से आज 2004 है, इस दौरान जनजातियों की कितनी आबादी बढ़ी होगी, कितने लघु खण्ड इस राजस्थान के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्र में बढ़े होगें ? 1978 से 2004 तक आज 32 साल हो गये, सरकार ने आज दिन तक इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इससे जनजाति क्षेत्रों को जोड़ना चाहिए ताकि जनजाति क्षेत्रों को जो फायदा दिला सकते हैं, दिलाएं। यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है जनजाति क्षेत्र के लोगों के साथ, 1978 में लास्ट बार सम्मिलित हुए और आज 2004 है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं जवाब, आप मंत्रीजी का जवाब सुनिए पहले।

श्री अर्जुन लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बात का भी माननीय मंत्री महोदय साथ में जवाब देंगे। माननीय मंत्री महोदय, ट्राइबल सब प्लान एरिया के साथ जुड़े हुए गांवों को भी आप सम्मिलित करने की मंशा रखते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : (व्यवधान) आप भी चाहते हैं तो उसका सर्वे कराकर बहुत जल्दी ही इसको भी लेकर तुरन्त हम भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेज देंगे। आपका टी.एस.पी. में आता है, माडा में नहीं आता है। इनको भी हम तुरन्त लेकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजेंगे।

श्री अर्जुन लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर माडा और टाडा का सर्वे करता है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज तक वहां के अधिकारी और स्टाफ है उसने किसी भी गांव में जाकर सर्वे नहीं किया है और न ही अभी तक कोई कार्यवाही हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हुए हैं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ? प्रश्न तो वह पूछ रहे हैं, आप क्यों खड़े हैं ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मैं भी माडा में ही हूं।

श्री अर्जुन लाल मीणा : मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर द्वारा सर्वे का काम कहां-कहां कराया जा रहा है, यह बताएं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दें मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में जो जो क्षेत्र मानदण्डों के अनुसार माडा में आते हैं, उनका सर्वे कराकर, जल्दी से जल्दी उनकी रिपोर्ट तैयार कराकर भेजेंगे। अभी तक जो विलम्ब हुआ है उसके कारण भी अधिकारियों से लेकर उन सब को प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माडा इलाका है मेरा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कब-कब ....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न संख्या 334.

श्री संयम लोढ़ा : 26 साल से माडा में ग्राम चयनित नहीं हो रहे हैं और इन्होंने इस इश्यू पर आज भी जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों से जुड़ा हुआ फैसला है और माननीय मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको कहने का मौका दीजिएगा। आसन से हम व्यवस्था चाहते हैं कि माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह पूरे आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला है, माननीय सदस्य जो अपनी बात कह रहे हैं उनको मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे निवेदन पहले भी कर चुकी हूँ, फिर आपसे निवेदन कर रही हूं कि कायदे से, नियमों से कम से कम 12 प्रश्नों का उत्तर सदन में आना चाहिए। आप मुझे पांच और छह से आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। आखिर दूसरे भी प्रश्न पूछते हैं तो उनका भी उत्तर आना चाहिए, वे भी सप्लीमेन्टरी के लिए अपर्चुनिटी लेना चाहते हैं। आप एक प्रश्न पर ही उलझ जाते हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। श्री हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : प्रश्न संख्या 334.

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, माननीय सदस्य अपनी बात कोई कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : कैसे नहीं आया ? कैसे नहीं आया ? मंत्रीजी के पास जो सूचना थी वह उन्होंने दे दी।

श्री संयम लोढ़ा : 1978 से लेकर 2004 तक कितनी बार प्रस्ताव भेजे गये ? (व्यवधान) अब क्या क्वैरी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने.....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आदिवासियों से जुडा हुआ मसला है, माननीय सदस्य कोई बात कर रहे हैं, आप हमें सहयोग दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के पास जो सूचना थी, उतनी उन्होंने दे दी। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री जीतमल खांट : उदयपुर सम्भाग में कुछ ऐसे इलाके हैं जो आज दिन तक भी टाडा से जुड़े हुए नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि माडा में उनको जोड़ने का विचार रखते हैं क्या ? यही बात हम पूछना चाह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में ऐसे कई गांव हैं जिनको माडा से जोड़ा जाना चाहिए। हण्डरेड परसेन्ट ट्राइबल विलेज हैं।

श्री अध्यक्ष : वृद्धावस्था पेन्शन क्या आदिवासियों के लिए नहीं है ? (व्यवधान) श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न संख्या 334.

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला है और आप गम्भीर नहीं हो रही हैं। आप हमारी बात को नहीं सुन रही हैं।

श्री संयम लोढ़ा : हम आपका संरक्षण चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिए हमें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1995 से राजस्थान सरकार ने ट्राइबल सब प्लान एरिया की वृद्धि के लिए, माडा क्षेत्र की वृद्धि के लिए, माडा क्लस्टर क्षेत्र की वृद्धि के लिए क्या और किस प्रकार का पत्राचार किया और भारत सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया ? दिसम्बर से लेकर आज तक आठ महीने में वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिमोहन शर्मा : कुछ नहीं किया वर्तमान सरकार ने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार यह इश्यू जब चर्चा में आता है तो यही जवाब दिया जाता है कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को प्रस्ताव भेजे गये हैं, उन प्रस्तावों का क्या हुआ, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने क्या क्वैरी की......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा : 26 साल से, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के गांवों को माडा से नहीं जोड़ा है और आज यह इश्यू यहां चर्चा में आया तब भी सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करिए।

श्री संयम लोढ़ा : आपका प्रोटेक्शन चाहिए, अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए हमको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आदिवासियों की वृद्धावस्था पेन्शन नहीं है क्या ? वृद्धावस्था पेन्शन तो सब जिलों में चालू है।

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र की बात हम इस सदन में नहीं करें तो कहां करें ?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की....(व्यवधान)

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (व्यवधान)....31 मार्च, 2004 को 317089 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्रश्न का उत्तर बाद में, सदन आर्डर में आ जाए। तब आप जवाब दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात जैसे इश्यू पर 25 मिनट चर्चा हुई और ट्राइबल के इश्यू पर हम 10 मिनट भी चर्चा नहीं करना चाहते ? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। मैंने किसी को भी प्रश्न पूछने के लिए अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : पाइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का मामला है, अनुसूचित जनजातियों का मामला है, इस प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं आया है और आप ध्यान नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई जिद करने वाली बात नहीं है। (व्यवधान) कई इलाके उदयपुर सम्भाग में ऐसे हैं जिनको अभी तक.....

श्री नाथूराम अहारी : आदिवासियों का मामला है, इस प्रश्न पर गम्भीरता से उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाएं। (व्यवधान) इनको कर लेने दो जो कुछ भी करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आपका संरक्षण चाहिए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उदयपुर सम्भाग में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो माडा क्षेत्र में जुड़ सकते हैं, टाडा क्षेत्र में जुड़ सकते हैं।

श्री जीतमल खांट : सरकार आदिवासियो के लिए क्या कर रही है ?

एक माननीय सदस्य : आप क्या हैं ? आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री अर्जुन लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मसलों को गम्भीरता से लिया जाए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : टाडा और माडा का सवाल नहीं है, यह पूरे आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

श्री मांगीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जो आप जानते हैं, आदिवासी अंचल होने के नाते भी ट्राइबल सब प्लान एरिया में नहीं जोड़ा गया है।

श्री जीतमल खांट : सरकार ने पिछले 8 महीने में क्या किया ?

श्री मांगीलाल गरासिया : जब-जब भी बात आती है, तो यह कहकर टाला जाता है.....(व्यवधान) नहीं लिया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री मांगीलाल गरासिया : मेरे यहां माडा क्षेत्र जो गोगुन्दा पड़ता है....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। आसन सहयोग चाहता है आपसे, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इनके ट्रांसपोर्ट पर चर्चा हुई, आज ट्राइबल के इश्यू पर आप चर्चा करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, केवल सवाल इतना ही है कि दिसम्बर से आज तक सात महीने में सरकार ने आदिवासी गांवों को विभिन्न योजनाओं में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से क्या प्रयास किये ? 1995 से लेकर 2003 तक और 7 महीने में सरकार ने शामिल करने के लिए क्या किया, इतना-सा-उत्तर दे दें, फिर उसके बाद में नैक्स्ट। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : मामूली-सा एक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी के पास जितनी जानकारी थी आपको दे दी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मूल प्रश्नकर्ता का सवाल यही है कि इन योजनाओं को भेजने के बाद में.......(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस प्रश्न की जानकारी नहीं मिली है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है और आपसे मैं यह उम्मीद नहीं रखती कि आप इस प्रकार से दूसरा प्रश्न पुकार लेने के बाद में आसन की व्यवस्था को या आसन को इस तरह से चुनौती देंगे और फिर प्रश्न पूछेंगे। माननीय मंत्री।

श्री मदन दिलावर : खण्ड 2.

श्री अध्यक्ष : आप तो खण्ड एक से दीजिए जवाब।

वृद्धावस्था पेन्शन प्रकरणों का निस्तारण

334. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने व्यक्तियों को 31 मार्च, 2004 तक वृद्धावस्था पेन्शन उपलब्ध करायी जा रही है ? इस पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी राशि व्यय की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के पास दिनांक 31 मार्च, 2004 तक वृद्धावस्था पेन्शन हेतु कितने प्रार्थना पत्र किस स्तर पर विचाराधीन हैं ?

(3) क्या सरकार ने वृद्धावस्था पेन्शन प्रार्थना पत्र को प्राप्त होने से निस्तार करने तक की कोई सीमा अवधि निश्चित कर रखी है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की समयावधि निर्धारित करने का विचार रखती है ?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(4) क्या सरकार वर्तमान में दी जा रही वृद्धावस्था पेन्शन में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) राज्य में 31 मार्च, 2004 तक कुल 3,17,089 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन उपलब्ध करवायी जा रही थी। जिलेवार सूचना परिरिशष्ट 1 पर संलग्न है।

वर्तमान में केन्द्र सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं करा रही है। सम्पूर्ण राशि राज्य मद से भुगतान की जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण राशि रू. 6247.11 लाख राज्य कोष से खर्च की गई।

(2) दिनांक 31 मार्च, 2004 तक वृद्धावस्था पेन्शन हेतु विचाराधीन आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	जिला	31 मार्च, 2004 को विचाराधीन प्रार्थनों पत्रों की संख्या	निस्तारण की वर्तमान स्थिति
1.	बाड़मेर	75	सभी निस्तारित।
2.	भरतपुर	31	सभी निस्तारित।
3.	चूरू	1196	सभी निस्तारित।
4.	जैसलमेर	56	एक माह की अवधि में कर दिया जाएगा।
5.	जोधपुर	87	सभी निस्तारित।
6.	करौली	313	एक माह की अवधि में कर दिया जाएगा।
7.	टौंक	33	सभी प्रार्थना पत्र अपूर्ण हैं। पूर्ण करवाया जा रहा है।

1	2	3	4
8.	उदयपुर	59	सभी निस्तारित।
9.	श्रीगंगानगर	54	24 निस्तारित, 30 अपूर्ण है। पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।
10.	हनुमानगढ़	108	69 पी.पी.ओ. जारी होने हैं एक सप्ताह में। 39 अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करने हेतु इस माह में कैम्प आयोजित।

(3) जी हां। वृद्धावस्था पेन्शन नियमों के निर्धारित समय सीमा निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि से जहां तक सम्भव हो, एक माह की अवधि में आयु, मूल निवास, आय एवं जीविकोपार्जन के साधन का सत्यापन एवं जांच पूर्ण कर आवेदन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजना।

2. पेन्शन स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में पेन्शन भुगतान आदेश उप कोषाधिकारी को भेजना।

(4) जी नहीं।

(सूचना के लिए परिशिष्ट-2 देंखे)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल आबादी के कितने लोग पेन्शन प्राप्त करने के हकदार हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कभी राज्य सरकार ने सर्वे कराया ? सर्वे कराया है तो जिलेवार उनकी संख्या क्या है ?

नम्बर दो, जो प्रार्थना पत्र आपने विस्तारित होने बताये हैं, इन 10 जिलों में उन निस्तारित प्रार्थना-पत्रों में कितने स्वीकार किये गये हैं और कितने अस्वीकार किये गये हैं ? या जो निस्तारित किये गये हैं उनका अभिप्राय यह है कि सभी स्वीकार कर लिये गये हैं ?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

नम्बर तीन, पूर्व में विभिन्न जिलों में स्वीकृत किये हुए प्रार्थना-पत्रों की पेन्शन स्वीकार कर दी थी सरकार ने, बीच में अनेक लोगों की स्वीकृत पेन्शनशुदा आदेश थे उनको रोककर उनकी पेन्शन रोक दी तो जिलेवार कितने ऐसे लोग हैं ?

नम्बर चार, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, जो आपने 31 मार्च, 2004 तक विचाराधीन प्रार्थना-पत्र बताये हैं क्या उन प्रार्थना-पत्रों में पंचायत समिति स्तर पर विचार किये जाने वाले या वहां पेश किये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या भी शामिल है ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। मेरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने राजनैतिक आधार पर हजारों लोगों की वृद्धावस्था एवं विधवा पेन्शन बन्द कर दी थी जिसके कारण प्रदेश में हजारों वृद्ध और विधवाओं को पेन्शन मिलना बन्द हो गया ? यदि हां, तो यह पेन्शन क्यों बन्द की गई थी और क्या इन प्रकरणों की पुनः जांच कर पेन्शन पुनः प्रदान की जाएगी ?

श्री हरिमोहन शर्मा : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, 1998-99 में पूर्ववर्ती बी.जे.पी. सरकार का जो 1998-99 का बजट था, उसमें विकलांग पेन्शन, वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा महिलाओं की पेन्शन के पेटे कितने पैसे का प्रावधान किया गया था और पिछले साल कांग्रेस की सरकार ने बजट में इस पेटे कितना प्रावधान किया ? इसी से सारी स्थिति साफ हो जाएगी जो जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय, आप लोगों ने राजनैतिक आधार पर वृद्धावस्था पेन्शन बन्द की हजारों लोगों की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सात गुना पेन्शन में वृद्धि की है गरीब के लिए कांग्रेस की सरकार ने यहां पर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप जवाब तो आने दीजिए।

श्री मदन दिलावर : जवाब आ रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमने जो बढ़ायी थी आप बढ़ा देना अभी।

श्री कालीचरण सर्राफ : जवाब दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो पेन्शन गवर्नमेन्ट ने बढ़ायी आप बढ़ा रहे हो क्या ?

श्री राकेश मेघवाल : गरीब, विकलांग और विधवा पेन्शन पुनः चालू की जाए। पहले बन्द की जब से लेकर आज तक की पेन्शन उन गरीबों को, विधवाओं को दिलायी जाए।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दो।

श्री कालीचरण सर्राफ : वृद्धों के साथ राजनीति की इन लोगों ने।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को यह पेन्शन दी जाती है, ऐसा सर्वे कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उम्र कभी भी पेन्शन पाने की हो सकती है-कोई भी महिला कभी भी विधवा हो सकती है, कोई भी कभी भी विकलांग हो सकता है, इसलिए ऐसी कोई निश्चित संख्या सरकार के पास होगी, यह असम्भव सा है। मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि ऐसा निश्चित सर्वे किसी भी सरकार के पास हो कि कितने विकलांग हैं, कितनी विधवाएं हैं और कितने 65 साल के हो गये हैं, वृद्धावस्था पेन्शन पाने योग्य हो गये हैं। ये सब लगभग होती हैं, एक्जैक्ट किसी के पास नहीं हो सकती।

दूसरा माननीय सदस्य ने पूछा है कि जिलेवार कितनी पेन्शन को कब बन्द किया गया है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देता हूं कि 1-4-1999 से 31-10-2002 तक राजस्थान भर में पूर्ववर्ती सरकार ने 3,94,290 लोगों की पेन्शन को बन्द किया।

श्री कालीचरण सर्राफ : अब दो जवाब। तीन लाख लोगों की वृद्धावस्था पेन्शन राजनैतिक आधार पर आपने बन्द की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बन्द नहीं की थी। इसके बाद का खर्चा बताओ न।

श्री कालीचरण सर्राफ : राजनैतिक आधार पर आप लोगों ने वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन बन्द की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खर्चा बताओ, कितना खर्चा हुआ ?

श्री अमराराम (धोद) : बन्द की तो आप चालू कर दो।

श्री कालीचरण सर्राफ : 3 लाख लोगों की पेन्शन बन्द की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो ये तथ्य आप दे रहे हैं, खर्चा बता दीजिए।

डॉ. जालम सिंह रावलोत (शिव) : आपने दलितों की, गरीबों की पेन्शन बन्द की है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को।

आपने वृद्धों के साथ राजनीति की। आपने वृद्ध लोगों की पेन्शन बन्द कर दी।

डॉ. जालम सिंह रावलोत : दलित, वृद्ध दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपने वृद्धों के साथ राजनीति की। आपने वृद्ध लोगों की पेन्शन बन्द कर दी।

डॉ. जालम सिंह रावलोत : इतनी भारी संख्या में आपने पेन्शन बन्द की है। हर विधान सभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में पेन्शन बन्द हुई है। वो दलित, बुजुर्ग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, +++ (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मंत्रीजी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं क्या ? ये सारी ही समाज कल्याण मंत्री बन गये क्या ?

श्री मदन देलावर : मैं भी सक्षम हूं, उनकी भी पीड़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : पूरी गलत बन्द की थी अगर आंकड़े देखें तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया और आपने जो कहा है वह सारा काम गलत किया था, क्या बात कर रहे हो ? (व्यवधान) हां, गलत कर रहे हैं तो दे दें। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल करूंगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : शर्म की बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) अभी राजनीतिक आधार पर पिछली कांग्रेस की सरकार ने बन्द की। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जिन पेन्शनधारियों की पूर्ववर्ती सरकार ने पेन्शन बन्द की है क्या सरकार आज से उनको वापस चालू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो केवल प्रचार करना चाहती है। वर्ना 3 लाख 94 हजार को सरकार आज.....(व्यवधान)

श्री बालूलाल नागर : मंत्री महोदय, क्या उन पेन्शनधारियों को अब दिलवाएंगे पेन्शन। (व्यवधान) जो तीन लाख का आंकड़ा आपने बताया है, क्या उन पेन्शनधारियों की पेन्शन आपके कार्यकाल में मन्जूर कर देंगे, यह बता दें आप तो ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार गरीब के हितों में कुछ करना चाहती है तो 3 लाख 94 हजार को पेन्शन चालू करने का आज ही आदेश दे दे, वर्ना केवल मात्र......(व्यवधान) गरीब से आपको कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान) गरीब से लेना-देना है तो.... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : विकलांग पेन्शन देने के लिए क्या आप शिविर लगाकर.....(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय मंत्री महोदय आप तो यह बताएं कि 3 लाख 90 हजार की पेन्शन कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने बन्द की उसको आप पुनः चालू करने का विचार रखते हैं ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने तीन लाख पेन्शने बन्द की, यह बिलकुल सही है कि इनकी पेन्शन बन्द हुई लेकिन मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो वृद्धावस्था पेन्शन दो दो बच्चे और तीन-तीन बच्चे होते हुए आपकी सरकार ने स्वीकृत की, यह सरकार उन बाल बच्चेदार को वृद्धावस्था की पेन्शन चालू करना चाहती है ? (व्यवधान) अगर चाहती है तो इसका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, नियम में है तो कर दो आप। (व्यवधान) आप सक्षम हो। (व्यवधान) यह क्या बात कर रहे हो ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को संरक्षण दें। एक-एक माननीय सदस्य का जवाब देना चाहता हूं। आप शान्त रहिये। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का भी जवाब मैंने दिया नहीं है, इसलिए बताना चाहता हूं, जिलेवार सीकर में इन्होंने.....

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें।

श्री मदन दिलावर : सारा बताता हूं, एक-एक माननीय सदस्य का। (व्यवधान) सीकर में 26317 लोगों की बन्द की इन्होंने।

श्री कैलाश त्रिवेदी : इसका कारण बताओ आप, मंत्री महोदय, यह जिन कारणों से हुई और पटवारी, तहसीलदार ने क्या रिपोर्ट की जिसकी वजह से बन्द हुई ? कब इन लोगों की स्वीकृत हुई ? यह कारण नहीं बताया। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : कांग्रेस ने बन्द किया तो आप चालू कर दो न, काहे को समय खराब कर रहे हो ? (व्यवधान) कांग्रेस ने बन्द की तो आप कर लो, मना कौन कर रहा है ? (व्यवधान) काहे को यह समय बर्बाद कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 26615 लोगों की पेन्शन बन्द की। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, काहे को बर्बाद कर रहे हो समय ?

(श्री नाथूराम अहारी)

(व्यवधान) हमने बन्द की तो कर लो अब। (व्यवधान) बात करते हो।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और टौंक में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 21513 लोगों की बन्द की। मैं सब जिलों की बता सकता हूं लेकिन माननीय सदस्य उद्वेलित हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : दो बातें बता रहे हैं आप-सरकार ने बन्द की या पात्र नहीं थे। बन्द करने का मतलब अपात्र थे। बन्द करने के लिए सरकार जिम्मेदार है और पात्र ही नहीं थे तो सरकार का मतलब ही नहीं है, आप भले ही व्यवस्था करिए। (व्यवधान) सभी पात्र नहीं थे तो वोट मांगने के बाद किया ही क्या ? वे कोई पात्र नहीं थे। (व्यवधान) दो बातें अलग-अलग कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : क्या सरकार वापस स्वीकृत करना चाहती है ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो, मंत्री महोदय, चालू कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : क्या राजस्थान में सभी को चालू करना चाहती है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को आर्डर में लाइये।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह कहो कि 3 लाख 90 हजार को चालू करोगे या नहीं करोगे ? अध्यक्ष महोदय, जिलों की पढ़ रहे हैं, फिर नाम पढ़ेंगे, सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। मांग इतनी ही है कि 3 लाख 90 हजार की पूर्व सरकार ने जो बन्द की। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हां, हां, वह मांग पूरी करूंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनको आप आज चालू करना चाहते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपकी मांग का जवाब देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का जवाब तो सुन लीजिए। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यदि वह पात्र हैं तो सरकार करे। (व्यवधान) वह दे इनको। और पात्र नहीं थे तो बन्द कैसे कर दी ? (व्यवधान) पात्र थे कि नहीं थे, बन्द की बात कर रहे हैं हम। पात्र तो थे ही नहीं, बन्द करने की बात कर रहे हैं। आप बताइये, मंत्री जी, पात्र थे या नहीं थे। पात्र थे तो आप दीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यह गरीब लोगों का मामला है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : गरीब का नहीं है, नेतागीरी का है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : गरीब का नहीं है, पात्रता का है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पात्र कर दीजिए उनको।

श्री नाथूराम अहारी : गरीब का ठेका आपने लिया है क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : 3 लाख आदमियों को पात्र मानते हो..... (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : गरीब का ठेका आपने लिया है क्या ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप घोषणा कर दीजिए, वह पात्र थे। (व्यवधान) पात्र नहीं थे कैसे करते ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक घोषणा कर रहा हूं, सुनो।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, गरीब का ठेका आपने लिया है क्या ?

श्री मदन दिलावर : मेरी घोषणा तो सुनो। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, सही है तो आप कर लो न, मना कौन कर रहा है ? (व्यवधान) आपका राज है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह पेन्शन बन्द क्यों हुई, यह बताना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि.....(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : यह इसलिए बन्द हुई है कि यह इन्लीगल काम किया आपने। (व्यवधान) सारा उल्टा काम किया है। (व्यवधान) चार-चार बच्चे हैं उनकी पेन्शन कर दी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ सुनो।

श्री नाथूराम अहारी : +++ सुनो +++ सुनो क्या होता है, आप असंसदीय बातें कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : जी मंत्री महोदय, आ गया जवाब, बिराजो आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 7 जुलाई, 1999 को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने एक आदेश पारित किया कि जिन वृद्ध लोगों ने.....

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या बातें कर रहे हैं, श्रीमान अशोक गहलोत ने ? वह मंत्री हैं या क्या हैं ? बन्द कराई है, मंत्री को तो मालूम ही नहीं है। (व्यवधान) काहे के मंत्री हैं, इनको मालूम नहीं है। काहे के मंत्री बन गये यह ? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : यह आपने गलत काम किया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जनवंरी, 2000 को आदेश जारी किया और इस कारण से अध्यक्ष महोदय, एक लाख 28 हजार की पेन्शन बन्द की। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : हाउस में गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिलकुल गलत दे रहे हो मंत्री होकर। आपको सही उत्तर देना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : यह पीड़ा माननीय सदस्य की है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : यह सर्वे करवा लेना आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आते ही मुझे निर्देश दिया।

श्री बाबूलाल नागर : क्या पढ़ रहे हो ?

श्री मदन दिलावर : +++

श्री बाबूलाल नागर : +++ नहीं आप क्या हैं ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो ऐसे ही बदतमीजी से बोलते हैं। (व्यवधान) यह माननीय मंत्री महोदय कैसे बदतमीजी से बोलते हैं। (व्यवधान) बदतमीजी से बोल रहे हैं यह। (व्यवधान) इन मंत्री को आप सिखाओ, कैसे जवाब दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, आदेश जारी किया, वह बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : यही ढंग करते हो आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, आप मंत्रीजी को जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवदेन है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्रीजी। कोई भी माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर जो उसने लिखा, सुनिए, आप कैसे खड़े हो गये ? उन्होंने उल्लंघन किया इसका मतलब आप भी करेंगे ? (व्यवधान) मैं निवेदन कर रही हूं कि माननीय मंत्री लिखित में उत्तर जो आपको दिया गया है वह तो देंगे, वह पढ़ेंगे लेकिन सप्लीमेन्टरी का जवाब तो यों ही देंगे। सप्लीमेन्ट का जवाब

(श्री अध्यक्ष)

उसमें थोड़े ही लिखा हुआ है ? सप्लीमेन्टरी का जवाब तो ऐसे ही देंगे, जैसे वह दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यध महोदय, सभ्यता से तो बोलें। असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, सभ्यता से तो बोलें। (व्यवधान) +++ इस तरह से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मीणा : +++ कैसे कह दिया उन्होंने (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : बदतमीजी से बोल रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : प्रश्न का जवाब तो आए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी का जवाब वह संयम में संयत रहकर दें। माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी और सीनियर सदस्य प्रश्न पूछें और वह कहें +++, यह कोई तरीका है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह गलत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप हिदायत दीजिए उनको।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह गलत है। (व्यवधान) यदि ऐसा कहा है तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा तो आप भी नहीं बोलते आसन की तरफ से।

श्री अध्यक्ष : मुझे सुनाई नहीं दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप उनको प्रताडित कीजिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं सुनेंगे, मुझे पता है, ये 12 बजने का इन्तजार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने कहा है बैठ जाओ। आपने बदतमीजी से कहा, आप बैठ जाइये। (व्यवधान) आपने बदतमीजी से कहा, अब नहीं सुनेंगे। (व्यवधान) नहीं, बदतमीजी से कहा है। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मतलब ही नहीं, बिना मतलब ही बोल रहे हैं। यह बदतमीजी है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सबसे ज्यादा बदतमीजी करते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : बदतमीजी से बोलते हैं ये, ये क्या तरीका है ? इतने पुराने सदस्य हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने सुनी है यह।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। (व्यवधान) गलत रिपोर्ट देते हैं। हाउस में गलत बात पढ़ते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने 3 लाख 12 हजार लोगों की पेन्शन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शोरगुल में आप अपना गला क्यों फाड़ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : .....यह क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चालू कैसे कर रहे हैं हम लोग। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : कोई मतलब ही नहीं है, +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चालू करने की विधि बता रहे हैं। बोलो.....(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : क्या था, क्या चालू कर रहे हो ? क्या विधि बताओगे ? आप क्या बताओगे ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : विधि क्या होगी ? विधि कोई नहीं, आप गरीब के रक्षक हैं तो घोषणा करो कि तीन लाख 90 हजार की चालू करने की घोषणा करते हैं, वर्ना व्यर्थ में राजनीति कर रहे हो गरीब के नाम पर। आप तो घोषणा करो कि 3 लाख 90 हजार की आज यह चालू हो जाएगी। यह घोषणा करो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की पेन्शन चालू होनी चाहिए जो पात्रता रखते हों। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इन्होंने बन्द कर दी, इन्होंने चालू की, इससे काम नहीं चलेगा। किसी का एक पैसा नहीं दिया, व्यर्थ में समय बेकार कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और हमने आदेश जारी किया है कि जो 65 साल के वृद्ध हो गये और जिनका बी.पी.एल. सूची में नाम है, राजस्थान भर में ऐसे सारे लोगों को पेन्शन जारी की जाए। ये आदेश प्रसारित कर दिये हैं। (व्यवधान) मैंने अभी कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधवा बहनें हैं और जो बी.पी.एल. सूची में हैं उनको सब को पेन्शन दी जाए। जो विकलांग बन्धु हैं, बी.पी.एल. में हैं उनको भी सबको पेन्शन दी जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो तीन लाख 90 हजार की बात करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री कालीचरण सर्राफ : कांग्रेस के लोगों से माफी मंगवाएं। तीन लाख 94 हजार लोगों को राजनैतिक आधार पर पेन्शन बन्द कर दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कालीचरण जी, बिराजें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

पवन वर्मा श्री, विधान सभा सचिवालय कार्मिक के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं राजस्थान विधान सभा के कर्मचारी श्री पवन वर्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री पवन वर्मा का जन्म 17 जुलाई, 1972 को झुन्झूनूं जिले में हुआ। श्री वर्मा की नियुक्ति 31 जुलाई, 1992 को विधान सभा सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई। नियुक्ति के बाद से श्री वर्मा का पदस्थापन माननीय अध्यक्ष कार्यालय में रहा। श्री वर्मा दिनांक 13 दिसम्बर, 1994 से 19 अप्रैल, 1998 तक तत्कालीन उप मुख्य मंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रहे। ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान श्री वर्मा मुख्य सचेतक कार्यालय में कार्यरत रहे। इसके पश्चात् वे इस सचिवालय में पदस्थापित रहे। सौम्य और मधुर व्यवहार वाले श्री वर्मा विधान सभा सचिवालय के कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे।

श्री पवन वर्मा का दिनांक 27 जुलाई, 2004 को आकस्मिक रूप से निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्री पवन वर्मा के निधन पर शोक एवं संवेदना प्रकट करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री संयम लोढ़ा एवं 14 अन्य सदस्यों की ओर से राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में बदलने एवं नाम परिवर्तित कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सी.डी.पी.ओ. के कथित अवैधानिक कार्यों की जांच के सम्बन्ध में।

श्री संयम लोढ़ा व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में कल ही सदन में चर्चा हुई है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मांगीलाल गरासिया ने इसी विषय पर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सूचना दी है, जिसको पढ़ने की उन्हें अनुमति दी जा रही है, अतः इस स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) डा. एन.एस. गुर्जर, सदस्य की ओर से राज्य के कतिपय विभागों द्वारा बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन एक्सचेन्जों के स्थान पर निजी टेलीफोन कम्पनियों के एक्सचेन्ज स्थापित करवा लेने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य की ओर से उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के राजमार्गों में राज्य के ट्रकों पर संगठित गिरोहों द्वारा हमला करने की घटनाओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सी.डी.पी.ओ. के कथित अवैधानिक कार्यों की जांच के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से कपासन विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पदों के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे

जो आज चार पर्चिया निकली हैं उनके बारे में :

(1) श्री खुशवीर सिंह, पारम्परिक तरीके से तालाब खोदकर ईंट बनाने वालों का राजस्व माफ करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिमोहन शर्मा, कुछ व्यक्तियों को अनावश्यक लाभ पहुंचाकर रोडवेज को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रघुवीर सिंह मीणा, आवासीय विद्यालय कागदर (खैरवाड़ा) में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(4) डा. श्रीगोपाल बाहेती, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं पंचायतों के कामकाज में राजनीतिक दखलंदाजी करने के सम्बन्ध में।

जिन 4 माननीय सदस्यों की पर्ची प्रांप्त हुई है उन्हें 4-4 मिनट बोलने का अवसर दिया जाएगा।

295 में डाक्टर एन.एस. गुर्जर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्या निवेदन है ?

श्री संयम लोढ़ा : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है उसको आपने रिजैक्ट किया है तो बोलने तो देंगे। आप बोलने तो देंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हो ? जीरो आवर में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पाइंट आफ आर्डर है ही नहीं मेरा।

श्री अध्यक्ष : तो फिर क्या है ? बाकी क्या है ?

श्री संयम लोढ़ा : स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, आपने रिजैक्ट किया है।

एक माननीय सदस्य : सदन का सबसे ज्यादा समय करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले 295 पढ़ने दीजिये, पर्ची पर बोलने दीजिये, उसके बाद आपको कुछ कहना हो तो कहियेगा। डा. एन.एस. गुर्जर, एवसेंट। श्री नवरतन राजोरिया। जब आपको मालूम था तो स्थान पर रहना चाहिए था न।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

फुलेरा क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार व चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव रख रहा हूं।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में सांभर व किशनगढ़ रेनवाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। इन दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मेरे क्षेत्र व आसपास की लगभग एक-एक लाख जनसंख्या लाभान्वित है। पिछले कई वर्षों से यहां की चिकित्सा, जांच उपकरण व साफ-सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है जिससे मेरे क्षेत्र की जनता को इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधाओं का सही ढंग से फायदा नहीं मिल पाता और मजबूरन उन्हें निजी अस्पतालों में या जयपुर व अजमेर जैसे बड़े शहरों की ओर रूख करना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया जाए। वर्तमान में सामुदायिक केन्द्र, सांभर में 50 शैयाएं हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनगढ़-रेनवाल में 30 शैयाएं हैं। इन शैयाओं की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 100 व 50 की जाए।

सांभर मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है। पर्यटन व नमक व्यवसाय की

(श्री नवरत्न राजोरिया)

दृष्टि से न केवल राज्य में बल्कि देश में इसका विशिष्ट स्थान है। जयपुर से इस कस्बे की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रैफरल हास्पिटल के रूप में क्रमोन्नत करने हेतु मेरा निवेदन है।

मेरे क्षेत्र के फुलेरा व जोबनेर कस्बे में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही संचालित है। इन कस्बों की जनसंख्या के आधार पर इन दोंनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा प्रदान करने की कृपा करें।

इसके साथ ही मण्ढा, करणसर व बधाल मेरे क्षेत्र में लगभग 8-10 हजार की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें हैं, यहां पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने आवश्यक हैं। माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी करणसर में इसके लिए घोषणा भी कर चुके हैं।

अतः आशा है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी मेरे फुलेरा क्षेत्र की चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित इन मांगों को पूरा करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के राजमार्गों पर राज्य के ट्रकों पर संगठित गिरोहों द्वारा हमले की घटनाएं

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 कें अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि जी.टी. रोड, इटावा ढाबा, पुलिस थाना नैनी, इलाहाबाद के ढाबे पर संगठित गिरोह के 5-6 हमलावरों द्वारा राजस्थान के 20 ट्रकों के चालकों पर राइफल, तलवार, नाल व बन्दूक हथियारों से जानलेवा हमले करने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 16-7-2004 को रात्रि 10.00 बजे जी.टी. रोड, इटावा ढाबे पर चाय-पानी व खाने के लिए राजस्थान राज्य से सम्बन्धित 20 ट्रक रूके हुए थे। वहां 5-6 हथियारबन्द हमलावार जो राइफल, देशी कट्टा, तलवार, नाल व बन्दूकों से लैस थे, द्वारा 20 ट्रक चालकों व खलासियों पर जानलेवा हमला

(श्री रामसिंह विश्नोई)

किया गया। इस हमले में किसनाराम पुत्र जौहाराराम, निवासी कानावास का पाना, ग्राम पंचायत जाडली फौजदारा. पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर की हत्या हो गई तथा अन्य चार व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना नैनी, इलाहाबाद मं एफ.आई.आर. नं. 96 दिनांक 17-7-2004 को रात्रि एक बजे दर्ज कराई गई। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न ही पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गई है।

उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जब-जब राज्य के ट्रक सामान लेकर गुजरते हैं, उनके ऊपर संगठित गिरोहों द्वारा इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं और पिछले 12 महीनों में कम से कम 8-10 व्यक्तियों की इस तरह के हमलों में हत्या व लूटपाट हो चुकी है। पूर्व में बिहार सरकार ने छह व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृतक परिवारों को एक-एक लाख का मुआवजा दिया था। दिनांक 16-7-2004 की उक्त घटना में मृतक किसनाराम पुत्र जौहराराम के परिवार एवं घायलों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा राशि दी जाए। मृतक किसनाराम की पत्नी श्रीमती शांति देवी ने भी राजस्थान की मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर मृतक परिवार को दो लाख रूपये व घायलों को 50-50 हजार रूपये मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश व बिहार के मुख्य मंत्री व गृह मंत्री को लिखा जाए कि वे नेशनल हाइवे व जी.टी. रोड पर रात्रि गश्त पुलिस की व्यवस्था कराई जाए जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा मृतक परिवार एवं घायलों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा उत्तर प्रदेश व बिहार की सरकार से भी मुआवजे हेतु कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय, दो साल के अन्दर कम से कम 10 व्यक्तियों की हत्या-हमारे जो ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, ट्रक लेकर जाते हैं, बिहार और यू.पी. के अन्दर उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं, माननीय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो मृतक परिवार हैं, वे उन परिवारजनों को मुआवजा तो दें ही लेकिन वहां की सरकार को उलाहना भी दें और डाइरेक्शन भी दें कि इस तरह की घटना होती है, वह खेदजनक है। बिहार के लाखों व्यक्ति राजस्थान के अन्दर मजदूरी करते हैं, यहां से लाखों-करोड़ों रूपये वे कमाते हैं यहां पर।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात, वे ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरी दो ही बातें हैं। यहां पर हम उनकी पूरी हिफाजत रखते हैं उसके बावजूद भी हमारे यहां से जो व्यक्ति वहां जाते हैं उनके साथ में इस तरह का सलूकात होता है और वहां की सरकार कोई परवाह नहीं करें, यह शोचनीय और चिन्ताजनक विषय है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने विषय ध्यान में लाया है पर निश्चित रूप से बिहार के गृह विभाग को अपनी व अपने विभाग की तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और बिहार सरकार को भी इस बात की हिदायत दूंगा कि हमारे यहां के लोगों की सुरक्षा हो, वे भी उसी मुस्तैदी से करें जैसी हम अपने राज्य में उनकी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, यूं खड़े होकर बात नहीं करें।

गोगुन्दा में सी.डी.पी.ओ. के कथित अवैधानिक कार्यों की जांच

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत सायरा में आंगनबाड़ी सहायिका केन्द्र, रावो का सायरा में बिना दृष्टिहीन होते हुए भी सी.डी.पी.ओ. द्वारा दृष्टिहीन बताकर हटाये जाने के सन्दर्भ में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत पंचायत सायरा में आंगनबाड़ी केन्द्र. रावों का सायरा में कार्यरत सहायिका नाथी बाई को बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मनमानी कर अवैधानिक तौर से हटा दिया गया। नाथी बाई के साक्षर नहीं होने का फायदा उठाकर दबाव में खाली कागजों में हस्ताक्षर कराने के लिए विवश किया गया। सी.डी.पी.ओ. ने मनमानी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिये जाने की व ग्राम सभा की अवहेलना की शिकायत उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुर को दिये जाने के बावजूद उस प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। सी.डी.पी.ओ. द्वारा उद्दीशा कार्यक्रम में भी केन्द्रों पर खेलकूद आयोजन में दिये जाने वाले उपहार में जितने रूपये के बिल लगाये गये हैं, घटिया सामग्री खरीद कर दिये गये हैं,

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बिल भी फर्जी लगाये गये हैं। सरकार के आदेश के बावजूद भी कर्मचारियों को बैंक से पेमेन्ट नहीं कराकर कैश पेमेन्ट विभाग मे बैठकर किया जा रहा है। राज राजेश्वरी योजना में मिलने वाली राशि का आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्य करने वालों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

अतः मैं सदन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षिक कर अनुरोध करना चाहता हूं कि सी.डी.पी.ओ.. द्वारा मनमानी कर अवैधानिक तौर से किये गये कार्यों की जाचं कर कार्यवाही करें। ऐसे और कई गलत कार्य सी.डी.पी.ओ. कार्यालय में किये जा रहे हैं, जिनकी भी जांच करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीलाल जाट।

कपासन के चिकित्सालयों में रिक्त पद

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्स, कम्पाउण्डरों के लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कपासन के चिकित्सालय में डाक्टरों के पद लम्बे समय से खाली हैं जिसके कारण से क्षेत्र के मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है और मरीजों को इलाज करवाने हेतु चित्तौड़गढ़, उदयपुर अथवा अहमदाबाद ले जाना पड़ता है। गरीब मरीजों की कई बार तो इस स्थिति में मृत्यु तक हो जाती है। इस चिकित्सालय में वर्तमान में बिस्तरों की संख्या कम है, जिसके कारण से मरीजों को नीचे ही लिटाना पड़ता है। मरीजों की समुचित जांचें भी उपकरणों की कमी के कारण नहीं हो पाती हैं।

मेरा माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि कपासन के चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया जाएं और वर्तमान में खाली पड़े पदों पर चिकित्सकों और कम्पाउण्डरों, नर्स व अन्य स्टाफ का अविलम्ब पदस्थापन करने का श्रम करें। मरीजों की समुचित जांच हेतु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण भी उपलब्ध करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन एक्सचेन्जों के स्थान पर राजकीय विभागों द्वारा निजी टेलीफोन कम्पनियों के एक्सचेन्ज

श्री अध्यक्ष : डा. एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मैं नगरीय विकास मंत्रीजी का एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्य प्रशासनिक भवन, शासन सचिवालय एवं अन्य राजकीय कार्यालयों यथा जलदाय विभाग, नगर निगम तथा कई अन्य विभागों में शुरू से ही बी.एस.एन.एल. (भारतीय दूरसंचार निगम लि.) के ही पी.बी.एक्स. कनेक्शन हैं। केन्द्र सरकार की एवं राज्य सरकार की भी यही नीति रही है कि राजकीय विभागों में राजकीय एजेन्सी के ही कनेक्शन होने चाहिए। किन्तु कुछ समय से राजस्थान राज्य में निजी टेलीफोन प्रदाता कम्पनियों ने टेलीफोन स्पर्द्धा में पैर जमाये हैं तथा आज श्याम टेली लिंक, रेनबो, ओएसिस (वर्तमान में एयरटेल में विलय), एस्सार हच, रिलायन्स आदि कम्पनियां कार्यरत हैं।

बी.एस.एन.एल. के रिटायर्ड अधिकारी इन प्राइवेट कम्पनियों में लगाये गए हैं जो सरकारी नीति एवं गोपनीयता की जानकारी निजी कम्परियों को देते हैं। अपना हित साधने के लिए ये अधिकारी अपने पूर्व पद का दुरूपयोग कर रहे हैं। एक सरकारी आफिस को निजी दूरभा. कम्पनी का पी.बी.एक्स. या अन्य दूरभा. कनेक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये कम्पनियां अपने नम्बरों से जनता को अवगत नहीं कराती, न ही कोई टेलीफोन निर्देशिका छपवाकर जनता में प्रसारित करातीं, जिससे आम नागरिक को अपने कार्य हेतु राजकीय कार्यालयों में सम्पर्क करना मुश्किल हो जाता है। आम आदमी इन टेलीफोन नम्बरों से अनभिज्ञ रहता है इसके कारण जनता का अहित होता है तथा केन्द्र सरकार को भी राजस्व की हानि होती है।

आज शासन सचिवालय में बी.एस.एन.एल. के अतिरिक्त निजी दूरभाष कम्पनी के टेलीफोन भी पी.बी.एक्स. में लगे हुए हैं किन्तु इन नम्बरों का आम जनता को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि प्राइवेट कम्पनी वाले इन

(डा. एन.एस. गुर्जर)

नम्बरों की कोई अलग से निर्देशिका भी नहीं छपवाते तथा न ही जनता को अवगत कराते हैं। बी.एस.एन.एल. की लाइन सीमित रहती है जो कि अधिकतर एंगेज आती हैं।

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि निजी कम्पनी के कर्ता-धर्ता टेलीफोन टावर लगाने में एवं अपनी कम्पनी के विभागों को कनेक्शन देने में प्रलोभन देते हैं तथा उनसे अनियमित कार्य करवाते हैं। उक्त कम्पनियों के कर्ता-धर्ता सम्बन्धित अथोरिटी पर्सन को फ्री मोबाइल सैट एवं कनेक्शन की आजीवन सुविधा मुहैया करवाते हैं एवं उन्हें इस कार्य हेतु कमीशन देते हैं। अतः सरकार को इन प्राइवेट टेलीफोन कम्पनियों से सावधान रहना चाहिए तथा निजी कम्पनियों के कनेक्शन लेते वक्त सेवा की गुणवत्ता बरकरार रखने तथा राजकीय नम्बरों की निर्देशिका छपवाकर आम जनता के लिए सार्वजनिक सूचना देने की शर्त भी रखनी चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि इन टेलीफोन की प्राइवेट कम्पनियों से राज्य सरकार को सावधान रहना चाहिए। राजकीय विभाग किसी भी निजी टेलीफोन कम्पनी के कनेक्शन लेता है तो उसकी सेवा शर्तें एवं गुणवत्ता तथा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित कम्पनी को पाबन्द किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है कि जिससे आम जनता का अहित हो रहा है और इस अहित को रोकने के लिए....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ चुके हैं 295 तो, क्या बता रहे हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : इस पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अनुपस्थिति-अनुमति

नरपत सिंह राजवी श्री को 29-7-2004 से सत्रांत तक

श्री अध्यक्ष : इससे पहले कि पर्ची पर चर्चा शुरू करवाई जाये, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य, विधान सभा ने विदेश भ्रमण यात्रा पर जाने के कारण दिनांक 29 जुलाई,

(अध्यक्ष)

2004 से सत्र के अन्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डा. र . . जोशी (नाथद्वारा) : मैडम, परमिशन एम.एल.ए. को दे रहे हैं या मिनिस्टर को दे रहे हैं ?

अध्यक्ष : बेसिकली सब एम.एल.ए. हैं। बेसिकली तो सब एम.एल.ए. हैं, उसके बाद मंत्री हैं।

डा. र . . जोशी : हाउस में तो वह मंत्री हैं। He is being introduced as minister. He is not MLA.

आप इसको अदरवाइज न लें पर हाउस में जो हमारे सामने सदस्य बैठे हुए हैं वह मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष : आपको मैं मंत्री नहीं कह सकती, लेकिन किसी भी माननीय मंत्री को सदस्य, विधान सभा तो कहा ही जा सकता है। आपको तो नहीं कह सकती मैं।

डा. र .पी. जोशी : नहीं, कहा जाना अलग है। आपकी नालेज में है वह मिनिस्टर हैं तो मिनिस्टर कहा जाना चाहिए....

अध्यक्ष : उन्होंने जो लिखा है यहां पर, सुनिये।

डा. र .पी. जोशी : आपको करैक्ट करवाना चाहिए, उनको करैक्ट करें कि आप मिनिस्टर हैं, हाउस में मिनिस्टर के हिसाब से छुट्टी ले रहे हैं। He is not going as a M.L.A. He is going as a minister Madam, I am sorry.

माफी चाहता हूं मैं।

अध्यक्ष : बेसिकली सब सदस्य हैं। देखिये, बेसिकली तो सदन के सदस्य हैं वह।

डा. र .पी. जोशी : लेकिन वह डिप्लोमेटिक पास लेंगे मिनिस्टर के

(डा. सी.पी. जोशी)

हिसाब से इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह कोई मुद्दा थोड़े ही है।

डा. सी.पी. जोशी : कि वह मिनिस्टर के हिसाब से जा रहे हैं, आप देख लें। वह कोई बात नहीं, रूल्स को आपको रिलैक्स करना है।

श्री अध्यक्ष : आपको यदि इस बात पर एतराज है तो मैं फिर पढ़ देती हूं। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नरपत सिंह राजवी, उद्योग मंत्री, विधान सभा ने विदेश भ्रमण यात्रा पर जाने के लिए 29 जुलाई, 2004 से सत्र के अन्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामसिंह विश्नोई : उद्योग मंत्री तो बिना एम.एल.ए. ही बन सकते हैं। छह महीने के लिए तो।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पारम्परिक तरीके से तालाब खोदकर ईंट बनाने वालों को राजस्व माफी

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर बोलने के लिए। पर्ची पर श्री खुशवीर सिंह।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्रदेश के अन्दर प्रति वर्ष अकाल की स्थिति रहती है और प्रत्येक तीसरे वर्ष अकाल राहत कार्य अपने प्रदेश में चलते हैं कहीं न कहीं। अकाल राहत कार्यों में अधिकांश काम तालाब खोदने का होता है गांवों के अन्दर-नाड़ी हो, तालाब हो, चाहे एनीकट बनाने का कार्य हो। गांवों के अन्दर जो किसान पारम्परिक तरीके से ईटें बना रहे हैं, प्रति वर्ष तालाब के अन्दर मिट्टी जमा हो जाती है, सिल्ट आ जाती है तालाब में उस सिल्ट को किसान खोदकर ईटें बनाते हैं। उन किसानों से

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

राजस्व वसूली की जा रही है। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि उनको अनुदान मिलना चाहिए, जबकि उन किसानों से राजस्व वसूली की जा रही है। मेरा यही अनुरोध है कि उन किसानों के राजस्व वसूली माफ की जाए और उनको अनुदान भी दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

कुछ लोगों को अनावश्यक लाभ पहुंचा कर राज्य पथ परिवहन निगम को हानि

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्रीजी और राजस्थान सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलवा रहा हूं कि राजस्थान रोडवेज में कुछ लोग साजिश करके व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टिकोण से बिना किसी कायदे-कानून के, बिना किन्हीं नियमों के अवैधानिक रूप से संस्थाओं, अपंजीकृत संस्थाओं को स्थान उपलबध करवा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज के कायदे-कानून और नियम बने हुए हैं और नियमों के अन्तर्गत कियोस्क आवंटन करने के लिए रोडवेज के अधिकारियों और रोडवेज की संस्था के द्वारा उनका किराया निर्धारित किया गया है। जो किराया वर्तमान में 5x5 और 6x6 कियोस्क बालों को उस स्थान पर बैठने का देना पड़ता है, वह कितने ही स्थानों पर बीस हजार रूपये महीना, बाईस हजार रूपये महीना, पच्चीस हजार रूपये महीना है। लेकिन एक अपंजीकृत संस्था को अभी-अभी 6x6 का कियोस्क पांच रूपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 180 रूपये प्रति माह के हिसाब से जो आवंटित किया गया है वह नियमों के विपरीत है और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से है। मेरा विनम्र अनुरोध और निवेदन है राजस्थान सरकार से कि जो नियम बनाये गये हैं उसकी पालना की जाए राजस्थान स्टेट रोडवेज जो पूर्व में ही घाटे में चल रही है और करोड़ों रूपये का नुकसान उठा रही है, वह नीतिगत रूप से फैसला करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करें और सब लोगों को किराये की दर जो आपने निर्धारित की है उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करें, बिना पक्षपात के वाजिब ढंग से जो नीति निर्धारित की है उसके हिसाब से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कियोस्क आवंटन करे। केवल व्यक्ति विशेष को, केवल किसी एक संस्था को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से उसी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। ऐसे लाइब्रेरी अगर वहां पर खोली जाती है तो राजस्थान स्टेट रोडवेज को पहले नियमों के अन्तर्गत एक सूचना प्रकाशित करनी चाहिए कि राजस्थान रोडवेज की लाइब्रेरी खोलने की, सब जगहों पर लाइब्रेरी की सुविधा दिलवाने की योजना है। उस योजना के अन्तर्गत सभी संस्थाओं से प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करें और नियमों के अन्तर्गत तर्कसंगत तरीके से उचित किराया लेकर सब लोगों को समान रूप से व्यवहार करके इस प्रकार के कियोस्क आवंटित करें। आवंटित करने के लिखित आदेश के पूर्व मौखिक रूप से इस प्रकार कियोस्क खोलने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

कागदर (खैरवाड़ा) के आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा और उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जनजाति बालकों के शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार ने कई तरह की व्यवस्था कर रखी है। छात्रावास में रहकर बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का सही तरह से उपयोग करते हैं। समाज कल्याण के माध्यम से छात्रावासों का संचालन होता है जिसमें विभाग के वार्डन, विभाग के ही कर्मचारी लगे होते हैं। कई जगह सुविधाएं अच्छी होती हैं। दूसरी व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, टी.ए.डी. के माध्यम से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से होती है। उसमें छात्रावास भी होते हैं। उन छात्रावासों में कई जगह तो डैपुटेशन से वार्डन लगते हैं, ठेके पर फोर्थ क्लास होता है, रसोइया होता है और ठेके पर ही सामग्री सप्लाई होती है। तीसरी व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान में नौ आवासीय विद्यालय हैं, उनमें करीब दो सौ-दो सौ बच्चे रहने की व्यवस्था है। उसमें जो बच्चे भर्ती होते हैं, अस्सी से पिच्यासी प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले बच्चों को चयनित करके उच्च क्वालिटी की अच्छी शिक्षा देने की उनमें व्यवस्था है।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

ये आवासीय विद्यालय करीब 4-4 करोड़ की लागत के बने होते हैं। कई विभागों में उनकी व्यवस्था होती है, परन्तु अफसोस की बात यह है कि इन करोड़ों रूपयों की लागत से बने हुए छात्रावासों में 80-85% से ऊपर अंक लेने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहां कई जगह व्यवस्थापक नहीं हैं। बच्चों के लिए व्यवस्था सही हो नहीं रही है। जिस छात्रावास की बात कह रहा हूं आवासीय विद्यालय खैरवाड़ा (कागदर), उस बारे में मैं कहना चाहता हूं यह बात 20 तारीख की है। महोदय, 20 तारीख को सुबह सोयाबीन का नाश्ता दिया गया। वह नाश्ता सही ढंग से पकाया नहीं या खराब था, यह मैं कह नहीं सकता, परन्तु 20 तारीख सुबह नाश्ता दिया गया, 20 तारीख से बच्चे बीमार होना शुरू हुए-उल्टियां शुरू हुई, पेट में दर्द शुरू, दस्तें शुरू। 20 ऋषभदेव के सी.एच.सी. में भर्ती कराये, उसके बाद 22 और 24 तारीख तक 22 बच्चे भर्ती हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्या कारण थे कि इतने बच्चे एक साथ बीमार हुए; क्या मंत्रीजी ने इसकी जानकारी ली ? अगर जानकारी ली हो तो सदन को भी दें। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक जिनके बारे में कहा गया कि उन पर गोली चली वो भी 24 तारीख को वहीं से विजिट करके आ रहे थे, उन्होंने भी वहां की व्यवस्था देखी है। अध्यक्ष महोदय, वहां हो क्या रहा है, कि मात्र दो तो सामान्य शिक्षक हैं, एक पी.टी.आई. है, इतनी व्यवस्था है। कोई टीचर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पाठ्यपुस्तकें आज तक किसी भी आवासीय विद्यालय में पहुंची नहीं। वहां खाने की व्यवस्था सही नहीं है। कागदर में जो हास्टल वार्डन था श्री नगजीराम गरासिया, उनको क्यों हटाया गया ? अध्यक्ष महोदय, इसलिए हटाया गया कि उन्होंने इस बात का विरोध किया, 5 सिलिण्डर आये थे वो आधे-आधे सिलिण्डर थे, उन्होंने कहा कि ये सिलिण्डर आधे-आधे मैं नहीं लूंगा। नाश्ता सही ढंग से नहीं आता। सामग्री जो सप्लाई हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो रही है। इतना उनका विरोध करने पर, और उन्होंने मंत्रीजी के सामने कुछ शिकायत कर दी, इतना ही दोष उनका था। बहुत अच्छे व्यवस्थापक थे उनको तत्काल प्रभाव से.....

श्री कनकमल कटारा : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मेरी बात कह देने दो, आप बाद में कह देना।

उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया। आज तक वहां कोई भी व्यवस्थापक नहीं आया है। राजस्थान के पूरे प्रदेश के जनजाति बालक वहां भर्ती होते हैं, लेकिन आज की तारीख में करीब 15 से 20 बच्चे हास्टल विद्यालय छोड़-छोड़ कर चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, आज अन्दाजा लगाइये, आदिवासियों के बच्चे 80% 85% अंक लेकर उस आवासीय विद्यालय में भर्ती होते हैं इस उम्मीद से कि इस आवासीय विद्यालय में रह कर मेरा कैरियर बनाऊंगा, और पेरेन्ट्स यह देखते हैं कि मेरा बच्चा कैरियर बनाएंगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, उस विद्यालय में यह व्यवस्था है कि वहां खाने की व्यवस्था सही नहीं है, नाश्ते की व्यवस्था सही नहीं है, वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। वहां टीचर्स नहीं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मंत्रीजी से, 20 और 24 तारीख के बीच में जो बच्चे बीमार हुए, 22 बच्चे भर्ती हुए, उनका इलाज हुआ, आपने क्या आवासीय विद्यालय में जाकर व्यवस्था देखी ? आपने किसी के खिलाफ कार्यवाही की ? कि वहां के वार्डन है या नहीं ? कि वहां के बच्चों को पाठ्यपुस्तकें पहुंची या नहीं पहुंची ? आपने जानकारी ली या नहीं ली ? आपने उस व्यवस्थापक को हटाया तो किस आधार पर हटाया, यह हमें बता दो ? राजनीतिक रूप से यह बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह आदिवासी के विकास का मामला है इसलिए निश्चित तौर पर सरकार को गम्भीर होकर इस मामले में व्यवस्था करनी चाहिए। वहां ट्यूटर नहीं है। राशन ठेके पर दिया जा रहा है। रसोइये का ठिकाना नहीं है। टी.ए.डी. के जितने भी हास्टल हैं उनमें रसोइये मनमर्जी के मुताबिक आ रहे है नहीं आ रहे हैं। बच्चे खाना बना रहे हैं। वहां हास्टल वार्डन जो है, टीचर लगे हुए हैं डैपुटेशन पर। सैटरडे को बच्चों को भगा देते हैं और सैटरडे सण्डे हाजरी लगा देते हैं उनकी खानापूर्ति करके इस तरह से जो अव्यवस्था फैली हुई है इस अव्यवस्था को मेहरबानी करके खतम करवाएं। वरना यह हम जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं विकास की, वह विकास नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के विनाश के लिए हम जिम्मेदार होंगे। यही मुझे आपसे निवेदन करना है, आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाह रहे हैं ? डा. साहब, आप एक बार बिराज जाएं। हां।

श्री मदन दिलावर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवासीय विद्यालयों की स्थिति 1998 तक काफी अच्छी थी और उसके रिजल्ट्स भी हैण्ड्रेड परसेन्ट प्रथम स्थान में रहते थे...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये। हां, मेरी बात तो सुनें पूरी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, ये सम्बन्धित मंत्री हैं क्या ?

श्री मदन दिलावर : हां, मैं सम्बन्धित मंत्री हूं आवासीय विद्यालय से।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सम्बन्धित मंत्री पास में बैठे हैं। आवासीय विद्यालयों में पैसा आप देते हो क्या ?

श्री मदन दिलावर : मेरी बात सुनिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : सम्बन्धित मंत्री दें न जवाब। अगर जवाब देना है तो सम्बन्धित मंत्री देंगे। इनका क्या है इससे लेना-देना ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : (व्यवधान) ट्राइबल मिनिस्टर पास में है, ये जवाब देवें। हमारे मिनिस्टर को आप अनएफीशिएंट मानते हैं क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : ज्यादा अजीर्ण हो रहा है क्या आपको आपके ज्ञान का ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ये व्यक्ति....(व्यवधान).....पिछली सरकार ने नहीं किया। हम कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने गलत किया तो गलत होगा, परन्तु आप तो सुधारो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये आप, मंत्रिमण्डल की ज्वाइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं, ये किस बात का जवाब दे रहे हैं ? 1998 तक ठीक व्यवस्था थी अब क्या व्यवस्था है ? मैंने सुधार की बात बतायी है। 20 तारीख को जो बच्चे बीमार हुए....

श्री मदन दिलावर : सुधार रहे हैं न। मैं सुधारों की बात कर रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : 24 तारीख को 22 बच्चे भर्ती होकर रहे..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें.... (व्यवधान) मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है और उसमें कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है, आपको सुनना चाहिए। आपको.....

श्री रघुवीर सिंह मीणा : जवाब इनसे दिलवाओ आप।

श्री अध्यक्ष : यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप कहें कि मैं तो इनसे ही सुनूंगा, नाट नैसेसरी। यह कोई आवश्यक बात नहीं है। कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। यह क्या बात हुई ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मेरा यह आरोप है कि.....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं-नहीं सम्बन्धित मंत्री यह कह दें कि वो जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं, वो योग्यता नहीं रखते हैं इसलिए दूसरे योग्य मंत्री से जवाब दिलवाएंगे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : (व्यवधान).....सम्बन्धित विभाग के मिनिस्टर जो हैं, बिलकुल ही इसको राजनीतिक द्वेषता से किया है..... (व्यवधान)...आदिवासियों के साथ......(व्यवधान)....खिलवाड़ हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ......(व्यवधान).....प्रभारी मंत्री वो हैं और कोई भी मंत्री.......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री कनकमल कटारा (जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, आप और हम सब जानते हैं कि आवासीय विद्यालय में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और उसके

(श्री कनकमल कटारा)

लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने यह बताया कि हास्टल जहां वार्डन था, वहां पर आवासीय विद्यालय में जैसे ही मैंने कार्यभार सम्भाला, मैं वहां पर पहुंचा था और मैंने इनको पूछा था। जैसा आपने बताया, ऐसा नहीं हुआ है। गैस सिलेण्डर की वजह से उसको नहीं हटाया। दो बच्चे बीमार थे और वो मलेरिया की बीमारी से बहुत पीडित थे, मैंने एक-एक से पूछा, सब बच्चों से पूछा, वहां के वार्डन से पूछा। वहां के कर्मचारियों को पूछा। मेरे साथ में कुछ और भी पदाधिकारी थे। तो वार्डन मेरे को तो जवाब देने की अपेक्षा उन लोगों के सामने ऊल-जुलूल बोलने लगा। मैंने कहा ये बच्चे बीमार हैं, इनका इलाज क्यों नहीं कराया ? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पत्र लिख दिया जुलाई महीने में। अब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं क्या करूं ? डाक्टर ही नहीं आया। तो मैंने कहा कि जिम्मेदारी आपकी है, जब यहां रहते हैं तो इनके अभिभावकों को बुलाना चाहिए था। अभिभावकों को बुला कर आप या तो इनको सुपुर्द कर देते या फिर डाक्टर को बुलाकर आप उनकी व्यवस्था कराते, इलाज कराते। लेकिन वो जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पाये और उस बात को इधर-उधर करने लगे। और भी मैंने देखा कि वहां पर निर्माण काम हो रहा था उसकी और कई अव्यवस्थाएं भी थीं। इसकी वजह से मैंने वहां से उनको हटाया था और हटा कर मूल विभाग में इनको भेजा। आपने जो बताया कि वहां गैस सिलेण्डर और इस तरह की बातें राजनीतिक द्वेष भाव से हटाया, ऐसी कोई बात थी नहीं। व्यवस्था चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक ढंग से हो, इस दृष्टि से मैंने इसको थोड़ा किया था।

दूसरा आपने बताया कि आवासीय विद्यालय में बच्चे बीमार हो गये। बीमार हो गये तो तुरन्त मैंने आयुक्त महोदय को फोन किया था, फोन करके तुरन्त जानकारी ली। वहां के कमिश्नर प्रथम जो जैन हैं वो गये, वहां पर पूरी टीम लेकर गये, इलाज भी किया। इनके खाने में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पायी, लेकिन सोयाबीन का तेल था, उसको बनाने में जो विधि थी न उस हिसाब से वो ठण्डा पहले से भिगो दिया था उसके बाद में इसको बनाया था और बच्चों ने वो खा लिया था। जो परिस्थितियां थी मैंने पूरी लिखित में फैक्स से मंगवा भी ली। अभी मेरे पास में हैं, आपको बता भी दूंगा। पूरी जानकारी लेने के बाद

(श्री कनकमल कटारा)

में बच्चों का इलाज भी किया और बच्चों का वापस ठीक कराके अपने घर पर उनको पहुंचा भी दिया। वहां खाने में ऐसी कोई गडबडी नहीं थी ठीक ढंग से इलाज भी उनका किया और वहां पर व्यवस्था अभी ठीक से करा दी है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मंत्री महोदय. मै यह आपको कहना चाह रहा हूं कि सिलेबस नहीं पहुंचा है, पाठ्यपुस्तकें नहा. पहुंची हैं, कोई बिस्तर नहीं पहुंचे हैं.....(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : टेण्डरों के माध्यम से होते हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपके छात्रावासों में सब हास्टल वार्डन घर चले. जाते हैं, आप व्यवस्था सुधारें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, पर्ची पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा। जितनी सूचना आपने चाही थी, उन्होंने दे दी। पर्ची पर कोई वाद-विवाद नहीं होता है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जनजातियों पर चर्चा होती है तो आसन को तो और उदार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आसन बहुत उदार है। (व्यवधान).....अधिसूचना, श्री कालूलाल गुर्जर।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय मेरी पर्ची रह गई।

श्री अध्यक्ष : डा. श्रीगोपाल बाहेती।

स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं पंचायतों के कामकाज में राजनीतिक दखलन्दाजी

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जब से राजस्थान में नई सरकार आई है, स्वायत्तशासी संस्थाएं और पंचायती

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

राज इन दो जगह राज्य का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। मैं इनके दो-तीन उदाहरण दूंगा और मेरे ख्याल से यह स्थिति सिर्फ राजस्थान में होगी। सरकार के बनते ही पुष्कर नगर पालिका की एस.सी. महिला चेयरमैन को इन्होंने बर्खास्त किया, पहला काम सरकार ने 100 दिन की योजना में यह किया, क्योंकि वह कांग्रेस की थी। वह महिला कोर्ट से स्टे लेकर आई और वापस कुर्सी पर बैठी तो अब उन्होंने दो पार्षदों को सरोज देवी जादम और चांदमल उदय जो ओ.बी.सी. और एस.सी. के थे, इस आधार पर कि उन पर आरोप है, उनको सस्पैण्ड कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चांदमल उदय पर जिस जमीन का आरोप लगाया गया उस जमीन का केस वह कोर्ट से जीत चुका है। कोर्ट उसे मालिक मान चुकी है उसके बाद भी सरकारी दखलन्दाजी से उस बर्खास्त किया गया। वही चीज सरोज जादम की है। इसी प्रकार से ब्यावर के चेयरमैन को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पैण्ड किया। वही स्थिति अजमेर नगर परिषद की है लेकिन वहां उन पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि दोनों चेयरमैन में अन्तर है। मेड़ता का चेयरमैन ओ.बी.सी. का है, उसे इन्होंने सस्पैण्ड किया क्योंकि वह कांग्रेस का है। गुलाबपुरा की चेयरमैन चूंकि कांग्रेस की है, उसे सस्पैण्ड किया। उसके पास में विजयनगर के चेयरमैन को ए.सी.डी. ने म्युनिसिपैलिटी में रंगे हाथों पकड़ा, उसको सस्पैण्ड अब किया पांच दिन पहले।

अध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जिसको हम स्वायत्तशासी संस्था कहते हैं, स्वायत्तशासी की परिभाषा सरकार बदल रही है। जिस जनता ने चुनकर उन्हें बनाया है, या तो सरकार यह फैसला कर ले कि सरकार बदलने के बाद म्युनिसिपैलिटी और पंचायतें इस्तीफा दे देंगी, यदि उनकी आस्था लोकतन्त्र में नहीं है तो। लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद कोई चुनकर आता है तो उनकी पूरी जांच करें, जांच का मौका दें, स्पष्टीकरण का मौका दें और उसके बाद कार्यवाही करें तो बात समझ में आती है।

वह की वह स्थिति पंचायती राज की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, भिनाय पंचायत समिति में देवलिया के सरपंच को सस्पैण्ड किया इस

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

आधार पर कि सरपंच ने पंचायत पर ताला लगा दिया। वह सरपंच हाई कोर्ट से स्टे लेकर आया स्टे लाने के बाद उसको 10-15 दिन तक चार्ज नहीं दिया। चार्ज दे दिया तो, आज मैं आपके माध्यम से पंचायत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 50 दिन से उस पंचायत का सैक्रेटरी गायब है। बार-बार कहने के बाद भी बी.डी.ओ. की शह पर ऐसे काम हो रहे हैं और सब में राज्य का हस्तक्षेप है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि वे भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं हम एक विधायक को सस्पैण्ड नहीं कर सकते तो क्यों हम सरपंचों, पंच, वार्ड पंच इनको सस्पैण्ड करते हैं छोटी-छोटी बातों पर ? जो संस्थाएं लोकतन्त्र की पहली सीढ़ी है, जिस संस्था से जनता का सीधा काम पड़ता है उस संस्था के प्रतिनिधियों को पद को हटाने का जो मैसेज है, यह बहुत गलत है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि चुनाव में कुल 6-8 महीने बचे हैं, दो महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है, कोई घपला ज्यादा होने वाला नहीं है, मेहबानी कर के जनता को अपना फैसला करने दीजिए। आप देखिए, इसमें ओ.बी.सी., दलित और अल्पसंख्यक का ही ज्यादा नम्बर आया है सस्पैण्ड होने वालों में। सरकार की यह मन्शा दिखाती है कि सरकार की नीयत में खोट है और सरकार इन स्वायतशासी संस्थाओं का भगवाकरण करना चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रष्टाचार के मामले में एक समान मापदण्ड अपनाया जाए। मैं किसी भ्रष्टाचारी चेयरमैन का पक्षधर नहीं हूं चाहे वह कांग्रेस का हो और चाहे बी.जे.पी. का हो, वह सस्पैण्ड हो लेकिन दोहरे मापदण्ड नहीं होने चाहिये कि ब्यावर का सस्पैण्ड हो और अजमेर की इन्क्वायरी भी नहीं हो।

श्री वियज बंसल : आपकी सरकार ने नहीं किये क्या ये काम ? मुझ को सस्पैण्ड किया है प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री विजय बंसल : किसी भी पार्टी ने दूसरी पार्टी के आदमी को कभी बख्शा है क्या ? अपनी पार्टी का सस्पैण्ड किया है कभी ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले आप उन्हें करने दीजिएं उसके बाद पाइन्ट आफ आर्डर होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा जवाब दे दूं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं जो पुष्कर से पधारे हैं, कि कांग्रेस की सरकार के टाइम में तो 39 अध्यक्ष और 48 सदस्य निलम्बित हुए थे और हमारे टाइम पर 17 अध्यक्ष और 33 सदस्य निलम्बित हुए हैं। उनमें भी अधिकतर की जांच कांग्रेस के टाइम पर...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : पिछली सरकार की आड़ में कितना टाइम बिताओगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण जवाब सुनो, प्रश्न किया है तो उसका जवाब सुनिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उनमें आपके टाइम ही की जांच चल रही थी। वह जांच पूरी हुई, जांच में दोषी पाये गये इसलिए सस्पैण्ड किये। (व्यवधान) हमने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया है। हमने बी.जे.पी. के अध्यक्ष को भी सस्पैण्ड किया है। जो चोरी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री अध्यक्ष : वैरी गुड।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पंचायतों के बारे में भी कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर अधिसूचना।

श्री देवीशंकर भूतड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं ब्यावर के मामले में बताना चाह रहा हूं कि ब्यावर के मामले में जो माननीय सदस्य ने कहा है....... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : (व्यवधान) हाई कोर्ट ने रिट खारिज कर दी उसके बाद भी आपने उसको बहाल किया है। धन्यवाद उस भ्रष्टाचारी को वापस बहाल करने के लिये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ.28 वीएलडब्ल्यू/सेल/पीआरडी/एड्म/2/2002/364 दिनांक 21-2-2003 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ.19 पराविं/प्राशि/2002/743 दिनांक 24-4-2003 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ.4 पीआरडी/ला/एमेंड/04/1690 दिनांक 1-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या एफ.18 प्राशि/विधि प्रको/2002/1341 दिनांक 14-7-2003 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या एफ.4 पराविं/2002/1440 दिनांक 25-7-2003 जिसके द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिए राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला योजना अधिसूचित की गई है।

(6) अधिसूचना संख्या एफ.4/पराविं/विधि/जनरल/99/1545 दिनांक 11-8-2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4/पराविं/विधि/जनरल/99/4195 दिनांक 28-9-1999 में संशोधन किया गया है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(7) अधिसूचना संख्या एफ.4/परावि/विधि/संशोधन/04/1634 दिनांक 23-6-2004 जिसके द्वारा पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

प्रतिवदेन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-03

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम की धारा 619(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-03 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा पूनिया, आप कुछ अपना वक्तव्य देना चाहेंगी ?

स्पष्टीकरण

उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्रीमती उषा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पैलेस आन व्हील्स भारतीय रेलवे एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम का संयुक्त उद्यम है जिसका संचालन वर्ष 1982 से किया जा रहा है। भारतीय रेलवे पैलेस आन व्हील्स का रख-रखाव एवं परिसंचालन करती है, शेष दायित्व राजस्थान पर्यटन विकास निगम का है, जिसमें पैलेस आन व्हील्स पर यात्रियों के लिये खान-पान एवं बार की सेवाएं उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है।

पैलेस आन व्हील्स राज्य ही नहीं अपितु देश के सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन उत्पादों में से एक है। इसको विश्व के 10 प्रमुख लग्जरी रेल यात्राओं में से एक माना जाता है। इसके यात्री भी मुख्यतः विदेशी पर्यटक होते हैं।

(श्रीमती उषा पूनिया)

पैलेस आन व्हील्स पर पर्यटकों को उच्च स्तर की सेवाओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट की दर ऊची रखी गयी है। अतः यह आवश्यक है कि पैलेस आन व्हील्स पर समस्त सेवाएं उत्कृष्ट एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध करायी जाए।

यह सही है कि पैलेस आन व्हील्स की लोकप्रियता बढ़ी है एवं राजसथान पर्यटन विकास निगम के लिये लाभ अर्जित करने का यह प्रमुख स्त्रोत है। परन्तु यह भी सही है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पर्यटन उत्पाद उपलब्ध हैं एवं प्रतिस्पर्धा काफी अधिक है। अतः ऐसी परिस्थितियों में यदि यह नहीं सुनिश्चित किया गया कि पैलेस आन व्हील्स पर उपलब्ध सेवाएं उत्कृष्ट स्तर की रहें तो निश्चित ही पैलेस आन व्हील्स की लोकप्रियता में कमी आएगी। इससे पर्यटक आगमन में कमी होगी एवं निगम का लाभ भी घटेगा।

यहां इस तथ्य का उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि अब तक भारत में इस प्रकार की रेल यात्रा केवल पैलेस आन व्हील्स द्वारा उपलब्ध थी। परन्तु अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम एवं भारतीय रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में एक लग्जरी ट्रेन "द डक्कन आडिसी" भी प्रारम्भ कर दी गई है। उस ट्रेन पर खान-पान, बार एवं हाउस कीपिंग आदि की व्यवस्था ताज ग्रुप आफ होटल्स के द्वारा करवाई जा रही है। अतः देश में भी अब पैलेस आन व्हील्स के लिये प्रतिस्पर्धा है।

पर्यटक पैलेस आन व्हील्स की साज-सज्जा एवं द्रश्यावलोकन आदि से तो अत्याधिक प्रसन्नचित रहते हैं परन्तु कुछ पर्यटकों के द्वारा यह शिकायत की गई है अथवा फीड बैक के रूप में सुझाव दिया गया है कि इस ट्रेन पर अपेक्षा-अनुरूप खान-पान की गुणवत्ता नहीं है। उदाहरणस्वरूप श्रीमती ई.ए. पाल्स ने पर्यटन सचिव, भारत सरकार को अपने पत्र के द्वारा नवम्बर, 2003 में सूचित किया है "Whilst agreeing that the decor on the train is akin to the many wonderful places we saw, there are many other facets that we thought did not match the claims made in the brochure, and the high cost of the trip. We. along with many fellow guests, were expecting to

(श्रीमती उषा पूनिया)

be able to choose our food from a menu and have it served gracefully, whilst enjoying a leisurely meal. We did not find the method of serving satisfactory. And the breakfast was poor."

श्रीमती ई.ए. पाल्स के द्वारा खाने के सम्बन्ध में अपने फीड बैक में पुअर रेटिंग दी गयी। फेड वान ने अपनी फीड बुक में सुझाव दिया कि मोर इण्टरनेशनल फूड, मोर आर्थेटिक चाइनीज फूड। कई पर्यटकों द्वारा उपलब्ध कराये गये खान-पान की सुविधाओं की प्रशंसा की गयी है परन्तु यह भी सही है कि पैलेस आन व्हील्स पर आर.टी.डी.सी. के कारीगर, कुक्स की कार्यक्षमता अन्तरराष्ट्रीय स्तर की नहीं है एवं ट्रेन पर खाने-पीने की व्यवस्था अन्तरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध कराने बाबत अभी काफी गुंजायश है।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं बढ़ती प्रतिस्पर्धा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पैलेस आन व्हील्स में उपलब्ध कराये जा रहे खान-पान की सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इस बाबत पैलेस आन व्हील्स पर खान-पान की व्यवस्था दो वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय फाइव स्टार होटल समूह से निविदाएं आमन्त्रित की गयी हैं। साथ ही पैलेस आन व्हील्स के कुक्स की कार्यक्षमता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु उनका प्रशिक्षण फाइव स्टार होटल में भी कराया जा रहा है। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि जहां ट्रेन पर खान-पान आदि की सेवाएं टिकट मूल्य में ही समाहित हैं, पैलेस आन व्हील्स की बार से मदिरा के लिये पर्यटकों को पृथक से भुगतान करना होता है एवं यह भी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की आय का एक स्त्रोत है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर की बार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एवं साथ ही बार के अर्जित लाभ में बढ़ोतरी प्राप्त करने की सम्भावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पांच सितारा होटल समूह से निविदाएं आमन्त्रित की गयी हैं। इन सभी निविदाओं का प्रकाशन दैनिक भास्कर, जयपुर में 24 जुलाई को, हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 25 जुलाई को और इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 26 जुलाई को हुआ है। कैटरिंग एवं बार सेवाओं के लिये पृथक निविदाएं आमन्त्रित की गयी हैं। प्रत्येक सेवा के लिये तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदाएं अलग-अलग बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जाएंगी जिसकी

(श्रीमती उषा पूनिया)

अन्तिम तिथि 16 अगस्त, 2004 है। तकनीकी निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन खोली जाएगी। दिनांक 27-7-2004 तक किसी भी पार्टी ने निगम कार्यालय से निविदा फार्म क्रय नहीं किया है। अत: पैलेस आन व्हील्स पर कैटरिंग एवं बार सुविधा हेतु निविदाए आमन्त्रित करने के सन्दर्भ में निम्नलिखित स्पष्ट है-पहला, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए पैलेस आन व्हील्स, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की कैटरिंग एंव बार व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है जिससे कि पैलेस आन व्हील्स की लोकप्रियता अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़े और अधिक संख्या में पर्यटक आएं और निगम के लाभ में बढ़ोतरी मिले। दूसरा, निविदा आमन्त्रित करने के लिये एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनायी जा रही है जिसमें सक्षम पार्टियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये हैं। किस पार्टी का प्रस्ताव सबसे बेहतर अथवा लाभदायक होगा, इसकी जानकारी तो निविदाएं खुलने के बाद ही सम्भव है। अन्त में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि सबसे बेहतर, लाभदायक प्राप्त निविदाओं का परीक्षण किया जाएगा एवं जो पैलेस आन व्हील्स, राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं उसके कर्मचारियों के हित में होगा, तदनुसार ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हर बात उठाने की आदत पड़ गई इनको, क्या निकला इसमें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने एक प्रकार से प्रीमैच्योर और बेबुनियाद तो उनके खिलाफ आरोप लगाया। उन्होंने अपना स्टेटमेन्ट दे दिया, सारी बात उसमें स्पष्ट है। इस प्रकार से स्टेटमेन्ट देने के बाद में कभी कोई चर्चा या कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिये मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस शाही रेलगाड़ी का 20 साल का इतिहास है, दो शिकायतों के आधार पर......(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि आपका जो.......(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बून्दी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कहा है, मैनेजिंग डाइरेक्टर के अण्डर में हुआ है......(व्यंवधान) मैनेजिंग डाइरेक्टर ने जगह-जगह कब्जे कर रखें हैं आप चाहें तो हम प्रस्तुत करने को तैयार हैं.....(व्यवधान) इनको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : द्वितीय खण्ड है, उसमें व्यवस्था है कि शासकीय वक्तव्य के पश्चात् किसी मामले पर, उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, यह पहले व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मिनिस्टर, कंसर्न्ड से नहीं पूछा, उन्होंने सी.एम. से नहीं पूछा....(व्यवधान) उन्होंने खुद इसमें परमीशन दे दी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने विशेषाधिकारी का दुरूपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जवाब से कुछ सवाल निकलकर आये हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा सरकार को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, पहले आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने स्टेटमेन्ट देने के लिये बात कही थी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पहले आप मुझे सुनें, पहले आप आसन को सुनेंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह एग्रीमेन्ट की कापी है, आपके एग्रीमेन्ट की कापी है। एग्रीमेन्ट का बाय लेशन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप आसन को सुनेंगे. पहले आप आसन को सुनेंगे। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : पहले आप आसन को सुनेंगे। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, पहले आप आसन को सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

आसन पैरों पर हैं।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्रीमती ममता शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) पहले आप मुझे सुनेंगे, आसन को सुनेंगे उसके बाद आप अपनी बात कहें। इसे चर्चा का विषय आपको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए। "The Speaker's ruling as already stated cannot be questioned except substantive motion."

अब सब्सटेंटिव मोशन क्या है ? सब्सटेंटिव मोशन यह है कि आप मेरे खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाएं। सब्सटेंटिव मोशन यह होता है। उसके अलावा चेयर की रूलिंग हो गयी तो nobody can question that.

इसलिये मैं आपको डिसअलाउ करती हूं।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : x x x

श्री अध्यक्ष : क्यों नहीं है ? आप खुद कहते हैं रूलिंग पर चर्चा नहीं होगी। मैंने कहा, कोई चर्चा नहीं होगी। वह स्टेटमेन्ट दे दिया। आपने एलिगेशन लगा दिया, बेबुनियाद था, प्रीमैच्योर था। आपने लगा दिया। उन्होंने स्टेटमेन्ट दे दिया। (व्यवधान) मैंने कहा, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई प्रश्न नहीं पूछे जाऐगे। (व्यवधान) नहीं पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक, आप मुझे ही बोलने दीजिए।

रूल 276 (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान रूल 276 की ओर खींचना चाहती हूं।

श्री महीपाल मदेरणा : x x x

श्री अध्यक्ष : भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर जोशी, मैं आपका ध्यान रूल 276 की ओर खींचना चाहती हूं। रूल 276 में लिखा है -

(श्री अध्यक्ष)

"A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise."

डा. सी.पी. जोशी : तो उसके बारे में ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उस आरोप के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इन किताबों का कोई मतलब नहीं है तो इनको फाड़ कर फेंक दो फिर तो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का ध्यान पेज नम्बर-306 (व्यवधान) आपके द्वारा दिये गये निर्णयों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि इन किताबों का कोई मतलब नहीं है तो इनको फाड़कर फेंक दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप चीफ व्हिप को बैठाएं तो मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान) डिबेट कर रहे हैं तो आपको इनको बैठाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कोई चर्चा खड़े होकर इस पर......(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मंत्री के वक्तव्य के बाद में स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई ऐसा प्रश्न है क्या कि जो...... (व्यवधान) क्या कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का और 131 का कोई प्रश्न है ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : बिना बात के सदन में समय जाया करना और

(श्री कालूलाल गुर्जर)

मैं कानूनी बात पर बार-बार बोलना उचित नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बोलना कोई आवश्यक नहीं है बिना बात के खड़े हो जाते हैं और सदन का समय व्यर्थ जाता है (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है विधान सभा में प्रश्न पूछे गये हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर 276 एप्लाई करता है, वह मैंने आपके नोटिस में ले दिया है (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके निर्णय को पढ़कर बता रहा हूं मंत्री के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण प्रश्न पूछे जा सकते हैं (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : 276 एप्लाई करता है। स्पष्टीकरण है यह। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने 29-3-1970 को इस आसन से व्यवस्था दी थी कि मंडता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मत पत्रों में हेर फेर के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर श्रीमोहन लाल सुखाडिया मुख्य मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् श्री भैरोसिंह शेखावत द्वारा स्पष्टीकरण चाहे जाने पर शासन पक्ष की ओर से व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया गया कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 290 के अनुसार मंत्री महोदय के वक्तव्य पर कोई प्रश्न पूछे नहीं जा सकते इस पर सदन में वाद-विवाद के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी। जहां तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, नियमों का प्रश्न है, जो माननीय सदस्यों ने उठाया है, उसमें सार है और उस नियम के अन्तर्गत क्लेरिफिकेशन के लिए प्रश्न हमारी परम्पराओं और हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर दिन प्रति दिन इस सदन में किये जाते रहे हैं क्लेरिफिकेशन सीक करने की इजाजत माननीय सदस्यों को दी जाती रही है इसी के आधार पर कोई क्लेरीफिकेशन के आधार पर कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं यह आसन तो हमेशा किये हुए है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह स्पष्टीकरण है यह व्यवस्था नहीं है

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए माननीय सदस्य पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इस आसन ने हमेशा अलाउ किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण। आसन पांवों पर है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो 290 का हवाला दिया है वह स्टेटमेन्ट वाई ए मिनिस्टर पर दिया है। यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन था और पर्सनल एक्सप्लेनेशन के ऊपर केवल 27६ एप्लाई करेगा। 276 एप्लाई करेगा। नो, नो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसको पढिये आप।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, 276 पर ही है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन। आप इसको पढिये जरा। यह स्टेटमेन्ट नहीं था, यह इनका पर्सनल एक्सप्लेनेशन था।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा शाही रेलगाड़ी पर हो रही है, माननीय मंत्रीजी पर नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिये उसके बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमारा कोई आरोप नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

डा. सी.पी. जोशी : हमारा कोई आरोप नहीं है।

श्री सांवरलाल जाट : एन.डी.ए. सरकार उसको माने तो....(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : यह क्या जरा-जरा सी बात पर खडे हो जाते हैं और हल्ला मचाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : बिना किसी प्रकार के ही बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन ने व्यवस्था दे दी। स्टेटमेन्ट पर आप ले सकते थे पर यह पर्सनल क्लेरिफिकेशन है।

श्री सांवरलाल जाट : कोर्ट-कचहरी है, उसमें आएं आप।

डा. सी.पी. जोशी : आपने क्यों डाला था इसमें ? आप जिम्मेदार नहीं हो ?

श्री संयम लोढ़ा : आपका रेलवे के साथ सामझौता क्या हुआ है ? आपका एम.ओ.यू. क्या हुआ है ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एग्रीमेन्ट विथड्रा कर लो, यह क्या हुआ ? ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : कोर्ट में जाइये आप। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह एग्रीमेन्ट आपका पार्ट है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आपने ये आरोप लगाये हैं।

श्री सांवरलाल जाट : संविदा तो कभी भी खतम हो सकती है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपने आरोप लगाये (व्यवधान) आप विथड्रा कर लीजिए। इसको कौन मना कर रहा है, आप विथड्रा करवाइये इसको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह शिष्टाचार कि नियमों के अनुकूल नहीं है। (व्यवधान) मनाही है।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं। मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं। हमने मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं, केवल एग्रीमेन्ट की बात की है तो आपके एग्रीमेन्ट में.......(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाये, यह आपका एग्रीमेन्ट है इसको विथड्रा कर लीजिए। क्या लम्बा-चौड़ा है ? इस बात के लिए आप......(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियमों के अनुरूप। (व्यवधान) वाद-विवाद

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के दौरान कोई भी सदस्य, दिखाना व प्रदर्शन करना, यह मनाही है। अध्यक्ष महोदय, कौल एवं शकधर में यह दिया हुआ है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री पर कोई आरोप नहीं है। सीधा सा प्रश्न यह है कि आपकी तरफ से.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौल एवं शकधर में यह व्यवस्था है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एग्रीमेन्ट की बात कर रहे हैं। इस बात पर..... (व्यवधान) आरोप नहीं है, मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। मंत्री पर कोई आरोप नहीं है। व्यक्तिगत आधार पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं। एग्रीमेन्ट की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) हम मंत्रियों पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, यह एग्रीमेन्ट की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सदन की कार्यवाही निकाल करके दिखा लीजिए उस दिन की, माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कोई आरोप नहीं लगाया था। मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री ओम बिरला : कार्यवाही निकाल लें, माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाये थे। आप गलत बात नहीं कर सकते।

डा. सी.पी. जोशी : आप गलत बात नहीं कर सकते, मंत्रियों पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : हम मंत्री महोदय पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर इस पर आज चर्चा होनी चाहिए।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप नहीं लगाया है हमने, यह सरकार का एग्रीमेन्ट है इस पर कह रहे हैं। (व्यवधान) मेरा तो कोई आरोप नहीं है। यह एग्रीमेन्ट है। इस सरकार का एग्रीमेन्ट है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अभी भी कर रहे हैं। (व्यवधान) विपक्ष

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के नेता बनने का सपना है इसलिए खड़े हो रहे हैं। यह विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : सारा मैटर इसमें लीजिए क्योंकि सारी कुछ इसमें गड़बडियां आज उजागर होनी चाहिए थीं। प्रोफिट बीइंग यूनिट्स को भी इन्होंने सब-लेट किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर की इसमें सारी कुछ गड़बडियां हैं वह आज उजागर होनी चाहिए। सदन के सामने।

डा. सी.पी. जोशी : यह हमने कहा नहीं। आरोप नहीं लगाये हमने।

श्री ओम बिरला : यह होने के लिए तैयार है, आपका राज..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने गड़बडियां की हैं वह तो.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह संसदीय परम्पराओं के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

डा. सी.पी. जोशी : कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम यह एग्रीमेन्ट है इस पर......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे नेता नहीं बनेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

नाथद्वारा से आने वाले मानीय सदस्य, कौल एवं शकधर में, कोट कर रही हूं मैं-

"A Member who protests against the ruling of the Speaker. Commits contempt of the House and the Speaker. The Speaker's decision is equally binding whether given in the House or on a departmental file. He is not bound to give reasons for his decision. Members cannot

(श्री अध्यक्ष)

criticise directly or indirectly, inside or outside the House any ruling, given opinion, express or statement made by the Speaker. If a Member desires to make a submission to the Speaker on the floor of the House regarding the ruling, the Speaker may permit that Member to do so after satisfying himself that he does not unduly interfere with the proceedings of the House. The Member making such a submission cannot criticise the decision but can seek elucidation on any point or request the Chair to consider the ruling in the light of the fact submitted by him."

इसलिए समझ गये आप।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : Contempt of the House.....(interruption)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई नासमझी में करता है तो वह तो अवाइडेबल है। लेकिन जो समझदार है वह तो.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह क्या तरीका है ?

श्रीमती ममता शर्मा : आप डिसीजन लें।

डा. सी.पी. जोशी : यह आपका काम है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका एक है कि यह प्रतिपक्ष का नेता कैसे बना जाए इसलिए अपने आपको.....(व्यवधान) ऐसे बने हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यूं क्या करते हैं, इस तरह से (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियमों के विरूद्ध काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों रिमार्क पास करते हैं इस तरह से ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, न तो हम आरोप लगा रहे हैं मंत्रीजी पर और हम न कुछ ऐसा कह रहे हैं। हम तो सरकार से, आप सुनिये। साहब.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आरोप का सवाल नहीं है। इसको लेकर बार-बार आरोप लगाना यह.....(व्यवधान) आप आसन पर आक्षेप लगाते हैं। (व्यवधान) इसकी परमिशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना परमिशन खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : आप समझौते के लिए कह रहे हैं। लागू नहीं हुआ तो नहीं हुआ। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, न तो आपकी रूलिंग की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, न मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, हम तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले आप माफी मांगे। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य माफी मांगे। यह इश्यू वहां से प्रारम्भ हुआ था, उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाये। जब उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाये और यह कहा कि इन निविदाओं के पीछे मंत्री ने घोटाला किया है.....(व्यवधान) माफी मांगे पहले आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह दादागीरी नहीं चलने वाली है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : कल की सदन की कार्यवाही निकाल कर देख लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे मालूम है, अध्यक्ष महोदय, कि सम्मानीय अशोकजी गहलोत के इशारों पर, अशोकजी गहलोत के इशारों पर यह नेता बनने के और प्रतिपक्ष के नेता को डाउन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कार्यालय में जाकर करें न ऐसा, यहां पर करते हैं।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, यह मुझे बड़ी तकलीफ है कि राजस्थान की जनता ने जब सरकार बदल दी, आप कौन से एग्रीमेन्ट को लेकर बैठे हो अब ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल जाट : आपके सारे फैसले बदलने का अधिकार है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : इनके फैसले बदले.....(व्यवधान) फैसले बदले जा सकते हैं.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कौन मना कर रहा है, आप काम्पीटेन्ट हैं। आप सरकार में हैं, नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, आपको अधिकार है। और अब यह विथड्रा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आरोप लगाया.....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : बदलने का अधिकार जनता ने दिया है, आपने नहीं दिया। (व्यवधान) जनता ने सत्ता की ताकत दी है। (भारी व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह विशेषाधिकार का सवाल है। इनको विशेषाधिकार लाना पड़ेगा। माफी मांगे नहीं तो.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री पर लगाया है जासूसी का आरोप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : संयम लोढ़ा को माफी मांगनी चाहिये, मंत्री महोदय पर आरोप लगाया। निराधार आरोप लगाया। संयम लोढा को माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्य कहते हैं हमने कोई आरोप नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : पहले संयम लोढ़ा माफी मांगे। माननीय मंत्रीजी के खिलाफ गलत आरोप लगाया। आप खुद कर रहे हैं आरोप नहीं लगाना चाहते। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कोई आरोप नहीं है.....(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : पहले यह माफी मांगें, आरोप वापस लें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : संयम लोढ़ा ने नामजद आरोप लगाया। (व्यवधान) नामजद आरोप लगाया है। संयम लोढा ने आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आरोप लगाते हो और माफी नहीं मांगते हो..... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप गलत लगाया है। (व्यवधान) माफी मांगे।

श्री संयम लोढ़ा : + + + (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माफी मांगे।.....(व्यवधान).....आप तो वरिष्ठ सदस्य हो।.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह चर्चा से इसलिए बचना चाहते हैं कि इन्होंने कई घोटाले किये हुए हैं।.....(व्यवधान).....+ + +.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कम्प्यूटर का घोटाला.....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : + + +.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कम्प्यूटर में इन्होंने घोटाले किये हैं।..... (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सिर्फ नजर के टोटके हो, कुछ नहीं हो।.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ममताजी, आपको नहीं बोलेंगे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ममता शर्मा, आप क्या कहना चाहती हैं ? आप खड़ी हैं बार-बार, आप क्या कहना चाह रही हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कुछ नहीं कहना चाहती। यह तो शामिल हैं इस योजना में।.....(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर उन्होंने कोई बात कही है तो दो बात पूछने की जो हमें उसमें गलती लग रही है, हमें भी अधिकार है। उसके लिये आप व्यवस्था दीजिये। एक बात और निवेदन करना चाहती हूं.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले क्षमा मांगें.....(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, आपको सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिये। हर मंत्री की.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप नियमों में आइये। मांग करनी है, आरोप लगाना है, आप नियमों में आइये। आप केवल प्रतिपक्ष के नेता में उलझने के लिये साजिश में शामिल हो। साजिश में शामिल हो। (व्यवधान) यह ममता जी भी शामिल हैं उसमें। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारी बात सुनने का, हमारी बात कहने का अधिकार है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक, पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर मैंने आपको कोट किया रूल नं. 276, स्पष्ट है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बाद किसी भी प्रकार से कोई ने क्वेश्चन पूछ सकता है, न कोई चर्चा की जा सकती है। यह रूल बहुत स्पष्ट है। आप बात परम्पराओं की करते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, माफी-माफी की बात ठीक है उन्होंने कुछ कहा, कोई बात नहीं, लेकिन यह स्पष्ट हो गया.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहूंगा, आप प्रताडित कर दो इनको, हम तो आप से ही सन्तुष्ट हैं। आप प्रताडित कर दो उनको। आइन्दा इस तरह की बात नहीं करें। आसन प्रताडित कर दे उनको। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को आप प्रताडित कर दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने पर्यटन मंत्रीजी पर..... (व्यवधान).....सारी बात स्पष्ट हो गयी।.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार आरोप न लगाया जाए।..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहली बात तो यह विषय नहीं था..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई माननीय सदस्य, आरोप लगाता है बिना तथ्य के.....(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : अगर गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय।.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन को विवश करने का न कोई सत्ता पक्ष को अधिकार है और न प्रतिपक्ष को है। इसलिए इस मामले में ठीक है, लेकिन आइन्दा भविष्य के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य किसी के भी, मंत्री के खिलाफ या ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो इस सदन में नहीं है, यदि इस तरह के कोई आरोप लगाता है तो मैं समझती हूं, भविष्य में ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिये। ध्यान रखेंगे कि ऐसा भविष्य में नहीं करें वह।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : लेकिन जो अब कह दिया उसके लिये तो माफी मांगे।

एक माननीय सदस्य : इन मंत्रियों के लिये भी प्रबोधन कार्यक्रम होता।

श्री अध्यक्ष : प्रबोधन तो सबके लिये ही था।.....(व्यवधान) प्रबोधन तो सभी के लिये था। सीनियर लोग ही ऐसा करते हैं और आप विवश कर देते हैं। सदन की कार्यवाही को 15-15, 20-20 मिनट, आधा-आधा घण्टे तक

(श्री अध्यक्ष)

खामख्वाह शोर-शराबे में डुबो देते हैं। विधायी कार्य रह जाता है बाकी। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2004

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए ? (व्यवधान) इस पर कैसे न कहेंगे ? इसके बिना कैसे काम चलेगा किसी का ? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान) इसलिए मैंने कहा इसी में सब कुछ है आपका।

श्री सांवरलाल : पारित कर दो।

श्री अध्यक्ष : वह बोलेंगे पहले। आप बोलिये। (व्यवधान) नहीं वह बोलेंगी। मैं कैसे बोलूंगी ? (व्यवधान)

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2004

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : अब जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। दोनों ही पार्टी की ओर से माननीय सदस्यों के नाम आये हैं, सूची आई है, मैं सर्वप्रथम श्री समर्थ लाल मीणा को बोलने की अनुमति दे रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है आपका व्यवस्था का ? देखिये, सदन की कार्यवाही को आप चलने दीजिये। एप्रोप्रिएशन बिल पर होगा, क्या कहना चाहते हैं आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनेंगे, अध्यक्ष महोदय, तब तो कोई बात कहूं। बिना सुने ही ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, आपने कहा किसी के बारे में बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के कोई बात नहीं कहनी चाहिये, आई एग्री। आसन की व्यवस्था को सब स्वीकार करते हैं। अभी माननीय सरकारी मुख्य सचेतक जी ने यह कहा कि अशोक गहलोत के इशारे पर डा. सी.पी. जोशी विधायक दल का नेता बनने के लिये यह कार्यवाही कर रहे हैं, इसको आप कार्यवाही से निकालिये। आप इसको उठाकर देख लें। यह बात कही है इन्होंने अभी।

एक माननीय सदस्य : आरोप है क्या ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कार्यवाही में देख लेना, यह बात कही है या नहीं कही। यह किस आधार पर कही है इन्होंने ? किस आधार पर कही है आपने यह बात ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कह दी.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मांग अगर कल्ला साहब करें तो समझ में आए।

मोहम्मद माहिर आजाद : किस आधार पर कही है आपने यह बात ?..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे पास आधार है। है मेरे पास आधार।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास क्या सोर्स है ? क्या सोर्स है, बताइये ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सोर्स भी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बताइये आसन को, सोर्स क्या हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सोर्स भी हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या सोर्स है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रदेश अध्यक्ष को और इनको बदलना पड़ेगा, इसका षड्यन्त्र रचा जा रहा है.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी पूरी पार्टी.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : षड्यन्त्र रचा जा रहा है, उसमें आप शामिल हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके तो कल पता पड़ गया था कि आप में कितनी गुटबन्दी है।.....(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सोर्स है, टेप हैं मेरे पास सारे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या है सोर्स आपके पास ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : है मेरे पास। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बताइये आसन को, सोर्स क्या है ? बिना किसी बात के उठकर कोई भी बात कह देते हो। आप जिम्मेदार हो, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सी.डी. बनी हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सी.डी. दिखाइये। सी.डी. दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आने दो मौके पर.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सी.डी. दिखा दीजिये। आपको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पर बिठा रखा है, आप इस तरीके की हल्की बातें इस सदन के अन्दर करेंगे, यह आपको शोभा नहीं देता है। माननीय सरकारी मुख्य सचेतकजी, आपके पास कोई आधार हो तो बताइये। रखिये सदन पटल के ऊपर, किस आधार पर आपने यह बात कही है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : सी.डी. को पूरी दूनिया जानती है। सदन क्या जाने, पूरी दूनिया, पूरा देश जानता है कि सी.डी. प्रकरण हुआ है और सी.डी. बनी है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री उसमें सम्मिलित हैं। पूरी सरकार सम्मिलित है। सी.डी. बनी हुई है। दुनिया जानती है।

श्री अध्यक्ष : आपको कोई आवश्यकता नहीं है जवाब देने की या कुछ कहने की। उन्होंने अपनी बात कह दी खतम हुई बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है इस सदन में, कि बजट पर सत्ता पक्ष की तरफ से शुरूआत होती है और एप्रोप्रिएशन बिल पर हमेशा ही, आज तक ऐसी परम्परा रही है कि विरोधी दल की तरफ से शुरूआत की जाती रही है। आप चैक कर लीजिये, ऐसी परम्परा इस सदन की रही है। यह सदन की परम्परा रही है। आप अध्यक्ष महोदय, हमेशा गुस्सा करती हैं। (व्यवधान) यह परम्परा रही है हमेशा कि इसके ऊपर इधर से शुरूआत करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यदि आप पहले बोलना चाहते हैं, पहले आप बोल लीजिये। क्या बात है इसमें ? कोई बात नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप बोलना चाहते हैं ? बोलिये आप।

श्री समर्थ लाल मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों तरफ से ही बोल लूंगा। दोनों ही तरफ से बोल लूंगा। कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे विपक्ष को नाराजगी जाहिर हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हम नहीं चाहते कि आप अनजाने में कोई ऐसी बात कर जाएं जिससे सत्तापक्ष को तकलीफ हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2004 के बारे में अपने विचार व्यक्त

(13.18 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करना चाहता हूं। स[illegible]ो [illegible] मैं इस बात पर [illegible] विचार व्यक्त

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करूंगा कि आज राजस्थान में सबसे गम्भीर समस्या है जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या सुरसा के बदन की तरह बढ़ रही है। बिना किसी राजनीतिक विचारधारा, बल्कि इससे ऊपर उठकर हम इसके बारे में सोचें कि राजस्थान की जनसंख्या निश्चित रूप से नियन्त्रित रहे ताकि शिक्षा, सड़क, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट जो भी राजस्थान में हो, उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिले। कई लोग जो प्रति वर्ष कैलेण्डर की तरह जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, वह जनसंख्या निश्चित रूप से रूकनी चाहिए और इसके लिए कोई प्रभावी कानून बनाना चाहिए तो बनाना चाहिए। चाइना ने इस सन्दर्भ में काम किया उन्होंने "हम दो हमारा एक", इस सिद्धान्त के ऊपर काम किया और अपनी जनसंख्या को नियन्त्रित कर लिया। चीन किसी वक्त में संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था, आज चाइना में ग्रोथ रेट को रोका गया है। शिशु मृत्यु दर को कम किया गया है, मातृ मृत्यु दर को कम किया गया है और हर तरीके से ग्रोथ रेट को रोका गया है। इस पर राजस्थान में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपनी जनसंख्या को किस प्रकार से नियन्त्रित करें। जब तक हम जनंसख्या को नियन्त्रित नहीं करेंगे तब तक, उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहे कितने ही संसाधन जुटा लें, जो विकास करेंगे वह विकास का काम अधूरा रहेगा।

हमारे प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। आज हमारा किसान प्राय:, प्राय: मानसून के जुए के ऊपर आधारित रहता है। बरसात अच्छी होती है तो उसकी फसल होती है और बरसात नहीं होती तो फसल नहीं होती है। कई बार बरसात अच्छी भी हो जाती है तो भी आठ महीने उसके पास रोजगार नहीं रहता। पिछले लगभग 49 वर्षों में राजस्थान में अकाली की विभीषिकाएं रही हैं और उसके कारण राज्य में हमारा किसान घाटे का सौदा, खेती कर रहा है। उसके लाइबलीहुड के कोई संसाधन नहीं हैं। इसके लिए हम सब लोगों को विचार करके हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी हैं वे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल्ला साहब, आप बोल रहे हैं, सब चले गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौन चला गया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सी.पी. जोशी, संयम लोढ़ाजी, वह कम्पनी जो है न, वह कम्पनी आपके बोलते ही चली गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हमारी पार्टी के बारे में चिन्ता कर रहे हैं।..... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको क्या.....(व्यवधान).....आपके कितने मंत्री बैठे हैं ?

यहां पर एप्रोप्रिएशन बिल पास हो रहा है, गिन लीजिए संख्या में आदमी। विनियोग विधेयक पर चर्चा होती है तो सारा मंत्रिमण्डल उपस्थित रहता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मौजूद है।

श्री महीपाल मदेरणा : वसुन्धराजी से नम्बर लेने वाले मंत्री ही बैठे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपका चौथाई प्रतिशत मंत्रिमण्डल भी उपस्थित नहीं है, कितने सीरियस हैं आप ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी निगाह में उनका महत्व हो सकता है, हमारे यहां महत्व नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, तिवाड़ीजी तो आपको जानबूझकर कह रहे हैं, आप उसका महसूस नहीं करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई बात नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, लैंड ग्रांट कालेज के आधार पर.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, भाषण पुराना वाला ले आये आप। महामहिम राज्यपाल महोदय वाला भाषण ले आये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अमेरिकन कसैप्ट के आधार पर हमने ये कालेज बनाये, उन कालेजेज को चाहिए कि वे किसानों के लिए क्रापिंग पैटर्न निश्चित करें। वे किसानों को कम पानी पर जितनी अधिक फसल ली जा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सकती है, इसके बारे में जानकारी दें। इसके साथ-साथ किस तरह से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसके बारे में उनको जानकारी दें तो निश्चित रूप से हमारे किसान खुशहाल हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भारत सरकार ने हर्बल खेती के बारे में अनेक प्रकार की सब्सिडी देने की घोषणाणं की हुई हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि राज्य सरकार उसक लाभ नहीं ले पा रही है। हर्बल खेती किसानों के लिए बहुत मौजूं है, उसके लिए अनेक प्रकार का अनुदान मिलने से किसान उस खेती को कर सकता है और उसकी कीमत भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं किसान हैं, बहुत अधिक मिल सकती है। जैसे सोनामुखी है, ईसबगोल है......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सफेद मूसली है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सफेद मूसली, सोनामुखी अनेक प्रकार की फसलें है, उन फसलों को हम कर सकते हैं। आयुर्वेद से सम्बन्धित.....

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, सोनामुखी में तो कोई सरकार की आवश्यकता नहीं है, वह तो किसी भी जगह की जा सकती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जितनी भी हर्बल खेती है वह की जानी चाहिए। बून्दी में जिन किसानों ने इस खेती को किया है उनको सब्सिडी का भी लाभ मिला है। लेकिन हमारे राज्य के लिए जो सब्सिडी निर्धारित की हुई है उसका एक बटे सौवां हिस्सा भी हम अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाये हैं। मैं चाहता हूं कि हर्बल खेती को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कैटल इकोनोमी का बेस रहा है। उस कैटल बेस इकोनोमी में हमारे यहां मिक्स नस्लें बन रही हैं, खास तौर से राठी, थारपारकर, काकरेज ये जो नस्लें हैं, ये खतम हो रही हैं और होलस्टीन, जर्सी और अन्य प्रकार की नस्लें हमारे प्रदेश में आ रही हैं। हमारा नागौरी बैल गायब हो रहा है। नागौरी बैल की पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में प्रसिद्धि थी। मैंने तो इंग्लैण्ड में कई जगह नागौरी बैलों को खेती करते हुए देखा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन सब चीजों को भूल

(डा. बुद्धिप्रकाश कल्ल)

कर हम विदेशी नस्लों को अपना रहे हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में राठी, थारपारकर इन जिलों में दूसरी क्रास ब्रीड नहीं हो सकती, इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए ताकि हमारी ये नस्ले जिन्दा रहें और राजस्थान की कैटल बेस इकोनोमी सर्वाइव कर सकें।

हमारी भेड़ों का क्या हो रहा है ? भेड़ों का जो गलीचा बनता था वह संसार में प्रसिद्ध था, लेकिन आज हमारी भेड़ें प्राय: प्राय: खतम हो रही हैं अकाल के कारण। इसके लिए अनेक प्रकार के विदेशी सहयोगों से कई प्रकार की योजनाएं बनीं, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्विति सम्पूर्ण रूप से नहीं दी जा सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भेड़ों के नस्ल-सुधार के लिए और उनके बार-बार अकाल और अभाव की स्थितियों में सर्वाइव रखने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से जितना भी हमारा पशु है, भैंस है, ऊंट है, इन सब की पापुलेशन धीरे-धीरे कम हो रही है। अभी जो नयी कैटल पापुलेशन आयी है उसमें इनकी जनसंख्या 25 प्रतिशत से ज्यादा कम हो गयी है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। इसके लिए सदन के सभी लोग मिल कर नहीं सोचेंगे, इस कैटल बेस इकोनोमी को बचाने के लिए हम अपने पशुधन को नहीं बचाएंगे तो राजस्थान का जो बेस है वहीं समाप्त हो जाएगा। खासतौर से यूनिवर्सिटीज को, वेटरिनरी कालेजज को, जितने भी कृषि महाविद्यालय हैं इनको मैं समझता हूं, इन पर काम करना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में हम बदलाव ला सकें और हमारी जो मूल प्रजातियां हैं उनको जिन्दा रखने के लिए हम कुछ काम कर सकें।

हमारे प्रदेश की बड़ी एक समस्या है बेरोजगारी। आज शिक्षित और अशिक्षित एक करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। हमने उसके लिए इस बजट में और यह विनियोग विधेयक आज पारित हो रहा है, इसमें हमने क्या प्रावधान किया ? आपने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम प्रति वर्ष एक लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने माइंस में कहा है कि हम प्रति वर्ष आठ से दस लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज पूरे प्रदेश में माइंस

बन्द हो रही हैं, सवा महीने से ज्यादा का वक्त हो गया हे लेकिन सरकार कुम्भकर्णी नींद सोयी हुई है, कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपके समय 20 हजार माइंस बन्द थी, 11,100 हमने प्रारम्भ कर दी हैं और बाकी के लिए हम प्रयासरत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, बीच में नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वक्त में कोई माइन्स बन्द नहीं थी, सारी माइंस चालू थीं। माइंस अभी सवा महीने पहले हाई कोर्ट के आदेश से बन्द हुई हैं। हमारे वक्त में बन्द नहीं थी, यह गलत स्टेटमेन्ट दे रहे हैं आप। मंत्रीजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी आप एक तरफ तो गुरू तो बनने की बात कर रहे हैं और.....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप राजस्थान में कैटल बेस इकोनोमी की बात करते हो और, कल्ला साहब, खुद अमेरिकन गायें घर में रखते हैं, कैसे मामला चलेगा ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे घर एक भी गाय नहीं है अभी। (व्यवधान) आपको पता ही नहीं है। ऐसा है कि आप 384, सिविल लाइंस में आकर देख लें कि मेरे पास गाय है भी कि नहीं। बीकानेर में कम से कम 16 राठी नस्ल की गाये हैं हमारे परिवार में, 16.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप यह बता दो, गुरू कौन है आप में, और चेला कौन है ? हम तो यह जानना चाहते हैं, गुरू यह हैं कि चेला यह हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : गुरू तो मैं हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजें। शिक्षा के गुरू नहीं हैं, श्रीमाली जाति के होने के कारण से ब्राह्मणों के श्रीमाली गुरू होते हैं। लेकिन इस तरह की बात करने में गुरू गुड़ हो जाता है।

श्री जीतमल खांट : और चेला शक्कर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि माइंस बन्द हैं, इसके बारे में सरकार को तत्काल भारत सरकार से मिल कर उपाय करना चाहिए और तत्काल उन खानों को शुरू करना चाहिए। जो हैं वे तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और आप नये शुरू कर रहे हैं। आठ-दस लाख लोगों को कैसे रोजगार देंगे, यह मेरे समझ के बाहर की बात है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में देश का 97 परसेन्ट जिंक है, 42 परसेन्ट जिप्सम है, 96 परसेन्ट फ्लोराइड है, 70 परसेन्ट सैंड स्टोन है और लाइम स्टोन है, 89 परसेन्ट एस्बेस्टोस है, 90 परसेन्ट मार्बल है, 70 परसेन्ट केलसाइट है, 80 परसेन्ट सीसा है, 56 परसेन्ट टंगस्टन है और 75 परसेन्ट सोप स्टोन है। इतना जबर्दस्त खनिज का भण्डार किसी भी प्रदेश के पास नहीं है। पूरे देश का बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके बावजूद भी इसका दोहन जिस तरीके से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हमको हमारी खनिज नीति बनाकर इससे अधिक से अधिक आय प्राप्त करनी चाहिए। एक आई.ए.एस. अफसर शर्माजी ने विजन 2020 जारी किया था, उस किताब का विमोचन मैंने ही किया था, मैंने उसमें देखा है कि खनिज पदार्थों के दोहन से राजस्थान में आने वाले वर्षों में करीब-करीब दो हजार से लेकर पांच हजार करोड़ रूपये की आय बढ़ सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब हम इसका एक नीतिगत आधार बनाकर इसका दोहन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ देंगे। ट्रांसपेरेन्ट पालिसी बनाएंगे। ऐसे नहीं कि खड्डे खोद दिये। बैल इक्विप्ड उन माइन्स ओनर्स को करते हुए बहुत ही साइन्टिफिक तरीके से हमारे यहां खनन कार्य हो, तब जाकर यह काम हो सकता है।

पिछले दिनों में कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कई बातें रखीं आपके सामने। मैं उन बातों में से जो बहुत मौजूं बातें हैं उनको कहना चाहूंगा। हमारे यहां लिग्नाइट के विपुल भण्डार हैं और हम आज 1100 करोड रूपये की बिजली खरीद रहे हैं। कपूरड़ी बाड़मेर, बरसिंहसर पलाना, बीपनोख गुढा और अन्य इलाकों में हमारे पास जो लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं, उससे यदि हम बिजली पैदा करें, उपाध्यक्ष महोदय, तो जहां हम 1100 करोड़ रूपये बिजली खर्च में बचत कर सकते हैं, बल्कि साढ़े छह सौ करोड़ रूपये प्रति वर्ष इस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बिजली को बेचकर कमा सकते हैं। करीब 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो हम आने वाले दस वर्षों के अन्दर-अन्दर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है, इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे जो भी लोग सभी सरकार में हैं, उनको गुड्स डिलीवर करने की आवश्यकता है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, खासतौर से कहना चाहूंगा कि बजट जिस दिन प्रस्तुत किया गया उसमें केवल मात्र दो बिजलीघरों का उल्लेख किया गया और उसमें जो राशि रखी गयी है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पहले हाइडल बिजली सबसे सस्ती मानी जाती थी लेकिन बाद में धीरे-धीरे कोयले से बिजली पैदा होने लगी। लिग्नाइट जो हमारा खुद का संसाधन है, हमारे पास उपलब्ध है, उस लिग्नाइट को हम खनन कार्य के माध्यम से निकालकर हम यदि अपने यहां बिजली पैदा करते हैं तो यह बिजली, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे सस्ती और सबसे टिकाऊ बिजली है। यह बिजली 1.20 पैसे पर यूनिट में हमारे को पड़ सकती है। इससे ज्यादा बिजली सस्ती क्या होगी ? हम किसानों को, उद्योगपतियों को, घरेलू उपभोक्ताओं को, सबको यह बिजली दे सकते हैं। लेकिन उसेक लिए जिस टैक्नोलोजी की आवश्यकता है उस टैक्नोलोजी को लाने की जरूरत है आस्ट्रेलिया से, जर्मनी से। अथवा हमारे यहां नेबेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो चैन्नई में है, उसके माध्यम से तत्काल इन कार्यों को शुरू करने की जरूरत है। कपूरड़ी बाड़मेर में, बरसिंह पलाना थर्मल पावर परियोजना, इनको जितना जल्दी शुरू करेंगे, स्टेट को इनका लाभ मिलेगा और स्टेट हमारा द्रुत गति से पावर के सैक्टर में आत्मनिर्भर होगा। जब तक हम पावर के सैक्टर में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हमको 1100 करोड़ रूपया बिजली खरीदने में देना पड़ रहा है। इसके बाद हम बिजली पैदा करके अन्य राज्यों को दे सकते की स्थिति में, उपाध्यक्ष महादेय, आ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, लिग्नाइट के बारे में राजस्थान की सरकार को हमेशा से ही बहुत चिन्तित रही है। जहां तक लिग्नाइट की क्वालिटी का प्रश्न है, काफी इस पर प्रयत्न किया गया है। नेवेली कम्पनी जो है वह भी पलाना को छोड़कर चली गयी थी, अभी तक भी अपने यहां बिजली

पैदा करने के मु बिक क लिटी का लेग्न..इट मिलने की सम्भावना पूरी बनी नहीं है, इस राजाह से।

प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : They are again interested in coming to ... , मुझ से मिले थे। यह बहस का वि.य नहीं है। लिग्नाइट पहले हिन्दुस्त न डवल..पमैन्ट कारपोरेशन को दिया गया था। हिन्दुस्तान डवलपमैन्ट कारप रेशन : ह ने एक समय सीम में काम शुरू करने की बात की थी, वह शुरू नहीं हुई। उसके : द......

उ ध्य क्ष : नेवेली वाले : छोड़ गये।

प्रद्युम्न सिंह : ... मैं निवेदन कर रहा हूं। नेवेली वालों ने शुरू में : क कुछ इन्वैस्टमैन्ट किया, बाद में बन्द कर दिया। लेकिन उसके बाद दु रा : ऐ थे, : रत सरकार के कोयला मंत्री भी आऐ थे और नेवेली लेग्न इट कारप रेशन के : रे बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी आये थे, मुझसे मिले थे : र उन्होंने इसके : न्दर अपनी रुचि ज़ाहिर की थी। Actually they wanted : राजस्थ न : रे : थ : मेंन्ट करे, हम इस काम को शुरू करना चाहते हैं। इससे : : कर : हु :, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जो आप निवेदन कर रहे हैं उसमें : झ : धन करना चाहता हूं कि परिस्थिति और स्थितियां बदल हुई हैं।

डा. कु कीदास कल्ल : उ ध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार नैवेल लिग्न इट थर्मल वर कारपोरेशन और राज्य सरकार के बीच में, ऊर्जा वि. : के : च में काफी : च्छी स्थिति में : तचीत हो चुकी है और यह करीब करीब इम्प्ल मैन्टेशन की स्टेज पर है, लेकिन इसको गति देने की : वश्यकता है। न केवल पलाना, बरसिंहसर, बल्कि मैं तो कहता हूं कपूरड़ी : इमेर, : द्वा जहां-जहां भी ल : सकते हैं, ऐसे लिग्नाइट के भण्डारों का दोहन होन : हिए। उ ध्यक्ष महोदय, मैं आपके : ध्यम से सदन को जानकारी देना : हत : हूं कि पूरे : रतव : का सेवन परसेन्ट लिग्नाइट हमारे पास है और हम इस लेग्न इट के : ध्यम से जैसा मैंने आपको बताया, 3500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। : इसका उपयोग हमको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा हमारे पास मीथेन गैस है। मीथेन गैस के अनेक भण्डार हमारे पास में हैं, उससे भी करीब-करीब चार हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इनके दोहन की, एक्सप्लायटेशन की आवश्यकता है। जब तक हम इनका दोहन नहीं करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, हमारे पास प्राकृतिक सम्पदा का भण्डार होते हुए भी राजस्थान पीछे चला जाएगा, राजस्थान आर्थिक रूप से समृद्धिशाली नहीं बन सकेगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पिछले दस वर्षों से पैट्रोल, डीजल, गैस और पैट्रोलियम पदार्थों की खोज चल रही है। पिछले पांच वर्षों में लगातार हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि ओ.एन.जी.सी. और आयल इण्डिया लिमिटेड कम्पनी जो वहां वर्षों से काम कर रही हैं, में कम्पनियां अपनी लीज को सबलीज कर रही हैं दूसरी कम्पनियों के नाम पर जो वह कर नहीं सकती। इसके साथ-साथ वे लाइसेन्स नहीं ले रही हैं। लाइसेन्स नहीं लेने के कारण से हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। जो लाइसेन्स दिया जाता है वह चार वर्ष के लिए दिया जाता है और उसका एक-एक साल तक दो बार एक्सटेंशन हो सकता है।

जब तक वे लाइसेन्स लेकर पैट्रोलियम पदार्थों को कामर्शियल स्तर पर नहीं निकालेंगे, राज्य को कोई लाभ नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि पहले वर्ष में ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो राजस्थान को 200 करोड़ रूपये की रेवेन्यू प्राप्त होगी, गैर राजस्व कर में वृद्धि होगी और वह वृद्धि राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आगे जाकर करीब-करीब एक हजार करोड़ से ऊपर की इनकम यह राजस्थान को दे सकता है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमको भारत सरकार को इसके सम्बन्ध लिखना चाहिए और लिखकर ज्यादा से ज्यादा पैट्रोलियम पदार्थ जो हमारे निकलते हैं, उनमें राज्य को अधिक से अधिक हिस्सा मिले, इसके बारे में हमको कार्यवाही करनी चाहिए।

राज्य में हमारे यहां 115 बिलिययन क्यूबिक मीटर गैस के भण्डार हैं। आपको ताज्जुब होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि पाकिस्तान का हिस्सा जिसमें सूई

डा. बुल कीदास कल्ला)

...ौर नीर का इलाका आता है, वहां पर हन्ड्रेड परसेंट गैस का दोहन हो रहा है। यहां पर सारा का सारा काम गैस से हो रहा है लेकिन हमारे यहां तनोट और इसके आस-पास के एरिया में जो गैस मिली है, उस गैस का हम आज तक पूरा दोहन नहीं कर पाये हैं। इतना विशाल गैस का भण्डार होते हुए भी इसका दोहन न होना राजस्थान के लिए बहुत ही खेदजनक है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां ...स, पैट्रोलियम पदार्थ और जितने भी भू-गर्भ में छिपे हुए हमारे खनिज हैं, इनका आप्टिमम आदर्शतम दोहन हो ताकि राज्य की इकोनोमी द्रुत गति से ... बढ़ सके।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा रोजगार के बारे में। आपने रोजगार के बारे में कहा था कि हम एक लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, आज करीब-करीब सात महीने से ऊपर का वक्त हो गया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिए ? आपने कहा था "रोजगार मिलेगा हर घर के लिये मैं कहना चाहता हूं रोज..र मयस्सर भी नहीं शहर के लिये। जहां दरखतों के साये में धूप पड़ती है, चलो कहीं और चले उम्र भर के लिये"।

... राजेन्द्र राठौड़ : यह बासी शेर सुना दिया आपने। यह तीसरी बार सुन... रहे हो आप। उपाध्यक्ष महोदय, यह शेर तीसरी बार सुनाया है कल्लाजी ने। कोई नई बात सुनाओ।.....(व्यवधान)

... भंवरलाल शर्मा : आप मनन करो। मनन करो इसलिये बार-बार कह रहे हैं।.....(व्यवधान)

डा. बुल कीदास कल्ला : मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, आप तीसरी बार कह रहे है, यह तो पहले अपने आप में ही गलत है।.....(व्यवधान)

... बद्रीलाल ... ट : कल्ला साहब अपने आपके लिये कह रहे हैं, मैं मं... ... के र थ हूं।

... र ... सिंह भाटी : आपकी पार्टी के लीडर आपकी बात सुन नहीं रहे इसलिये इस साइड में आपका आने का मानस है तो हम तह दिल से लेने के लिये तैयार हैं। स्वागत है, आपका स्वागत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वाह, बहुत अच्छा सुझाव है आपका।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, मै सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बजट के वाद-विवाद पर, मांगों के सम्बन्ध में जो बातें एक बार, दो बार कही जा चुकी हैं, सदस्य इस ओर ध्यान रखें कि उन बातों का रिपीटीशन इस समय नहीं होना चाहिये। नयी बातें इस समय होनी चाहिये। जो बातें आ चुकी हैं, काफी विस्तार से जिनके विषय में मंत्रीगण जवाब दे चुके हैं, वे बातें बार-बार नियमों के अनुसार भी नहीं दोहरायी जानी चाहिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेरोजगारी की चर्चा कर रहा था। बेरोजगारी के बारे में सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि आप कितने-कितने लोगों को कहां-कहां रोजगार देंगे। आपने सौ दिन का विजन कार्यक्रम बनाया था और कहा था कि 26,000 साथिनों को रोजगार देंगे, हम 29,000 लोगों को नौकरियां देंगे। वे आज तक तो आपने दी नहीं। कब देंगे ? कुल मिला कर राज्य सरकार रोजगार नीति जब तक नहीं बनाएगी इस प्रदेश का एक करोड़ व्यक्ति जो शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार है, उसके लिये आप कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। खासतौर से तो हमारे किसान हैं 70 परसेन्ट, उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करनी है, पशुपालकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी है और तीसरी व्यवस्था हमारे शिक्षित बेरोजगारों की करनी है। इसके लिये समयबद्ध नीतिगत कार्यक्रम बनाने होंगे तब जाकर राजस्थान में हम अन एम्प्लायमेन्ट की प्राब्लम को हल कर पाएंगें।

दुर्भाग्य से हमारे यहां कुटीर उद्योग खतम हो रहे हैं, हथकर्घा उद्योग खतम हो रहे हैं, खादी के काम बन्द हो रहे हैं, हस्तकला उद्योग को, उपाध्यक्ष महोदय, जितना हम प्रोत्साहन देंगे उतना ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना ही हमको विदेशी रेवेन्यू प्राप्त होगी और राज्य में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध होगा।

एक समस्या हमारे प्रदेश की और है, वह है ऋणग्रस्तता, इनडैटनैस। ऋणग्रस्तता के बारे में मैं कहना चाहता हूं, यह एक ऐसा वीशियस सर्किल है

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जो बढ़ता ही रहता है। अभी मैंने पिछले दिनों यहां योजना आयोग के उपाध्यक्ष हरिशंकरजी भाभड़ा और राजस्थान की मुख्यमंत्रीजी का स्टेटमेन्ट पढ़ा कि राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति कैसी भी रहे, हम अपनी योजना के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे।

मैं आपके माध्यम से इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं, योजना का आकार जब से योजनाएं शुरू हुई प्रायः प्रायः हंडरेड परसेन्ट, और कहीं जब अकाल और अभाव की स्थिति हुई है तो 83-90-94 परसेन्ट, बाकी प्रायः सौ प्रतिशत योजनाओं का पैसा योजनाओं पर ही खर्च हुआ है। अभी पिछले दिनों सामाजिक शोध प्रतिष्ठान में एक सेमिनार हुई उसमें हमारे देश के बहुत अच्छे अर्थशास्त्री एल.एन. नाथूराम का ने कहा कि जब अकाल और अभाव की स्थितियां होती है तो हमको सहायता के लिये, रोजगार के लिये, चारे और पानी के लिये प्रबन्ध करने पड़ते हैं, उस समय हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ऐसे वक्त में किसानों को सस्टेन करने के लिये हम अपनी योजनाओं का पैसा कई बार इधर खर्च कर लेते है, वह गलत नहीं है। लेकिन अधिकांशतः जब से योजनाएं शुरू हुई हैं, हमने अपनी योजनाओं का पैसा योजनाओं पर ही खर्च किया है। मुझे अभी बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि आप लोगों ने यह स्टेटमेन्ट दिया कि योजनाओं का पूरा का पूरा पैसा चाहे हमको कहीं से ऋण लेकर आना पड़े, हम योजना के आकार को परिवर्तित नहीं करेंगे। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार गयी थी तब 53,000 करोड़ का ऋण था, अब लगभग 59,000 करोड़ के ऋण की जानकारी हमारे पास है। यदि मैं गलत हूं तो मुझे करैक्ट कर दें। मेरा यह दावा है कि पांच वर्ष में यह ऋण ग्रस्तता लगभग एक लाख करोड़ से ऊपर जाएगी। ऐसी स्थिति में ऋण ग्रस्तता के जाल से बचने के लिये हमको अपने प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना पड़ेगा। जब तक प्रदेश आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं बनेगा, तब तक प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा और प्रदेश हमारा कमजोर हो जाएगा। इसलिये नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिये मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया था।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके साथ-साथ मैं, प्रदेश की एक समस्या और है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां अशिक्षा बहुत है। आज भी 20 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। हमने बहुत प्रयत्न किय हैं। हमारा साक्षरता का प्रतिशत पुरूषों का राष्ट्रीय स्तर भी ज्यादा है. लेकिन इसके बावजूद महिला शिक्षा अभी हमारी बहुत कमजोर है। हालांकि इसम भी बीस प्रतिशत से बढाकर हम करीब-करीब 44.67 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। लेकिन महिला शिक्षा की और बीस लाख लोगों को जो आज भी स्कूल जाने से वंचित हैं, या ड्राप आउट की प्राब्लम है, ठीक करने की आवश्यकता है। शत-प्रतिशत साक्षरता जब हम ले आएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षित व्यक्ति चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वह कामकाजी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। लेकिन इसके लिये स्वावलम्बन के तरीके खोजने पड़ेगें, उनके लिये सरकार का इनपुट चाहिये और उस इनपुट की कमी है।

इस बजट में आपने घोषणाएं तो बहुत कर दीं लेकिन उन घोषणाओं के लिये बजट क्या दिया, इसके बारे में यह बजट मौन है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी रिप्लाई दें तो बताएं कि जिस-जिस घोषणा को आपने किया है उस घोषणा को पूरा करने में कितना-कितना खर्चा आएगा। तब आपका पता लगेगा कि आपने जो घोषणाएं की हैं वे घोषणाएं सही हैं या सतही घोषणाएं हैं। केवल सतही घोषणाएं करके, और ज्यादातर तो केन्द्रीय सरकार का जो बजट आया है उसमें राज्य को जो सहायता मिलेगी, उन्हीं सहायताओं को ज्यादा से ज्यादा बजट में यूज करके बताया गया है। राज्य सरकार तो आज वीशियस सर्कल में फंस गयी है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर दस प्रतिशत व्यय आप्टिमम होना चाहिये, वह आज 85 परसेन्ट से ऊपर चला गया है और एक वक्त आ सकता है जब यह प्रशासनिक व्यय 95 या 100 परसेन्ट हो जाए। तनख्वाह के लिये भी राज्य सरकार को कई बार ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बारे में पूरे सदन को आज गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि राज्य में स्वावलम्बन लाने के लिये हमको उपाय करने होंगे। इसके लिये मैं पुन: इस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बात को दोहराना चाहूंगा कि हमको खासतौर से खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना होगा और उसमें लोगों को स्वावलम्बन के जरिये आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाना होगा ताकि राज्य की इकोनोमी में आमूलचूल परिवर्तन आ सके।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि पर्यटन के लिये पिछले वर्षों में बहुत प्रयत्न हुए हैं लेकिन इसमें जब तब पीपल्स इनवाल्वमेन्ट नहीं होगा तब तक हमारा पर्यटन उद्योग आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसके लिये जरूरी है कि हम हमारे जितने भी पर्यटन विभाग के होटल हैं उनमें शैयाओं की क्षमता बढ़ाएं। प्राइवेट सैक्टर में जो लोग होटल से जुड़े हुए हैं, होटल को उद्योग का दर्जा देकर जिनती भी हम सहायता दे सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दें ताकि ज्यादा से जयादा होटल हमारे यहां आएं, हमारे यहां गोल्फ कोर्सेज की शुरूआत की जाए, हमारे यहां विदेशी पर्यटकों के मनोरंजन के लिये साधन उपलब्ध कराये जाएं ताकि विदेशी पर्यटक आकर यह महसूस नहीं करें कि यहां पर कुछ भी नहीं है। आज कश्मीर, केरल, आसाम और अन्य प्रदेशों में, ईबन हरियाणा में कुछ भी नहीं है तो भी उन्होंने जलाशय वगैरह बनाकर एक तरीके से कृत्रिम ढंग से पर्यटन को एक माहौल दिया है। जबकि राजस्थान में तो इतने गढ़ हैं, इतने किले हैं, इतनी हमारी पुरानी हवेलियां हैं, हमारी कलचर में है, We promote tourism through the culture. हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि उसके माध्यम से हमको पर्यटन की व्यापक सम्भावनाओं को एक्सप्लोर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटकों को अट्रेक्ट करना चाहिए ताकि इस बिना धुएं के उद्योग से ज्यादा से ज्यादा राज्य के लोगों को फायदा मिल सके।

इसके अलावा हमारे यहां आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज केरल देवभूमि के नाम से विख्यात हो गया, जबकि हमारे यहां बहुत-से ऐसे पुराने बैद हैं जो इलाज करना जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जानते हैं। जिसे प्राकृतिक चिकित्सा करानी होती है उस विदेशी पर्यटक को कम से कम एक हफ्ते, एक महीने, दो महीने, तीन महीने पंचकर्म का जो कार्य है उसके लिए यहां पर रहना पड़ता है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इन कामों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक राजस्थान की भूमि पर आएं। एक पर्यटक आता है तो 70-80 आदमियों को रोजगार मिलता है और उसस हमारी इकोनोमी में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मै आपके सामने आबकारी नीति जो 2004-2005 आयी है, उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। आबकारी नीति में गंगानगर शुगर मिल का 25 प्रतिशत बाटलिंग भराई का काम निजी कम्पनियों को देने का निर्णय कर लिया। गंगानगर शुगर मिले किसानों का गन्ना खरीदती है। किसान को जब भाव बाजार में 67-68 रूपये होते हैं तो यह 100-110 रूपये प्रति क्विंटल तक उसको खरीदती है। अब तो किसानों को गन्ने के भाव पूरे नहीं मिलेंगे। जो लोग गंगानगर शुगर मिल में काम कर रहे हैं उनके आगे बेरोजगारी का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस 25 परसेन्ट के नाम पर ये निजी काम करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं और यह मिल एक वर्ष में ही घाटे की स्थिति में आ गयी है। आने वाले समय में मेरा यह दावा है कि इस पर ताला लग जाएगा। जो पब्लिक अण्डरटेकिंग कम्पनी फायदे की स्थिति में है, वह घाटे में चली जाएगी और इसको ताला लगाना पड़ेगा। यह कम्पनी फायदे की स्थिति में प्रायः प्रायः रही है। मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक सैक्टर की कम्पनियां फायदे में चलती हैं उनको तो सरकार को चालू रखना चाहिए, ताकि समाजवाद का संविधान में जो नारा दिया गया है वह क्रियान्वित हो सके। मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि हमारी पब्लिक सैक्टर की जो घाटे की कम्पनियां हैं उनको बेचने का निर्णय सरकार ले तो समझ में आता है, लेकिन जो कम्पनियां फायदे की स्थिति में हैं, आज भारत सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि जो प्रोफिट अहर्निंग कम्पनियां हैं, उनको हम कतई नहीं बेचेंगे। मैं चाहता हूं कि जो 25 परसेन्ट काम निजी हाथों में दिया गया है वह पुनः गंगानगर शुगर मिल को सौंपना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक और खतरा है, जब प्राइवेट लोग इसमें आ जाते हैं तो भीलवाड़ा में एक शराब दुखांतिका हो गयी उसमें 10-12 आदमी मारे गये। गंगानगर शुगर मिल का जब से बनी है एक भी केस नहीं है

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जहां पर कोई व्यक्ति शराब दुखांतिका का शिकार हुआ हो। लेकिन प्राइवेट सैक्टर में इन चीजों के जाने से यह खतरा बन जाएगा, शराब दुखांतिकाएं ज्यादा से ज्यादा होंगी और लोगों का जान-माल का नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है विद्युत। आज जब विद्युत के बारे में यह कह रहे थे कि हम 14 से 16 घण्टे तक बिजली देंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सदन को कि हमारे यहां तीन से चार घण्टे ही बिजली नहीं मिलती।

श्री उपाध्यक्ष : वह समय तो हमें तीन तारीख को ज्यादा मिलेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह ठीक है, इसमें बोल लेंगे।

श्री जुबेर खान : चार तारीख है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चार को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बजट आने से पहले ही इस सरकार ने 15 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क में बढ़ोतरी कर दी, इससे जनता पर कितना भार आया है ? 200 करोड़ से ऊपर का भार जनता पर पड़ा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम बीमार उद्योगों को बचाएंगे, दूसरी तरफ जो उद्योग चल रहे हैं उनके कैप्टिव पावर प्रोजेक्टस के ऊपर आपने 25 पैसे प्रति यूनिट शुल्क लगा दिया। तो जो उद्योग चल रहे हैं उनको आप बीमार कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जहां तक कनेक्शन का सवाल है, किसानों ने आज से 15-20 साल पहले कनेक्शन लिये 30 हार्स पावर के कनेक्शन, मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि 12-7-2004 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बीकानेर ने एक आदेश जारी किया इसमें बादनूं, कुचोर, आथूणी, आगूणी, सूरजसिंहपुरा, किलचू, केसरदेसर जाटान, गाड़वाला, आकासर, झज्जू इनको कहा है कि आप कम से कम 40 हार्स पावर का कनेक्शन लें। इससे क्या नुकसान होगा, वह मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, इसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कहां कर दिये ? हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आज संशोधन हो गया!

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे पास तो उसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मंगलारामजी को ध्यान है उसमें आवश्यक संशोधन हुए हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हुए हैं तो बता देंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि इसमें पुराना कनेक्शन 30 हार्स पावर का था उसमें 2850 रूपये का खर्चा आता था, नया कनेक्शन जो अभी वर्तमान में संशोधन आया है उसके बाद 5490 रूपये का होगा। हरा चारा और विशेष नर्सरी योजना के बाद खर्चा आता है 4650 रूपये का, अब वह खर्चा आएगा 10980 रूपये का।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्रकृति रूठी हुई है, प्रकृति रूठ जाती है तो कहते हैं कि राम रूठ गया लेकिन राज नहीं रूठा। यहां तो प्रकृति भी रूठी हुई है और राज भार के ऊपर भार डाल रहा है। यह उचित नहीं है और न राजस्थान की गरीब जनता और किसान इसको बर्दाश्त कर सकेगा। राजस्थान का किसान वर्षों से खेती कर रहा है, उस किसान के लिए हमको बिजली की जो पुरानी दरें हैं उन्हीं के आधार पर कनेक्शन करना चाहिए। उनको बाध्य नहीं करना चाहिए कि आप अपने हार्स पावर की क्षमता बदलें कि उनको इस बेवक्त में, अभाव के वक्त में अतिरिक्त पैसा देना पड़े। पुराने कनेक्शनों के लिए यह तो दोहरी मार होगी और यह किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं, यदि इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं किया तो हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा हमारे किसानों के साथ और हम इन दरों को कतई राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे से पूर्व कई बार इस सदन में यह चर्चा आयी कि हम लोग आते ही केन्द्र सरकार से पैसा ले आये। कहां से ले आये ? हमारे पूर्व वित्त मंत्रीजी ने, एक प्रश्न के जवाब में और कुछ क्वेश्चन करते हुए बातें बतायी थी वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। 237 करोड़ रूपये प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कई बरसों से बकाया थे, हमको यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कहकर नहीं दिये कि आपने गोल्डन टोकन योजना लागू कर रखी है इसलिए यह पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने सुपर गोल्डन टोकन योजना जारी कर दी उस से ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, अनेक लोगों पर इसका भार आ रहा है। लेकिन आपके आते ही भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार ने 237 करोड़ रूपया प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आपको दे दिया। सन् 2001 से विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे 137 करोड़ रूपया बकाया थे, वे इनकी सरकार के आने के बाद इनको मिले। लगभग 135 करोड़ रूपया शिक्षा विभाग का वर्षों से बकाया था, वह आते ही मिल गया। इस प्रकार लगभग 1000 करोड़ रूपये की राशि जो पिछली सरकार में बकाया थी, वह इस सरकार को मिल गयी जिसके कारण से इन्होंने आते ही कह दिया कि हम सरकार से पैसा ले आये। जान बूझकर पूर्व में केन्द्र सरकार ने हमारा जायज हक होते हुए भी हमें नहीं दिया। अकाल और अभाव की स्थिति भी उसमें भी हमको पैसा नहीं मिला जिसके कारण हम प्रदेश की योजनाओं को पूरा नहीं कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हमारी डिफेंस लाइन है, लाइफ लाइन है और विश्व का सबसे बड़ा मैन मेड प्रोजैक्ट है। टीनेन्सी वैली प्रोजैक्ट किसी वक्त में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था। इस प्रोजैक्ट को पिछले पांच वर्षों में 330 करोड़ रूपये की सहायता जो बी.ए.डी.पी. कार्यक्रम में मिलती थी, वह 300 करोड़ रूपये की सहायता नहीं मिली। केवल 1999-2000 में 8 करोड़ रूपये मिली। इसके पहले के सालों में प्रतिवर्ष 60-60 करोड़ रूपये 4-5 सालों तक मिले। उससे पहले कभी 30 करोड़, कभी 50 करोड़ सहायता बराबर हमारे इन्दिरा गांधी नहर प्रोजैक्ट को मिलती रही। लेकिन मुझे अफसोस है कि भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को बिलकुल केन्द्रीय सहायता नहीं दी जिसके कारण से हमारी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रगति ठप्प हो गई और उसको हम जितना आगे बढ़ाना चाहते थे, वह आगे नहीं बढ़ पाऐ।

(14.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग इन दोनों विभागों में, आज सवेरे स्वायत्त शासन मंत्रीजी बता रहे थे कि हमने पिछले

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सात महीने में करीब-करीब 17 तो पालिका अध्यक्षों को और करीब-करीब 33 या 43, दोनों में से एक फीगर है, मैंने सवेरे सुना था, इनते सदस्यों को निलम्बित कर दिया। अभी आपको आये 7-8 महीने तो हुए हैं, पिछली सरकार का बताया वह आंकड़ा मिलाकर 50 था, पांच साल का.....(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : हमारे से ज्यादा आपने किऐ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शंकर सिंहजी, विराजो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने कोई गड़बड़ी की है, घोटाला किया है, उसको हटाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के कारण से किसी को हटाया नहीं जा सकता। मुख्य मंत्रीजी के जिले से मेरे पास एक चिट्ठी आई है, मैं उसको आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कांग्रेसजन एवं जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध राजनीतिक द्वेष से, दुर्भावनापूर्वक की जा रही राजस्थान सरकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं अवैध कार्यवाहियां निरस्त करने बाबत। इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा गया है कि यहां पर गिन-गिन कर कांग्रेस पार्टी से चुने हुए नगरपालिका के सदस्यों को और स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रधानों को, सरपंचों को, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति-जनजाति के जन प्रतिनिधियों को चुन-चुन कर हटाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। कितने लोगों को आपने किस ढंग से कांग्रेस के राज में प्रताडित किया है ? कितने ईमानदार लोगों की हत्या की है आप लोगों ने ? यहां तो भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं, और कोई नहीं हट रहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (नगरीय विकास राज्य मंत्री) : एक मिनट, साहब। कल्ला साहब ने बीच में थोड़ा कुछ कहा है, मेरे विभाग का मामला है, एक मिनट में स्पष्ट कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको बीच में ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, आपके ऊपर, आप विराजो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपने आरोप लगाया है, आरोप आपने गलत लगाया है। आपने जो कुल संख्या दी है कांग्रेस के अध्यक्षों की और सदस्यों की मिलाकर 50 और आपने सस्पैण्ड किऐ हैं अध्यक्ष 39 और 48 सदस्य कितने हुए ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : वे पूरे पांच वर्षों के हैं न मंत्रीजी ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप अभी हमारी काफी लम्बी-चौड़ी बता रहे थे, खुद की संख्या बहुत छोटी करके बता रहे थे। हमारे टाइम पर जो 17 अध्यक्ष संस्पैण्ड हुए उनकी जांच, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के टाइम से चल रही थी, उनकी पांचों का निस्तारण हमारे टाइम पर हुआ है और जो अध्यक्ष दोषी पाये गये हैं उनको हमने निलम्बित किया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी स्पीड बहुत तेज है, जरा इसको धीमा कीजिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह कहना चाह रहा था कि राजनीतिक विद्वेष से प्रजातन्त्र में सरपंचों को और स्वायत्तशासी संस्थाओं के अध्यक्षों और सदस्यों को नहीं हटाया जाना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष से हटाना लोकतन्त्र का गला घोंटना है और लोकतन्त्र का गला घोंटना नहीं चाहिए। इसका परिणाम.....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र की हत्या तो इन्होंने की, 15 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव ही नहीं कराऐ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नियमानुसार ही कर रहे हैं, कोई विद्वेष की भावना से नहीं कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण किया, तभी हमने सदन का बहिर्गमन किया था। यही नहीं, हमारे 16 डेयरी संघों के चुने हुए अध्यक्षों

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को इस सरकार ने हटाया। हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया. फिर इन्होंने एक कानून बनाया। वह कानून आज भी पूरा कानून नहीं बना है जब तक राष्ट्रपतिजी के हस्ताक्षर नहीं होत. मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है।

कहने का तात्पर्य यह है कि चुने हुए जन प्रतिनिधियों को हटाने के बजाय आप चुनाव करवा दीजिए। आप को-आपरेटिव के चुनाव क्यों नहीं करवाते ? आप अन्य संस्थाओं के चुनाव क्यों नहीं करवाते ? समय पर चुनाव करवाइए, कृषि उपज मण्डियों के चुनाव करवाइए।

श्री मदन राठौड़ : आपने भी तो 15 वर्षों तक नहीं करवाए थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यदि आप प्रजातांत्रिक संस्थाओं के चुनाव करवाएंगे तो जन प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और उनके माध्यम से अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी तरह से प्रजातान्त्रिक संस्थाएं चलेंगी और उनका कार्य निर्वहन अच्छी तरीके से होगा।

मैं पंचायती राज के सशक्तीकरण के बारे में कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि जब तक गांव का चुना हुआ सरपंच और गांव का व्यक्ति सत्ता के विकेन्द्रीकरण में भागीदार नहीं होगा तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। हमने पंचायतों को 29 विभाग, फण्ड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज ये तीनों के साथ में दिऐ। 29 में से करीब 17 विभाग तो कम्पलीट ट्रांसफर कर दिये, 12 प्रक्रिया में थे, इस बीच में चुनाव आ गए। तीन विभाग पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी. जैसे विभाग, पंचायती राज से छीनना आपकी मंशा को दर्शाता है कि सरकार पंचायती राज के सशक्तीकरण के कितने पक्ष में है और कितने विपक्ष में है। जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। परसों कम से कम 8 जिला प्रमुख मुझसे मिलने आऐ थे, उन्होंने यह कहा था कि पंचायती राज में डी.आर.डी.ए. के अध्यक्ष को जो अधिकार दिऐ गऐ थे उनके बारे में सरकार धीरे-धीरे सर्कुलर निकाल कर जिला कलक्टर को पावर दे रही है। फिर जन प्रतिनिधियों का क्या महत्व है ? एक तरफ कुछ राज्यों में जिला मुख्य मंत्री और जिला सैक्रेटेरिएट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बनाए गऐ हैं, वहीं पर डी.आर.डी.ए. जैसे पावर जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से सम्बन्धित मामले हैं, वह पुनः कलक्टर को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पंचायतीराज को मजबूत करने की हमारी कोई मंशा नहीं है।

इसी प्रकार जिला आयोजना समिति जिला प्रमुख की अध्यक्षा में बना रखी है लेकिन आयोजना समिति से सम्बन्धित जितना की स्टाफ है वह सारा का सारा जिला कलक्टरट का है। यदि वह स्टाफ उसके पास नहीं रहेगा तो जिला आयोजना समिति की मीटिंग का हैड बनकर साल में एक या दो मीटिंग कर लेगा, बाकी क्या काम करेगा ? जिला आयोजना समिति का कन्सैप्ट योजना आयोग ने इस रूप में लिया था कि हमारी जिला आयोजना समितियां गांवों के ठेठ चुने हुए लोगों से बने और गांवों की क्या समस्याएं हैं, वहां पर कौन-कौनसे इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए, किस प्रकार से प्रबन्ध होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में वहां पर पूरी की पूरी जानकारी रखने वाले लोग बैठकर अपनी योजना स्वयं बना सकें। लेकिन इन सब चीजों के लिए एक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इच्छाशक्ति की इस सरकार में कमी है जिसके कारण से पंचायतों का सशक्तीकरण न कर कमजोरीकरण किया जा रहा है और पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कम से कम हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की एक और भयंकर समस्या है, पीने के पानी व सिंचाई के साधनों की। आज राज्य में सबसे कम.....

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई समय भी निर्धारित है कि नहीं है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे लिए समय निर्धारित नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री समर्थ लाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या शाम तक बोलेंगे ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे अफसोस है कि आप तो स्पीकर रहे हैं, आपको यह भी मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कल्लाजी वैसे भी ज्यादा नहीं बोलते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो पांच साल तक बोलेंगे।

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय. कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमारे राज में पंचायतों को मजबूत किया गया, हमारे यहां नोखा के अन्दर जसरासर पंचायत में एक सरपंच को आठ बार सस्पैंड किया गया इनके राज में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए, किया गया है तो अपने आप वे देख लेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का कमजोरीकरण किया जा रहा है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पूरे सदन को यह फैसला करना चाहिए कि न्याय प्रशासन का काम भी हमें सरपंचों को देना चाहिए तब जाकर हमारी पंचायतें मजबूत होगी। हमारे गांवों में पंचायतें इकट्ठा होकर फैसला लेती है, उसको क्या सरकार रोक सकती है ? इसलिए क्यों न उनको हम न्याय प्रशासन का काम दें ? चुने हुए सरपंच अपने आप वहां पर फैसला करेंगे और उसकी अपील का अधिकार हमारे जो रैगुलर न्यायालय हैं उनके पास जाएगा, इससे अपने आप सारा न्याय प्रशासन दुरूस्त हो जाएगा, इसलिए इनको अधिकृत करने का और सशक्त करने का वक्त है।

एक माननीय सदस्य : पहले क्यों नहीं किया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने तो काफी अधिकार दिऐ थे, अब वक्त आपका आ गया, आपने दिऐ नहीं, आपने तो जो हमने दिए वे ही छीन लिये, इसलिए मुझे पाइन्ट आउट करना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छे सुझाव दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों में सबसे बड़ी बात पानी के लिए हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी अन्तरर्राज्यीय जन विवादों से सम्बन्धित बातों के बारे में बोला गया था, इस सदन में जब आप इधर बैठते थे तो नाथपा-झाकड़ी, मुकेरिया, आनन्दपुर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

साहिब और अनेक योजनाओं के बारे में आप यहां बात करते थे। आपने सभी 7-8 महीनों में उन योजनाओं के लिए क्या किया ? आप इन्टर स्टेट हमारे जो डिस्पुट्स हैं, उसमें पानी को लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? कितनी चिटिठ्यां आपने लिखी ? भारत सरकार के किस-किस मंत्री से कब-कब मिले ? चम्बल के ऊपर चैक डैम बनाया गया है मध्यप्रदेश के द्वारा, उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ? वहां आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपने उनसे मिलकर कभी बात की कि चैक डैम क्यों बनाये जा रहे हैं ? पूरे चम्बल के एरिया में पानी की कमी हो जाएगी और किसान त्राहि-त्राहि करेंगे। यदि इसको समय पर नहीं रोका तो चम्बल में एक बून्द पानी नहीं आएगा। हमारे यहां ऐसी की ऐसी स्थिति माही की हो रही है। तो हमारे इन्टर स्टेट डिस्पुट के मामले में हम लोगों को निश्चित रूप से सहज रहकर उसकी सारी की सारी व्यवस्थाओं को करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मौजूं उदाहरण देना चाहता हूं, मैं कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं हूं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं पांचवीं में पढ़ता था तो लोहे की परात में नहाता था। लोहे की परात में नहाने के बाद उसमें अपने कपड़े धोते थे, कपड़े धोने के बाद उस पानी से हमारे घर की सफाई होती थी। घर की सफाई होने के बाद पानी से हमारे घर के आगे की नाली की सफाई होती थी। एक पानी का चार-चार प्रकार का उपयोग करते थे हम। आज क्या हो रहा है ? एक व्यक्ति एक बार सुविधा के लिए जाता है तो कम से कम छह लीटर पानी को बिखेर देता है। राजस्थान में पानी का इतना मिसयूज हो रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। हम लोगों को एक-एक बून्द का अच्छे से अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग के काम, वाटर मैनेजमेन्ट के काम हमको करने पड़ेंगे। आज इजरायल में 700 क्यूसेक्स पानी है और पूरा इजरायल हरा-भरा है। हमारे यहां 8-6 मिलियन एकड़ फीट पानी तो हमको रावी-व्यास से मिलता है और करीब-करीब इससे आधे से कम पानी हमको गंग कैनाल में भाखड़ा से मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा राजस्थान इतना हरा-भरा नहीं है। हमारे यहां अरावली की पहाडियां एक तरीके से हरी-भरी थीं, वो आज सारी की सारी अरावली की पर्वत

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

श्रृखलाएं सूखी पड़ी हुई हैं। कभी सदन ने और हम सब लोगों ने इस बात के लिए विचार किया कि बार-बार सूखा क्यों पड़ता है ? सूखा इसलिए पड़ता है कि हमारे यहां अरावली की पहाडियां नंगी हो गई हैं, अरावली की पहाडियां पेड़ विहीन हो गई हैं जिसके कारण यह सूखा पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले हम अपने संसाधनों को अरावली की पहाडियों को हरा-भरा करने में लगाएं। वहां पर कोई भी वनस्पति, एक तिनका वहां से टूटे नहीं, इसका हमको प्रबन्धन करना चाहिए तब जाकर प्रदेश में खुशहाली आएगी। हरियाली होने से जो मेघ होते हैं वो वृक्षों को देखकर अट्रेक्ट होते हैं और बरसात करते हैं। इसीलिए कहा गया है-

"दाता तरबर संत जन चौथा बरसे मेहद्व
परमारथ के कारणे इण चारों धारी देह।"

यह तो बोला हुआ नहीं था। इसलिए परमार्थ के कारण इन चारों ने अवतार लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : बोला हुआ नहीं है। (व्यवधान) यह भी कोई जल्दी में बोला हुआ होगा, अभी ध्यान थोड़े ही आता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए इन परमार्थ के प्रकृति के तत्वों को..

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह मेरे से लिया था सुबह।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप ईमान धर्म से कह दें, आपसे लिया है। कह दो ईमान धर्म से हलफ उठाकर।

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान नहीं रहा, कल्लाजी ने जरूर कहा होगा दो बार।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से यह कहना चाहता था, वाटर मैनेजमेन्ट का काम हमको टाप प्रायोरिटी से हाथ में लेना चाहिए और कम पानी में कौनसी फसल हो सकती है उस काम को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बहुत-सी जगह खारा पानी है। उस खारे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पानी में खेती करने के लिए, अब तो इन्टरनेट का जमाना है, वैबसाइट का जमाना है, आप देखिए संसार में जहां खारा पानी है वहां खेती कैसे होती है। हम राजस्थान में खारे पानी की खेती कर सकते हैं, ऐसी कुछ झाडियां हैं, सेलिकोर्निया की झाड़ी हमारे यहां खारे पानी में लगा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमारा कृषि विभाग, हमारा सिंचाई विभाग इन सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी में शोध करने की आवश्यकता है तब जाकर यह सब काम हमारे यहां होगा। अभी पिछले दिनों में बस्सी और इसके आसपास के एरिया में स्पाईरूलिना की खेती हुई, एक प्रकार की काई है जो पानी के ऊपर होती है। जहां पानी है और जहां वर्षों से पोंड्स बने हुए हैं वहां इस प्रकार की खेती की जा सकती है। यह स्पाईरूलिना, उपाध्यक्ष महोदय, जो मेल-न्यूट्रिशंस के केसेज हैं उनमें सबसे बढिया दवाई का काम करता है। डाबर कम्पनी ने अभी इसके बार में कैप्सूल भी निकाले। लेकिन इन सब चीजों में शोध हो, वह शोध किसानों तक पहुंचे और उसका उपयोग हो तब जाकर उन सब चीजों का काम हमारे यहां आ सकेगा और राजस्थान प्रगति के पथ पर आरूढ़ हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने जब कुछ बातें की थीं तो काफी बातें यहां पर बतायी थीं। मैं इस सन्दर्भ में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ने तो आपकी बात का जवाब बराबर दिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक तो पुलिस प्रशिक्षण की राजस्थान में बड़ी आवश्यकता है। पुलिस-अधिकारी संवाद खतम हो गया है, उसके कारण आपने देखा होगा कि सोनवालजी ने अजमेर में आत्महत्या का प्रयास किया। ट्रैजरी में एक व्यक्ति प्रोसीक्यूशन के लिए वहां पकड़ा गया। इसी प्रकार एक बैंक में दो गार्डों ने आपस में लड़कर एक की हत्या कर दी। यह आपस में पुलिस में टकराव हो रहा है उस टकराव को रोकने की आवश्यकता है और वो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रूकेगा कब ? जब पुलिस और अधिकारियों के बीच में संवाद कायम होगा। यह संवाद कायम नहीं होगा तो मैं समझता हूं राज्य का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अमरीका में, आस्ट्रेलिया में और अन्य स्थानों पर बहुत-सी ऐसी एकेडमीज् बनी हुई हैं, वो एकेडमीज जनता और पुलिस के बीच में संवाद कायम करने के लिए कोर्सेज चलाती हैं। यहां पर भी ऐसे कार्सेज को चालने की आवश्यकता है। अधिकारियों को चाहिए कि वे जनता के बीच में जाएं, कभी पुलिस लाइन में भी जाएं और पुलिस लाइन में जाकर कांस्टेबल की प्राब्लम्स को सुनें, तब जाकर पुलिसकर्मियों के बीच में विवाद समाप्त होंगे और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आप ला पाएंगे। जनता में संवाद की भावना पैदा हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कैसे काम चलेगा ? आज पुलिस के लोग खुद अपराध में लिप्त हैं। कोई चोरी की सूमो खरीद रहा है, कोई ड्रग्स का काम कर रहा है। तो ये चीजें हैं ये पुलिस के लिए शोभाजनक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, पुलिस की जो लीडरशिप होनी चाहिए वो लीडरशिप कमजोर हो गई है। यही कारण है कि यहां पर एक आई.जी. ने तीन एस.पी. के खिलाफ एक तोलाराम के माध्यम से सी.डी. बनायी। वो सी.डी. जब दिखायी गयी तो तोलाराम ने दूसरे दिन कहा कि एक आई.जी. के कहने से यह सी.डी. बनायी है। पुलिस के अधिकारी एक-दूसरे के सप्लीमेन्ट होते हैं, एक-दूसरे के पूरक होते हैं, यहां एक अफसर तीन एस.पी. की सी.डी. बना रहा है और तीन एस.पी. उस आई.जी. के खिलाफ सी.डी. बना रहे हैं। यह क्या हो रहा है ? इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारी जानकारी में दो मंत्रियों की जासूसी हुई, क्यों हुई ? यदि हुई है तो उन सी.डी. को यहां सदन के पटर पर रखा जाए। माननीय मंत्री स्वयं मुख्य मंत्रीजी के पास गये और जाकर कहा, हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको हटा लिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, प्रतिपक्ष के नेता जिम्मेदार हैं, बार-बार बेबुनियाद बिना आधार पर कोई बात सदन में उठा देना कि मंत्रियों की जासूसी हुई, यहां कई बार चर्चा हो गई, आपके पास क्या आधार है, क्या सबूत है आपके पास ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बताता हूं। मेरे पास आधार यह है कि गनमैन जो लगे हुए थे वो बदले गये, उसकी सूची है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गनमैन बदले गये, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं मंत्री पद पर विराजे हैं, गनमैन बदला जाए तो सी.आई.डी. हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, कोई गनमैन बदलने से, करने से यह आधार इस बात का नहीं हो सकता कि इसके अन्दर कोई घटना हुई हो या ऐसी कोई बात है। आपने ऐसा कोई भी तथ्य बताने की कोशिश नहीं की है जिससे आपको भी इस बात का कोई ज्ञान हो कि इस प्रकार की कोई बात हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले मेरे पास स्टाफ था आजकल इनके पास है।

श्री उपाध्यक्ष : बदल जाता है, बदलता रहता है, स्टाफ में कोई बात नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर आपकी भी जासूसी हो रही है, आप तो यह कह देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, गनमैन बदला जाता है और फिर से वापस नहीं बदलाते..... मैं आपकी बात से सहमत हो जाता। मंत्री स्वयं मुख्य मंत्रीजी के पास गये हैं और जाकर कहा है कि हमार गनमैन बदल दिया और फिर वापस वही गनमैन रखवाया गया। यह अपने आप में स्पष्ट है कि मंत्रियों की जासूसी की गई।

श्री उपाध्यक्ष : इससे क्या हुआ ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : किरोड़ीमलजी मीणा ने अपना गनमैन बदला, वापस उन्होंने अपना गनमैन वो ही रखवाया। राजेन्द्रजी राठौड़ गये (व्यवधान) मैं कहना यह चाहता हूं कि मंत्रियों की यदि जासूसी हुई तो मंत्री फिर स्वतन्त्र रूप से काम कैसे करेगा ? यदि की गई है तो सदन में इस बात को आना चाहिए कि उस जासूसी के परिणाम क्या रहे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : प्रमाण पेश कर दिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्री की बिना जानकारी के ये काम किये गये इसीलिए यह अशोभनीय है। यदि मुख्य मंत्रीजी जानकारी करना चाहती थी तो बात समझ में आती, लेकिन एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कि वह मंत्रियों की जासूसी कराए, यह उचित नहीं है, यह निन्दनीय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, यह बिना आधार की बात कह रहे हैं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने यहां पर कुछ आंकड़े पढ़े। मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं सन् 2003 में हत्याएं 623 हुई, 2004 में माह जून तक 633, माह जून तक के आंकड़ों की कम्पेरीजन बता रहा है। डकैती 2003 में 17, 2004 में 32 । लूट की घटनाएं 2003 में 337, 2004 में 362 । अपहरण 2003 में 1225, 2004 में 1295 । चोरी की घटनाएं 2003 में 8251, 2004 9569 ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्लाजी, ये सारे तथ्य गृह विभाग की मांगों के समय में बराबर आये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, ये नहीं आये। इन्होंने अपने पक्ष के रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों ने बताये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने जो भी आंकड़े रखे हैं बिलकुल ठीक हैं। मैंने आपके पांच साल के जनवरी से लेकर जून के जो आंकड़े थे, उसको बहुत स्पष्ट रूप से रखा। यह भी कि 2003 में पिछली बार से अपराध कम दर्ज हुए और 2004 में अधिक हुए। लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो मैं सोचता हूं कि 5 साल का जो एवरेज है उसमें इस पीरियड के जो अपराध हैं, एकाध को छोड़कर बाकी सब में अधिक रहा है। यह बताया है मैंने उसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अन्य भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध 2003 में 55819 थे वे बढ़कर 58154 हो गये। महिला अत्याचार, इसमें दहेज आत्महत्याओं के दुष्प्रेरण के 2003 में 38 मामले थे, वे 46 हो गये। महिला उत्पीड़न 2879 केसेज की जगह 3277 । उसके बाद अपहरण के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मामले 960 2003 में, 2004 के 1052 इसी प्रकार अनुसूचित जाति अत्याचार इसमें हत्या के मामले 2003 के माह जून तक 14 थे, वे अब जून, 2004 तक बढ़कर 20 हो गये। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति अत्याचार, इसमें हत्याएं 2003 में 4, 2004 में जून तक 8, बलात्कार के केस 7 से बढ़कर 9 अन्य भारतीय दण्ड संहिता के अपराध 382 की जगह 398 ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय रामसिंह जी ने सिर के हाथ क्यों लगा रखा है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके कारनामों को देखकर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : शर्म आ रही है इनको आपके कृत्यों को देखकर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आप भी समझ गये और हम भी समझ गये, क्यों लगा रखा है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आंकड़े बताये इससे स्पष्ट नजर आता है कि 2003 की तुलना में 2004 की जून तक अपराध बढ़े है। इसको यदि आप इसी खट्टे में लें तो आपकी मर्जी की बात है लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति को कायम रखना, बनाये रखना यह प्रत्येक सरकार का राजधर्म होता है आप इस राजधर्म से डीविएट करेंगे तो आप तकलीफ पाएंगे और यदि आप उसको सुधारेंगे तो प्रशासन अच्छा दे पाएंगे। (व्यवधान) आप तो व्यवधान करते रहे, जितना व्यवधान करेंगे उतना ज्यादा बोलने के लिए मुझे विवश होना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके भाषण में कोई व्यवधान नहीं किया गया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू नौकरों द्वारा अपराध बढ़ रहे हैं इसके लिए घरेलू नौकरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पुलिस वैरिफिकेशन होना चाहिए ताकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। Domestic servant registration is must.

पुलिस को पब्लिक की तरफ मोड़े जाने की आवश्यकता है इसलिए

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

समय-समय पर कांफ्रेन्सेज का आयोजन होना चाहिए, उसमें पुलिस के अधिकारी आम जनता से संवाद कायम करें कि उनकी क्या तकलीफें हैं। जो संगठित गिरोह अपराध कर रहे हैं, आज भू-माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया और अनेक-अनेक प्रकार के माफिया इकट्ठे हो रहे हैं, संगठित जो अपराध हो रहे हैं इसको रोके जाने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती सरकार संगठित अपराधों को रोकने के लिए कानून लेकर आयी थी लेकिन इसको इफैक्टिव बनाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में यहां पर.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कानून आपने पास कर दिया था क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, पास कर दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पक्के हो न ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरी जानकारी के अनुसार हमने कर दिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : उसको ठीक कर लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लाने वाले थे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, कहां रख दी उसको ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं है, मुझे है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं कर दिया है। तिवाड़ीजी, नहीं कर दिया है तो अपराधों को रोकने के लिए आप कर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप चाहते हो न कि लाएं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारे से कोई भूल हो गई है तो आप सुधार दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, कल्ला साहब, आप यह तो चाहते हो कि वह कानून आना चाहिए ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : संगठित अपराधों को रोकने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, वह कानून जो रोका या रोको था, वह आना चाहिए न ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसमें संगठित अपराध रोकने चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, कल्ला साहब, आपकी पार्टी ने विरोध किया है उसका।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, नहीं, सुनिए, राजस्थान सरकार ने संगठित अपराधों को रोकने के लिए एक बिल बनाया, उस बिल में प्रेसीडेंट की कंसेंट मस्ट है। सरकार ने इसको कन्सीडर किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पक्ष के हो न ?

डा. सी.पी. जोशी : हम आज भी इस ओपिनियन के हैं कि संगठित अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में कोई कानून बनना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो कहो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह प्रक्रिया में था, हमने केबिनेट में पास किया था उसे।

श्री उपाध्यक्ष : कल्लाजी, वह नहीं जान रहे थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से यह कहना चाहता हूं कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था क्या है ? कोई भी नेशनल हाईवे पर चले जाएं, ट्रेक्टर-ट्रोली पर अथवा अन्य वाहनों पर रिफ्लैक्टर नहीं लगे हुए हैं उसके कारण से कितने ही एक्सीडेंट होते हैं। हमारे माननीय सदस्य भी मसेनजी चौधरी यहां डिप्टी मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका इसी कारण से एक्सीडेंट हुआ था। रिफ्लैक्टर हर गाड़ी पर नेशनल हाइवे पर, स्टेट हाइवे पर कोई भी व्हीकल चले उसके पीछे रिफ्लैक्टर लगा हुआ आवश्यक होना चाहिए। ताकि एक्सीडेन्ट से जो मृत्यु होती है उसको रोका जा सके। ए.सी.डी. के बारे में बहुत-सी चर्चाएं होती हैं, ए.सी.डी. को इफैक्टिव बनाने की आवश्यकता है, ए.सी.डी. के माध्यम से जितने भी केसेज आये हैं उनका समय पर निस्तारण हो। पिछले दिनों बालोतरा में मेरे पास में कई लोगों के फोन आये, व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी कि गृह राज्य मंत्रीजी के भतीजे की पिटाई हो गई,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पुलिस क्या कर हरी है, गृह राज्य मंत्री का भतीजा क्यों गया था। एक व्यक्ति की मोटर साइकिल गुम हो गई उसकी रपट दर्ज करवाने के लिए गया था, उसी के आधार पर गृह राज्य मंत्री के भतीजे को पीट दिया। इतना पुलिस को निरंकुश कर दिया। यह पुलिस निश्चित रूप से जन प्रतिनिधियों को और उनके रिश्तेदारों को काम नहीं करने देगी और यह तो स्थिति आपकी है, विपक्ष की क्या स्थिति होगी ? इन चीजों को, नादिरशाही को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर इन सब चीजों के ऊपर आपको नकेल डालनी होगी, जो अधिकारी निरंकुश हैं उनके ऊपर क्योंकि क्या होता है कई बार, एक कहावत है, हमारे रामसिंहजी इसको एप्रीशिएट करेंगे कि यह जो प्रशासन है न यह दुलत्तीमार घोड़ा है, इसकी सवारी करना नहीं आता है तो सवारी करने वाले पर लात मार देता है। इसलिए इसको आपको ढंग से रखना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा और यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और काम नहीं करने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कल को आप ही शिकायत करना शुरू नहीं कर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ट्रक यूनियंस खड़ी हो गई हैं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ट्रक यूनियन ऐसा लगता है राज नाम की चीज नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट वाहन शुल्क वसूल कर रहा है उसी प्रकार ट्रक यूनियन अवैध पैसा वसूल कर रही है ट्रक मालिकों से, इसको कौन रोकेगा ? आपको याद होगा, कोलायत में एक बार इस प्रकार की घटना हो गई थी, दोनों पक्ष एक महीने तक आमने-सामने खड़े रहे और ऐसा लगता था जैसे कोई चीन और भारत का युद्ध हो रहा हो। ऐसी स्थितियों को सुधारने के लिए ट्रक यूनियनों को समाप्त कीजिए और जो भी अवैध वसूलियां हो रही हैं उनको रोकने का काम कीजिए।

मैं माननीय सदस्यों ने जिस पाइन्ट को उठाया है उसके ऊपर भी जोर देकर कहना चाहूंगा। आपकी जितनी भी टोल टैक्स से वसूली होती है, चाहे वह माइन्स से सम्बन्धित टोल हो, सेल्स टैक्स से समबन्यित टोल हो, चाहे आपका कोई सड़कों से सम्बन्धित टोल हो, जितने भी तरह के टोल्स हैं इन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

टोल्स में जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं और जंगलराज की तरह से एक तरीके से स्वयं की पुलिस बिठाकर जो गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर नकेल डालने की जरूरत है नहीं तो यह गुंडागर्दी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को चौपट कर देगी और राज्य में कानून नाम को कोई शिकंजा नहीं रहेगा, जंगलराज कायम हो जाएगा और राज्य में एक तरीके से अमन चैन डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए इसको समाप्त करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी के अन्दर यह है कि आप केन्द्र सरकार में जो हमारी संसद है, लोक सभा है उसको चलने नहीं दे रहे हैं। आप स्वयं देखें, मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार करें। हम सारे जिलाधीशों से और चुनाव आयोग से सब सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि अखबारों के आधार पर आप ये सूचनाएं दे रहे हैं कि आपके सात मंत्रियों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, वे मंत्री दागी हैं। उन मंत्रियों के ऊपर यदि आप केन्द्र की तर्ज पर विचार करना चाहते हैं तो अपने मंत्रिमण्डल से उनको निकाल कर बाहर करें जब वे बरी हो जाएंगे तो उनको आप मंत्रिमण्डल में सम्मिलित कर लें नहीं तो लोक सभा में तो आपकी पार्टी एक तरह का व्यवहार करती है और यहां दूसरे तरीके का व्यवहार करती है, ये दो तरीके के व्यवहार नहीं चलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या धारा 144 तोड़ना आंदोलन..... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय गृह मंत्रीजी, उन सब पर मुकदमें वापस लेकर उनको बरी करवा रहे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पानी के आन्दोलन, जो बैदजी ने आन्दोलन किया था और उसमें जो पुलिस के द्वारा केस बना था, तो क्या राजनैतिक आन्दोलन करने वालों को आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हैं ? जो आपकी तरफ

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के माननीय सदस्यों पर आपराधिक मुकदमें हैं उनका मुकाबला आप क्या उनसे करना चाहते हैं ? धारा 144 तोड़ने का या रास्ता रोकने का, उससे मुकाबला करना चाहते हो क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सवाल चार्जशीट का है, सवाल चार्जशीट का है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मंत्री ने ट्रक यूनियनें तोड़ी, आपके राज में कितनी ट्रक यूनियनों तोड़ी आपने। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जो चार्जशीटेड हैं उनको करना ही पड़ेगा। चार्जशीट का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : चार्जशीटेड हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : चार्जशीटेड नहीं है, अनुसंधान में है। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : कोई भी मंत्री हो जिस पर हत्या का आरोप है, ऐसा बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शर्माजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : चार्जशीटेड हैं इसलिए आपको करना ही चाहिए। सिद्धान्त एक होगा। चाहे मुकदमें वो बाबरी मस्जिद के हों, चाहे वो 302 के हों, कानूनन एक हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई चार्जशीटेड नहीं है। कौन चार्जशीटेड है ? चार्जशीट किसी पर नहीं है, अनुसंधान में है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : .....मकराना की ट्रक यूनियन तोड़ी, नागौर की ट्रक यूनियन तोड़ी आपके राज में। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह कहना चाहता हूं और मैं आपको बताऊंगा.....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : कानून में दो इन्टरप्रिटेशन नहीं हो सकते। जो इन्टरप्रिटेशन है वह एक ही रहेगा, सब के लिए एक ही रहेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी। कनक्लूड कीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि 7-7 मंत्री और संसदीय सचिवों पर अनेक प्रकार के मुकदमें चले, स्वयं बड़े-बड़े केबिनेट मिनिस्टरों के ऊपर मुकदमें चले। वो मंत्रिमण्डल में रहें तो जैसे लोक सभा में उनको दागी बता रहे हैं वैसे ये भी दागी मंत्री हैं, इनको मंत्रिमण्डल से बाहर करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार निश्चित रूप से इस सदन में जितने सदस्य हैं, जिन्होंने जनता की समस्या को लेकर कोई आन्दोलन किया और कोई केस बना, एक बार उस सूची पर ही डिस्कस कर लें कि आप पर लगे हुए आरोप क्या हैं और हम लोगों पर लगे हुए आरोप क्या हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम तैयार हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक बार कम से कम राजस्थान की जनता इसको जान जाए कि हमारा अपराध जनता के लिए किये गये आन्दोलन हैं वा अपराध नहीं है, लेकिन जिन्होंने बेइमानी की, गबन किया, जमीन हड़पी और जो तरह तरह के मर्डर केस में फंसे हुए हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि सदन में इसके ऊपर भी डिस्कस हो जाए कि क्या बात है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके मंत्रियों पर भी मर्डर के केसेज हैं। मर्डर के केसेज चल रहे हैं। (व्यवधान) एक मंत्री पर चल रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : . ...मेरे पर भी केस है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके ऊपर 500 का केस है। मुझे उसका मालूम है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .....आप लोग कभी जनता की समस्या के लिए लड़े हों तो आपके ऊपर कोई केस बने, क्या बने। लड़े हों तो पता लगे कैसे बनता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके सी.डी. प्रकरण है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आप लोगों पर डकैती, लूट का केस है, हमारे पर नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम जनता के लिए लड़े हैं या नहीं हैं, यह तो पिछला इतिहास बताएगा। आजादी की लड़ाई किसने लड़ी ? आजादी में आपकी पार्टी मुखबिर थी। कहां थे आपके नेता ? कहां थे आपके नेता ? एक भी बी.जे.पी. का व्यक्ति आजादी की लड़ाई में नहीं था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह पीढ़ी चली गई जिसने आन्दोलन किया। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता.....(व्यवधान) इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो गद्दारी में रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिस पीढ़ी ने देश के लिए कुर्बानी दी वह आपके, हमारे सब के लोग हैं, किसी एक की बपौती नहीं है देश की आजादी की लड़ाई। उसके कारण से अगर आप 100 पीढ़ी तक उसका लाभ लेकर अपने आपको जन आन्दोलन से बचाना चाहो तो आपकी मर्जी है। बल्कि आपकी पैदाइश के बाद कभी कोई आन्दोलन जनता के लिए लड़ा हो तो आपके ऊपर केस बने, ऐसे क्या बने ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, जनता के लिए लड़ाई किसने लड़ी यह तो राजस्थान का इतिहास लिखने वाले बता देंगे, लेकिन देश की लड़ाई में आप लोगों ने बिलकुल हिस्सा नहीं लिया, मुखबिरी का काम किया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह महाराणा प्रताप आपके वंशज हैं क्या ? (व्यवधान) इस देश के लिए, राजस्थान के लिए लड़े हैं वो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका तो इतिहास है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी कोई कार्य किया ही नहीं, कोई कार्य रहा ही नहीं, यह तो निर्विवाद है, ऐतिहासिक बात है। अब आप कहते हो कि आजादी की लड़ाई में तो हमने नहीं किया, हमने तो बाद में किया है, तो बाद में तो हमने भी किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ही एक अंग्रेज था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष ही अंग्रेज था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आजादी की लड़ाई में पांच आदमियों के नाम बता दो जो आपकी पार्टी के थे, जिन्होंने आजादी में हिस्सा लिया था। पांच आदमियों के नाम बता दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : डाक्टर केशवराय बलिराम हेडगेवार, डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी। आपके पूर्वज ही अंग्रेज थे। आपके अंग्रेज पूर्वज थे। कांग्रेस की स्थापना तो एक अंग्रेज ने की थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नाथूराम गोड्से, हेडगेवार.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भवानीसिंह राजावत : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। कल्लाजी अपना भाषण कर रहे हैं, बीच में टोका-टाकी नहीं। बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : हमारी पार्टी के लिए मुखबिर शब्द कहा गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो न। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : + + + यह कहा भवानी सिंहजी आपने। यह

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कहा गया कि + + + आप क्या पण्डित जवाहर लाल नेहरू की चर्चा करते हो.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको कार्यवाही से निकालें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिसका जितना हिस्सा है.....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता पण्डित जवाहर-लाल नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस की स्थापना ही एक अंग्रेज ने की। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। 1885 में एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कभी डंडे पड़े क्या ? (व्यवधान) अटल बिहारी वाजपेयी.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री गोविन्दराम चौहान : इस देश को दो-दो भागों में बांटने वाले जवाहर लाल नेहरू थे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनाने वाले। + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर।

एक माननीय सदस्य : गोलियां खाने वाले तो माननीय शहीद हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। शर्माजी। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मुखबिर शब्द का प्रयोग किया है, यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, कह दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मिनिस्टर ने क्या किया, वह बताएं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने अभी यहां खड़े होकर यह बयान दिया है, मैं समझ नहीं पाया, मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें जो आपने प्रस्ताव किया है कि 200 माननीय सदस्य इस सदन में चुनकर आये हैं, उन्होंने जो रिकार्ड अपना दिया है उस पर कौनसी तारीख पर आप चर्चा कराना चाहते हैं ? हम तो तैयार हैं इस बात के लिए। उनका लाइये और रखिये वह तारीख, हम तो तैयार हैं उसके लिए। तारीख तय करों। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसी दिन चाहें क्योंकि हम सब लोगों के ऊपर जिस प्रकार के भी मुकदमें हैं.....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पांच तारीख कर लें। आप मंगा लें, गृह मंत्रालय आपके पास है, सरकार में बैठे हो, मंगवा लें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कौनसी तारीख, यह मैं नहीं कर सकता हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं, आप जब चाहेंगे तब खुली चर्चा हो जाए कि हम पर क्या मुकदमे हैं और आप पर क्या मुकदमे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पांच तारीख को करा लो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पांच तारीख को करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अर्जुनलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस चीज पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि जन आन्दोलन के अलावा जिन मंत्रियों पर दूसरे मुकदमे हैं उनको आप बर्खास्त करोगे ? हम उसको सदन में पेश कर देंगे, बोलो, सदन में पेश करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा अगर ऐसे मुकदमे हैं.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्दराम चौहान : कांग्रेस राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं पर झूठे मुकदमें भी किये गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई आज का आज निर्णय नहीं हो रहा है। कौनसे जन आन्दोलन के मुकदमे थे, कौनसे नहीं थे, यह विषय इस समय में चर्चा करने का नहीं है। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अफीम की तस्करी करने वाले जो मुकदमे हैं, सभी एम.एल.एज. पर ये होने चाहिए। मैं भी जानकारी रखता हूं 25 प्रतिशत अफीम की तस्करी करते हुए, इनके ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, ये इनके हिस्ट्रीशीटर हैं.....

श्री अमराराम (धोद) : नन्दलालजी आप किनकी बात कर रहे हो ?

श्री नन्दलाल मीणा : कांग्रेसियों के थाने में बहुत उलझे हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि हैं।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो सामने आ जाएगा, किस-किस पर कौन -कौनसे मुकदमे लगे हुए हैं, तस्करी के हैं या वेश्यावृत्ति के हैं या जिस्मफरोशी के हैं। इस पर एक दिन की चर्चा पांच तारीख को करवा लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके भी कई मुकदमे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब माननीय कल्ला साहब, आप समाप्त कीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो तय हो गया कि गृह मंत्रीजी पांच तारीख तय कर दें कि इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कोई तय नहीं हुआ है, कोई तय नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तय कर दें, आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जिसके ऊपर भी जितने हैं, कर दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो चर्चा करवा ही लो, बहुत महत्वूपर्ण मुद्दा है। माननीय गृह मंत्रीजी का जवाब आ जाएगा उससे साफ हो जाएगा कि कौन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कितने पानी में है। (व्यवधान) एक बार हम भी चाहते हैं, चर्चा करवा ही लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पहले पांच तारीख तय कीजिये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : .....ऐसे ऐसे लोग हैं जिसमें आई.ए.एस. भास्कर सावंत के आन ड्यूटी सीट से उठाकर थप्पड़ मारा था, ऐसे लोग राज में बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात साफ हो गई, जन आन्दोलन के कारण से जो मुकदमें हुए हैं, उनको छोड़ दीजिये, इसके अलावा जिनके ऊपर मुकदमे चले हैं, क्या मुख्य मंत्रीजी ऐसे मुकदमे चलने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करेंगी ? कर दें, हमें मन्जूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री कालीचरण सर्राफ : ऐसे एम.एल.ए. को हटाइये। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा है, कांग्रेस के लोगों पर हत्या का मुकदमा है, कांग्रेस के लोगों पर लूट का मुकदमा है और डकैती का मुकदमा है..... (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : मैं कह रहा हूं, आपका सी.डी. प्रकरण है.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह तय कर लो, ऐसे एम.एल.ए. को, ऐसे मंत्रियों को हटाया जाएगा विधान सभा की सदस्यता से। यह तय कर लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : ऐसा अधिकारी कौन हैं, जिनके ठेके बीकानेर में कौन ले रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : अश्लील फोटो कांड भी आएगा अजमेर का ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कल्ला साहब, एक मिनट। माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपनी तरफ से यह अपना विचार रखा है, कौनसे जुर्म राजनैतिक तौर पर माने जा सकते हैं, कौनसे नहीं माने जा सकते हैं, किसके विरूद्ध कौन-कौनसे आरोप हैं, सदन के अन्दर आज इसके बारे में तय नहीं हो सकता। कल्ला साहब ने अपना यह विचार रखा है कि यह होना चाहिए, इसके लिए कोई बी.ए.सी. की मीटिंग तय करेगी तो बात होगी। अभी तो तय थोड़े ही हो रहा है कोई। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, हमको दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाने चाहिए। हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर हों, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो मापदण्ड आपकी पार्टी दिल्ली में तय करती है, वही मापदण्ड आपको यहां पर अपनाना चाहिए, तब तो आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री नवरतन राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, वह नहीं थे तो क्यों नहीं लिया इस्तीफा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सत्य बहुत कटु होता है और वह सुनना लोग पसन्द नहीं करते। ऐसे लोग.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सत्यम ब्रूयात्, प्रियम् ब्रूयात्.....

डा. बुलाकीदास कल्ला : पुलिस का आधुनिकरण करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में 600 वाहन उपलब्ध कराये। हाइवे के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी, वे वाहन थानों के द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं। हाइवे के ऊपर ज्यादा अपराध घटित हो रहे हैं, मैं चाहता हूं, राज्य सरकार पुलिस को बैल-

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इक्विप करने के लिए पर्याप्त धनराशि दे। केन्द्र सरकार ने हमको विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा है, जहां 60 प्रतिशत एड केन्द्र सरकार से मिलती है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर पुलिस को बैल-इक्विप करने की आवश्यकता है।

हमारे यहां शान्ति समितियां बननी चाहिए। शान्ति समितियां प्रभावी बनें, इसके लिए समय-समय पर 3-3, 4-4 महीनों में बैठकें हों ताकि कम्युनल हार्मोनी राजस्थान में बनी रहे। इसके अलावा अर्दली प्रथा में हजारों की संख्या में पुलिस के सिपाही बड़े पुलिस वालों के यहां काम करते रहते हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे वक्त में प्रयास हुए उससे काफी लोग कम हुए लेकिन इस प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस लाइन में और थानों में ज्यादा से ज्यादा पुलिस के लोग काम कर सकें। आपको ताज्जुब होगा, रिटायर्ड पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनके यहां भी कई वर्षों तक 4-5 लोग काम करते हैं और जो वर्तमान में हैं, किसी मुख्य मंत्री, मंत्री के यहां जितने अर्दली नहीं होंगे, उससे 10-10 गुना अर्दली इन लोगों के पास हैं। यह सब दीपक तले अंधेरा हो रहा है, इन सब चीजों को दुरूस्त करने की आवश्यकता है, पुलिस कानून व्यवस्था में लगे और अन्त में एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कविता के साथ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कविता तो कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर टोक रहे हैं, वे फिर अन्त वाली बात भूल जाएंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस विनियोग विधेयक को यदि सार्थक बनाना है, हमारे प्रदेश की नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना होगा, रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी और ह्यूमन रिसोर्सेज का आप्टीमम यूटिलाइजेशन करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए और साथ ही साथ बहुत बैल -प्लांड तरीके से राजस्थान का डवलपमेन्ट हमको करना होगा तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो हम एक तरह से अविकसित राज्यों की श्रेणी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहता हूं-

"दिल की हर आरजू मिट्टी में मिला देती है,
तंगदस्ती हमें जीने की सजा देती है,
जीने देती है न मरने की रजा देती है,
कैसी है ये भाजपा की हुकूमत, जो हंस हंसकर सजा देती है।"

इस बजट के अन्दर केवल घोषणाएं की गई हैं उसके अलावा कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए राजस्थान का विकास नहीं होगा। राजस्थान से प्रकृति भी रूठी हुई है, आपको सब लोगों को मिलकर सहायता के कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहिए। हम तो सहायता मांगते थे तो आप कहते थे कि कटोरा लेकर जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी को जिन्होंने स्वयं मुख्य मंत्रीजी को फोन करके कहा कि राजस्थान के हालात बहुत खराब हैं, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। केन्द्रीय टोली को बुलाने के लिए पहले कितनी मनुहार करनी पड़ती थी ? हमको केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने केन्द्रीय टोली को चलाकर भेजा है और वे राजस्थान का जायजा लेकर जा रहे हैं। हम सब लोगों को मिलाकर..... (व्यवधान)

इस पर अब बहस कर रहे हैं, बताइये तो, इनको जानकारी तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मुख्य मंत्रीजी का चमत्कार है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब कैसा चमत्कार है, मैं, पहाडियाजी, शिवचरण माथुर साहब, नारायणसिंह जी, सब मिलकर आये थे, सारी जानकारी प्रधान मंत्री तक देकर आये थे, उन्होने केन्द्रीय टोली भेजी है, तब जाकर आपको बिना मांगे सहायता मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद आपका, माननीय कल्ला जी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने तो सहायता के ऊपर कटौती ही नहीं लागू की, बल्कि मिलकर केन्द्र सरकार को यह कहा कि राजस्थान में चुनाव

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

का समय है, सहायता दे दी तो चुनाव जीत जाएंगे, ये कर देगें। हम ऐसी बातें नहीं कर सकते, हम प्रदेश के लिए समर्पित हैं। (व्यवधान) प्रदेश के लिए, किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है, लेकिन आपने केवल घोषणाएं की हैं इन घोषणाओं से लोगों का पेट नहीं भरेगा। कुछ काम करके लोगों को रोजगार के लिए साधन दो, लोगों के लिए पानी और चारे की पर्याप्त व्यवस्था करो, तब जाकर प्रदेश वर्तमान कठिनाई से पार पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री समर्थ लाल मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जमा नहीं, सी.पी. जोशी जी से टिप्पणी ले लो।

एक माननीय सदस्य : सारे दल की टिप्पणी, आपके दल की टिप्पणी के अलावा है नहीं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा नहीं है, यह हमारा आपस का मामला है। हमने विद्वान लीडर को चुना है। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय लेना चाहूंगा, सिर्फ एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं, अभी नहीं।

श्री सांगसिंह भाटी : एक सैकण्ड, एक सैकण्ड ही सही।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं, माननीय सदस्य। आपको जवाब नहीं देना है।

श्री सांगसिंह भाटी : धन्यवाद देना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को कि आपने उद्योगों के लिए, होटल उद्योग के लिए तो बात की, लेकिन काश्तकारों की हितैषी, कांग्रेस, काश्तकारों के उद्योग के लिए आप कह नहीं सके, किसानों के हित की बात आप कह नहीं सके, अनाज की बात आप कह नहीं सके, काश्तकारों को अभी अनाज का क्या भाव मिलता है ? आपने होटल उद्योग की तो बात की लेकिन काश्तकारों के उद्योग की बात आपने नहीं की और हितैषी बनते है कांग्रेस। किसानों की हितैषी तो यह सरकार है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम किसके हितैषी हैं और आप किसके हितैषी हैं, यह पूरा सदन जानता है, राजस्थान जानता है। आप काश्तकार की बात करते हो, इनको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : एक घंटा 20 मिनट, बिजली नहीं आ रही है, राठौड़ साहब, किसानों की बात कर रहे हो आप।

श्री सांगसिंह भाटी : उद्योगों के लिए कहा, होटलों को दौड़ाने की बात की, लेकिन काश्तकारों के उद्योग को दौड़ाने की बात नहीं की, काश्तकारों के उद्योग के सम्बन्ध में ली जाने वाली बात नहीं की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये पूरा एक घण्टा 20 मिनट बोले हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री समर्थ लाल मीणा।

श्री समर्थ लाल मीणा (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 के बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह प्रस्ताव रखा है, अब उसके बारे में चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा के लिए जब आपने मेरा नाम पुकारा तो आप भी यहां मौजूद थे और माननीय अध्यक्षजी भी यहां मौजूद थे, माननीय विरोधी दल के नेता ने बलात्कार रूप से मेरा नाम हटवा कर स्वयं का नाम पुराने के लिए आपको मजबूर किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : न-न, परम्परा भी ऐसी रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बलात्कार शब्द गलत है। (व्यवधान)

श्री समर्थ लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक के अन्तर्गत जो लिखा हुआ है, जो आज प्रसंग है.....

श्री उपाध्यक्ष : आपका ज्ञानबर्द्धन ही किया है कल्लाजी ने तो।

श्री समर्थ लाल मीणा : प्रसंग आज यह हैं, उपाध्यक्ष महोदय-वित्तीय वर्ष 2004-05 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय-विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 37696 करोड़ 90 लाख

(श्री समर्थ लाल मीणा)

91 हजार रूपये की राशि दी जाए, यह प्रस्ताव यहां आया है। वह प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी ने यहां रखा है और इस प्रस्ताव को हमको पास करना है। इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में एक परम्परा है, उपाध्यक्ष महोदय, पहले बजट आता है, बजट पर वाद-विवाद होता है और उसके बाद अनुदान की मांगे आती हैं। अनुदान की सोलह मांगों पर वाद-विवाद हो चुका और माननीय मंत्रीगण ने उनका जवाब दे दिया, अब जो शेष मांगे हैं वे कल मुखबन्द करके पारित कर दी गई। अब शेष क्या रह गया, माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ?

श्री अमराराम (धोद) : शेष आप रह गये।

श्री समर्थ लाल मीणा : शेष मैं नहीं रह गया, शेष यह बिल रह गया। इस बिल के बाद आऐगा वित्त विधेयक। तो यह चर्चा जो कुछ भी हुई है, माननीय विरोधी दल के नेता ने जो चर्चा की है, वह चर्चा अप्रासंगिक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वह प्रासंगिक नहीं है। यह सबजैक्ट जो कुछ भी है, इस सबजैक्ट के अन्तर्गत ये चर्चाएं नहीं आती हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 37696 करोड़ 90 लाख 91 हजार रूपये की राशि का जो प्रस्ताव यहां सदन में रखा हुआ है, सदन को इसकी सहमति दे देनी चाहिए। सारी मांगों पर विचार हो चुका, वाद-विवाद हो चुका, उनका जवाब आ चुका और जवाब के बाद में यह विनियोग विधेयक आ चुका, इसके बाद कल वित्त विधेयक है, आपका और हमारा काम पूरा हो जाएगा। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन के अन्दर जो चर्चाएं दिन प्रति दिन हो रही हैं प्रश्न काल के अवसर पर या उसके बाद में, प्रश्न काल के अन्दर जिस प्रकार से आसन को बाध्य किया जाता है, मैं समझता हूं कि यह नई परम्परा चह रही है। ये परम्पराएं पहले नहीं थी। मैं इस सदन में के अन्दर बहुत दिनों से आ रहा हूं, जब सुखाडियाजी यहा मुख्य मंत्री थे उस समय भी सदन में मैं था। निरंजन नाथजी आचार्य इस आसन पर बैठा करते थे तब भी मैं यहां विद्यमान था सदस्य के रूप में, लेकिन इस प्रकार की आपा-धापी, इस प्रकार का जो कुछ भी वातावरण इस सदन के अन्दर आजकल देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं, सदन में हम तो देखते ही हैं आपस में एक-दूसरे को, सुनते ही हैं, देखते भी हैं, लेकिन ये चर्चाएं राजस्थान की सारी जनता के पास जाती हैं, समाचार-पत्रों के द्वारा जाती हैं और यह जो

(श्री समर्थ लाल मीणा)

प्रश्न काल का समय है, यह तो टी.वी. के अन्दर भी आता है, सब लोग इसको सुनते हैं। मैं समझता हूं हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तीन-चार लाख के करीब जनता और दो लाख से ऊपर मतदाता हमको चुनकर यहां भेजता है, अपने कल्याण के लिए भेजता है, अपनी बहबूदी के लिए भेजता है, राजस्थान के कल्याण के लिए भेजता है। (व्यवधान) आपा बैठे-बैठे नहीं बोलें, अगर मैं आसन पर होता तो आपको बैठे-बैठे नहीं बोलने देता। (व्यवधान) मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ भी हम यहां चर्चाएं कर रहे हैं, ये चर्चाएं उपयोगी चर्चाएं नहीं हैं। इस सदन की जो परम्पराएं रही हैं, उन परम्पराओं को हम धीरे-धीरे तोड़ रहे हैं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के रूप में जो कुछ मांग यहां रखी हैं इस राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2004 की, इनको हमें पास कर देना चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसका मैं समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री राव राजेन्द्र सिंह। (व्यवधान) करवा दो, पास करने में कौन एतराज कर रहा है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो नहीं कर रहे, उधर से ही हो रहे है, फिर उसको रोको, करो मत।

श्री उपाध्यक्ष : हां, उन्होंने तो आपका ध्यान इस ओर दिलाया कि रिपीटीशन होना नहीं चाहिए। यह तो सभी मानते हैं.....

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय प्रतिपक्ष के नेता कहे वह तो इस विनियोग विधेयक में नहीं.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनका तो यही निवेदन है कि रिपीटीशन नहीं होना चाहिए, वास्तव में भी नहीं होना चाहिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साधारण सदस्य की हैसियत से बजट के परिप्रेक्ष्य में इस अवसर पर जो कुछ शब्द माला के स्वरूप में इस सदन के समक्ष मैं रखना चाहता हूं उसमें उस विचारधारा का समावेश है जिससे हिन्दुस्तान की संस्कृति और यहां का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इतिहास कई मन्वन्तरों से पल्लवित है, जो इस बात को और अंजाम देता है कि समाज से अर्थ के प्रभाव और अभाव दोनों को मिटा कर उसकी समुचित व्यवस्था करने को हम अर्थायास कहते हैं और शायद यही भारतीय अर्थ नीति का लक्ष्य है और इसी में हमें विश्वास है। हम उस विचारधारा से प्रभावित हैं कि हिन्दुस्तान के नागरिक होने के नाते आज के इस युग में अर्थ का महत्व तो है लेकिन अर्थ के अभाव को और अर्थ के प्रभाव को, दोनों को एक संतुलित दायरे में रखकर जिस संस्कृति और जिन संस्कारों से यह देश इतने मन्वन्तरों से चला है, उसकी विचारधारा से हमें अपने भविष्य को संवारना है, यह मेरा आपसे निवेदन है। आज के प्रजातन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट, यह प्रजातन्त्र की मूल अवधारणा है। लेकिन इस प्रजातन्त्र और इस राजनीति की जो आर्थिक मूल धारणा है वह यह भी है कि प्रत्येक वोट देने वाले को काम। यह हमारी आज की राजनीति की, आर्थिक प्रजातन्त्र की नीति है। हम विवश हैं इस बात को दोहराने में कि अर्थशास्त्र के आंकड़ों में हम बह खुशी ढुढंना चाहते हैं जो इस युग में, जिसको मन्वन्तर की गणना में कलयुग कहा जाता है, समस्त खुशी को बटोर कर किसी एक कागज के पुलिन्दे में अगर हम बांध दें और बारह महीने में अगर हम यह आशा करें कि बरसों और दशकों से जा हमारी कमजोरियां रही हैं, जो हमारी कठिनाइयां रही हैं या जिसे हम पा नहीं सके, हम चंद महीनों में किसी चमत्कारिक शक्ति से पा लेंगे, तो इस देश को और इस सदन को और इस प्रदेश को भ्रमित करना है। लेकिन इतना जरूर हमें विश्वास है कि जो कुछ हमने लिखा है, जो कुछ स्याही के इन रंगों से इन कागजों पर हमने अंकित किया है, भावना हमारी सही है, नीति हमारी सही है। जिन संस्कार और जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है उसकी दुहाई देते हुए हम इस प्रदेश को उसके अन्जाम पर, उस आयाम पर पहुंचाना चाहते हैं जो शायद आज तक इस प्रदेश के नागरिकों को देखने को नहीं मिला। क्योंकि अर्थशास्त्रीय प्रकरण है, अर्थशास्त्रीय दस्तावेज है इसलिए आवश्यक हो जाता है, सदन में उसके बारे में कुछ अपने विचारों को अंकित कर पाऊं।

(15.00 बजे)

जिन्होंने भी इस अर्थशास्त्रीय प्रतिवेदन को इस सदन के पटल पर रखा, 120 पैरा में मैंने पहले भी जिस वक्त इस पर चर्चा हुई यह आग्रह किया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

था कि 120 पैराग्राफ में कारगिल से पूर्व के शहीदों को एक विशेष पैकेज दिया गया। मेरा विनम्र निवेदन है कि जब कारगिल और कारगिल से पूर्व के शहीदों को हमने विशेष पैकेज दिया तो कारगिल के बाद जो शहीद हो रहे हैं उनको वो पैकेज क्यों नहीं दिया जाए ? हमारे सैनिक या अर्द्ध सैनिक जो किसी तरीके से आतंकवाद में लड़ाई लड़ते हुए अपाहिज हो जाते हैं, वो पैकेज उनको भी मिलना चाहिए। यह एक छोटा-सा मेरा इस सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को निवेदन है, अगर वो वाजिब समझें तो इसे भी स्वीकार करें क्योंकि.....

श्री उपाध्यक्ष : पूर्व में भी निवेदन आपने कर तो दिया था इस बारे में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : जी, किया था। पर क्योंकि उसके बारे में कोई विचार सामने आया नहीं इसलिए पुनः आग्रह है कि अगर स्वीकार कर लिया जाए ता ठीक है। बहुत सारे आंकड़े आगे भी दिये जाएंगे लेकिन एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनसे हो सकता है प्रदेश की वित्तीय स्थिति में थोड़ा-सा सुधार हो जाए। बहुत सारे अर्थशास्त्री शायद यह बात सुन रहे हैं, हो सकता है कि मेरे अर्थमैटिक में नहीं हो क्योंकि मेरा अर्थमेटिक बहुत कमजोर रहा है कालेज के जमाने से और स्कूल के जमाने में भी लेकिन इतना जरूर मालूम है, जो आज के नियम हैं, उदाहरण के तौर पर हम 1978 का लैण्ड कनवर्जन एक्ट ले लें, सैक्शन 5 उसमें सिनेमा हाल्स, पैट्रोल पम्पस और हास्पिटल को एक विशेष कैटेगरी में रखा और यह सब्सिडाइज़्ड है। यह जिस वक्त बना था उस वक्त शायद यह सोच रही हो कि पैट्रोल पम्प ऐसी जगह लगेंगे जो ग्रामीण इलाका हो, जहां शायद सड़कें नहीं बनी हों, वहां ये चीजें लगेंगी। एम्प्लायमेन्ट की एक अपर्चुनिटी होगी। हमारे जो अनएम्प्लाइड यूथस हैं, शायद वो उनको लें और अनएम्प्लायमेंट के कष्ट से दूर हों। लेकिन आज हम देखते हैं कि 2004 की जो पृष्ठभूमि है, बड़े-बड़े कारपोरेट सैक्टर्स पैट्रोल पम्प लगा रहे हैं और उनको वो ही सब्सिडाइज्ड सुविधा उपलब्ध है जो किसी जमाने में एक गरीब अनएम्प्लाइड व्यक्ति को देने के लिए थी। और कोई भी अण्डर डवलप्ड एरिया में नहीं लगा रहे हैं, या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो नेशनल हाइवे पर लगा रहे हैं या बड़े-बड़े नगरों में लगा रहा है, महानगरों में लगा रहे हैं तो फिर उनको चीज आप सब्सिडाइज्ड क्यों दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वो तो ज्यादातर जमीनें खरीद कर लगवा रहे हैं, राव साहब। सरकार की जमीनों पर अब नहीं लग रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : ऐसा है, हुकुम, मैं आपको अर्ज करूं, जहां से वो जमीन खरीद रहे हैं, जिन नियमों के तहत कन्वर्जन कराएंगे उसमें यह एक्ट काम में आएगा। मेरी अर्ज यह भी है, जितने भी ये कारपोरेट्स हैं, अगर आप उन पर एप्लाई करें और उनकी आप वैबसाइट देखें तो आपकी क्रेडिट बर्दीनेस पूछते हैं। आप टैक्स पेई हो तो आपका वैल्थ टैक्स कितना है, वो पूछते हैं। वो किसी गरीब इन्सान को ये पैट्रोल पम्प दे नहीं रहे हैं, अमीर इन्सान को देना चाहते हैं। जब ये अमीरों को पैट्रोल पम्प दे रहे हैं, कारपोरेट जगत को पैट्रोल पम्प दे रहे हैं, बिजनसमैन को पैट्रोल पम्प दे रहे हैं और उनसे 25-25 लाख रूपये की सिक्योरिटी ले रहे हैं तो फिर सरकार इनसे सिक्योरिटी क्यों नहीं लेती ? ऐसा कोई कानून में प्रावधान कर दिया जाए। 1400 रिटेल आउटलैट्स आज की तारीख में राजस्थान में हैं और जिस ढंग से आवेदन आ रहे हैं, जिस ढंग से चार नयी कम्पनियां आयी हैं, अगले तीन वर्षों में लगभग 1800-2000 और नये पैट्रोल पम्प लगेंगे, और वो कोई साधारण पुरूष नहीं लगा सकता। एक-एक पैट्रोल पम्प पर करोड़-करोड़ रूपयों से ज्यादा का व्यय होगा। तो जब करोड़ों रूपयों का व्यय हो रहा है, 25-30 लाख रूपये लेने वाले की सिक्योरिटी वो कम्पनी ले रही है तो फिर उन कम्पनियों से सरकार सिक्योरिटी क्यों नहीं ले लेती ? अगर हजार भी लग जाए और उनसे सिक्योरिटी एवरेज आप 15 लाख रूपये भी ले लें तो डेढ़ से दो सौ करोड़ रूपये आपके पास आ सकते हैं। यह व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती ? न तो कानून मैंने पढ़ा है न मुझे मालूम कि कानून की क्या पेचीदगियां हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति की हैसियत से जो कुछ देख रहा हूं, जो कुछ समझ रहा हूं, एक निवेदन है अगर स्वीकार कर लिया जाए तो ठीक है अन्यथा...

दूसरी एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि एक बार ये वितीय

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पोथियां जब देखने को मिलती हैं तो कुछ ऐसी इसमें चीजें मिलती हैं जैसे सीमेन्ट-सीमेन्ट से जो राजस्व वसूल हुआ, मान लीजिये सौ करोड़ रूपये हुआ, लेकिन बिल्डिंग मैटीरियल से जो हुआ वो सवा सौ करोड़ ही हुआ। जितना सीमेन्ट लगता है उससे पांच गुना ज्यादा कीमत का बिल्डिंग मैटीरियल लगता है चाहे फ्लोरिंग हो, चाहे टाइलिंग हो, कांक्रीट मिक्सिंग हो, ईंट हो, पत्थर हो। मुझे यह नहीं मालूम लेकिन जब एक सीमेन्ट इतना राजस्व देता है तो ज्यादा भी नहीं। कम से कम दो से ढाई गुना ज्यादा राजस्व तो बिल्डिंग मैटीरियल से आना ही चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो हो सकती है। अर्थशास्त्रीय दायरे में नहीं आती हो या उनके मापदण्डों में नहीं आती हो, लेकिन एक साधारण जन प्रतिनिधि की हैसियत से एक सुझाव है, अगर उचित है तो स्वीकार कर लें और अनुचित है तो पांच मिनट मैंने आपके खराब किये, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, खराब नहीं अच्छे सुझाव हैं।

(15.06 बजे,

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति पदासीन)

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आम जिन्दगी में यह बात सुनने में आती है कि अगर आपके पास में धन है तो आपके पास में सब कुछ है और यह बात हम भी महसूस करते हैं कि आज के युग में पैसा बहुत महत्व रखता है लेकिन हमें यह भी विश्वास है कि पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पैसा कमाने के पीछे का उद्देश्य। अगर यह पैसा सरकार के माध्यम से, सरकार की नीति से जनता के बीच में जाता है और जनता का भला होता है तो वो पेसा महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति सह यह जरूर निवेदन है कि कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राष्ट्र हो, जब तक वो अपनी दखल आर्थिक व्यवस्था के अन्दर सम्पूर्ण तरीके से नहीं रखेगा तब तक उसके प्रशासन की सम्प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी प्रतिवेदन आया, आखिर उसका स्वरूप जनता की उन आकांक्षाओं के अनुकूल होना चाहिए जिनकी वजह से इस सदन का विस्तार हुआ। इस सदन में जन प्रतिनिधि के स्वरूप में हम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आये, जनता ने अपने ऊपर प्रशासन करने के लिए जन प्रतिनिधि को भेजा, इस समस्त प्रशासन की समरसता इस बात से है जो कुछ हमने कहा, जो कुछ भी हमने लिखा, अब उस पर कई लोगों को शक है। कई लोगों को इस दस्तावेज की वास्तविकता पर शक है, इसकी सत्यता पर शक है और यह शक इसलिए नहीं है कि वो विपक्ष में बैठे हैं शायद वो शक इसलिए कर रहे हैं कि आखिर उनको जनता की पीड़ा का एहसास है। पिछले पांच दशक से ऐसे कई प्रतिवेदन आये, कई बजट आये, इस विश्वास के साथ में पास हुए कि एक मंजिल तक हमें पहूंचाएंगे, लेकिन जब बार-बार उनमें असत्यता प्रकट हुई, जब बार-बार विफलता लगी, तो अन्याय से हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठ जाते हैं। शायद यही विवशता है कि विपक्ष भी बार-बार इसको चिन्हित कर रहा है। उनकी विवशता इसलिए नहीं कि इसकी सत्यता पर उनको भरोसा नहीं है। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आज से पहले भी विफलता मिलीं, कहीं यह न हो कि पुनः मिल जाए। लेकिन इस बात का सरकार विश्वास दिलाती है, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं, हो सकता है, अनेक बार विफलता मिली हो, लेकिन इस बार चाहे किसी भी परिस्थिति के अन्दर भी अनुकूल अंजाम इस बजट के माध्यम से दिया जाएगा, यह हमारा विश्वास है, हमारे मुख्य मंत्री में हमारा विश्वास है।

ज्यादा कुछ आप लोगों के समक्ष अर्ज नहीं करते हुए कुछ छोटी-सी जानकारी जरूर मैं चाहूंगा, पी.वी.सी. से बने डोर "विंडोज और प्रोफाइल्स जा होते हैं, पहले शायद ? प्रतिशत का सरचार्ज लगता था, ऐसा महसूस कर रहा हूं जो कुछ भी दस्तावेज आये हैं उनसे, कि यह बढ़ाकर 12 परसेन्ट कर दिया गया है या नहीं ? ये काफी ऐसी चीजें हैं जो आमजन के इस्तेमाल में आती है, इस बारे में वित्त मंत्री जी स्पष्ट कर देंगे तो पता लग जाएगा। हालांकि बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, यह सरकार का भी मानना है और हम सब भी महसूस करते हैं, प्रशासन भी चाहता है कि आम जनता उस प्रशासनिक उस ढांचे से जिससे कि रोजमर्रा की जिन्दगी में उसका काम पड़ता है, जिसको हम इंस्पेक्टर राज कहते हैं, उससे बाहर आऐ और जो डर या खौफ या प्रताड़ना या हैरसमेन्ट जिसको हम कहते हैं, उससे आम जनता और यहां के व्यापारी को

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दूर करना चाहते हैं। इसके लिये मेरा एक छोटा-सा सुझाव है, 1987 में केन्द्र सरकार द्वारा एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम लूप ग्रीस आर्डर, 1987 कहते हैं। यह समस्त भारत में लागु हुआ था, लेकिन बाकी प्रदेशों में और हमारे यहां जो लागू हुआ उसमें एक फर्क है ग्रीस और लूप की प्रोसेसिंग यूनिट्स पर यह लागू हुआ था, उसके मापदण्ड, उसकी प्योरिटी के लिये लागू हुआ था, लेकिन यहां तो अंजाम यहां तक है कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर की परिधि में एक साइकिल सुधारने वाला आदमी जो ग्रीस लगाता है वह भी आ गया, क्योंकि प्रोसेसर और सेलर की परिभाषा को मिलाते हुए मैन्यूफ्रैक्चर से लेकर आम साइकिल ठीक करने वाला जो मैकेनिक है जब वह ग्रीस का इस्तेमाल करता है तो वह भी उसके दायरे में आ जाता है। इसलिए इस लूप अलाइंसेस, 1987 के बारे में स्पष्ट रूप से विचार करना पड़ेगा। बड़ी आयल कम्पनियों को तो दूर कर दिया, चार जो आयल कम्पनियां थीं वे तो इसमें नहीं आई। बड़ी आयल कम्पनियां चाहे मोबील हो चाहे शैल हो, वे इसके दायरे में कवर होती हैं लेकिन छोटे-छोटे मैकेनिक जो ग्रीस और आयल दूसरे किसी काम में ठीक करने के लिये, रिपेयर्स में काम में लेते हैं, ये डी.एस.ओ. की परिधि में आ जाते हैं और वह चाहे तो उनको हैरेस कर सकता है। कम से कम इन गरीब स्तर के व्यापारियों को इस दायरे से मुक्त करना अत्यन्त आवश्यक है, अगर हैरेसमेंट की पालिसी को हम वास्तविक स्वरूप से लागू करें।

आदरणीय सभापति महोदय, एक बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि किसी भी वित्तीय प्रतिवेदन का मुख्य सारांश उसके आंकड़ों पर निर्भर करता है, वह जितना पाजिटिव होता है उतना ही ऐसा माना जाता है कि उससे बहुत ज्यादा खुशहाली आऐगी। लेकिन पता नहीं कहा किसी एक दार्शनिक ने लिखा है कि पैसा अगर आपके पास में हो तो आप किसी की हंसी तो खरीद सकते हैं लेकिन उसकी खुशी नहीं खरीद सकते। अगर पैसा आपके पास में हो तो किताब आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। अगर पैसा आपके पास में हो तो किसी का शरीर तो खरीद सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं खरीद सकते। इसलिए बात वित्त व्यवस्था की है लेकिन भरोसा उस संस्कार और संस्कृति पर है जिसने वह शास्त्र दिया, मनवन्तरों तक यह प्रदेश जिन शास्त्रों से पल्लवित

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

रहा। गुलामी का साम्राज्य भी सहा लेकिन आत्मा को हमने एकात्मा में रखा। इसी भरोसे के साथ मुझे यह विश्वास है कि प्रदेश का स्तर उन ऊंचाइयों को छुएगा जो आज और कल हम कल्पना करते थे, आने वाला कल उसे यथार्थ में हमारे सामने रखेगा। आपने मुझे मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न

लेखानुदान के समय जिस मांग का पूर्ण अनुदान लिया गया था, उसके सम्बन्ध में सामान्य बजट में दुबारा मांग पारित नहीं की जा सकती।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री चन्द्रशेखर जी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। जो एप्रोप्रिएशन बिल आप लाये हैं जब सरकार ने पहली बार बजट रखा था तब पेयजल की मांग को पूरे साल के लिये बजट में लाये थे। आप याद करें, जब बजट रखा था तब वह वोट ओन अकाउन्ट भी था और बजट भी था और बजट में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में पूरे सालभर का बजट लाये थे। सभापति महोदय, यह जो बजट लाये हैं इसमें एप्रोप्रिएशन बिल में मांग संख्या 27 पेयजल के सम्बन्ध में मेंन्शन कर रखा है। मेरी जानकारी ठीक रहेगी और सदन की जानकारी भी ठीक रहेगी कि यदि पहली बार बजट में पेयजल के सम्बन्ध में पूरे सालभर का बजट लिया तब उस बजट के साथ में एव्रोप्रिएशन बिल भी आ जाना चाहिये था। यदि उस समय एप्रोप्रिएशन बिल नहीं आया तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं उठाया जा सकता था। और यदि आप अब एप्रोप्रिएशन बिल में ला रहे हैं तो पिछले चार महीने में पी.एच.ई.डी. के सम्बन्ध में जो पैसा खर्च किया गया उसका यदि एप्रोप्रिएशन बिल नहीं आया तो यह जो हमारी प्रोविजन है उसका वायोलेशन है। आप कृपया हमें स्पष्ट कर दें कि जब पहली बार बजट रखा था उस बजट में पेयजल की पूरी सालभर की मांग रखी थी। हमने मांग की कि यह वोट आन अकाउंट है तो अध्यक्ष ने यहां व्यवस्था दी थी, वोट आन अकाउंट नहीं है, यह बजट है और बजट में उन्होंने कहा था कि पेयजल का बजट सालभर का हम ला रहे हैं और कुछ मांगों में चार महीने का वोट आन अकाउंट ला रहे हैं जो संविधान की व्यवस्था है। यदि

(डा. सी.पी. जोशी)

आप पूरा बजट पेयजल का लाये तो इस एप्रोप्रिएशन बिल में उसका मेंशन नहीं होना चाहिये था और यदि नहीं लाये तो इसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था क्लीयर कर देनी चाहिये कि इस व्यवस्था के बिना हमने चार महीने तक पेयजल की व्यवस्था का पैसा खर्च किया है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था यह कहती है कि एप्रोप्रिएशन बिल को पास किये बगैर हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। आप कृपया इसमें स्थिति स्पष्ट कर दें।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह सही है कि उस समय पूरा बजट इसमें लाया गया था। हमने लेखानुदान लिया था सब चीजों पर। पानी पर इसलिए लिया गया था कि गर्मी के दिन थे और उस समय पानी की समस्या आने वाली थी और अनुमान नहीं था कि कितना पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है। बाकी में तो अनुमान था कि इतना इतना पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन चूंकि पानी की स्केयरसिटी बहुत ज्यादा थी राजस्थान में, बहुत ज्यादा डिमांड थी कि कितना ही ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए पूरा का पूरा लेखानुदान के समय पानी के ऊपर बजट ले लिया गया था। उस समय जो खर्चा आया अब इसको दुबारा एप्रोप्रिएशन बिल के साथ जोड़ा है कि पूरा एप्रोप्रिएशन बिल चूंकि.....

डा. सी.पी. जोशी : मैं कह रहा हूं, आप यदि एप्रोप्रिएशन बिल लाये हो पिछले समय तो बता दिया, बात खतम हुई। बिना एप्रोप्रिएशन बिल के लिये हुए सालभर के बजट में किसी भी हैड में खर्चा नहीं किया जा सकता। यह एप्रोप्रिएशन बिल हम किसलिये ला रहे हैं ? जो हमने डिमान्ड डिस्कस की या जो डिमान्ड डिस्कस नहीं की, जो चार्ज है, जो वोटेड है, उन सबका हम चार्ज ले रहे हैं। इसमें मांग संख्या 27-पेयजल के सम्बन्ध में आप एप्रोप्रिएशन बिल में अब व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि आप सालभर का बजट लाये हैं सालभर के बजट खर्च के लिये उसी समय आपको एप्रोप्रिएशन बिल में पेयजल के सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिये थी, यह कानून की व्यवस्था है।

श्री सभापति : माननीय जोशी जी, इसमें ऐसा है, जिस समय अपन ने मांग पारित की थी उसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि सम्मिलित थी।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, आई एम वैरी सारी, मैं समझता हूं कि आप व्यवस्था देने से पहले काल एण्ड शकधर को देख लेते-

"No Money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law."

यदि आप पहला बजट पूरा बजट लाये हैं, बजट में खुद सरकार ने कहा है कि यह बजट वोट आन अकाउंट नहीं है, यह फुल बजट है। उस फुल बजट में आपने पेयजल के सम्बन्ध में सालभर के पैसे की व्यवस्था की थी और बाकी की सबकी व्यवस्था आपने वोट आन अकाउंट की की थी। वह आपका अधिकार है, कर सकते थे। लेकिन जब आपने पूरे साल के पेयजल की व्यवस्था की तो पेयजल के हैड के सम्बन्ध में एप्रोप्रिएशन बिल उस समय आ जाना चाहिये था। चार महीने आपने एप्रोप्रिएशन बिल की व्यवस्था नहीं की, आज आप उस बजट को लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब जो पहले हमारा एप्रिहेंशन था कि वह वोट आन अकाउंट है, उस समय कहा गया कि यह फुल बजट है, उसमें कहीं न कहीं गलती यदि है तो सदन के पटल पर रख दिया जाए। एप्रोप्रिएशन बिल में पूरे सालभर के पीने के पानी का बजट पास किया है तो वह एप्रोप्रिएशन बिल कहां है, बता दिया जाएं हमको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सालभर का खर्चा अकाल में और पानी में लिया गया था। एप्रोप्रिएशन बिल तो हर बजट के बाद आया है एप्रोप्रिएट तो कभी भी किया जा सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : आई एम वैरी सारी, यह पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। कंसोलिडेटेड फंड से बिना एप्राप्रिएशन बिल को पास किये हुए एक पैसा नहीं उठा सकते। आप कह रहे हो, कभी भी लाया जा सकता है, आई एम वैरी सारी, एक पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर यह कहे। इस कौल एण्ड शकधर की व्यवस्था को, एप्रोप्रिएशन बिल को पास किये बगैर कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा विथड्रा नहीं किया जा सकता। यह कानून की व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था थोड़े ही है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जब वोट आन अकाउंट रखा गया था उस समय.....(व्यवस्था)

डा. सी.पी. जोशी : नहीं लाया गया था। सभापति महोदय, यह वोट आन अकाउंट नहीं था, यह फुल बजट था, फिर करेक्ट कर लें अपने आपको। हमने प्रश्न उठाया था तब सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि यह वोट आन अकाउंट नहीं है, फुल बजट है। पूरे बजट में एक मांग का पूरा बजट लेकर भी पूरा बजट कह सकते हैं। बाकी जो चार मांगे थी वे वोट आन अकाउंट थीं, लेकिन वह बजट, बजट कहलाता है। यह आपका मोडिफाइड बजट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर बजट था और यह बजट मोडिफाइड बजट है। पर उस समय वोट आन अकाउंट लिया गया था चार महीनों के लिये और पेयजल का और अकाल का इसलिए पूरा पैसा लिया गया था कि पता नहीं किस वक्त क्या हो। अब अगर इसको एप्रोप्रिएट करें तो गलती क्या, कर रहे हैं ?

डा. सी.पी. जोशी : आज नहीं कर सकते। 4 महीने का खर्च करने के लिये, आपको उसी के साथ जब आपने पास करवाया, एप्रोप्रिएशन बिल लाना चाहिए था, यह संविधान की व्यवस्था है। इस संविधान की व्यवस्था को देख लें आप कि बिना एप्रोप्रिएशन बिल के पास किये हुए कंसोलिडेट फण्ड से पैसा नहीं लिया जा सकता है। आपने यदि साल भर का उस समय बजट पास किया पेयजल का तो उस समय आपको एप्रोप्रिएशन बिल लाकर कहना चाहिए था कि पेयजल के सम्बन्ध में हम साल भर की व्यवस्था करेंगे। 4 महीने का खर्चा कर दिया आपने, साल भर का बजट हमसे पास करवा लिया और 4 महीने बाद आप पेयजल का एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद कंसोलिडेट फण्ड से आप उपयोग कर सकते हैं। बिना एप्रोप्रिएशन बिल के पास किये हुए कंसोलिडेट फण्ड पास नहीं कर सकते। यह संवैधानिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप देख लें उसके बाद निर्णय दें। माननीय सभापति महोदय, इस परम्परा को आप ठीक तरह नहीं करेंगे तो नये सदस्यों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बजट क्या होता है, वोट आन अकाउण्ट क्या होता है, कैसे एक बजट का पास करके वोट आन अकाउण्ट लेते हैं हम और कैसे बिना एप्रोप्रिएशन बिल को पास किये हुए हम पैसे को खर्च करते हैं। इस पर चर्चा करने का हमारा अधिकार है। इसलिये पहले आप स्थिति स्पष्ट करें इस बारे में। स्थिति स्पष्ट करें इस बारे मे।

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, जो आपने कहा है..... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हां, पता है। अब बोलें न चीफ व्हिप साहब, अब क्या तकलीफ है ? अब बोलें, आप रूल कोट करिये, बिना एप्रोप्रिएशन बिल के पास कर सकते हैं ? बताइये आप, रूल कोट कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, पहले जिस दिन यह वोट आन अकाउण्ट लिया गया था और फुल बजट पेश किया गया था, आपको स्मरण होगा कि उस समय यह कहा गया था कि अकाल और पानी की भंयकर स्थिति आएगी। इसलिये हम पूरा पैसा उसका ले रहे हैं। बाकी का जो पैसा है उसमें, वह एप्रोप्रिएशन बिल के जरिये बाद में होगा, लेकिन पानी और अकाल की स्थिति आएगी इसलिये सदन में यह स्पष्ट किया गया था कि उसका पूरा पैसा हम इसमें ले रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : उसी का तो एप्रोप्रिएशन बिल पूछ रहा हूं मैं, उसी का एप्रोप्रिएशन बिल कहां है ? आपने जब पूरा बजट लिया था पानी का तो उस समय ही आपको एप्रोप्रिएशन बिल रखना चाहिए था। आज आप 4 महीने के बाद उसका एप्रोप्रिएशन बिल ला रहे हैं। या तो आप यह कहिये वह बजट नहीं था, वोट आन अकाउण्ट था, हम एग्री करते हैं। आपने उस समय कहा, बजट है। बजट आपने कहा तो उस समय भी यह आर्ग्यूमेन्ट दिया गया था कि हम पानी और अकाल के सम्बन्ध में साल भर का बजट ला रहे हैं। आपको अधिकार है, आप लाये। बांकी कुछ मांगों का आप वोट आन अकाउण्ट लाये, यह भी आपको अधिकार है। लेकिन कानून के अन्तर्गत वह बजट कहलाता है, वोट आन अकाउण्ट नहीं कहलाता है, क्योंकि आपने बजट लिया है। आपने जब बजट लिया है, तो आपको एप्रोप्रिएशन बिल भी उस पानी के सम्बन्ध में लाना चाहिए था जिसका आप बजट लाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय.....(व्यवधान) एक मिनट, जोशी साहब, आप शायद भूल गये, उस वक्त भी एप्रोप्रिएशन का बिल आया था। साल भर का खर्चा जरूर लिया गया था उस समय भी एप्रोप्रिएशन का बिल आया था। उसमें निश्चित तौर पर अकाल और पेयजल का पूरा ले लिया था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब आंकड़ों के अन्दर मोडिफिकेशन तो कभी भी हो सकता है। इसलिये दुबारा आ गया। इसमें है कहां ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : रूलिंग कर दें न। आ गया, आप ले कर दें। आप हाउस में ले कर दें, क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका जवाब सी.एम. अपने जवाब में....... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, सही है। उन्होंने पढ़ा नहीं है, यह विनियोग विधेयक संख्या 3 है। विनियोग विधेयक संख्या इसी साल का तीसरा है तो एप्रोप्रिएशन बिल वैसे ही पास हो गया। कंसोलिडेट फण्ड में से, समेकित निधि में से राज्य को पैसा निकालने के लिंये अधिकृत करने वाला एप्रोप्रिएशन बिल है तो उस समय पानी का आ गया, इस बार भी आ गया। उस समय भी एप्रोप्रिएशन बिल था और यह भी एप्रोप्रिएशन बिल है। इसलिये एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के पश्चात् पूरा जो 195 अरब का यह जो अपना बजट है, उस सारे बजट में से राज्य सरकार को पैसे निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके पास होने के बाद में, इसके पहले जो कुछ हुआ वह सारा इसमें समाहित हो जाएगा। इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न मूलतः ही गलत है, सभापति महोदय।

डा. सी.पी. जोशी : घनश्याम जी, आप बैठें, पालिर्यामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, बजट लाये थे पिछली बार, आप वोट आन अकाउण्ट नहीं लाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो बजट लाये थे।

डा. सी.पी. जोशी : यह रिकार्ड में बजट है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बजट इसलिये लाये थे कि जब भी बजट आता है तो बजट के साथ में एप्रोप्रिएशन बिल आता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय जोशीजी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आया था, आया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आया था, तीसरा नम्बर है यह। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बताएं न कहा ? आया तो बताएं, ले करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, एक मिनट, कालूलाल जी..... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपका यह एप्रोप्रिएशन बिल आया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप यह एप्रोप्रिएशन बिल पढिये, विनियोग विधेयक संख्या 3 है।

डा. सी.पी. जोशी : पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और विनियोग विधेयक संख्या 3 हर साल में होता है, एप्रोप्रिएशन बिल इसलिये जब पिछली बार अपन ने बजट पेश किया था उस समय भी एप्रोप्रिएशन बिल था और अब भी पेश किया तो भी एप्रोप्रिएशन बिल है। इसलिये आपकी आपत्ति मूलतः ही खारिज करने योग्य है।

डा. सी.पी. जोशी : आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप चाहते हैं उसको, यदि आपने सार भर का पानी के लिये पास करवाया तो सार भर के एप्राप्रिएशन का बिल दीजिये यहां पर। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बता देंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एप्रोप्रिएशन बिल उसी संख्या का होता है, जितना पास कराया है, तो पिछली बार जितना पास कराया था उसका एप्रोप्रिएशन बिल है, अब परिवर्तित आंकड़ों के अनुसार अब जो पास हो रहा है उसका एप्रोप्रिएशन बिल है। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब यह है कि सारी समेकित जो निधियां हैं उसमें से पैसा निकालने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है। इसलिये अब जो एप्रोप्रिएशन बिल है वह 195 अरब रूपये और कितने करोड़ का है, वह सारे का है, उसमें वह भी शामिल है। इसलिये यह अन्तिम है और यही मान्य है।

डा. सी.पी. जोशी : मैंने आपकी बात मान ली, समझना पड़ेगा। आपकी बात समझ ली, आपको भी सदन में ले करना पड़ेगा। आप पिछली बार बजट लाये, बजट में जब साल भर का पैसा लिया तो आपने पानी के सम्बन्ध में तो सालभर का पैसा पास किया है, बाकी सब में वोट आन अकाउण्ट लिया है। आपने खुद बोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर उसके साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल आया था। जो बजट आया था उसके साथ एप्रोप्रिएशन बिल आया था, जोशीजी, आप भूल गये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : वह पानी के सम्बन्ध में कह रहा हूं, फिर कनफ्यूज कर रहे हैं। (व्यवधान) बाकी तो 4 महीने का एप्रोप्रिएशन बिल आया था, मना नहीं कर रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें जो एप्रोप्रिएशन बिल आया था, आपके पास नहीं हो तो मंगवा लो। उसमें पानी का और अकाल का निश्चित तौर पर साल भर का था। अब यह मोडिफाइड बिल आया है। इसके साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल दुबारा आ गया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : फ़िर वही कह रहे हैं, इट इज नाट मोडिफाइड। यह मोडिफाइड नहीं है, यह एप्रोप्रिएशन बिल है। यह मोडिफाइड एप्रोप्रिएशन बिल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां. यह मोडिफाइड बजट का एप्रोप्रिएशन बिल है। आप क्षमा करेंगे, आप बहुत ज्ञानी हो पर यह एप्रोप्रिएशन बिल भी मोडिफाइड बजट का एप्रोप्रिएशन बिल है।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, आप रिजेक्ट करें, कोई तकलीफ नहीं है। आप इसको रिकार्ड पर लाइये। आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। रिकार्ड पर लाइये जिससे हम सदन के बीच में आकर कह सकें। आज जब बजट लाये हैं पूरे साल भर का तो एप्रोप्रिएशन बिल पर जो वोट आन अकाउण्ट लाये, जिसमें पानी के सम्बन्ध में साल भर की व्यवस्था करने का था, आप द्वारा बजट कहा गया इसलिये व्यवस्था करने की जरूरत थी। पर साल भर की व्यवस्था आपने की इस इस एप्रोप्रिएशन बिल में, फिर पानी की व्यवस्था करने

(डा. सी.पी. जोशी)

के सम्बन्ध में नहीं आ सकेगा। (व्यवधान) आप 2 चीजें अलग-अलग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब मुख्य मंत्रीजी बोलेंगी.....(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी अपनी रिप्लाई में आपको सन्तुष्ट कर देगी। आपको समझ में नहीं आयी।

डा. सी.पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी की रिप्लाई अलग बात है। मुख्य मंत्री रिप्लाई देगी, वह अलग बात है। सभापति महोदय, आप रूलिंग कर दीजिए। आप जो कह रहे हैं, पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर वह मानते हैं तो रूलिंग कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, सदन के रिकार्ड में पूरा आना चाहिए। आपने कहा बजट था, बजट था तो साल भर की पीने के पानी के सम्बन्ध में आपने एप्रोप्रिएशन बिल में व्यवस्था की होगी, उस व्यवस्था का पार्ट है, वह बता दीजिए, बात खतम हुई। हम खुद ही कह रहे हैं, डिबेट ही नहीं कर रहे हैं इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) वह भी बजट था, यह परिवर्तित बजट है।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर दूं आपसे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह होता रहता है। इसलिये उस समय भी एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया था, आज भी एप्रोप्रिएशन बिल है। अब का जो एप्रोप्रिएशन बिल है वह अन्तिम है, आज का परिवर्तित है। (व्यवधान) यह कंसोलिडेट फण्ड में से 12 महीने का पूरा पैसा निकालने का सरकार को अधिकार देता है इसलिये माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है वह निरस्त करने योग्य है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : परिवर्तित बजट वोट आन अकाउण्ट का था, आपने लिया समय भी बजट के नाम पर एक हैंड का बजट लिखा और 4 का वोट आन अकाउण्ट लिया। ऐसे दोनों बातें करते हैं.....(व्यवधान) उस समय हमने कहा, वोट आन अकाउण्ट है, तब तो कहा गया बजट है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मोडिफाइड बजट है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वोट आन अकाउण्ट में जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया गया था उसमें उसका पूरा था.....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सी.पी. साहब मेरा निवदन है, जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी एग्रीड, मैं सहमत हूं। आप सुनिये, यदि एप्रोप्रिएशन बिल में पानी के सम्बन्ध में साल भर का आपने रखा, फिर अभी इसमें क्यों ला रहे हैं ? दो बातें कर रहे हैं ? मैं आपसे सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां रखा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहां रखा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय जो अनुमान किया गया उससे ज्यादा और कम हो सकता है, हो नहीं सकता क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : नहीं तो आप बाद में लाते। यह इसमें नहीं आता है। यह सप्लीमेन्ट्री में लेकर आइये, आपको करना है तो। क्या बात कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह सप्लीमेन्ट्री तो खर्चा होने के बाद आएगा।

डा. सी.पी. जोशी : आपको विनियोग विधेयक-4 रखना चाहिए था। चौथा विनियोग बिल लाते उसमें पानी के सम्बन्ध में व्यवस्था करते। यह ठीक व्यवस्था होती लेकिन आपने उसको उसमें कर दिया।.-(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट बिना एप्रोप्रिएशन के आया है क्या कभी ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप तो रूलिंग कर दीजिए, तकलीफ नहीं है। रिकार्ड में आएगा, असेप्ट कर लेंगे। हमें कहां तकलीप है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, समझ नहीं पा रहे हैं। बजट के साथ तो एप्रोप्रिएशन बिल आएगा ही आएगा। और यह तीसरा है। पहला बजट आया उसके साथ एप्रोप्रिएशन बिल आया, हमने साल भर का खर्चा अकाल का और पानी का ले लिया। उसके बाद दुबारा जो बजट आया, मोडिफाइड बजट है, उसके साथ यह एप्रोप्रिएशन बिल है। इसमें कंसोलिडेट फण्ड में से वोटेड एण्ड चार्जड, दोनों अकाउण्ट्स में पैसा निकालने का हमने अधिकार लिया है।

श्री सभापति : मैं यही कह रहा हूं, माननीय सी.पी. साहब, प्लीज। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : साल भर का तो आपने ले लिया, नया पैसा कौनसा ले रहे हो आप ? (व्यवधान) पीने का पानी के सम्बन्ध में साल भर का पैसा ले लिया आपने, अब नया कहां ले रहे हो ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मोडिफाइड हो रहा है यह। आंकड़े मोडिफाइड हुए हैं। (व्यवधान) आंकड़े मोडिफाइड हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, क्लीयर कर देता हूं। सभापति महोदय, भारत सरकार में, अब तो बजट का प्रावधान यह हो गया कि कमेटियों में चला जाता है, पहले जब कमेटियों में बजट नहीं जाता था उसके पहले पूरा बजट पेश हो जाता था और वोट आन अकाउण्ट ले लेते थे। पार्लियामेन्ट लम्बे समय तक चलती रहती थी और इसके कारण से वह वोट आन अकाउण्ट लेते थे। यहां पर भी अपन ने बजट पेश कर दिया, अब जो यह एप्रोप्रिएशन बिल हमने पेश किया है उस एप्रोप्रिएशन बिल में साफ लिखा है-

".....inclusive of the sums specified in cl. 2 of the Schedule to the Rajasthan Appropriation (Vote-on-Account) (No. 2) Act, 2004..."

यह लिखने का मतलब है कि वह सारे इसमें भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार से यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है.....

डा. सी.पी. जोशी : मेरा आब्जेक्शन तो यह है जो वोट आन अकाउण्ट नहीं था। आप इसको करैक्ट करें। (व्यवधान) उस समय वोट आन अकाउण्ट नहीं था। आपने कहा बजट है, यह वोट आन अकाउण्ट लिख रहे हैं। आप दोनों बातें कर रहे हैं, इसको वोट आन अकाउण्ट कह रहे हैं और इसको पहले बजट कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 4 महीने का वोट आन अकाउण्ट तो लिखा था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप इसमें बजट लिख दीजिए। (व्यवधान) उस समय हमने कहा था, आपने कहा बजट है। अब लिख रहे हो वोट आन अकाउण्ट है। आप इस पर बजट लिखें। यदि आप का बजट था तो लिखिये बजट। उस समय तो कहा बजट है, अब कह रहे हो वो आन अकाउण्ट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, उस वक्त बजट था..... (व्यवधान) उस समय बजट था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : जो अपने को सूट करे वह आर्ग्यूमेन्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आपने यह लिखा यहां पर, वोट आन अकाउण्ट, नम्बर दोमें तो वोट आन अकाउण्ट नहीं लिखें, फिर बजट लिखें इसमें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य (व्यवधान) मेरी व्यवस्था सुनें आप। माननीय सी.पी. साहब, मेरा निवेदन यह है कि जिस समय वोट आन अकाउण्ट लिया था.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पूरा लिया था, वह उस समय बजट था।

श्री सभापति : मेरी बात तो सुनें आप।

डा. सी.पी. जोशी : फिर आप कनफ्यूज कर रहे हैं। It was Budget, not Vote-on-account. फिर करैक्ट करिये. It was Budget, It was not vote-on-account.

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय सी.पी. साहब, मेरी बात सुनिये पहले, आप पूरी, जिस समय वोट आन अकाउण्ट पेश हुआ था.....

डा. सी.पी. जोशी : कृपया माफ करें, It was not vote-on-account. It was Budget.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बजट लिया है।

डा. सी.पी. जोशी : यह वोट आन अकाउण्ट कह रहे हैं। यह वोट आन अकाउण्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप हल्ला कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि वह बजट पेश किया। (व्यवधान) पेश किया वह भी बजट था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह बजट था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, पहले पेश किया था वह बजट था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले भी बजट था और यह भी बजट है। मोडिफाइड बजट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, लेखानुदान संख्या-2, राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 2004 जो उस समय आया, वह उसमें सम्मिलित है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी बात तो सुनिये आप पहले। माननीय, आप विराजिये।

श्री तगाराम चौधरी : यह बजट था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय तगारामजी, विराजिये।

व्यवस्था

सामान्य बजट में शामिल मांग में लेखानुदान के समय पारित मांग का भी समावेश किया जा सकता है।

मेरा निवेदन यह है कि जिस समय वोट आन अकाउण्ट लिया था, उस समय एप्रोप्रिएशन बिल नम्बर-2 था और उस समय अपन ने पेयजल के लिए और निर्वाचन के लिए अनुमान किया था कि शायद सालभर का यह खर्चा हो सकता है। बाद में एप्रोप्रिएशन बिल, वह बजट पास हुआ। बजट पास होने के बाद आज एप्रोप्रिएशन बिल है नम्बर-3 तो इसमें वह इनक्लूड है, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी बता रहे हैं। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था का प्रश्न खारिज करता हूं और माननीय भरतसिंहजी बोलिये आप।

डा. सी.पी. जोशी : यह वोट आन अकाउण्ट ही है, यही तो कहा है मैंने।

श्री सभापति : नहीं. कौनसा वोट आन अकाउण्ट ? वोट आन अकाउण्ट तो पहले लिया था, यह तो बजट है।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो खुद ही कह रहे हो वोट आन अकाउण्ट था तो मैं क्या मानूंगा ? (व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो पूरा सालभर का बजट है। जिस समय वोट आन अकाउण्ट लिया था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उस समय भी, मान्यवर बजट था। It was not vote-on-account. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और उसमें स्पेशल कारणों से.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापमि महोदय, उस समय भी बजट था और यह भी (व्यवधान) उस समय एप्रोप्रिएशन बिल था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय एप्रोप्रिएशन बिल संख्या-2 था, उसमें उस समय उद्देश्य और कारण जो बताये गये थे वह आप देखें। अपरिहार्य कारणों से राजस्थान के अन्दर.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : महावीरजी, आपका वोट आन अकाउण्ट था या बजट था, बात वही है। कोई आर्ग्यूमेन्ट नहीं। वोट आन अकाउण्ट या बजट था, बात खतम हो गयी ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट था, मैं कह रहा हूं बजट था।

डा. सी.पी. जोशी : आपके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं ? अध्यक्ष क्या कह रहे हैं ? अध्यक्ष तो वोट आन अकाउण्ट कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्षजी यह कह रहे हैं, सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : वोट आन अकाउण्ट था। आप बजट कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं। यहां अब.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट, सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि उस समय बजट पहले आया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कहां कह रहे हैं ? वोट आन अकाउण्ट कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बजट आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुनिये। चार महीने का खर्च का हमने वोट आन अकाउण्ट लिया।

डा. सी.पी. जोशी : आप उनके वर्ड अपने मुह में क्यों रख रहे हैं, वे तो वोट आन अकाउण्ट कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने यही फर्माया है कि पहले बजट आया और फिर चार महीने का खर्च का वोट आन अकाउण्ट लिया है ?

श्री सभापति : हां। लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस समय हम एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आये।

श्री सभापति : लेकर आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने पी.एच.ई.डी. का और अकाल का पैसा पूरे 12 महीने का ले लिया, उसके बाद यह मोडिफाइड बजट आया।

श्री सभापति : हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : केन्द्रीय सरकार से जो हमें राशि मिली है अलग-अलग योजनाओं में उसका खुलासा हुआ और उस केन्द्रीय सरकार और ग्रान्ट-इन-एड और सेण्ट्रल टैक्सेज में हमारा शेयर, उस सबको देखते हुए रीएप्रोप्रिएट करके दुबारा लेकर आये। (व्यवधान)

श्री सभापति : परिवर्तित बजट आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आंकड़ों में तो हमेशा फेरबदल होता है, यह आज पहली बार थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री भरतसिंहजी।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज चर्चा में भाग लेकर सदन का ध्यान कृषि से सम्बन्धित दो-तीन बिन्दुओं पर दिलाना चाहूंगा।

राजस्थान की 70 परसेन्ट जनसंख्या किसी न किसी रूप से कृषि पर आधारित है और अकाल की पृष्ठभूमि में, अकाल के हालात में काश्तकारों की चिन्ता स्वाभाविक है। हमने पिछले साल देखा कि कृषि के अच्छे उत्पादन के बाद भी किसानों को उसका बाजार भाव नहीं मिला। किसानों की अगर हम सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं तो किसानों को उनकी उपज का लाभदायक भाव मिल जाए, वही सही रूप में उनकी सीधी मदद होती है, क्योंकि वह जब मण्डी में जाकर अपना कोई माल बेचे और उसे अपनी उपज का, प्रोड्यूस का उचित बाजार मूल्य मिल जाए तो उसमें किसी प्रकार का उसका शोषण होने की सम्भावना नहीं रहती। सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, आप किसानों के लिए बनाते हैं, मगर उसमें हर जगह गुंजाइश रहती है कि आप जो किसानों को देना चाहते हैं वह उनको पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। हमारे राजस्थान की 70 परसेन्ट जनसंख्या कृषि पर आधारित है और 65 परसेन्ट कृषि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए किसान के हित में यह है कि वह ऐसी फसल करे जिससे उसको अधिक से अधिक उसका लाभ मिले। किसान को क्योंकि उसकी उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए किसान की कोशिश रहती है तो वह एक, दो और जहां तक सम्भव है तीन फसल ले ताकि उसको आर्थिक लाभ उसका सही रूप में मिले। हमारे पास जमीन में पानी नहीं है और वर्षा भी पर्याप्त नहीं होती, जितना भी ज्यादा पानी का दोहन होता है वह प्रदेश के लिए हित में नहीं है इसलिए आवश्यकता यह है कि किसान दो पानी की फसल के स्थान पर एक फसल की खेती करे। मगर प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे पास इस प्रकार की एक फसल की खेती है जो किसान के हित में लाभदायक होगी ? निश्चित रूप से किसान के पास इस प्रकार की खेती है, पूरे प्रदेश में सरसों एक ऐसी फसल है जो पूरे राजस्थान में सब जगह होती है। इस सरसों का

(श्री भरत सिंह)

अभी तोल-भाव ठीक मिला, मगर इस भाव में किसान को और पैसा मिलने की सम्भावना है। राजस्थान हिन्दुस्तान में वह प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा सरसों होती है और एक पानी की फसल है, इसलिए मैं इस बात को बराबर एम्फेसाइज कर रहा हूं कि हमें सरसों की और अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। उसको प्रोत्साहित करने का एक मात्र तरीका है वह यह कि भारत सरकार, पिछली बार वहां दूसरी सरकार थी, इस बार कांग्रेस की सरकार है, भारत सरकार बेरहमी से जो आठ हजार से दस हजार करोड़ रूपये का खाने का तेल बाहर से आयात करती है, हमारी सरकार केन्द्र सरकार से बात करें और, खासतौर से पाम-आयल का जो इम्पोर्ट हो रहा है उस इम्पोर्ट पर अंकुश लगे। आठ हजार करोड़ रूपये का पाम-आयल का इम्पोर्ट है अगर उस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाए तो मैं आपसे निश्चित कहता हूं कि सीधा कम से कम एक हजार करोड़ रूपये का राजस्थान के काश्तकारों को फायदा मिलेगा। दोनों, हमारे नेता प्रतिपक्ष और मुख्य मंत्री महोदय कृषि मंत्रीजी से बात करें और इस बात पर जोर दें कि इस आयात के अन्दर ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि उससे प्रदेश के काश्तकारों का फायदा हो। एक तो बिन्दु यह है।

दूसरी चीज, इस बजट के अन्दर बागबानी का उल्लेख किया गया है। यह सही है कि बागबानी का डाइबर्सिफिकेशन होगा, पेड़ लगेंगे तो प्रदेश में हरियाली होगी और किसानों को लाभ होगा। मगर उसके लिए हमारी जो बैकिंग है, ड्रिप इर्रिगेशन की बात की, स्प्रिंकलर्स की बात की, पर्याप्त बैकिंग नहीं है। कृषि मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी से जो पैसे की आय होती है, 160 करोड़ रूपेय की इस साल आय हुई है, मगर आप इस कृषि उपज मण्डी को पी.डब्ल्यू.डी. का एक्सटेंशन विंग नहीं बनाएं। अभी भी यह हो रहा है कि 50 करोड़ रूपया पी.डब्ल्यू.डी. को इसमें आपके अपने हाथ में कुछ नहीं था, पहले लोगों ने किया, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, यह डाइबर्ट हो जाता है पी.डब्ल्यू.डी. के पास। अगर आप बागबानी को बढ़ाना चाहते हैं तो पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा देने के बजाए 50 करोड़ रूपया सब्सिडी के रूप में स्प्रिंकलर और उसके लिए प्रदेश के काश्तकारों को दें, नक्शा पलट जाएगा बागबानी का। हमारी सोच तो हो उस काश्तकार को

(श्री भरत सिंह)

देने की। क्या लेना-देना है पी.डब्ल्यू.डी. को 50 करोड़ का ? हमारी कोटा की मण्डी में आज भी किसान का माल इसलिए भीग रहा है कि हमको उसके विकास के लिए, यहां बोर्ड के लिए तरसना पड़ रहा है। इस बोर्ड को भंग कर दीजिए। अगर आप किसानों का भला चाहते हैं तो कृषि विपणन बोर्ड और इस व्यवस्था को भंग कर दीजिए। सब एक्स.ईएन.. एस.ई. और बड़े-बड़े अधिकारी इनको पी.डब्ल्यू.डी. में ट्रांसफर कर दीजिए। जिला स्तर से ऊपर, सम्भागीय आयुक्त की व्यवस्था के अन्दर, जिला आयोजना समिति के नीचे इस पैसे का वितरण करें और कृषि से सम्बन्धित जो विकास होता है उसमें आप इसको चैनेलाइज करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा बिन्दु, जो हमारी चम्बल की नहरें हैं, एक तरफ तो मध्यप्रदेश ने उसमें पानी का बांध बना लिया, पानी रोक रखा है। उस पर तो एक पूरे दिन सदन के अन्दर चर्चा होनी आवश्यक है। मगर दूसरी चीज यह है कि चम्बल की नहरों और इन्दिरा गांधी कैनाल और गंग कैनाल उसमें भी हमारे साथ भेदभाव होता है, हाड़ौती के साथ। टेल पर पानी ही नहीं जा पाजा क्योंकि हमें पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है उस टेल की सफाई करने के लिए। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ राशि चम्बल की नहरों के लिए भी दें ताकि जो टेल का पोर्शन है, उसकी सफाई हो सके और पानी टेल क्षेत्र में भी पहुंच सके। अब यह तो सम्भव है। अब यह भी पता नहीं है कि गांधी सागर में पानी होगा या नहीं होगा, नहरें चलेंगी या नहीं, मगर मैं मानकर चलता हूं कि जिस प्रकार की पूजा-अर्चना हुई है, दो सावन हैं, हो सकता है कि दूसरे सावन के अन्दर अच्छी बारिश हो और हमारी नहरें चलें तो उसकी सफाई की भी व्यस्था हो। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप शुरू करिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

3) विधेयक, 2004, इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वित्त मंत्री के रूप में 37,696 करोड़ 90 लाख की राशियां निकालने के लिए प्रस्ताव सदन में रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा था उसके बाद अतिक्रमण करके विपक्ष के नेता महोदय का एक पाठ, एक भागवत पुराण, एक संदेश हमने सुना। ऐसा लग रहा था.....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : भागवत पुराण में तो मोक्ष है, आपका मोक्ष हो जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जी हां, बड़ी शिक्षा हमको दे रहे थे..... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक दूसरा पुराण भी है, वह पढ़ दो आप तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 18 पुराण हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : बहुत शिक्षादायक बातें उन्होंने हमको बताई। ऐसा लग रहा था "सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।" पांच साल आपका राज रहा, चालीस साल तक राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा, ये सब भाषण, ये सब बातें, ये सब सुझाव जो आपने इस सदन को दिये, सदन का ज्ञान बढ़ाया, आपने उस वक्त क्यों नहीं कीं, यह प्रश्न है ? राजस्थान की पांच करोड़ जनता के माध्यम से आपने सदन का जो डेढ़ घण्टे का समय इसमें जाया किया, डेढ़ घण्टे तक आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके समझ में आए एक-दो बात तो बता देना।

श्री सभापति : आप तो अपनी समझ में आई जो बता दो फटाफट। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : वे सब बातें और सुझाव यदि आप लागू कर देते तो आज राजस्थान की यह स्थिति नहीं होती। मैं तो एक बात यह पूछना चाहता हूं, जब आठवीं पंचवर्षीय योजना के साढ़े 11 हजार करोड़ रूपये के प्लान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 हजार करोड़ रूपये खर्च कर

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सकती है और उस प्लान को एक अच्छा रूप दे सकती है तो आपकी सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना में साढ़े 27 हजार करोड़ रूपये के प्लान को 18 हजार करोड़ रूपये में क्या समेट दिया ? क्यों नहीं खर्च कर सके आप ? आपके सामने इस प्रकार की क्या स्थितियां थीं ? यदि आप साढे 27 हजार करोड़ रूपया नाइंथ प्लान में खर्च कर देते तो निश्चित रूप से राजस्थान का एक अलग ही नक्शा होता। अब हम यह कहना चाहते हैं कि आपने 18 हजार करोड़ रूपये खर्च किये और उसमें आप पूरा टार्गेट अचीव नहीं कर सके-कृषि के टार्गेट अचीव नहीं कर सके, पेयजल के टार्गेट अचीव नहीं कर सके, आप आर्थिक आधारभूत संरचना के, सड़क के टार्गेट अचीव नहीं कर सके। अब आप सब बातें हमारे ऊपर डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे पर डाली हैं, हम पूरा करेंगे। दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार हमने दिया 31 हजार करोड़ रूपये, उससे भी ज्यादा और हम सदन को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी 2004-05 की योजना में हमने जो लक्ष्य रखे हैं, उनको भी हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उसे पूरा करने के लिये हमने अपना एक विजन रखा है राजस्थान के लोगों को डवलप करने का, राजस्थान की इकोनोमी को डवलप करने का, उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा, आपने पता नहीं एग्रीकल्चर सैक्टर में क्या किया क्या नहीं, इस वर्ष हम पिछले साल के मुकाबले 101 प्रतिशत की बढ़ोतरी एग्रीकल्चर सैक्टर में दे रहे हैं। इसी के साथ घनश्यामजी तिवाड़ी जिस विभा को संभालते हैं शिक्षा का विभाग, उसमें 108.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हम दे रहे हैं। आज राजस्थान में प्रवेश के समय जो वातावरण बन रहा है, किताबें मुफ्त दी जा रही हैं, फीस लग नहीं रही है। सरकारी विद्यालयों में जाने का वातावरण बन रहा है, निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर राजस्थान में बढ़ेगा और हम साक्षरता की ओर भी अग्रसर होंगे।

वाटर सप्लाई के लिये हमने लक्ष्य तय किये हैं, आपसे 95.88 प्रतिशत ज्यादा। सभी लोगों को पानी पहुंचे, इस बात के लिये हमने यह लक्ष्य तय किया है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

इसी के साथ इन्फार्मेशन एण्ड पब्लिसिटी पर 110 प्रतिशत ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी के ऊपर भी 195 प्रतिशत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आज की आवश्यकता है, इक्कीसवीं सदी की मांग है। कम्प्यूटर का युग है। इसी के साथ-साथ ट्यूरिज्म पर 87.50 प्रतिशत पिछले साल से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पावर सैक्टर पर 30 प्रतिशत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और मिनरल्स पर 29.94 प्रतिशत ज्यादा खर्च कर रहे हैं।

ये सब आंकडे मैंने आपको इसलिए दिये हैं कि यह हमारा विजन है। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान का जो विकास हम करने जा रहे हैं उसमें सभी क्षेत्रों का, सर्वांगीण विकास हो। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह ट्यूरिज्म का क्षेत्र हो, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों की योजना का आकार हमने बढ़ाने का प्रयास किया है 100 से 200 प्रतिशत तक। यह सरकार इन आंकड़ों को, इन लक्ष्यों को निश्चित रूप से पूरा करेगी। अभी बीच में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषण पत्र है उसमें आपने क्या किया। यह भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, अभी हमें केवल सात महीने पूरे हुए हैं और मैं माननीय सदस्यों को और कांग्रेस के विपक्ष के माननीय नेता को यह कहना चाहूंगा कि आपने पांच साल में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें पूरी नहीं की थीं..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसीलिये हार गये सब। आप भी हार जाओगे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : हां, इसीलिये हार गये। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन हमने अपनी घोषणाएं पूरी करनी हैं। हमने जो-जो बातें पूरी की हैं-सभी फसलों के लिये फसल बीमा योजना हमने बनाई है। किसानों को आठ घण्टे बिजली देने की घोषणा की थी, वह हम पूरी कर रहे हैं। राजस्व रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण कर रहे हैं। राज्य कर्मचारियों की भाजपा काल की सुविधाओं को भी हमने बहाल कर दिया है। यह हमारे घोषणा पत्र में था, हमने पुरा किया है राज्य कर्मचारियों की घोषणाओं के लिये।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

इसी के साथ प्राथमिक स्तर तक की अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा की है। जयपुर में केन्द्रीय.....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके घोषणा पत्र में 10 हजार तक के कर्जे माफ करने का हवाला था. आपने कुछ किया है क्या ? गुप्ता साहब, वह बताओ। (व्यवधान) हाउस टैक्स माफ करने का भी है इसमें कि हाउस टैक्स माफ करेंगे, 10 हजार के कर्जे माफ करेंगे, जरा उस पर बोलो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह घोषणा पत्र में है, अभी सात महीने हुए हैं, तेल देखिये, तेल की धार देखिये। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं, उनको हमारी मुख्य मंत्री महोदया पूरा करेंगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल : हरिमोहनजी, आप भी बुद्धिजीवी हो तो हमारे वाला भी बुद्धिजीवी ही है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : धन्यवाद। आपने कम से कम बुद्धिजीवियों की कद्र तो की। इंसपेक्टर राज की समाप्ति। एक लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणाएं हमारी.....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उन्होंने कद्र नहीं जानी आपकी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : छात्राओं को सभी स्तर पर तकनीकी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर सम्पत्ति हस्तान्तरण पर रजिस्ट्रेशन पर पचास प्रतिशत की छूट, विधवा पुत्री के विवाह पर पांच हजार की सहायता। जयपुर को बीसलपुर का पानी देने की हमने घोषणा की थी और वह हम पूरी करने जा रहे हैं। मन्दिर पर्यटन को बढ़ावा देना, पशु कल्याण बोर्ड गठन व पशु बीमा योजना, पर्यटन स्थलों की देखभाल, रख-रखाव की योजना, ई-गवर्नेंस पर विशेष कार्य दल, जयपुर को अन्तर्रराष्ट्रीय हवाई अड्डे की मान्यता, स्टाम्प ड्यूटी को युक्तिसंगत बनाना, यह बना दिया, हमने ये सब घोषणाएं की थीं, ये सब घोषणाएं हमने पूरी कर दीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब सिर्फ एक घोषणा बाकी है।

डा. सी.पी. जोशी : एक घोषणा बाकी है, गुप्ताजी को और काली चरणजी को मंत्री बनाना बाकी है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : धन्यवाद। हमने अपनी 25 घोषणाएं पूरी कर दीं।

एक माननीय सदस्य : ऐसे और अच्छा बोलेंगे तभी करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह राजेन्द्र राठौड़ रोड़ा अटका रहे हैं आपके में।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपनी घोषणाएं पूरी कीं लेकिन किसानों के लिए आप बड़े चिन्तित हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने किसानों के सन्दर्भ में करीब 25 मिनट दिये हैं, किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाये हैं, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की योजना थी फसल को बीमा करने की, उसमें राजस्थान सरकार को केवल 25 करोड़ रूपये देने थे, आपने 25 करोड़ रूपये नहीं दिये गरीब किसानों के नाम पर ? केवल उनको आपने बेरोजगार करने का षड्यन्त्र रचा, उनके नाम पर रोटियां सेकीं और आज भी भाषण दे रहे हैं। 25 करोड़ रूपये आप दे देते तो आज किसानों को अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर अकाल होता, सूखा पड़ता तो निश्चित रूप से उनको बीमा की राशि प्राप्त हो सकती थी। 25 करोड़ रूपये नहीं देकर आपने 25 करोड़ रूपये का हैलीकाप्टर अशोक गहलोत जी के लिए खरीदा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां है वह हैलीकाप्टर ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : वह खरीदा है, आपने प्रोविजन किया इस बात का। यह 25 करोड़ रूपया क्यों नहीं दिया आपने ? मैं कहना चाहता हूं कि यह तो आप दबाव के कारण नहीं खरीद सके। यदि आप किसानों के सच्चे हितैषी थे, आज हमने योजना चालू की है, 14 फसलों पर बीमा कर रहे हैं हम, आप भी कर सकते थे पर आपने नहीं किया। अकाल के नाम पर राजनीति की, केन्द्र सरकार से पैसा आया उसको निश्चित रूप से आपने.....

श्री सांगसिंह भाटी : ये होटलों के हितैषी हैं, होटलों को उद्योग दिलाना चाहते हैं, काश्तकारों को उद्योग दिलाने का नाम-निशान नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : काश्तकारों की भलाई आपने नहीं की। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मोहनजी, पहले तो हम जिन्दा रह गये हैं, पहले की बात तो आप भूल जाओ। अब जिन्दा रखने का दायित्व आपका है, अब जिन्दा रखो लोगों को।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जिन्दा रखेंगे।

श्री श्रवण कुमार : पहले जिन्दा रह गये लोग, मरे नहीं। एक भी पलायन नहीं हुआ कहीं भी, गुजरात में नहीं गया। अब राजस्थान के लोगों को आप जिन्दा रखो। (व्यवधान)

श्री सभापति : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये।

एक माननीय सदस्य : दिल कच्चा मत करो, श्रवणजी।

श्री श्रवण कुमार : कच्चा कहां करेंगे, भाषण देना सब का काम है अब इम्पलीमेन्ट करना है। महावीरजी खड़े होकर यह कह देंगे, हम तो जिन्दा रखने की आशा रखते हैं। एक भी भाषण में मंत्री ने यह नहीं कहा कर दिया जाएगा। योजना बना दी जाएगी, देख लिया जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। कर दिया जाएगा, मे वी डन, यह कहा कभी आपने ? (व्यवधान) हां, हम तो कहते थे डन, हमारे मंत्री कहते थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहा जाता था देख लेंगे, अब करेंगे, यह है हमारा।

श्री श्रवण कुमार : क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह काम करेंगे, यही है हमारा।

श्री श्रवण कुमार : करेंगे न, कब ? महावीरजी, आपको काम करने के लिए नहीं बनाया जाता, आपको केवल बोलने के लिए और लोगों को प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है। आपका काम प्रोसेस करने का है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको सम्भालने के लिए बना रखा है मुझे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज।

डा. एन.एस. गुर्जर : महावीरजी, दो विद्वान आदमियों के बीच आप कहां फस गये ?

श्री सभापति : माननीय गुप्ताजी, कनक्लूड करें अब दो मिनट में।

श्री मोहन लाल गुप्ता : हां, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। आप कहें तो मैं बैठ जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : आप विराज जाओ तो बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, अगर मेरे को दो मिनट इजाजत दें तो कुछ बातें आपके सामने, सदन के सामने रखना चाहता हूं।

कांग्रेस ने जो वायदे किसानों के लिए किये वो पूरे नहीं किये। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र है कि हम खेती को उद्योग का दर्जा देंगे, खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। फसल बीमा उन्होंने नहीं कराया। कृषि उपज बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थानों को मजबूत बनाने की घोषणा की थी, सहकारी संस्थाओं की आज स्थिति क्या है, देख लीजिये। कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था आपने ? उद्योगों की चिन्ता तो कौन करें, कृषि की ही चिन्ता नहीं की। चारा बैंक स्थापित होगा, इसके लिए आपने कहा था, आपने चारा बैंक स्थापित नहीं किया। किसानों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए सहायता कोष की घोषणा की थी। यानि कितने आपने घोषणा पत्र में वायदे किये थे, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं केवल घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह हमारे कर्मो को पढ़ रहे हो कि आपके कर्मो को बता रहे हो ? हमारे कर्मो को काहे के लिए पढ़ रहे हो ?

श्री सभापति : माननीय सराधनाजी, आप बीच-बीच में क्यों टोका-टोकी कर रहे हैं ? आप बोलिये प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : दुःख तो इस बात का है, सभापति महोदय, मोहनजी को यह मालूम नहीं, बाजरा कोई पेड़ का नाम है या कोई फल का नाम है। मूंग का मालूम नहीं। जी कै फाटी न कदे बिवाई बो के जाणे पीड़ा

(श्री श्रवण कुमार)

पराई। मोहनजी ने कभी खेत नहीं देखा, बाजरा नहीं देखा. ए तो कटी-कटाई ले लेवै है, इणैन के बेरो। किसान के हम सच्चे हितैषी हैं. हमें मालूम है कि हल कैसे बाया जाता है. फसल कैसे उगायी जाती है पानी कैसे दे रहे हैं।

श्री सभापति : प्लीज आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार : मोहनजी, आपको क्या मालूम ? आप ब्याज के बारे में जान सकते हो।.....(व्यवधान).....आपको क्या मालूम ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : ऐसा है, आपको शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है.....

श्री श्रवण कुमार : हमें मालूम है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं शहर में रहता हूं लेकिन गांव का आदमी हूं, लालसोट में पैदा हुआ हूं।

श्री श्रवण कुमार : हमें मालूम है, आप महापौर रहे हो। (व्यवधान) हमें मालूम है आप किशनपाले से आते हो। बढिया बात है, महापौर थे, इतना तो मालूम है, फसल के बारे में क्या मालूम है इनको ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने पर्यटन के बारे में बोला था, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में खजिन और पर्यटन दो ही ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर राजस्थान की इकोनोमी को हम ठीक कर सकते हैं, राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा पैसा सरकार का लगने वाला नहीं है। पर्यटन के आधार पर हम राजस्थान का काफी विकास कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह तो कांग्रेस के लोग जानें। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे। सांस्कृतिक पर्यटन, हैरिटेज होटल, घरेलू पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, मन्दिर पर्यटन, नैचुरल पर्यटन, वन्यजीव अभ्यारण्य, रेगिस्तान इन सभी सैक्टर्स में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। आज 6 लाख विदेशी पर्यटक यहां आते हैं और हर पर्यटक एक हजार डालर यहां पर खर्च करता है तो जो स्थिति बनती है, करीब 268 करोड रूपया वो यहां खर्च करता है। यदि

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

इसकी संख्या हम चार गुना कर दें, अपने भारतवर्ष के हिस्से का 25 प्रतिशत विदेशी पर्यटक भी यहां ले आएं तो 1072 करोड़ रूपये वह खर्च करेगा। इसके साथ-साथ देशी पर्यटक भी यहां आता है, करीब-करीब 66-70 लाख की संख्या में आता है। वह देशी पर्यटक यदि प्रति पर्यटक एक हजार रूपये भी खर्च करता है तो कितनी बड़ी इकोनोमी होती है, 6 हजार 6 सौ करोड़ रूपया। इस प्रकार इतने करोड़ रूपये की इकोनोमी आ सकती है। भरतपुर में, अलवर में इतना पर्यटक आ सकता है, बाड़मेर और जैसलमेर में इतना पर्यटक आ सकता है, शेखावाटी को देखने के लिए इतना पर्यटक आ सकता है। देशी पर्यटक जो है, खाटू श्यामजी की जो इकोनोमी है यह इसी पर डिपेन्ड है। खाटू श्यामजी में कितना पर्यटक आता है ? मैं कहना चाहूंगा कि यदि पर्यटन की इकोनोमी को हम ठीक कर दें तो निश्चित रूप से हम राजस्थान की इकोनोमी को भी ठीक कर सकते हैं, इन्फ्रास्ट्रेक्चर करने की जरूरत है। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी इस काम में लगी हुई हैं, निश्चित रूप से राजस्थान का इस बारे में विकास हो सकता है, मैं इतना कहना चाहता हूं।

एक बात और सुझाव देना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने टैक्स का ढांचा ठीक करने के लिए प्रयत्न किये हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि अभी नमकीन और मिठाई पर 7 परसेन्ट टैक्स किया है, लेकिन 6 परसेन्ट टैक्स हलवाइयों पर लग रहा है, नमकीन और मिठाई हलवाई बनाते हैं, अगर 7 परसेन्ट टैक्स हो गया तो एक परसेन्ट की चोरी के चक्कर में वह 7 परसेन्ट भी नहीं मिलेगा, स्टेट की इकोनोमी को नुकसान होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह टैक्स का स्ट्रक्चर ठीक किया जाए। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बटर और देशी घी पर 8 परसेन्ट टैक्स किया है, वनस्पति तेल पर 5 परसेन्ट टैक्स है, वनस्पति तेल के नाम पर बटर और वनस्पति घी चला जाएगा इसलिए 8 परसेन्ट और 5 परसेन्ट के डिफरेन्स में 3 परसेन्ट का डिफरेन्स बहुत बड़ा होता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर निश्चित रूप से विचार करें। नान एडीबल आयल पर 12 परसेन्ट टैक्स है, असली के तेल पर मिक्सिंग होने के कारण एडीबल आयल का 12 परसेन्ट टैक्स भी यहां नहीं मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि टर्न ओवर टैक्स हमने खतम किया

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

है, 12 महीने का टर्न ओवर है, अभी अप्रैल. मई और जून, व्यापारी किस प्रकार से टैक्स देंगे तीन महीने का, किस आधार पर टैक्स देंगे ? इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। 13 एस.टी.सी., पेज 180, कि इस प्रकार से आप टर्नओवर टैक्स को खतम नहीं कर सकते हैं। तीन महीने का जो टैक्स है, उसके बारे में विचार करना चाहिए और एक अप्रैल से इसको इफैक्टिव बनाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

(16.00 बजे)

इसी के साथ-साथ बिल्डिंग मैटीरियल का आपने कहा, अभी बिल्डिंग मैटीरियल का जो पार्ट हमारे माननीय सदस्य राव राजेन्द्र सिंहजी ने बताया कि 14 परसेन्ट टैक्स है, यह 14 परसेन्ट टैक्स लकड़ी पर भी है। आयरन स्टील फर्नीचर पर है 14 परसेन्ट, मोल्डेड फर्नीचर पर भी 14 परसेन्ट है, बिल्डिंग मैटीरियल पर भी करीब करीब 14 परसेन्ट है, क्राकरी पर भी 14 परसेन्ट है और इसी के साथ पैंट पर भी 14 परसेन्ट, कारपेट पर भी 14 परसेन्ट है मिनरल्स पर भी 14 परसेन्ट है, ये विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 14 परसेन्ट टैक्स जो लगाया गया है वह कोई भी व्यक्ति पे नहीं कर सकता है। कोई भी कंजूमर खरीदने जाएगा, 14 परसेन्ट टैक्स नहीं देगा।

इसमें दो नम्बर का काम हो रहा है, चोरी हो रही है, चोरी रूक नहीं रही है। जिस प्रकार से हमने करों का सरलीकरण किया है उसी प्रकार से जिन जिंसों पर ज्यादा टैक्स की दरें हैं उनको निश्चित रूप में कम करें ताकि ईमानदार टैक्स पेयर पैदा हों, ईमानदार व्यापारी हों और ईमानदार सरकार हो। उसी के आधार पर दो नम्बर की इकोनोमी खतम हो जाए। लोगों को ठीक ढंग से काम करने का अवसर प्राप्त हो। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इन टैक्स की दरों का सरलीकरण करने का कष्ट करें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, आटोमोबाइल बाडी पर टैक्स की दर चार परसेन्ट से बढ़ाकर पांच परसेन्ट कर दी गयी है, इस मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी विचार करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) हम काम्पीटिटर नहीं हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह दूसरी रो और तीसरी रो आपस में एक दूसरे के काम्पीटिटर हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप डाक्टर हैं, एल.एल.एम. हैं, हम लोहा मानते हैं आपकी काबिलियत का।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपका तो हम बिना डाक्टर हुए ही लोहा मानते हैं। आप डाक्टर हो जाते तो पता नहीं कितना लोहा मनवा देते हमारे को।

श्री सभापति : अब आप समय जाया न करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब उन्होंने शुरू कर दिया।

श्री सभापति : वह कहते रहेंगे, आसन को कहते हैं, आप अपना काम करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने तो आप जैसे लोगों को लोहे से मुक्ति दिलवाई है।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक के समर्थन के खड़ा हुआ हूं। जिस तरीके से यह बजट आया है और जैसा कि इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से आज चर्चा हो रही है, जब आप लोग सरकार में आये थे उस समय इन्होंने एक व्हाइट पेपर निकाला था, मुझे खुशी है कि उस समय वित्त मंत्री सदन में हैं, यह व्हाइट पेपर है इसमें इन्होंने कहा-

(डा. एन.एस. गुर्जर)

"The annual interest liability rose to Rs. 2217 crores which is 19.24% of the total revenue expenditure, which is more than half of the total tax revenue. The State has reached the state of high fiscal stress."

व्हाइट पेपर में इन्होंने यह कहा है कि टैन्थ फाइनैन्स कमीशन ने जो कन्डीशन्स तय की थीं-

The 10th Finance Commission has categerised those States as under high fiscal stress whose interest payment to revenue expenditure exceeds 17%.

अब 17 परसेन्ट से हमारा राजस्थान 19.24 परसेन्ट पर था, यह एक्सीड कर गया। इसलिए आपने उस समय ठीक ही कहा कि हाई फिस्कल स्ट्रैस में फंस गया है। यह आपने उस समय बात की लेकिन इनका शासन आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद ? उस समय तो 19 परसेन्ट बताकर कह गये कि यह बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए हाई फिस्कल स्ट्रैस में स्टेट आ गया, लेकिन सभापति महोदय, 19 परसेन्ट से बढ़कर ये जब सत्ता में आये उस समय यह हो गया 26.14 परसेन्ट। नहीं, यह 1998 में 19 परसेन्ट था, 1999-2000 में 21.04 परसेन्ट, 2000-01 में 22.21 परसेन्ट, 2001-02 में 24.31 परसेन्ट, 2002-2003 में 25.27 परसेन्ट और 2003-04 में 25.29 परसेन्ट। सभापति महोदय, 19 परसेन्ट से ये 25 परसेन्ट पर ले गये। अब कौनसी स्थिति है, आपने क्या सुधार किया ? आपके पांच साल के शासनकाल में और ज्यादा फिस्कल हाई स्ट्रैस में स्टेट को ले गये और वह इसलिए ले गये..... (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, जो पैरा मीटर थे.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, मैं इन्टरप्ट नहीं करना चाहता। यह बिलकुल सही कह रहे हैं, from 19% it has gone to 25%. Absolutely correct.

आप मुझे बता दीजिए, क्या इस बजट के अन्दर कहीं वित्त मंत्रीजी ने यह कहा है कि हम इसको कम कर सकेंगे ? हाई फिस्कल स्ट्रैस के अन्दर आपकी स्थिति यह बनेगी कि 53-59 पर पहुंचेंगे। उसका आपके पास जवाब है कि हम परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। आपने नहीं किया। हमने 74 परसेन्ट की, आपने 55 परसेन्ट की। तो व्हाइट पेपर जो पब्लिश किया था, उसका मूल मकसद आप एक सेन्टेंस कहीं पढ़कर दिखा दें व्हाइट पेपर के अन्दर। उसका खाली अभिप्राय था राज्य की वित्तीय स्थिति से जनता को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अवगत कराना। (व्यवधान) कहीं आलोचना नहीं की थी इसके अन्दर कि राज्य को इन्होंने कुछ किया। इसलिए आपको जो कहना है आप कहें, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो आपको अपना भविष्य मैं आज बता देता हूं, जो आपकी स्थिति होने वाली है।

श्री एन.एस. गुर्जर : मैं अभी बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य : भविष्य वक्ता हैं क्या आप ?

श्री कालीचरण सर्राफ : हमने व्हाइट पेपर नहीं निकाला आपकी जैसे। आपने जो व्हाइट पेपर निकाला कि बी.जे.पी. की सरकार में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गयी, यह हो गया, वो हो गया, हमने नहीं निकाला।

श्री प्रद्युम्न सिंह : निकालो न। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो व्हाइट हो इसलिए आपने व्हाइट पेपर निकाला, अब कालीचरणजी कौनसा पेपर निकालेंगे आपके लिए ? (व्यवधान) मैं आपको यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वह बिल लाएंगे। रेवेन्यू एक्सपैंडीचर को कम करके हमारी अर्थ व्यवस्था को लाइन पर लाने के लिए विधेयक पेश कर रहे हैं, यह बात उन्होंने बजट में साफ-साफ कहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने भी अपने बजट में कहा था कि मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा। पर हालात ऐसे होते जाते हैं राज्य के बियोन्ड कन्ट्रोल। चार साल जिस राज्य में अकाल पड़ा हो, जहां स्टेट की जी.डी.पी. कम हो गयी हो और उसके मुकाबले में रेवेन्यू रिसीट्स कम आयी हों, आप क्या कर सकते हो ? व्यावहारिक है। कालीचरणजी, आपका काम तो + + + है, आप करते रहना, अब यह मामला कहां समझोगे आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह रेवेन्यू रिसीट कैसे हो, उस पर तो आपने पाबन्दी लगा रखी थी। आप जिस प्रकार की डीलिंग कर रहे थे उससे कैसे हो सकती थी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रेवेन्यू रिसीट तो हो रही थी पर कहां हो रही थी उसका पता नहीं। हो तो रही थी वह।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मेरे समय में यह इनक्लूड मत कर लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इकोनोमिक फाइनेंशल प्रूडैन्स के जो वैरोमीटर्स होते हैं उनमें इन्ट्रैस्ट पेड आन रिसीट्स भी होता है। 1998-1999 में 26 प्रतिशत थी जो बढ़ते-बढ़ते 31-32 परसेन्ट पर आ गया है। यह भी बढ़ गया।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बजट में हमने दो-तीन बातें कहीं हैं। रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को हम कम लाये हैं और आगे बताएंगे कि आपने कई चीजें कही हैं इसमें। उप पर मैं बाद में आऊंगा लेकिन जो व्हाइट पेपर जारी करके आपने कहा.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर आपका इसलिए कम हुआ है, आपकी रेवेन्यू रिसीट इसलिए बढ़ी हैं कि भारत सरकार से डिवोल्यूशन बढ़ा है आपका, नाथूसिंह जी। आपको किसी ने बता दिया, अब आप ठोके जा रहे हो आराम से बैठे बैठे।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, अब हर सेन्टेंस में यह टोकेंगे ? आप बाद में जवाब दे देना। मुझे हर सेन्टेंस में टोकेंगे तो मैं बोल कैसे पाऊंगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छा, अब मैं आपका भाषण वहां लाबी में बैठकर सुनूंगा।

श्री एन.एस. गुर्जर : I am not yielding to you.

नहीं, आप बैठिए, सुनिए आप, मुझे अच्छा लगेगा आप सुनेंगे तो। मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आप फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं।

सभापति महोदय, इन लोगों ने जो गलतियां की हैं वे इसलिये की कि इन्होंने वायदे तो बहुत अच्छे कर लिये चुनाव में लेकिन टैंथ फाइनेन्स कमीशन में जब ये गये तो राष्ट्रीय विकास परिषद् की सितम्बर, 2001 की बैठक में दसवीं पंचवर्षीय योजना के मसविदे में योजना आयोग द्वारा कुछ

(श्री एन.एस. गुर्जर)

लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, इन्होंने टेंथ फाइनेन्स कमीशन के किसी भी टारगेट को पूरा नहीं किया। ये बता दें, एक भी टारगेट पूरा कर लिया हो। इसमें जितने गिना रखे हैं, मेरे पास हैं बहुत सारे, एक भी टारगेट इन्होंने पूरा नहीं किया, अचीव नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ ? बेरोजगारी बढ़ी। यूं तो इन्होंने कहा, हम रोजगार देंगे, यह मेरे पास इनका चुनाव घोषणा पत्र है। इसमें इन्होंने कहा, हम रोजगार देंगे, नौकरियों पर पाबन्दी हटाएंगे। आते ही नौकरियों पर पाबन्दी लगा दी, हटाने की बजाय, कोई रोजगार नहीं दिया गया। 138 वायदे किये घोषणा पत्र में, 138 में से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा.....

श्री हरिमोहन शर्मा : सौ दिन में इकतीस हजार अपाइन्टमेन्ट करने का आपने कहा था, आपने कर दिया क्या ? एक आदमी को अपाइन्टमेन्ट नहीं दिया है आपने। इकतीस हजार का किया था, पन्द्रह हजार और सोलह हजार, सौ दिन में करने का था, एक को नहीं दिया।

श्री वीरेन्द्र मीणा : आपकी सरकार ने पांच साल में कितने अपाइन्टमेन्ट दिये, यह बताएंगे आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने तो सौ दिन में कमिटमेन्ट किया था कि हम सौ दिन में इकतीस हजार आदमियों को अपाइन्टमेन्ट देंगे, आपने एक को नहीं दिया।

श्री सभापति : (व्यवधान) माननीय वैरवाजी।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, टेंथ फाइनेन्स कमीशन के टारगेट पूरे नहीं किये, बेरोजगारी बढ़ी-ग्रामीण क्षेत्र में 4.5 परसेन्ट बढ़ गयी और शहरी क्षेत्रों में 7.7 परसेन्ट बेरोजगारी बढ़ी।

इसके अलावा कई चीजें प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कही हैं, मैं उनसे सहमत हूं कि आज हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको हमें घटाना चाहिये। आपने उसमें कोई प्रयास नहीं किया, मैं आंकड़े देकर बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, 1981 से 1991 की जनसंख्या राजस्थान की, प्रतिशत में बता रहा हूं, 28.44 परसेन्ट थी, नेशनल एवरेज 23.86 परसेन्ट

(श्री एन.एस. गुर्जर)

था। यह 2001 में 28.33 परसेन्ट हुई, नेशनल एवरेज हो गया 21.34 परसेन्ट, इन्होंने इसमें भी कोई उपलब्धि दर्ज नही की। जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारा जितना भी इनफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इसका असर हुआ। हमारी इकोनोमी पर असर हुआ। इसलिये यह टारगेट भी यह नहीं कर पाये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इसमें और कुछ बातें कहीं गयी हैं। साक्षरता की बातें कही हैं कि साक्षरता को 75 परसेन्ट तक ले जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार थी, हम साक्षरता की दर को बढ़ाकर एकदम तेजी से आगे ले गये 55 परसेन्ट तक। उसके बाद इनके राज में कितनी बढ़ी ? 38 से हम 55 परसेन्ट पर ले गये। इनके शासन में, यह इसमें लिखा हुआ है दसवीं पंचवर्षीय योजना के मसविदे में, योजना अवधि में दर बढ़ाकर 75 परसेन्ट तक कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पाये। हम 17 परसेन्ट ले गये खींचकर और ये पांच साल में कितना ? 9.61 परसेन्ट, केवल पांच-छह परसेन्ट। आपका अचीवमेन्ट किसमें हुआ ? जनसंख्या वृद्धि को रोकने में आप सफल नहीं हुए, रोजगार के अवसर बढ़ाने में आप सफल नहीं हुए, साक्षरता को बढ़ाने में आप अच्छी तरह से सफल नहीं हुए। जो-जो भी चीजें हैं उनमें कौन कौनसी चीजों को पूरा करने में आपने रूचि दिखाई ?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, इस बजट में खनिज और इंडस्ट्री में टोटल का 1.18 परसेन्ट प्रोविज़न रखा है, इससे कौनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ? रूरल डवलपमेन्ट में भी अब इसी तरह से आपने प्रोविजन किया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता दूंगा। (व्यवधान) I am not yielding, please. Every time, every body stands up.

श्री सभापति : आप बीच बीच में टोकाटाकी न करें, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : No, no, I am not yielding, please.

श्री संयम लोढ़ा : आप अपनी पसन्द के अपनी सहूलियत के आंकड़े ढूंढकर रखोगे, उससे क्या मतलब है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : I am not yielding, please. I will not allow.

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी इजाजत की जरूरत ही नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप भा .ण दे लेना। आपका समय लेकर देओ न। मेरे आंकड़े लिख लो आप, काट करना बीच में। आप देना इसका जवाब, मैं आपको रोकूंगा नहीं।

श्री जुबेर खान : माननीय यह 1991 से 2000 के बीच में आठ साल तो आपका ही शासन रहा, जनसंख्या आप लोगों ने बढ़ायी कि हमने बढ़ायी ?

डा. एन.एस. गुर्जर : कौन जनसंख्या बढ़ाता है, सब लोग जानते हैं। जनसंख्या कौन बढ़ाता है और कौन आपकी पार्टी को समर्थन कर रहा है दिल्ली में भी जनसंख्या बढ़ाने वाला, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सभापति महोदय, स्टेटवाइज इम्पार्टेन्ट इकोनोमिक इंडीकेटर्स.....

श्री महीपालसिंह यादव : आप बढ़ा रहे हो, यह भी कम नहीं कर रहे। वह भी.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप विराज जाइये। मैं कोई जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा हूं, आपको गलतफहमी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कम्युनिस्ट बढ़ा रहे हैं क्या ? हमें समर्थन कर रहे हैं इसलिये कोई कम्युनिस्ट बढ़ा रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : माहिर साहब, विराजो प्लीज।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब इसमें काहे के लिये.....(व्यवधान) सभापति महोदय, फालतू की चीजों में खड़े हो जाते हैं आप......(व्यवधान) हां, तो आप भी इस पर बहस कर लेना बाद में। कोई और बोले तो बहस कर लेना जनसंख्या वृद्धि पर, मुझे क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं आप। कोई विद्वान आदमी बोले हमारी तरफ से, तब कर लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं तो नहीं हूं विद्वान, आपके हाथ जोड़ता हूं, बैठो। सभापति महोदय, यह बोलते हैं तो मैं इण्टरप्ट नहीं करता हूं। अब कोई

(श्री एन.एस. गुर्जर)

मतलब की चीज बोलकर इण्टरप्ट करें तो समझ में आता है, आलतू-फालतू की चीजों में इण्टरप्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदय, कुछ स्टेटवाइज इमपोर्टेन्ट इकोनोमिक इंडीकेटर्स दिये हैं, मैं 2003-2004 तक के आंकड़े बता रहा हूं। प्रति व्यक्ति विकास पर राजस्व व्यय, इससे आपको पता लग जाएगा राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कहां स्टैंड कर रहा है। आन्ध्रप्रदेश 2405 रूपये, आसाम 2493 रूपये, जम्मू कश्मीर 2982 रूपये, हिमाचल प्रदेश 4616 रूपये, पाइन्ट समथिंग वह मैं नहीं बोल रहा हूं, हरियाणा 2826, गुजरात 2862, उसके विपरीत राजस्थान केवल 1775 । ये इंडीकेटर्स हैं कि पांच साल में इन लोगों ने किस तरह का शासन चलाया है राजस्थान में। ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, प्रति व्यक्ति व्यय हुआ है राजस्व में उसके इंडीकेटर्स के आधार पर स्टेटवाइज निकाला है। उसमें राजस्थान कहां खड़ा है ? कहीं कहीं तो तो हम आन्धे हैं, कहीं 75 परसेन्ट कम, कहीं कितने परसेन्ट हैं। यह बताता है, दर्शाता है कि राजस्थान की इकोनोमिक सिचुएशन कितनी खराब है। यह बात ये लोग भी मानेंगे और इसीलिये इन्होंने लिख दिया। स्ट्रैस हाई फिस्कल स्ट्रैस में स्टेट फंस गया। इसके इन्होंने आंकड़े भी दिये हैं। अब मैं इसलिये कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कैसे आप निकालेंगे, हमने एनुअल प्लान बढ़ाया है इसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास होगा। अभी माननीय सदस्य आंकेड़े दे रहे थे, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा उन आंकड़ों में, आप इसमें देखें कि विकास, सोशल सर्विसेज, सोशल सैक्टर और सर्विस सैक्टर को भी हमने प्रोविजन्स ज्यादा रखे हैं विकास के साथ-साथ। आज हमारी इकोनोमी खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और पशुपालन पर हमने स्ट्रैस किया है। माननीय सदस्य दोहरा रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, 101.38 परसेन्ट की हमने बढ़ोतरी इसमें की है।

पावर का हमारे यहां क्राइसिस है, पावर के ऊपर चर्चा होगी उस दिन बताएंगे उसमें भी 30 परसेन्ट के करीब बढ़ोतरी की है। लेकिन क्राइसिस है। आज के जमाने में हमको हाई टैक्नोलोजी की तरफ जाना है, सबने ही मांग

(श्री एन.एस. गुर्जर)

की है इसके ऊपर। कुल जो इंडीकेटर्स हैं, तीन-चार चीजें मिलाकर आती हैं, 280.42 परसेन्ट इसमें बढ़ाया है। लेकर क्लास को भी 128 परसेन्ट के आस-पास बढ़ाया है। 75 परसेन्ट एजुकेशन पर हम अब पहुंचे हैं 61 परसेन्ट से। अलग-अलग स्टेट का दिया हुआ है। इंडोनेशिया में 1876 में 18 परसेन्ट एजुकेशन थी, साक्षरता थी और 1997 में, 1997 तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं वहां के, 86 परसेन्ट उन्होंने कर दिया। 1997 में हम केवल 52 परसेन्ट कर पाये, कितनी दु:खद स्थिति है। छोटा-सा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ गया। इसलिए हमने एजुकेशन पर भी 108.47 परसेन्ट बढ़ोतरी की है। इसमें सबमें मिलाकर जो चीज झलकती है वह यह कि डवलपमेन्ट के साथ-साथ सोशल एण्ड सर्विस सैक्टर में भी हमने ज्यादा वृद्धि की है ताकि किसी भी क्लास को निशाना बनाये बिना हम विकास की तरफ आगे बढ़ सकें और हम टेन्थ फाइनेन्स कमीशन के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कर सकें।

सभापति महोदय, इन्होंने लोन के बारे में बातें कही थीं। लोन के मामले में अगर हम 1993-94 से लगाकर देखें तो debt as percentage of G.S.D.P. 30 परसेन्ट था। इनके शासन में आते-आते 2002-2003 में, वहां के आंकड़े दे रहा हूं, फिर 2003-2004 में 53 प्रतिशत पर पहुंच गया। 30 प्रतिशत से 53 परसेन्ट, 23 परसेन्ट की बढ़ोतरी डैट में, अब यह कह रहे हैं कि इसे कैसे कम करेंगे, कैसे आप इसको ठीक करेंगे। अभी जिक्र किया कि 500 करोड़ रूपये पर ईयर जो डैट हमारे ऊपर बढ़ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इस पर अलग से किसी तरह से हमने प्रोविजन किया है।

सभापति महोदय, इन्होंने 1999-2000 की योजना में 1336.97 करोड़ की कमी की, 2000-2001 में 448.44 करोड़ की कमी की, 2001-2002 में 296.19 करोड़ की कमी की, 2002-2003 में 1151.85 करोड़ की कमी की। 2003-2004 में जब हम आये उसके बाद प्लानिंग कमीशनक के सामने गये, क्योंकि टेन्थ फाइनेन्स कमीशन के इन्होंने टार्गेट अचीव नहीं किये। संशाधन ये जुट नहीं पाये, इसलिए 5800 का प्लान लेकर गये। उसकी जगह 4200 करोड़ के आसपास उन्होंने कम कर दिया। वापस जब हम आये तो हमने इसको प्लस 1786.38 प्लान कर दिया और उस प्लान को 7000 करोड़ के

(श्री एन.एस. गुर्जर)

आसपास ले गये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह विकास की दर है। ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप स्टेट को इस फिस्कल स्ट्रैस से बाहर निकालेंगे, ये इण्डीकेटर्स हैं जो मैं बता रहा हूं, जिससे हम आगे बढ़ेंगे और इसको बढ़ाएंगे।

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो शुरू किया है.....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आज जमा नहीं मामला.....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मुझे भी समय दिया जाए।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरा तो समाप्त हो जाने दें। तगाराम जी, मेरा समाप्त हो जाने दीजिये, कृपया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 500 करोड़ रूपये पर ईयर का जो डैट आ रहा है राजस्थान पर, उसकी कमियों के कुछ तरीके निकाल सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 500 करोड़ का डैट नहीं आ रहा है, इसको सही करो। आप मन में आ रहा है जो ठोक रहे हो। बैठे-बैठे, मैं टोक नहीं रहा हूं, इसको सही करो। डैट आ रहा है 500 करोड़ का.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप मुझे करैक्ट कर दें। मैंने पहले ही कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, आप तो फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं......(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बर्डन है, यह आप जो कह रहे हैं, यह 500 करोड़ का क्या आ रहा है। आप बार-बार 500 करोड़, 500 करोड़ कह रहे हैं, क्या चीज आ रही है 500 करोड़ की ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आ रही है, आ रही है, बस।

डा. एन.एस. गुर्जर : 5000 करोड़ का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं वही तो कह रहा हूं कि 5000 करोड़ क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : 5000 करोड़ का कर्जा राजस्थान के ऊपर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ब्याज आ रहा है ? कर्ज आ रहा है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके एक तरफ कर्ज हो रहा है तो ब्याज इनक्लूडिंग आप लोन लेते हो वह सब मिलाकर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक कहा है, बैठे-बैठे ही।

डा. एन.एस. गुर्जर : कुल मिलाकर हम 24 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गये थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज आपने तैयारी नहीं की है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने 53 हजार पर पहुंचाया। कितना आया, एवरेज कितना लगाया, कहां से आ गया, एवरेज कितना लगा, पहले कितना आया.....

श्री अशोक बैरवा : आप आज पकड़े गये।

डा. सी.पी. जोशी : यह तो एनुअल देना पड़ता है, वह अमाउन्ट है सारा। यह तो ब्याज पर सरकार को देना पड़ता है। उसका है 5000 करोड़ रूपये।

डा. एन.एस. गुर्जर : वो भी है, वो भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वही है।

डा. सी.पी. जोशी : यह हालत है शिक्षा की। हमारे एक वरिष्ठ सदस्य पी.एच.डी. होल्डर को तकलीफ है तो शिक्षा कैसी होती होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनकी बात इतनी देर बाद आपके समझ में आयी।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब आप विराज जाएं। बार-बार आप इन्टरप्ट करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मुझे खतम करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ज्यादा करें तो किताब दिखा देना।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इनके गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत केन्द्र से कई तरह की सहायता मिली है, राशि मिली है मई, 2003

(श्री एन.एस. गुर्जर)

तक 3519 करोड़ रूपये इनको मिले, इसमें से इन्होंने केवल 1156 करोड़ रूपये खर्च किये।

डा. सी.पी. जोशी : 3500 करोड़ नहीं है.....(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : आउट हो गये आज.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : सुन लीजिये, मैं आपको बता देता हूं..... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बता दें.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता देता हूं, 2000-2001 में 1147 करोड़ रूपये आवंटित हुए, खर्चा हुआ 924 करोड़ रूपये। 223 करोड़ रूपया बच गया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उसकी बता रहा हूं.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक-एक बिन्दु आपको बताएंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, आप दस बजे तक हाउस चलाएं। पूरा भाषण होना चाहिए, एक भी बिन्दु बाकी नहीं बचना चाहिए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता रहा हूं कि कौन-कौनसी योजनाओं में पैसा आया है, 2001-2002 में 1178 करोड़.....(व्यवधान) इसमें से 1056 करोड़ रूपया खर्च हुआ, 123 करोड़ रूपया बच गया। 2002-2003 में 1047 करोड़ आया, 384 खर्च हुआ, 663 करोड़ बच गया। (व्यवधान) मई, 2003 तक 147 करोड़ रूपया मिला, खर्च निल, 147 करोड़ रूपया बच गया।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : कुल 3519 करोड़ रूपया मिला.....(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : इनके लिखने में भी सही नहीं है इसलिए ऊक-चूक बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : पांच साल में इसको रूपया मिला, 1156 करोड़ का उपयोग ही नहीं हुआ। आप बता देना, जब आपका भाषण हो कि कहां-कहां इसका उपयोग हुआ। यह इसलिए नहीं किया कि इन्होंने मैचिंग ग्रान्ट नहीं दी। यह मांग करते रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाथूसिंहजी, मैं बड़े अदब से निवेदन कर रहा हूं..... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अब आप मुझे बोलने दें। आप जवाब दे देना बाद में। अब आप बीच-बीच में हर पाइन्ट पर मुझे टोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार इनकी है। वित्त मंत्रीजी कह दें कि एक रूपया सी.एस.एस. के तहत मिला, उसमें राज्य सरकार ने तो मैचिंग ग्रान्ट नहीं दिया। सिर्फ कह भर दें, मैं इस सदन से क्षमा मांग लूंगा। माफी मांग लूंगा, सिर्फ कह भर दें। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : बहुत चिन्ता करते हैं, अभी इन्दिरा गांधी कैनाल की बातचीत चल रही है, हमारे शासनकाल में 1993-94 में 52 करोड़ रूपया सहायता के रूप में लेकर आये, यह विधान सभा में ही लीडर आफ अपोजिशन के सवाल के जवाब में आया है। ये आकड़े भी आप कह दें कि गलत हैं। 1993-94 में 52 करोड़, 1994-95 में 60 करोड़ का, 1995-96 में 60 करोड़, 1996-97 में 777 और इनके आते ही 30 करोड़ और 1999-2000 में केवल 8 करोड़ रूपये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब यह कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दे रही थी। आपकी सरकार ने आते ही दिल्ली के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर के लिए पैसे की कटौती कर दी, इसके जिम्मेदार आप हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप चिल्लाते रहे, खजाना खाली है। केन्द्र सरकार पैसा नहीं देती। आपके नरसिंह राव रहे, हम पैसा लाये। आपके देवगौड़ा

(श्री एन.एस. गुर्जर)

रहे, हम पैसा लाये। आपके गुजराल रहे, हम पैसा लाये। आप में हिम्मत नहीं थी कि पैसा लेकर आओ। आप में कारीगरी ही नहीं थी कि पैसा लेकर आओ। कहां से पैसा लाये आप ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपने कहा कि दिवालिया है, कंगाल है, कंगाल है.....(व्यवधान) पैसा कहां से आएगा ?

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी बहुत बोले हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं अभी अधिसूचना आई थी, उस दिन माननीय सदस्य ने उस पर पूछा था, 28-6-2003 को, चुनाव के पहले इन्होंने विद्युत शुल्क में बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को 50 प्रतिशत की छूट दी, इन्होंने इसी बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी, इन्होंने बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को केन्द्रीय विक्रय कर, सी.एस.टी. में छूट प्रदान की, किस आधार पर की इन्होंने ? यह कौनसी कम्पनी थी ? इसका मालिक कौन था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह उद्योग लगा ही नहीं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं छेड़ना नहीं चाहता था आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खूब छेड़ो न, सारी सरकार आपके पास है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह कौन से जिले का मामला है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बालाजी उद्योग किसका है ? (व्यवधान) कौन है बालाजी ?

डा. एन.एस. गुर्जर : कौन है बालाजी ? (व्यवधान) कौनसे जिले का मामला है ? आप बताइए, यह कौन है ? आप बताइए ? (व्यवधान) बहुत बोल रहे थे इतनी देर से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार आपकी है, जांच करवाओ न। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : वह तो जांच करवाएंगे ही। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारी सरकार आपकी है, जुडिशरी जांच करवाओ। सरकारी आपकी है, जांच कराओ। (व्यवधान) .

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बताइए, कौन हैं यह ? बहुत बोल रहे थे जैसे स्प्रिंग लगी हो। मैं छेड़ना नहीं चाहता था आपको। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : कौनसे बालाजी हैं ?

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : घाटा मेहन्दीपुर के बालाजी तो नहीं ? सालासर ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : देखिए, यह ट्रस्ट नहीं है। यह ट्रस्ट नहीं है। आप बालाजी दूसरे बालाजी को समझ रहे हैं। माननीय सदस्य मुझे इण्डीकेट कर रहे हैं, आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं इतनी देर से। जैसे स्प्रिंग लग रही है, बार-बार खड़े हो रहे थे, आप बताइए इस बारे में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बालाजी के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि किसी विभाग के यहां फाइनेंशल कन्शेसन नहीं दिया जाता, न वह इण्डस्ट्री लगाता है, नोटिफिकेशन निकालने की जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेन्ट की होती है। आपके पास फाइलें हैं, मैंने किसी को कंसेशन नहीं दिया, मैं अकेले कंसेशन देने में सक्षम नहीं था। इण्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट की सिफारिशें बी.डी. में जाती थीं, वहां तय होता था, नए उद्योग लगाने की बात थी। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : सरकार तो आपकी थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार थी तो क्या, बहुतों को दिया। आपकी सरकार ने दिया। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : किसको दिया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ......(व्यवधान).....हुण्डई को लगाने के लिए दिया। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : ठीक चुनाव से पहले बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड.....(व्यवधान) एक मिनट रूको। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, आप बैठिए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : बालाजी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को यह आपने दी है 26-8-2003 को।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, दी होगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : ठीक चुनाव से पहले, यह क्यों दी आपने ? ऐसे कैसे दे दी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, दी होगी, आप जांच करवा लो। नए उद्योग लगाने की बात है। नए उद्योग लगाने की बात है.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : नए उद्योग लगाने की बात है, इण्डस्ट्री तो लगी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ......(व्यवधान)......वहां आपने सारे मामले रोक दिये। जो थें वे भी राजस्थान से चले गऐ जब आपका राज आया। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : आपने गलत आदमी को छेड़ दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब ये तैयारी करके नहीं आये, मैंने सवाल पूछ लिया.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : कितने देर से खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि बैठ जाइए, बैठ जाइए, पर मान ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे गलत बात लगी तो मैं और छेड़ूंगा। गलत बयानी करेंगे, बिना पढ़े-लिखे आएंगे, यहां पर ठोकेंगे आकर, गलत तथ्य पेश नहीं करने देंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं तथ्य बोल रहा हूं। जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2003 86 दिन तक आपकी सरकार ओवर ड्राफ्ट में रही जबकि हमारी सरकार में जनवरी, 2004 में 5 दिन ओवर ड्राफ्ट रहा, फरवरी, 2004 में केवल। दिन ओवरड्राफ्ट रहा और मार्च, 2004 में तो बिलकुल ही ओवरड्राफ्ट नहीं था, जीरो ओवरड्राफ्ट हो गया। अब यह भी गलत तथ्य है तो बताइए ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बिलकुल सही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मवा घण्टा हो गया, सवा घण्टा पूरा आप घड़ी देख लो। दूसरों की बारी आनी चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, मैं नहीं जानता। मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, कुछ सुझाव देना। यह जो हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, इस कर्ज के ब्याज के रूप में जो पैसा देते जा रहे हैं और आज फिस्कल स्ट्रैस में फंस गया है हमारा स्टेट, इसको निकालने के तरीके हैं। कुछ तो भगवान साथ दे रहा है, कुछ हमारी सरकार मेहनत कर रही है। हमारे जितने सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, मैं सुझाव देना चाहूंगा...... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कनक्लूड करें दो मिनट में।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। आधा टाइम तो वे ले गए बीच में, उनको तो टोका नहीं आप इण्टरप्शन तो रोक नहीं रहे, मैं क्या करू ? आप टोटल समय देखिए, मेरा आधा समय तो इण्टरप्शन में ही चला गया।

सभापति महोदय, हमारे कई सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करें, जैसी केन्द्र सरकार की नीति है। इनको जो हम लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, इन पैसों की हम बचत करें। इसके अलावा हम लीकेज रोकें। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश आई थी, आपने तो उसे नहीं माना। माननीय सभापति महोदय, अगर लीकेज ये रोकते तो, लीकेज रोकने से हमें जो फायदा हो सकता है.....(व्यवधान) प्रशासनिक सुधार आयोग जो माननीय शिवचरणजी माथुर की अध्यक्षता में था, आपकी ही पार्टी के हैं, उन्होंने रिपोर्ट रखी है, आप पढ़ लेना। उसको भी गलत बता देना। उसमें कहा है कि आज सरकार के 15 हजार सरकारी व्हीकल्स चल रहे हैं, उन पर टोटल साढ़े चार करोड़ का खर्चा आ रहा है। माननीय पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इन टोटल 15 हजार व्हीकल्स में से 12 हजार व्हीकल्स तो विथड्रा कर लें और ला एण्ड आर्डर के लिए 3 हजार व्हीकल्स रख लें।

श्री सभापति : आप कनक्लूड करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, मैं कनक्लूड ही कर रहा हूं। आप 350 करोड़ रूपए बचा सकते हैं, इन सारे स्टेप्स से।

माइनिंग में जितने भी कोर्ट केस चह रहे हैं और एन.ओ.सी. नहीं दी जाती है, अगर दूसरी जगह वृक्ष लगाने की व्यवस्था कर दें और आप एन.ओ.सी. दे दें तो 600 करोड़ रूपये जो माइनिंग से आ रहे हैं वे बढ़कर 800 करोड़ रूपए तक पहुंच जाएंगे। 200 करोड़ रूपए आप यह बचा सकते हैं कुल साढ़े पांच सौ करोड़।

इसी तरह से टैक्स कलेक्शन, बजट के अन्दर बताया गया कि 200 करोड़ रूपए से ज्यादा टैक्स कलेक्शन से बचाएंगे।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता जिसका जिक्र कर रहे थे, तेल व गैस का, राज्य को अधिकार है लाइसेन्स देने का, जैसा मुझे बताया गया है, सब्जैक्ट टू करेक्शन, केन्द्र के पैट्रोलियम रूल्स में प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेन्ट लाईसेन्स देगी, लेकिन केन्द्र सरकार ने हमसे हमारा अधिकार छीन लिया और उन्होंने ओ.एन.जी.सी. को आज से कई साल पहले लाईसेन्स दे दिया। ओ.एन.जी.सी. ने पहले एक कम्पनी को दिया, उस कम्पनी ने दूसरी कम्पनी को लाइसेन्स दिया। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि आज मिडिल ईस्ट के षड्यन्त्र के कारण, उन कम्पनियों को मिडिल ईस्ट पैसा दे रहा है कि आप तेल के भण्डारें पर शीघ्र कार्यवाही मत करो ताकि हमारी तेल कीमतें नीचे नहीं आएं। आज मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तनोट के पास पाकिस्तान में गैस के भण्डार हैं, पूरे पाकिस्तान की 10 प्रतिशत आपूर्ति वहां से हो रही है। हमारे यहां पर फीनिक्स कम्पनी जो जूते बनाने वाली कम्पनी है, उसको लाइसेन्स जारी कर दिया। एक एस्सार कम्पनी है उसको लाइसेन्स जारी कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, 35 दिन में एक कुआ खुद सकता है, सात वर्ष में कम से क्रम सत्तर कुए खुद सकते थे, लेकिन अभी तक केयर्न्स कम्पनी ने वहां 13 कुए ही खोदे हैं। यह लीज ओ.एन.जी.सी. ने दी थी उनको, लेकिन उन्होंने लीज पर लीज, लीज पर लीज, सब लैट पर सब लैट, सब लैट पर सब लैट करके दे दी। सभापति महोदय, रामगढ़ के पास थोड़ी-सी रिक्वायरमेन्ट है,

(श्री एन.एस. गुर्जर)

उसको पूरा कर दें। 1954 में ओ.एन.जी.सी. को यह लाइसेन्स दिया गया तब से कम्पनी लिए बैठी रही, सब लैट कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं कर ही राह हूं। इनसे जो इन्होंने एक्सपैक्ट किया रेवेन्यू कि 200 करोड़ रूपए तक चला जाएगा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसमें तेजी लाई जाए तो तेजी लाने के कारण, आपको हर साल, अभी से उनको आप पाबन्द करें कि आपकी लीज कैंसिल कर दी जाएगी, लाइसेन्स कैंसिल कर दियां जाएगा अगर आप इसमें तेजी नहीं लाएंगे, इस तरह की कुछ कण्डीशन्स डालें तो आपको राजस्थान में अकेला तेल हजारों करोड़ रूपए दे सकता है जिससे हमारा स्टेट फिस्कल स्ट्रैस से बाहर निकल सकता है।

सभापति महोदय, 38 हजार उद्योगों के लिए बताया गया है, उद्योग बन्द हो गऐ, इसकी क्या सरकार ने जांच की ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पांच साल आप सरकार में रहे, यह जांच करते कि किन-किन लोगों ने केवल सब्सिडी खाने के लिए लोन लिया। यह क्रम इनकी सरकार में भी जारी था और यह क्रम हमारी सरकार में भी जारी था। चाहे हमारी सरकार आओ चाहे इनकी सरकार आओ, यह क्रम जारी रहता है। कुछ लोग प्रदेश के अन्दर ऐसे हैं जो उद्योग धन्धों के लिए आर.एफ.सी. या रीको से लोन लेते हैं। सब्सिडी खा जाते हैं। दूसरी खादी की एजेंसीज हैं उनसे लोन लेते हैं सब्सिडी खा जाते हैं और बाद में उस इकाई को रूग्ण बनाकर भाग जाते हैं। इससे सरकार का करोड़ों रूपया फंस जाता है। आप जांच कराएं इनमें कि कौन लोग ऐसे हैं जो दूसरा नाम बदलकर दूसरी इण्डस्ट्रीज के नाम से लोन ले लेते हैं और उसमें सब्सिडी खा जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग हैं, कामन पाएंगे जिनकी इकाइयां बार-बार रूग्ण हुई हैं। वे कौन लोग हैं, इसके बारे में आप पता करिए जो बार-बार सब्सिडी खा रहे हैं। ये प्रभावशाली लोग हैं, कोई किसी के प्रभाव में आकर काम करता है, कोई किसके प्रभाव में। मैं चाहूंगा सरकार से कि इस सम्बन्ध में भी आप कोई ठोस कदम उठाएं, जांच करें, एक कमेटी बैठाएं। पूरी की पूरी सिक यूनिट्स हैं इनके बारे में आप जांच कराएं तो यह एक बहुत बड़ा

(डा. एन.एस. गुर्जर)

घोटाला यहां पर निकलेगा। सभापति महोदय, अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा.....

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : बस दो मिनट में। आबकारी के अन्दर 22 परसेन्ट रेवेन्यू बढ़ा है, 22 परसेन्ट। यह कब बढ़ा है ? सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, आज भी शराब के ठेकेदारों में करोड़ों रूपये बाकी हैं। पिछली सरकार ने उनको छूट देते हुए ब्याज में तो छूट दी जो दी, लेकिन जो मूल था उसमें भी छूट दे दी। कहा गया, 50 परसेन्ट पैसा अगर आप जमा करा देते हो तो सारा बाकी पैसा माफ कर दिया जाएगा। सभापति महोददय, इन्होंने किस आधार पर चुनाव में पहले 50 परसेन्ट उनको छूट दे दी, ब्याज पर उनको छूट दे दी ? आज वो ही व्यापारी ज्यों ही सरकार बदली, सारे के सारे ठेकेदार, शराब के माफिया कोर्ट में चले गये। कोर्ट से स्टे लेकर बैठ गये। स्टे लेने के बाद आज उनको एक पन्ना मिल गया, जब भी कोई कहता है, हमारे पास स्टे है। मैं चाहूंगा सरकार से, जनता का करोड़ों रूपया इन ठेकेदारों में फंसा हुआ है, उस स्टे को आप तुड़वाइये और तुड़वाकर वो पैसा वापस लिया जाए, उनसे वसूल किया जाए ताकि सरकार पर भार कम पड़े।

अन्त में, सभापति महोदय, दवा उद्योग, हमारे राजस्थान के अन्दर मैंने पहले भी जिक्र किया था, बाहरी इन्वैस्टमेन्ट सबसे कम है। सबसे कम इसलिए है कि पानी की कमी है, पावर की कमी है, हमारे यहा पर इंडस्ट्रियल एटमोस्फियर नहीं है। यहां पर यदि दवा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। आज, सभापति महोदय, मैं कहता हूं, पूरे वर्ल्ड में जितनी इवाइयां बनती हैं, 50 परसेन्ट दवाइयां जापान में बनती है, 40 परसेन्ट दवाइयां अमेरिका में बनती हैं, भारत में केवल 5 परसेन्ट दवाइयां बनती हैं और राजस्थान में तो उसका हिस्सा बहुत नगण्य है, 5 परसेन्ट। दूसरे देशों के अन्दर बनती हैं। एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री का जरिया हमारे लिये और इनकम का जरिया बन सकता है यदि हम दवाई की जो इण्डस्ट्रीज हैं उनको राजस्थान में लाकर प्रोत्साहित करें।

श्री सभापति : माननीय डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री सभापति : अब कोई अन्त नहीं, आप समाप्त करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इस तरह से जो ये उपाय हैं, छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ाना, छोटी-छोटी लीकेज को रोकना, ये सब करके हम टैक्स को बढ़ा सकते हैं और विकास के रास्ते पर राजस्थान को ला सकते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है, मुझे बोल लेने दो आप।

श्री तगाराम चौधरी : आपके बाद में तो मेरा नम्बर है।

श्री सभापति : आप विराजें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह मेरा दुर्भाग्य है कि टोडारायसिंह से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य नाथूसिंह जी गुर्जर के बाद में बोल रहा हूं। इन्होंने एक घण्टे तक इतने जोरदार आंकड़े सदन के सामने पेश किये कि लोग कनफ्यूज हो गये और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, पता नहीं कौन-कौनसे आंकड़े निकालकर पेश किये। खैर, मैं अपनी बात करता हूं, कोशिश करूंगा मेरी बात भी लोग समझ जांए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 16 जुलाई, 2004 को अपने बजट भाषण के उत्तर में चार लाइनें कहीं उसमें उन्होंने यह कहा कि रिटेलर टैक्स की वजह से एम.आर.पी. नीचे लाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने दवाइयों को दूसरे सामनों के साथ में मिक्स करके यह बात कही जो कि अनुचित है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं जानकारी के लिए कि दवाइयों पर जो एम.आर.पी. लगी हुई होती है उसको राज्य सरकार तय नहीं करती, उसको सेंट्रल गवर्नमेन्ट का डी.पी.सी.ओ. तय करता है.-ड्रग प्राइस कन्ट्रोल आर्डर कि एम.आर.पी. कितनी होनी चाहिए।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इसलिए दूसरी 12 जिंसों के ऊपर उन्होंने कहा है कि एम.आर.पी. के ऊपर टैक्स लगेगा और उसमें दवाइयों को भी शामिल कर लिया गया है, वो सर्वथा अनुचित है। मैं कल शून्यकाल में बोल रहा था तो माननीय मंत्री महोदय घनश्यामजी तिवाड़ी ने मुझे बहुत जोर से टोका कि यह शून्यकाल में उठाने का प्रश्न नहीं है, आप एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर बोलना, तो मैं उसके अन्दर दुबारा बोलकर उनको बता देता हूं। बड़ी शान से यह घोषणा की गई कि दवाइयों के ऊपर टैक्स 9.2 परसेन्ट से घटाकर 9 परसेन्ट कर दिया गया है। देखने में यह लगता है कि टैक्स आपने कम कर दिया, 9.2 से 9 परसेन्ट कर दिया, लेकिन वो 9.2 परसेन्ट टैक्स पहले किसके ऊपर लगता था ? पहले स्टोकिस्ट प्राइस पर लगता था। अब जो 9 परसेन्ट टैक्स लगा रहे हैं वो आप लगा रहे हैं एम.आर.पी. के ऊपर। पहले जो फर्स्ट पाइण्ट पर लगता था, अब आप लगा रहे हो लास्ट पाइण्ट के ऊपर। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूं कि उसमें इस चीज का भी ध्यान नहीं रखा गया.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, आपको मैं टोकना नहीं चाहता।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, आप मुझे मत टोकिए, मेरी बात सुन लो, बाद में आप बोल देना। मैं गलत कुछ भी नहीं बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप रिकार्ड पर गलत चीज मत दो।

डा. चन्द्रशेखर बैद : रिकार्ड में बिलकुल सही जा रहा है, मैं गलत कुछ नहीं बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसकी पैरवी कर रहे हो ? आप उसकी पैरवी कर रहे हो, डाक्टर साहब, जो आज तक टैक्स खाता रहा। कन्जूमर का टैक्स जो रिटेलर खाता रहा, उसकी पैरवी कर रहे हो ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं नहीं कर रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जैसे आदमी से यह उम्मीद नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एम.आर.पी. पर हमेशा टैक्स लगा है। आज कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आदमी दवाई लेने चला जाए, एम.आर.पी. पर टैक्स देना पड़ता है, पहले वन टाइम टैक्स लगता था, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हो.....

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, मैं किसी की.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वन टाइम टैक्स, स्टाकिस्ट को दे देता था कम पैसे का टैक्स और आगे कन्जूमर से पूरा पैसा लेता था।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप पूरी बात मेरी सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या बताऊं आपको ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आप क्यों पैरवी कर रहे हो ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं, आपको नहीं पसन्द आए तो आप उसको कांट्राडिक्ट कर देना। मैं यह कह रहा हूं, 9.2 परसेन्ट जो टैक्स लगता था वो स्टाकिस्ट प्राइस..... (व्यवधान) नहीं, मुझे तो तकलीफ नहीं हुई।

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे 10 जने एक साथ उठकर इंटरप्ट कर रहे थे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, 9.2 परसेन्ट टैक्स लगता था वो स्टाकिस्ट प्राइस पर लगता था। अब आपने 9 परसेन्ट कर दिया है मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। मैं दो चीजें इसमें निवेदन करूंगा। एक तो, दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्लस इंक्लूजिव आफ आल टैक्सेज। खाली दवाइयां ऐसी चीज हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है एम.आर.पी. प्लस लोकल टैक्सेज एक्स्ट्रा। अब इसमें एक बड़ी मेजर एरर इन्होंने की है, जो खाली इसीलिए की है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। हरियाणा का जो दस्तावेज था उसकी वो की वो कापी करके इन्होंने यहां पेश कर दिया, वो मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जो टैक्स स्ट्रक्चर इंपोज किया गया इससे जो...... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, आपकी इजाजत से कह रहा हूं, इस सदन में ऐसा भी उदाहरण आया था, यहां पर कांग्रेस के एक मंत्री थे, जब जे.डी.ए. एक्ट बन रहा था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, उन्होंने जब जे.डी.ए. एक्ट बनाया तो 105 धाराएं थीं, मुझे याद है, मैं भी विपक्ष में था, 105 धाराओं में उन्होंने लिखा, जयपुर के पश्चिम में समुद्र के अन्दर इतने किलोमीटर होगा तो यह होगा, जयपुर के दक्षिण में समुद्र में इतने किलोमीटर होगा तो यह होगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद : बिलकुल वैसी ही इन्होंने की है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उन्होंने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के एक्ट लिये, उनका कांबीनेशन किया और यहां पर रख दिया। हमने उस पर आब्जेक्शन किया, 105 में से एक कमेटी बनी, 97 धाराओं में अमैण्डमेन्ट हुए। इसलिए यह होता है पहले से भी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज निवेदन करूं कि इस तरीके से किया गया है.....

डा. एन.एस. गुर्जर : सारी फार इण्टरप्शन। मैंने जानकारी दी है आपको कि एक्ट कैसे बनते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह जो भी है यह मेरे टाइम में इनक्लूड नहीं किया जाए। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, इन्होंने जो स्ट्रक्चर इम्पोज किया है इससे जो ब्राण्डेड मेडिसिंस हैं उनके दाम एक परसेन्ट महंगे हो गये। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा महंगे हो गये। जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि आप किसी को बचाने का या पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा; मैं कह रहा हूं, एक परसेन्ट टैक्स आम कन्जूमर के ऊपर नहीं पड़े। आप लो न मर्जी आए उतना टैक्स, कौन रोकता है ? केमिस्ट से और रिटेलर्स से टैक्स लेने में आपको कौन रोकता है ? लेकिन कन्जूमर को एक परसेन्ट टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा ता दर्द होता है और यह टैक्स पूरे राजस्थान की जनता देगी। एक तरफ अकाल पड़ रहा है, बिजली है नहीं, पानी है नहीं और दवाइयों के ऊपर टैक्स आपने एक परसेन्ट बढ़ा दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, इसके अन्दर जो जेनेरिक मेडिसिंस हैं, मेडिसिन

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

दो तरह की होती हैं, एक तो ब्राण्डेड मेडिशिन होती है, एक जेनेरिक होती है, जेनेरिक मेडिसिंस पर कम से कम 9 परसेन्ट कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। क्योंकि जेनेरिक मेडिसीन के अन्दर स्टाकिस्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अन्दर काफी अन्तर होता है। इसलिए उनके अन्दर इतना भारी फर्क पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको निवेदन करूं, ये आंकड़े मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं, एक से 9 परसेन्ट, 9 परसेन्ट मैं मिनिमम मानकर चल रहा हूं, 9 परसेन्ट जेनेरिक मेडिसिंस के अन्दर प्राइसेज के अन्दर बढ़ोतरी होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो, डाक्टर साहब, यह बता दें, आपको इतने साल हो गये प्रैक्टिस करते, एक ऐसा दुकानदार बता दें मेडिकल शाप का जो एम.आर.पी. से कम लेता हो। (व्यवधान) एम.आर.पी. से पूरा पैसा लेते हैं। उसको तो पूरा पैसा देना पड़ता है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि एम.आर.पी. का मतलब यह नहीं होता है कि एम.आर.पी. में वह दवाई बेचेगा। मैं आपको ऐसी दवाइयां बता दूं तो एम.आर.पी. से कम दाम में अभी भी मिलती हैं और पहले भी मिलती थीं। एम.आर.पी. का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका मतलब यह नहीं है कि.....

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री) : माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जो आप बार-बार इस बात को रिपीट करते हैं कि एम.आर.पी. से कम पर अगर कोई दुकानदार किसी को दवाई देता है तो केवल पढ़े-लिखे आदमी को, अपने जान पहचान वालों को, एक आम किसान, गरीब आदमी.....

डा. चन्द्रशेखर बैद : उस गरीब आदमी की ही बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : उसे एक नये पैसे कम पर दवाई नहीं देते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मंत्री महोदय, आप विराजो तो मैं अपनी बात कह लूं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : मेरा एक मिनट निवेदन सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको स्वागत करना चाहिए।

डा. दिगम्बर सिंह : एक निवेदन मेरा सुन लीजिए आप। आप कह रहे हैं दवाई महंगी हो गई, मैं कह रहा हूं दवाई महंगी नहीं हुई, इसमें रिटेलर्स का जो मार्जिन अनाप-शनाप था वह कम हुआ है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : रिटेल का मार्जिन आप पूरा रख लें राजस्व के अन्दर, लेकिन आम आदमी, कन्जूमर दवाइयां खरीदता है वे महंगी नहीं होनी चाहिए।

डा. दिगम्बर सिंह : आप मेरा निवेदन एक मिनट के लिए सुन लीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था ग्लूकोज की बोतल जिसकी मैन्यूफैक्चरिंग कास्ट 7 रूपये से ज्यादा नहीं आती थी, उस पर एम.आर.पी. लिखी रहती है 31 रूपये, 32 रूपये, तो गरीब आदमी उस बोतल को 32 रूपये में खरीदता था। आज एस.एम.एस. में मैन्यूफैक्चरिंग हो रही है, कितने पैसे में पड़ रही है, आप खुद जानते होंगे। 7 रूपये से लेकर 32 रूपये में जो रिटेलर बेच रहे हैं, कितने परसेन्ट मुनाफा है ? एक रिटेलर गरीब बस्ती से कमा रहा था तो आज हमारी सरकार ने दवाई का दाम नहीं बढ़ाया है, दवाई का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, केवल रिटेलर का जो मार्जिन था उस मार्जिन को कम किया है जिससे गरीब व्यक्ति की लूट नहीं हो।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह आपने जो कहा न टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया है। मैं बता सकता हूं, आपने टैक्स कैसे बढ़ाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक बहुत इम्पार्टेंट कैटेगरी है जीवनरक्षक दवाइयों की जिनकी कीमत सारी सरकारें कम कर रही हैं, जिनकी कीमत यूनियन गवर्नमेन्ट भी कम रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, हेपेटाइटिस "बी" वैक्सीन अपने राज्य के अन्दर तो 20 प्रतिशत फुल वैक्सीनेशन करते हैं जबकि अपने देश का औसत 57 परसेन्ट है, टी.बी. की दवाइयां डाइबिटीज में काम आने वाला इन्सुलिन इन सब 16 दवाइयों की लिस्ट है मेरे पास, इन दवाइयों की कीमत अपने पड़ौसी राज्यों के अन्दर, दिल्ली के बजट में कम कर दी गई हैं। वहां की कीमतों में और राजस्थान की

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कीमतों में जब से 16 परसेन्ट का फर्क है। अब आप यह अन्दाजा लगाकर देखिये कि एक तरफ तो अकाल है यहां पर और दूसरी चीज यह है कि यहां 16 परसेन्ट दवाइयां जो हजार-हजार, पांच-पांच सौ रूपये में आती हैं, उनका इनफ्लक्स दिल्ली से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ? जब दिल्ली से दवाइयां यहां आनी शुरू हो जाएंगी तो स्पूरियस मेडिसिंस भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। मैं इस चीज की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, रिटेलर राजस्व पहले नहीं दे रहे थे, वह आए वह खूब लो आप, लेकिन एक कन्जूमर को दवाई के दाम ज्यादा देने पड़ रहे हैं वह नहीं होना चाहिए, मेरा निवेदन बस इतना ही है।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं डाक्टर साहब, आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कन्जूमर के पार्ट पर आज दवाइयों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में पढ़ा था.....

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय, मैं एक निवेदन करूं।

डा. दिगम्बर सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी टी.बी. की दवाइयों के बारे में बात कर रहे थे, टी.बी. की दवाइयां तो सरकार ही फ्री दे रही है, मरीज को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आज डाट्स की जो प्रणाली टी.बी. में चली है, आप खुद जानते हैं, टी.बी. के लिए मरीज को कम से कम दवाई खरीदने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रग्स में ब्राडली अपने दो तरह का डिवीजन करते हैं- एक शिड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं, एक नान शिड्यूल ड्रग्स होती हैं। शिड्यूल ड्रग्स में केवल 74 मेडिसिंस हैं जिनकी रेट गवर्नमेन्ट तय करती है, बाकी जो नान शिड्यूल ड्रग्स हैं उनका गवर्नमेन्ट रेट तय नहीं करती है। यह सारा रेवेन्यू आज तक गवर्नमेन्ट को नहीं आता था, टैक्स के नाम पर पैसा रिटेलर मरीज से लेकर अपने पास रखता था। आज रेवेन्यू बढ़ेगी पर मरीज के या गरीब आदमी के ऊपर एक पैसे की बढ़ोतरी दवाईयों में नहीं होती। इस तरह का प्लान है इसमें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्यां-3) विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 पारित होने तक समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से कहा कि टी.बी. की दवाइयां आजकल डाट्स प्रोग्राम में मरीजों को फ्री मिल रही हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने राज्य में 8 लाख टी.बी. के मरीज हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं और कहीं से नहीं बोल रहा हूं, इनमें से सिर्फ एक लाख टी.बी. के लोग सरकारी दवाई ले रहे है, बाकी सात लाख तो खरीद कर ले रहे हैं। मैं उन सात लाख की बात कर रहा हूं, एक चीज। दूसरी चीज आपकी जानकारी के लिए, 30 हजार टी.बी. के मरीज प्रत्येक साल अपने राज्य में मर रहे हैं। यह उन सात लाख लोगों के अन्दर से हैं जो मर रहे हैं। मैं इन सात लाख लोगों की बात कर रहा हूं जो फ्री में दवाइयां सरकार से नहीं ले रहे हैं। जो बाजार से दवाइयां खरीद कर ले रहे हैं उसकी कीमतें जो दिल्ली में हैं, जो अपने पड़ौसी राज्य के अन्दर हैं उनमें 10 से 16 परसेन्ट का फर्क है। अब यह दवाइयों का इनफ्लक्स दिल्ली से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ? दिल्ली से जो स्पूरियस (नकली) दवाइयां आती हैं, वे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी ? मैंने जो बोला है वह सरकारी आंकड़ों से ही बोला है कि 8 लाख हैं। अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला कि दवाइयों की फैक्ट्री लगानी चाहिए और 50 परसेन्ट दवाइयां जापान से बनती हैं और राजस्थान में तो एक छोटा सा हिस्सा बनता है। उस छोटे-से हिस्से को भी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

खपन खतम करना चाहते हैं, क्यों खतम करना चाहते हैं ? 250 ड्रग दवाई निर्माता हैं यहां पर और उन 250 का जो टर्नओवर है वह 500 करोड़ से ज्यादा है, जब इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है और आपने टैक्स लगाकर उनकी कीमत बढ़ा दी, जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर, तो इनमें से 75 परसेन्ट मेडिसिन पास के राज्यों में बिका करती थी, वह काम्पीटिटिव हो जाएगी और वह नहीं बिकेगी और यहां के जो ड्रग मैन्यूफैक्चरर हैं और भी खतम हो जाएंगे।

अब मैं आपको, माननीय सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं हरियाणा का यह बिल है, मेरे पास, वह जो कह रहे थे टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य समुद्र के किनारे वाली कुछ बात, कुछ वैसी ही है। एक्जेक्टली वैसी की वैसी इसको कापी कर दिया।

मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हरियाणा में इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया गया था नवम्बर, 2002 को और वह सिर्फ तीन महीने ही चला, तीन महीने के अन्दर ही फ्लाप हो गया। क्यों फ्लाप हो गया ? क्योंकि वह तरीके से नहीं लगाया गया था। (व्यवधान) आप यह देखिये, इसके अन्दर जो अवेटमेन्ट है, एक तरफ तो आप कह रहे हो अवेटमेन्ट नौ परसेन्ट कम करके उसके बाद टैक्स लगाएंगें, तो इस 9 परसेन्ट को, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपका थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित कर लूं तो बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा, इस 9 परसेन्ट को बढ़ाकर कम से कम 25-30 परसेन्ट अगर आप कर दो तो दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। जेनेरिक मेडिसिन में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह आपने सिर्फ 9 परसेन्ट का लिया है, 9 परसेन्ट से नहीं होता जो एम.आर.पी. है। आज 50 रूपये की दवाई पर लिखा हुआ होता है एम.आर.पी. सौ रूपये, तो वह 50 पर टैक्स देता था, अब सौ पर टैक्स देगा, तो बताइये, दवाई की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ?

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, 50 रूपये की दवाई पर एम.आर.पी. सौ रूपये अगर लिखा हो तो क्या उसको जस्टिफाई मानते हैं ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूं।

श्री जुबेर खान : विनियोग विधेयक में खाली दवाई तो बिकेंगी नहीं, पूरे राज्य का बजट है, बोल लेने दें फिर मुख्य मंत्री जी सारा जवाब दे देंगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने जो छोटा-सा उदाहरण दिया था मेरे बजट भाषण के अन्दर.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, आप तारानगर के विधायक हो, दवाई का काम तो छोड़ो और वहां की बात करो।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप वित्त मंत्री नहीं हो, आप क्यों जवाब दे रहे हो ? आपने कहा, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगी। एक मैं छोटा-सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मैं मेरे बजट डिस्कशन के अन्दर बोला था कि फलां जेनेरिक मेडिसिन जो है उस पर 6 गुना के ऊपर टैक्स बढ़ गया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के उत्तर में बोला कि तारानगर से आये हुए विधायक ने कहा कि दवाइयों की कीमतें 6 गुना बढ़ गई। यह रिकार्ड है मेरे पास। मैंने तो कभी कहीं ही नहीं कि 6 गुना बढ़ गई। मैं तो कह रहा हूं, टैक्स आपने जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर 6 परसेन्ट बढ़ा दिया। मैं आपको यह निवदेन करना चाहूंगा कि यह जो सारा किस्सा चल रहा है वह यह चल रहा है सारी सरकार किस चीज में लिप्त हो रही है, वह एक ही चीज में लिप्त हो रही है कि सुबह ट्रांसफर करना, दोपहर को करना, शाम को करना, रात के 3 बजे ट्रांसफर की लिस्ट निकलना। रात के पांच बजे भी ट्रांसफर की लिस्ट निकलती है। जिनको इस चीज का ध्यान नहीं है कि गरीब आदमी की दवाई की कीमत कैसे की जाए, पानी कैसे पहुंचाया जाए, बिजली कैसे पहुंचाई जाए।

(17.00 बजे)

बिजली के बारे में मैं छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा। जो बिजली की कटौती शहर में शुरू की है इन्होंने, इन्होंने यह ध्यान नहीं रखा, ये ट्रैफिक की लाइट को भी बन्द कर देते हैं। ट्रैफिक की लाइट नहीं जलती है। आप सुबह जाकर देख लीजिये, सारी ट्रैफिक की लाइटें बन्द हैं। मेरे को डर कि कहीं आपकी गाड़ी पर लगी हुई लाल बत्ती भी न बुझ जाए, किसी दिन, अगर इसी तरह से करते रहे तो। अब इस सरकार को देखो, यह सरकार इन सब चीजों से

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लिप्त है, पर जनता की जो आवाज है वह मैं आपके माध्यम से इनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं जिससे इनको मालूम पड़े कि जनता आपके बारे में क्या विचार रखती है। आपसे नाउम्मीदी इस कदर बढ़ गई है कि-.

आपसे नाउम्मीदी बढ़ गई है इस कदर

कि आरजू की आरजू होने लगी।

उम्मीद की उम्मीद होने लग गई है।

इस कदर बढ़ गई है नाउम्मीदी।

श्री युनूस खान : डाक्टर साहब, पूरा बोलो इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुनना पड़ेगा आपको।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, आपको इस चीज की चिन्ता नहीं है.....

श्री सभापति : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप विराजो, साहब। मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद आप बोलें।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 के सम्बन्ध में कुछ.....

श्री सभापति : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें, आप, प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मेरे समय में इसको इनक्लूड नहीं किया जाए, इतना व्यवधान हुआ है। यह बहुत तथ्यात्मक बात है, इतनी बार इस पवित्र सदन में बी.पी.एल. के बारे में चर्चा हुई लेकिन सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने आज तक यह वक्तव्य नहीं दिया कि बी.पी.एल. के बारे में हम क्या कर रहे हैं। पहले निर्देश आया था कि

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बी.पी.एल. की संख्या 22 लाख से घटाकर 15 लाख कर दी जाएगी। बाद में यह बहाना दिया कि लोक सभा के चुनाव आ गये, ग्राम सभाएं नहीं हो पाई, नई बी.पी.एल. की लिस्ट 90 प्रतिशत कम्पलीट है, हमको और समय दिया जाए। लोक सभा के चुनाव हो गये, कई महीने हो गये लोक सभा क चुनावों को, आज तक यह असमंजस की स्थिति बनी हुई कि बी.पी.एल. हैं कितने प्रदेश के अन्दर। बीच में अखबार में यह खबर आई थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 85 लाख है। बीच में यह भी खबर आई कि बी.पी.एल. का री-डू करेंगे, दुबारा सारा चयन करेंगे कि बी.पी.एल. कितने हैं। कौनसे 15 पाइंट प्रोग्राम लागू करें या 20 पाइंट प्रोग्राम लागू करें ? लेकिन आज तक इस चीज पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। यह जो असमंजस की स्थिति है, यह आपके और मेरे मन में उतनी तकलीफ नहीं दे रही है, गांव में बैठे आदमी को तकलीफ दे रही है क्योंकि अकाल आ गया, अकाल के अन्दर जितनी सहायता मिलेगी वह बी.पी.एल. के आधार पर होगी। पर बी.पी.एल. ही अपने को मालूम नहीं है। आप यह कह दो कि हम 22 लाख को बी.पी.एल. मानेंगे, आप यह कह दो कि हम 15 लाख को बी.पी.एल. मानेंगे, आप यह कह दो कि हम ग्राम सभाएं करके नई लिस्ट निकालेंगे। इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री सभापति : आप कनक्लूड करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा आधा समय तो वो बीच में बोले, नाथूसिंह जी बोले, माननयी मंत्री महोदय बीच में बोले हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) एक मिनट मैं बोल लूं, मेरी बात कम्प्लीट कर लूं उसके बाद बोलना। यह इस चीज का द्योतक है कि मेरी बात इनको कितनी चुभ रही है.....

एक माननीय सदस्य : तगारामजी, आज पूरी तैयारी पर हैं।

श्री सभापति : आप विराजें। आप किस बात पर ताली बजा रहे हैं ? प्लीज आप विराजें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरी बात कितनी चुभ रही है, यह इस चीज का द्योतक है। आप पकड़ कर रखो, साहब, उनको। आप यह देखिये कि आज अपने बजट के अन्दर राजस्थान.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रशेखर बैद : राजस्थान के बजट के अन्दर जो सब से गरीब आदमी को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वह आदमी बैठा है गांवों के अन्दर और गांवों के अन्दर हम कहते हैं.....

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, अब तो मेरे को आज्ञा मिले।

श्री ओम बिरला : बोलो-बोलो। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, बोलो।

श्री सभापति : आपको समय दूंगा, आप प्लीज बैठ जाएं। आप बीच में नहीं बोलें, आप विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा : बिरला साहब, आप स्पीकर हो गये। आप स्पीकर हो गये जो आदेश देते हो ? और बैठे बैठे ही दे रहे हो ?

श्री ओम बिरला : आप उनको कैसे दबा रहे हो ?

श्री सभापति : आप क्यों व्यवधान कर रहे हो ? दो मिनट में कनक्लूड कर दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : दो मिनट नहीं, पांच मिनट में।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा आधा समय तो इन्होंने ही निकाल दिया, मैं कैसे कनक्लूड करूं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आपस में बातचीत नहीं करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, सरकार ने बिलकुल स्पष्ट शब्दों में यह लिख रखा है कि ग्रामीण इलाके में बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा आर.एम.आर.एस. के मार्फत देंगे। लिख रखा है यह। इन्होंने 300 से ज्यादा आर.एम.आर.एस. बना रखी हैं सारे डिस्ट्रिक्स के

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अन्दर और सारी डिस्पेंसरीज के अन्दर। आप देखिये कि इसमें से 95 प्रतिशत आर.एम.आर.एस. डीफंक्ट हैं। तो यह जो सुविधा है गरीब आदमी को मिलने वाली सुविधा, यह कैसे मिलेगी, यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार ने उनकी सुविधा के लिए अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। उसने अपना पल्ला झाड़ दिया आर.एम.आर.एस. के ऊपर कि इसका सारा इलाज आर.एम. आर.एस. करेगी। माननीय सभापति महोदय, कनक्लूड कर रहा हूं मैं। देखिये यह एग्रीमेन्ट between Indian Railways and R.T.D.C. for running the palace on Wheels train.

"R.T.D.C. will be responsible for house-keeping including....."

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, कितने मिनट हो गये आपको ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : दो मिनट नहीं हुई। आप हर मिनट में तो खड़े हो जाते हैं। दो मिनट हुए नहीं है मेरे।

"..including provision of linen and replacement of laundry. The staff engaged by R.T.D.C. on board for catering and maintenance of interior furnishing of coaches will at no stage have any claim for employment in the Railways."

सभापति महोदय, इसके अन्दर द टेन्योर आफ एग्रीमेन्ट तय किया गया है 31 मई, 2006 तक का.....

श्री तगाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह एग्रीमेन्ट पूरा कब होगा ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : अब माननीय सभापति महोदय, यह एग्रीमेन्ट है, इसमें लिखा हुआ है- ".....shall come into effect from 1st April, 2001 and it will remain in force up to 31st May, 2006."

आज जो ये टेण्डर निकाले गये हैं ये टेण्डर किसलिए निकाले गये हैं ? या तो आप शासन के अन्दर हैं, अपनी मर्जी आये जो आप कर सकते हैं.....

एक माननीय सदस्य : हम तगाराम जी को सुनने के लिए बैठे हैं, साहब।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप यह टेण्डर निकाल दें तो आप इनको क्वैश करो। आप या तो इनको नल एण्ड व्राइड करें या फिर ये जो नये टेण्डर निकाले हैं ये कैसे निकाले हैं ? यह इतना तगड़ा कांट्राडिक्शन है और इसमें बू आती है कि कोई न कोई इसके अन्दर चीज है इसलिए ये नये टेण्डर आनन-फानन के अन्दर निकाले गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, फिर कनक्लूड हो गया मेरा।

श्री तगाराम चौधरी : कितने एक बोल लिये, डाक्टर साहब ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : लास्ट मिनट, साहब। आप सदन से यह वादा करें और यह योजना बताएं कि हर घण्टे जो 16 बच्चे मर रहे हैं अपने यहां, उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे ? आप यह नहीं कह सकते.....

श्री तगाराम चौधरी : एग्रीमेन्ट तो एक बार का है आपका..... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप यह बताएं कि अगले साल जब आप वापस चिकित्सा मंत्री होंगे तो जो 16 बच्चे मरते हैं हर घण्टे के अन्दर उनको कम करके आपने 10 कर दिया है, 12 कर दिया है, हर जो लेडी प्रसव के कारण हर घण्टे मर रही है, उसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो ? आप अपनी जिम्मेदारी से भागो मत। आप यह तय करके बताएं कि अगले साल मैं ये टार्गेट अचीव करके आपको बताऊंगा। सौ दिन की कार्य योजना में तो कुछ नहीं है.....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : भगवान करेगा, बताएगा।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सभापतिजी, जो माननीय सदस्य ने अभी बात कही, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आप पहले इस बात पर जोर दे रहे थे कि दवाइयों के दाम बढ़ा दिये गये। मैंने आपको निवेदन किया कि दवाइयों के दाम नहीं बढ़े हैं, केवल टैक्स की जो चोरी होती थी, वह रेवेन्यू

(डा. दिगम्बर सिंह)

गवर्नमेन्ट में जमा हो। जो गरीब मरीज लुटता था उसकी लुटाई नहीं हो और रिटेलर का मार्जिन जो अनाप-शनाप था, उसको चैक करने के लिए यह सारी व्यवस्था है।

श्री सभापति : डाक्टर साहब, यह बता दिया न, अभी आपने बता दिया था इनको।

डा. दिगम्बर सिंह : आपने बी.पी.एल. कार्डधारक के लिए बात कही, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में एक भी बी.पी.एल. कार्डधारक ऐसा नहीं है जिसको मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिल रही हों। यहां तक की आपरेशन्स हैं, आज चाहे कितने पैसे मेडिसिन पर खर्च होते हों, पूरी की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : ग्रामीण इलाकों में एक भी बी.पी.एल. कार्डधारक को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप बता दीजिये, ग्रामीण इलाकों में कहां मिल रही है, कौनसे गांव में ? वह साधारण पट्टी भी बाजार से खरीदकर लाता है।

डा. दिगम्बर सिंह : आप सुनिये, आप सुन लीजिये। मैं ग्रामीण इलाके का ही रहने वाला हूं और मैं ग्रामीण इलाके में ही चिकित्सा का काम करता था इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र की सूचना आपको देना चाहता हूं। आप पूरे राजस्थान में एक उदाहरण के लिए बी.पी.एल. कार्डधारक को ले आएं जिसकी व्यवस्था चिकित्सा की सरकार नहीं कर रही हो तो उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की है। आप सुनिये, आप सुनिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सभापति महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को चैलेन्ज करता हूं। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर एक भी मरीज बी.पी.एल. कार्डधारक को वहां दवाई मिलती है तो आप मेरे को बता देना। एक-दो भी नहीं मिलती है वहां पर।

डा. दिगम्बर सिंह : सारी जगह व्यवस्था है।

श्री हरिमोहन शर्मा : वहां कोई नहीं मिल रही है पी.एच.सी. पर।

डा. चन्द्रशेखर बैद : ......मिलती है तो बड़े-बड़े चिकित्सालयों के अन्दर, वहां चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है।

डा. दिगम्बर सिंह : सारी जगह व्यवस्था है। पहले सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मेडिकल रिलीफ सोसायटी पर पट्टियां मिलती हैं, वह भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह : अभी आपने इन्फेन्ट मोर्टेलिटी की बात की। जिस दिन, मैं सदन के अन्दर अपने विषय पर व्याख्यान दे रहा था डिमांण्ड के ऊपर, उस दिन मैंने आपको बहुत स्पष्ट निवेदन किया था, सरकार बहुत सजग है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही हमको निर्देशित किया था अपने बजट भाषण में, उन्होंने टोप प्रायोरिटी पर मैटर्नल मोर्टेलिटी और इन्फेन्ट मोर्टेलिटी को लिया है। यह ढर्रा आज का नहीं है, यह ढर्रा जो बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारने में समय लगेगा। आप अगले साल की बात कर रहे हैं, एक साल के अन्दर जिस दिन, आज के दिन मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा, चिंकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान में हुआ कि नहीं हुआ। मैं इन्फेन्ट मोर्टेलिटी को कन्ट्रोल करके बताऊंगा, आपको मैटर्नल मोर्टेलिटी कन्ट्रोल करके बताऊंगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपके बगल में माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री बैठे हैं, वे मेरे ही जिले से आते हैं, आप उनसे पूछ लें, उनके पी.एच.सी. पर किसी बी.पी.एल. कार्डधारक को फ्री दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है।

डा. दिगम्बर सिंह : आप मेरी बात सुनिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप बता दीजिये, मिलती है कि नहीं मिलती है, मैं आपकी बात मान लूंगा। एक भी पी.एच.सी. पर अगर दवाई मिलती है तो.....(व्यवधान) जयपुर में एस.एम.एस. है वहां भी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां आर.एम.आर.एस. नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : सरकार क्या उपाय कर रही है, क्या तरीका कर रही है, उसके लिए भी मैंने आपको निवेदन किया था.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें।

डा. दिगम्बर सिंह : पेरीफेरी में, रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए सारी चीजें अपने बजट भाषण के अन्दर आपको निवेदन की थी। इसके अलावा एक भी अगर कोई क्वैरी हो, आप जब चाहें, मेरे से आप उसका जवाब ले सकते हैं।

श्री सभापति : अब, डाक्टर साहब, आप विराजें।

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय मंत्रीजी, ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर ही नहीं है, आप दवाइयों की कर रहे हैं। किसी अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर ही नहीं है, आप दवाइयों की बात कर रहे हो, दवाइयां कहां से मिलेंगी ?

डा. दिगम्बर सिंह : ऐसा है, डाक्टरों की व्यवस्था हो रही है, आप चिन्ता मत करो। पांच साल से लगी हुई झाड़, राजस्थान के चिकित्सा के क्षेत्र में जो घपले हुए थे, पांच साल में जो भ्रष्टाचार हुआ था चिकित्सा क्षेत्र में, उसको सुधारने में कम से कम एक साल का समय और लगेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन राठौड़। (व्यवधान) तगारामजी, विराजिये आप।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 के सन्दर्भ में कुछ निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री सभापति : आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने के लिए समय दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है। माननीय तगारामजी।

श्री तगाराम चौधरी : विनियोग विधेयक का सम्बन्ध वैसे अर्थशास्त्र से ज्यादा लगता है परन्तु एक शास्त्र और भी है जो लिखित में नहीं है और उनकी जनसंख्या है कोई 70-80 प्रतिशत के बीच में, उसका नाम है "हलशास्त्र", मैं हलशास्त्री हूं और मैं किसानों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री तगाराम चौधरी)

(17.15 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विनियोग का तात्पर्य यह है कि आय बढ़ाई जाए और व्यय उस ढंग से किया जाए जो बिलकुल उत्पादन बढ़ाने योग्य हो और उससे अधिक से अधिक जनता को सुविधा प्राप्त हो, जनता उससे सुखी हो। इस सम्बन्ध में यहां जो चर्चा चल रही है विनियोग विधेयक के ऊपर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक सम्बन्ध से सबसे ज्यादा आय खेती से होती है, खेती में होती है। देश की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या भी अधिक से अधिक खेती करती है और जो नहीं करते हैं खेती, उनका सम्बन्ध भी किसान से है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक नई खेती देखी होहोवा की, होहोवा की खेती मुझे बहुत ही लाभकारी लगी। आज जिस तरह निरन्तर पानी की कमी हो रही है, उसमें होहोवा की खेती, उसमें बून्द बून्द सिंचाई बहुत लाभकारी है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यह आपको पता नहीं है, भाई साहब।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पता लगे कि यह क्या काम आता है होहोवा, पूरा राजस्थान इस बात को जानना चाहता है ? राजस्थान की जनता तगारामजी के महान विचारों से लाभान्वित होना चाहती है।

श्री तगाराम चौधरी : आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला और आप कोई भी बात बोलते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, आप बीच में नहीं। यह हिन्दी भाषा है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : किसान खड़ा हो तो सब व्यवधान करना शुरू कर दें। अन्न खाते समय तो आप कहेंगे नहीं कि मैं नहीं खाऊंगा। यह क्या मतलब हुआ ? किसान की पैदा की हुई कोई भी वस्तु आप काम में लेते हैं, तो सस्ती चाहते हो। और किसान बोलता है तो आप कहते हो, यह यूं है, यह यूं है, क्या मतलब हुआ ? नहीं तो आप बोलते हैं तो मैं बीच में बोलता हूं

(श्री तगाराम चौधरी)

क्या ? नहीं बोलता हूं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आसन से, माननीय सदस्यों को आप व्यवस्था दें कि यदि कोई भी किसान गांव का बोले साफा बांधा हुआ, झोंपड़ी में रहने वाला, तो उसकी भी सुनो तो सही। ये व्यवधान करके रोकना चाहते हैं। मैंने जैसा निवेदन किया, होहोवा की खेती.....

श्री उपाध्यक्ष : ये आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री तगाराम चौधरी : भूमि की भी जरूरत नहीं है, कोई पठार हो या रेतीली हो, कुछ भी हो, साधारणतया किसी भी तरह के खेत में होहोवा की ख़ेती हो सकती है पर उसमें तकनीकी सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यकता है। परन्तु लाभकारी इसलिए है कि होहोवा के बीजों से तेल निकलता है, वह तेल बहुत ही कीमती है। बहुत ही उच्च कोटि का तेल होहोबा के उन बीजों में होता है, यह मैंने देखा है, जयपुर के अन्दर मैंने देखा है। मैं निवेदन करूं, इस तरह की खेती के सम्बन्ध में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए और अनुदान भी दिया जाए। एक नई खेती विकसित की है, जो सब जगह पर हो सकती है, ज्यादा मीठे पानी की भी उसमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह खेती हो।

दूसरा मेरा निवेदन है जो खेती अपन करते हैं चाहे भूमिगत जल से हो चाहे नहरी पानी से हो, उसमें भी कम पानी में ज्यादा पैदावार हो, फव्वारा की खेती हो। वह बड़ी लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी है। उसमें पानी कम खर्च होता है और पैदावार अधिक होती है। फव्वारा की खेती के लिए डिग्गियां बनाने के लिए नहरी क्षेत्र के लिए मैं निवेदन करूं उनके लिए भी अनुदान दिया जाए, किसानों को तकनीकी सलाह और सहयोग दिया जाए, प्रशिक्षण भी दिया जाये, तब जाकर उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पशुओं से दूध संग्रह के लिए दूध सहकारी समितियां बनाकर, उनको अनुदान देकर, अच्छे सांड देकर, तरह-तरह के बीज देकर, पशुपालन के द्वारा और भी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जहां आय का सम्बन्ध है, कल ही एक प्रश्न आया था तेल का। मैं इस बात के लिए तो बधाई दूंगा मुख्य मंत्री महोदय कि उनका पगफेरा अच्छा हुआ। जिक्र नहीं था उस प्रश्न के जवाब में लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर और मेरे घर के ईर्द-गिर्द कितने ही खुदे

(श्री तगाराम चौधरी)

हैं, मंगला-एक आपने सुना होगा, रामनाइकजी ने और मुख्य मंत्री महोदयजी ने उदघाटन किया था उसका अभी-अभी। उसमें निकला है सबसे ज्यादा, केयर्न एनर्जी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वह खोज की गई। कितने ही कुए बाड़मेर जिले में विशेष तौर से मेरें क्षेत्र में, मेरी ढाणियों के आस-पास में खुद रहे हैं जिसका परिणाम, आपने कल की सुना था, लगभग तीन करोड़ की आय तो हमको स्वतः ही हो गई। वह कोई चिधिवत या किसी कार्यक्रम के तहत यों नहीं हुई, वह तो ले गये थे, तेल ले गये थे। मैंने भी यह बात रखी थी, वह तेल ले गये थे और तेल ले जाकर तेल का परीक्षण करवा रहे थे, लेकिन ज्यादा ले गये, तो फिर हमारे अधिकारियों ने, हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्री महोदय ने पीछे उसका लेखा पूछा और उसंके फलस्वरूप करीब तीन करोड रूपये तो तत्काल हुए हैं। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बार-बार यह कहते हैं कि ऐसा बजट आज तक नहीं देखा जिसमें करों में छूट ही छूट दी गई है। छोटे-मोटे कर रहे गये तो अभी चर्चा में माननीय सदस्य वह भी कह रहे थे कि ये ज्यादा क्यों रह गये, ये ज्यादा क्यों रह गये। ऐसी कौन-सी सरकार थी जिसने बजट के अन्दर सारे के सारे कर कम कर दिये होंगे और इन्सपेक्टर राज पर भी अंकुश लगा दिया होगा ? ऐसा नहीं है। यह एक वित्तीय प्रबन्धन है और वित्तीय प्रबन्ध में ऊपर का जो भी नेता हो, हमारे मुख्य मंत्री महोदय स्वयं वित्त मंत्री हैं, इनकी सूझ-बूझ की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, कि उनमें ईश्वंर ने इस तरह की शक्ति दी, इस शक्ति में वह सारा देख रही हैं। में तो यहां बैठा-बैठा जब सदन में पधारती हैं तो देखता हूं कि उनकी नजर सारे दो सौ के दौ सौ पर है। इसी तरह से इस बजट के ऊपर भी वह नजर रहेगी। पूरी जनता के ऊपर है, राज्य की लगभग पांच करोड़ जनता के ऊपर है, ऐसा उन्होंने करके बताया है उस चिलचिलाती धूप में, उन आंधियों में पहले वाले राज्य में जो अपने आप को बहुत ही किसान हितैषी और विकास करने के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी डींग मार रहे थे, नम्बर एक पर आना चाहते थे राजीव गांधी के नाम से उस समय में उन्होंने पूरे राजस्थान को छान दिया और जा कर किसानों की, सभी गरीबों की और पूरी जनता की, हर तबके की जाकर सुध ली। तब जाकर इनके भी कान खड़े हो गये कि हमको भी कुछ गेहूं बांटना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कितना बांट दे और क्या कर दे। मैं एक उदाहरण दूं जो बड़ा अजीब है, आज नहीं देना चाहता, आगे मेरे बोलने के लिए रखूंगा.....

(श्री तगाराम चौधरी)

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : दे दो।

श्री तगाराम चौधरी : नहीं, नहीं, वह दूसरी बात है। एक उदाहरण दूंगा मैं अभी इसके बाद में। मैं इसके बाद में दूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दे दो, आज ही दे दो।

श्री तगाराम चौधरी : ऐसा हुआ, सहायता, चारा और पानी, उसका प्रबन्ध तो कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और अभी यह कहा जा रहा था विपक्ष के नेता महोदय द्वारा कि हमारे वित्त मंत्रीजी या कौन से मंत्रीजी ने, कृषि मंत्रीजी ने कहा था, उन्होंने कहा था मुख्य मंत्रीजी को कि अकाल का प्रबन्ध करो, क्यों ? उसका मतलब और.....(व्यवधान) पोपाबाई के राज की ज्यादा कथा भी आपके राज के ऊपर ही रची गई थी, उसको उद्धृत किया गया था। हम नहीं करने वाले थे, उन्होंने कहा, दिल्ली से ऐसा सन्देश आया, मैंने पढ़ा अखबार में, लेकिन माननीय, उस समय का सन्देश भी पढ़ लो आप समाचार पत्रों में, तत्कालीन भारत सरकार, वाजपेयी साहब की सरकार ने गत अकाल के प्रबन्ध में पहली पहल की थी, यह समाचार पत्र बताते हैं। याद है मेरे को, इसलिए कह रहा हूं, पढ़ लेना आप। तो मेरा निवेदन यह है कि कुशल प्रबन्धन है। मैं यह भी सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि अनुपयोगी वस्तुएं जितनी भी पड़ी हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ ही खरीद ली गई हैं, एक उदाहरण है, इन्दिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं, मैं सदन देख रहा था दर्शक दीर्घ में बैठा-बैठा, एक प्रश्न चल रहा था, उसमें था कि अर्थविहीन मशीनरी खरीद ली दुनिया भर की और वह अर्थविहीन मशीनरी अभी भी उस नहर के किनारों पर धूल से दबी हुई पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं है। इस तरह से कोई भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं, मेरा निवेदन है कि उनका निस्तारण किया जाए तो खजाने में उसका बहुत ही योगदान मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद तगारामजी, धन्यवाद। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री तगाराम चौधरी : वह उदाहरण रह जाएगा न इनके कुशल

प्रबन्धन का। वह मेरे को आप करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक बात कह दो, एक बात कह दो। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : निवेदन यों है कि पिछले अकाल में चारे का प्रबन्ध किया; मैं उसकी तह तक तो जाना नहीं चाहता लेकिन, विश्नोई साहब बैठे हैं, उससे पिछले अकाल के समय में निमाणियों की ढाणी के पशु शिविर का अवलोकन आपने और तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय अशोकजी गहलोत ने किया था, आप उसके साक्षी हैं, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान पूरे में एक नम्बर का वह शिविर था और इस गये अकाल में भी यही था। हुआ क्या कि ये कोई शिविर खोल नहीं रहे थे क्योंकि प्रति पशु जो राशि थी उसके बारे में वह कह रहे थे कितना दोंगे और क्या करोंगे। और एकदम प्रबन्ध करना था, मेरे निमाणियों की ढाणी गांव के लोग चलाते हैं एक संस्था बना करके, उसको कहा गया कि यह खोलो। 500 गायों की स्वीकृति जिला कलक्टर महोदय ने अपने आप से भेजकर निमाणियों की ढाणी गौ सेवा समिति को शिविर खोलने का आदेश दिया। मैं भी उन लोगों को लेकर गया कलक्टर साहब के पास। मैंने कहा, कलक्टर साहब, आप 500 गायों की स्वीकृति देते हैं और आप शिविर चालू करवाते हैं, मैं भी उसको रात-दिन देखता हूं, मेरे से हो उतना सहयोग करता हूं, 500 गायें तो एक दिन में निमाणियों की ढाणी का शिविर सुन करके एकत्रित हो जाएंगी। उसमें क्या किया ? वह कलक्टर साहब भी उस दिन राजनीति से प्रेरित कम थे, उन्होंने एक लाइन लिखी उस स्वीकृति में, प्रथम स्वीकृति जारी की थी उसमें, कि ज्यों-ज्यों गायें बढ़ेंगी, तहसीलदार प्रमाणित कर देगा और उसकी स्वीकृति स्वतः ही बढ़ी हुई मानी जाएगी। यह उसमें लिखा हुआ है आदेश में। गायें तो हफ्ते भर में ग्यारह सौ हो गई। ग्यारह सौ गायें हो गई। तहसीलदार ने प्रमाणित कर दिया गिन कर, नम्बर लगा दिये। वह कमेटी यह सोच रही थी कि हमारी स्वीकृति बढ़ गई, लेकिन बढ़ी ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके थोड़े दिन बाद में गायें हो गई सोलह सौ, फिर कहा तो अधिकारी साहवान ने कहा कि स्वीकृति आपकी सोलह सौ हो गई। वहीं हुई। वे चराते गये, चंदा कर-कर के चराते गये, बहुत ही अच्छा प्रबन्ध था, पर वह स्वीकृति नहीं बढ़ाई गई। फिर बाद में हम लोग मिले तो जिला कलक्टर महोदय ने कहा, इतनी इकट्ठी क्यों की है, इनको वापस भेज

(श्री तगाराम चौधरी)

दो। मैंने कहा, श्रीमान्, वापस भेज दें ? आप जिला कलक्टर महोदय हो, आप जाकर कह दो उन किसानों को जिन्होंने बहुत अच्छी चारे की व्यवस्था की है, उसके ठाण बनाये हैं, पानी पीने का प्रबन्ध किया। वह कहते हैं कि वापस भेज दो, मैंने कहा, आप पधार करके कह दीजिये कि अब चारा नहीं है, इसलिए वापस चले जाओ। वह तो आये नहीं, किसी तरह से चलाया लेकिन भेदभाव के कारण उस शिविर की संख्या बहुत महीनों बाद में फिर हजार की, और फिर बारह सौ की, लेकिन वह नहीं की। और जगह-जगह शिविर थे उनकी कितनी संख्या थी, क्या था, वह कोई गणना तो मैंने नहीं की है लेकिन अनुमान यह था कि पता नहीं कितना तो चारा जा रहा है, कितना क्या हो रहा है। इस तरह का प्रबन्धन था उसकी सराहना हो जाती है तो मैं समझता नहीं, लेकिन यह हकीकत है। (व्यवधान) बहुत पक्षपात किया। बहुत पक्षपात किया, सारे का दुरूपयोग किया।

एम माननीय सदस्य : आपका मतलब चारे का घोटाला भी किया ?

श्री तगाराम चौधरी : हां, किया। इसलिए एक नम्बर पर हो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो प्रबन्धन माकूल नहीं था। और क्या किया ? मास्टरों को तो बना दिया नोडल अधिकारी और पीछे से ना दे दिया, कि नाडियों पर नाम मत लिखना। नाडियां ही खुदवाई, सिर्फ नाडियां खुदवाई और पूरा गेहूं भी नहीं दिया राशि बहुत कम चढाई थोडे बहुतों को गेहूं दिया। पढ़ाई छुडवा दी और कह दिया कि तुम नोडल अधिकारी हो। किसी के घर में किसी को पेन्शन मिलती हो तो उनका नाम मत लिखना, किसी के कोई नौकरियों में हो तो उनका नाम मत लिखना। और किसी के कोई थोड़ा बहुत गेहूं जो मुफ्त में मिल रहा था उनके परिवार का मत लिखना। मैं निवेदन करूं कि ऐसा कभी तीन पखवाड़े का कोई महीना मैंने नहीं देखा वो बढ़ा दिया।

एक माननीय सदस्य : वो अभी भी चल रहा है।.....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : अभी तो चलेगा ही, आपने शुरू कर दिया तो चलेगा ही अब। (व्यवधान) नहीं, अभी की तो आप क्यों कह रहे हो, आपका कुशल प्रबन्धन था और एक नम्बर पर था तो एक नम्बर पर चलाने दो न,

(श्री तगाराम चौधरी)

उसका आप क्यों हमको उलाहना देते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : बस, तगारामजी, समाप्त कीजिये। इसका जवाब आपको मिल गया।

श्री तगाराम चौधरी : आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। एक बात रह गयी तेल वाली। तेल वाली बात मैं निवेदन कर दूं कि तेल बहुत निकला है और उससे राजस्थान को भी बहुत अच्छी आय होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु वहां कैयनर्स एनर्जी कम्पनी के द्वारा कोई नियोजन किया जा रहा है उसमें स्थानीय किसान जिन्होंने जमीन दी है, कीमती जमीन दी है, उनके लड़कों को नियोजन दिलाने में सरकार मदद करें। वहां के क्षेत्र के विकास के लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारा पूरा ख्याल रखा जाए चाहे विद्यालय खोलने हों, चाहे सब सेन्टर्स खोलने हों, चाहे सड़कें बनानी हों। विशेष तौर से पानी के प्रबन्ध के लिए.....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरा ध्यान रखा जाएगा।

श्री तगाराम चौधरी : इतना ही निवेदन करते हुए आपने समय दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री मदन राठौड़ : मेरा नाम पहले पुकारा गया था।

श्री प्रहलाद गुंजल : नहीं, पहले मेरा ही था, साहब। मदनजी, ये क्या कर रहे हैं आप ? आप बोल लें अगर आपको बोलना हो तो।

श्री मदन राठौड़ : वो तो कोई नहीं आप बोलें या मैं बोलूं, एक ही बात है। लेकिन पहले पुकारा था।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में, गुंजल साहब, बहुत संक्षेप में।

श्री प्रहलाद गुंजल : यह दूसरी बार है, साहब, आपने कल भी खड़ा

होते ही पहले सीमा में बाध दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी ही बात है, आज फिर हो गया ऐसा।

श्री प्रहलाद गुंजल : इस सदन में इतनी सारी व्यर्थ बातें हो जाती हैं उसके लिए कोई समय-सीमा नहीं।

श्री जुबेर खान : कल भी बोले थे आप तो.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल कहां बोलने दिया ? कल आपने बोलने ही नहीं दिया। कल तो आपने बोलने ही नहीं दिया।

श्री प्रहलाद गुंजल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक पर चर्चा हो रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधेयक को सदन में पारित होने के लिए रखा है। प्रस्तुत राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए समेकित निधि से सेवाओं के चुकारे तथा विनियोजन के लिए 37,696 करोड़ 90 लाख 91 हजार रूपये खर्च करने की अनुमति मांगी है जिसमें वोटेड मद में राजस्व पेटे 14,991 करोड़ 77 लाख 26 हजार रूपये और पूंजी पेटे 5,107 करोड़ 68 लाख 1 हजार रूपये खर्च किये जाएंगे। प्रभूत्त खर्च में राजस्व पेटे 5196 करोड़ 77 लाख 96 हजार, पूंजी पेटे 12,400 करोड 48 लाख 12 हजार खर्च किये जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार प्रभूत खर्च के अन्तर्गत 5,166 करोड़ 41 लाख 70 हजार ब्याज पेटे तथा पूंजी खाते पेटे 8,870 करोड 41 लाख 62 हजार राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण होगा। तथा केन्द्र सरकार से 3,530 करोड 4 लाख 42 हजार रूपये लिये जाएंगे। ये आंकड़े हैं, जानकारी करके इन आंकड़ों को कोई भी पढ़ सकता था, इन पर चर्चा हो रही है। बजट पेश हो गया, बजट पर चर्चा हो गयी, बजट पारित हो गया। अनुदान मांगें पेश हो गयीं, उन पर चर्चा होकर अनुदान मांगें पारित हो गयीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सतत् प्रक्रिया है। विधायी कार्य चर्चा के बाद अनवरत प्रक्रिया में इसको पारित होना है लेकिन आज आवंश्यकता इस बात की है कि हमें चर्चा करते समय चिन्ता करनी चाहिए। हम लोकतन्त्र की आस्था के इस केन्द्र पवित्र सदन में बैठकर राजस्थान की जनता का सपना तैयार करते हैं। राजस्थान के विकास की रचना करते हैं। हम जो बजट डाकूमेन्ट पेश करते हैं,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पारित करते हैं उसके आधार पर राजस्थान की जनता अपने सपने देखती है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती कि सदन में जो बजट पारित हो जाए, जिसके आधार पर हम जनता को सपने दिखा दें, राजस्थान के मन में विश्वास की किरण पैदा कर दें, उम्मीद जगा दें, और जब हम साल भर बाद उसका विश्लेषण करें तो सदन में माननीय 200 सदस्यों की उपस्थिति में जो बजट पारित हुआ हैं, उसमें कटौतियां हो जाएं, उसकी पूर्तियां नहीं हों। यह अपने-आप में गम्भीर चिन्ता का विषय है कि जिस बजट को हम यहां पारित कर रहे हैं उसमें कटौती हो जाए, कमियां हो जाएं उनकी पूर्तियां न हों। यह राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात है, धोखा है। चाहे कारण कुछ भी रहे हों, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, कारणों का उल्लेख नहीं करना चाहता। कारण उल्लेख किये पिछली सरकार ने जब यह सवाल उठा कि आपने लगातार इस पवित्र सदन में 2001-2002 में 4,146 करोड़ का बजट पास किया और मात्र 3722 करोड रूपये खर्च किये। कटौती हुई, यह क्रम रूका नहीं, यह क्रम लगातार 2001-02, 2002-03 तक चलता रहा। क्या हम इसी प्रकार जनता के प्रति जवावदेह साबित हो जाएंगे, यह गम्भीर विषय है। जब यह सवाल पिछली बार सदन में उठा तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा था, कि राजस्थान भीषण अकाल की चपेट से गुजर रहा है इसलिए हमने इस मद में कटौतियां की हैं। माननीय सदस्यों ने यह सवाल पूछा था कि राजस्थान की सरकार जो कटौतियां की हैं उन कटौतियों का एक पैसा किसी वित्तीय लेखे के अन्दर अकाल के मद में खर्च करना साबित कर दे। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आज हम सब को मिल कर इस बात की सामूहिक चिन्ता करनी पड़ेगी कि जिस बजट को हम इस सदन में पास कर रहे हैं, इस विनियोग विधेयक के बाद उस बजट को खर्च करने का समुचित अधिकार राजस्थान की सरकार के पास प्राप्त होता है उसका राजस्थान के हित में समुचित उपयोग होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। योजनाओं का आकार घटा कर हम राजस्थान के विकास में अवरोध पैदा नहीं कर सकते, बाधा नहीं बन सकते। यह सिलसिला लगातार पिछले पांच सालों तक राजस्थान की धरती पर चला है, कौन जिम्मेदार है ? इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जवाबदेही से प्रतिपक्ष भाग नहीं सकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के समय 11 हजार 500 करोड़ रूपये की बनी, खर्चा हुआ 12 हजार 500 करोड़ रूपया। यह जनता के प्रति जवाबदेही को साबित करता है पर जो नवीं पंचवर्षीय योजना 27 हजार 650 करोड़ की बनी, उसका क्या हश्र हुआ ? हमने 19 हजार करोड़ के आस-पास ठिकाने लगा दिया। योजनाओं का आकार घटाना इस राजस्थान के साथ अन्याय है। इससे राजस्थान की जनता का विश्वास डगमगाता है इस पवित्र सदन के बारे में। यह साबित करता है कि राजस्थान के जन प्रतिनिधि जो इस सदन में बैठकर जनता के प्रति न्याय करने का विचार करते हैं, उसके प्रति चिन्तन करते हैं, कितनी चिन्ता है उनको जनता के विकास की, इस राजस्थान के विकास की, जो अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में गम्भीर नहीं, जो अपनी वार्षिक योजनाओं के बारे में गम्भीर नहीं। आज जब हम इस बजट को उठाकर देखते हैं तो फिर राजस्थान की जनता के मन में विश्वास की एक किरण पैदा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2003-04 में योजना का आकार मात्र 425 हजार करोड़ रूपया निश्चित किया गया था, उस आकार को बढ़ाकर 6044 करोड़ 38 लाख रूपया व्यय हुआ है 2003-04 में। यह उपलब्धि वसुन्धराजी का शासन आने के बाद बनी है। यह उपलब्धि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद कायम हुई है। अब जो 2004-05 की योजना का आकार बना है, बहुत सारे आंकडे माननीय नाथूसिंहजी ने पेश कर दियें हैं, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं, योजना का आकार बना है 7031 करोड 44 लाख रूपया। अब लोगों के मन में विश्वास बन गया है, 2003-04 की वार्षिक योजना जिसका एक आंशिक समय आपके शासन में पूरा हो गया था, पिछली सरकार में पूरा हो गया था, कम समय में इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर के राजस्थान की जनता के विश्वास को राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने पक्का किया। आज इस बजट को देखने के बाद, इस पर खूब चर्चा हो गई, इसके आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, इसके बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहता, राजस्थान की जनता एक भरोसे के साथ बन्धी है। इस पर खूब चर्चा हुई है, सदन में चर्चा हुई है, जनता में चर्चा हुई है, राजनीतिक,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सामाजिक, व्यापारिक हलकों में इसकी चर्चा हुई है, लेकिन कोई तबका इस समाज का, कोई हलका इस समाज का जिसने इस बजट में कोई खामी पाई हो, अखबार में एक शब्द राजनीतिक मंशा के अलावा हमको पढ़ने को नहीं मिला। आज जब विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भाषण कर रहे थे, मैं उनके वक्तव्य पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के विकास की चिन्ता कर रहे थे, बात सच है, कृषि के विकास की चिन्ता करनी चाहिये। इस बजट में वसुन्धराजी ने की है, राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। इस राजस्थान के किसान का जीवन, अभी तगारामजी बोल रहे थे अर्थशास्त्र और हलशास्त्र, उससे ज्यादा पीछे ले जाऊंगा. तो भी चिन्ता की बात नहीं है। इससे पीछे ले जाऊंगा। आपके 40 साल का इतिहास कृषि पर चिन्ता करने वालों का 40 साल में कृषि पर व्यय 446 करोड रूपया, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया जब भैरोंसिंहजी शेखावत का राज आया। एक तरफ तो 40 साल का कृषि पर व्यय 446 और एक तरफ आठ साल में भैरोसिंहजी के राज का 1299 करोड़ रूपया और आज चिन्ता कर रहे हैं। कर्जा आपने ही बढ़ाया है। आपने कर्जा नहीं लिया हो, ऐसा नहीं है। सीमाएं लांघी हैं और आज चिन्ता कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान के किसान का जीवन बारिश पर निर्भर करता है और जब बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है और जब बारिश खराब होती है तो फसल अच्छी नहीं होती। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं राजस्थान के इतिहास के। पिछली सरकार में जब बारिश के कारण बाजरा अच्छा हुआ, बाजार में फसल की आवक के कारण भाव गिर गये। राजस्थान के किसान के खेत और आंगन में बाजरा दुलता रहा और जब केन्द्र सरकार ने पहल करके उस बाजरे की खरीद के लिये 106 करोड़ रूपये का प्रावधान किया, राजस्थान की सरकार ने उस किसान के बाजरे को खरीदने के समुचित प्रबन्ध नहीं किये। जबकि आपने दावा किया था चुनाव घोषणा पत्र में 1998 में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इसमें आपने कहा था, हम फसल बीमा को प्रोत्साहन देंगे, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देंगे। आगे आपने लिखा था, कृषि उपज को बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रभाव से बचाने के लिये किसानों के लिये समुचित भंडारण की व्यवस्था करेंगे। किसान अपनी फसल का भण्डार गृहों में रहन करके खरीद मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त ले सकेगा। कहां गया आपका वादा ? क्या कोई पिछली सरकार के कृषि मंत्री खड़े होकर इस बात का जवाब दे सकते हैं ? भण्डारण के नाम पर, स्ट्रक्चर खड़ा करने के नाम पर राजस्थान में 1998-99 में 166 लाख रूपये खर्च किये गये, 1999 में 144 लाख रूपये खर्च किये गये.....

श्री जुबेर खान : आपके राज में प्याज कहां-कहां गुड़क रही थी ?

श्री प्रहलाद गुंजल : 2001-02 में आपने 7 लाख रूपये खर्च किये। लेकिन आपका चुनावी वादा धरा का धरा रह गया। राजस्थान के किसान का बाजरा बेतुके भाव में बिकता रहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी को, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात अभी हाड़ौती में पैदा हुए, पिछले दिनों की बात कहना चाहता हूं, आप सुनिए, माननीय सदस्य, हाड़ौती में धनिये की बम्पर फसल हो गई, चुनाव के पहले का समय था। केन्द्र की समर्थन मूल्य की सूची में धनिये के बाजार भाव निर्धारित नहीं हैं, हाड़ौती के किसान के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि धनिये को केन्द्र का समर्थन मूल्य नहीं है, बाजार के भाव गिर गये, फसल अधिक हो गई। राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने हस्तक्षेप कर के राजस्थान के किसान के साथ न्याय किया। आज राजस्थान के किसान में वसुन्धरा जी के प्रति श्रद्धा और आस्था पैदा हुई है। चर्चा कर रहे थे आप, आपने क्या किया किसान के नाम पर ? प्राकृतिक आपदाओं को झेलता हुआ राजस्थान जिसके अकाल के बारे में परसो इस सदन में चर्चा होने वाली है, किसान को कम पानी में सिंचाई के नाम पर स्प्रिंकलर सिस्टम का जो हमने डवलपमेन्ट किया है, पिछले राज में क्या हुआ ? 2002-03 की यह आडिट रिपोर्ट कह रही है, मैं कल भी इस विषय को कहना चाहता था, स्प्रिंकलर सिस्टम में 12 करोड़ 14 लाख रूपया अधिक भुगतान हुआ है। यह सीधा-सीधा भ्रष्टाचार हुआ है। आज विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

किसान के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। केन्द्र के द्वारा उसको दी गई राहत में भ्रष्टाचार कर के उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। इस सदन में खाली भ्रष्टाचार पर चर्चा हो जाए, तालियां बज जाएं विरोध हो जाए इससे काम की इतिश्री नहीं होती, इस पर निणय लिया जाना चाहिये। कौन भ्रंष्टाचार का दोषी है, उसको दण्ड दिया जाना चाहिये। किस प्रकार से कृषि के उपकरणों का 12 करोड़ 14 लाख रूपये का गलत तरीके से अधिक भुगतान हो गया जो कि आपकी आडिट रिपोर्ट कह रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, दूसरी चिन्ता कर रहे थे..... (व्यवधान) आप बोलते रहो, मैं बोलता रहूंगा। आप ही माननीय सदस्यों से सीखेंगे, आप बोलोंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे ?

रोजगार की बात कर रहे थे, आपने आपके घोषणा पत्र में दूसरे नम्बर पर लिखा है, नौकरियों पर लगे प्रतिबन्ध तत्काल हटा लिये जाएंगे, स्वरोजगार हेतु युवाओं को कम ब्याज दर पर रोजगार के नये अवसर पैदा करेंगे। क्या-किया ? पिछले 5 साल के शासन में क्या नौकरियों पर से लगा प्रतिबन्ध हट गया ? राजस्थान का बेरोजगार बेकार दोराहे पर जाग कर खड़ा हो गया। उसके सामने आत्महत्या और आन्दोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सरकारी नौकरियों के हजारों पद खाली पड़े रहे। राजस्थान में प्रशासन को पंगु बनाकर रखा। लेकिन मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने आज नौकरियों पर से प्रतिबन्ध हटाया, चिकित्सकों की भर्ती के लिये आर.पी.एस.सी. के माध्यम से प्रक्रिया प्रारम्भ की और महिलाओं को रोजगार देने के लिये 26 हजार साथिनों को रोजगार देने का काम प्रारम्भ किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने प्रारम्भ में संमय सीमा में बांध दिया था, लेकिन मैं एक ऐसे विषय का जिक्र करना चाह रहा हूं जो शायद प्रतिपक्ष के लोगों को रास नहीं आएगा। पिछले 1998 के चुनाव घोषणा पत्र में और अभी मैं देख रहा हूं लगातार 12 तारीख से इस बात की चर्चा सदन में करते चले जा रहे हैं, जब मौका आता है अनुसूचित जाति के हित की बातों के लिये कांग्रेस के माननीय सदस्य उठकर खड़े होते हैं कि हम बहुत हितकारी हैं, बहुत

(श्री प्रहलाद गुंजल)

शुभचिन्तक हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के। सभी माननीय कल्लाजी कह रहे थे, आजादी के पहले की कांग्रेस, आजादी के समय के उन स्मरणों को याद दिलाकर, उनको भुना कर कांग्रेस न जाने किस रास्ते जाना चाहती है। आपने कहा था, आपके घोषणा पत्र में.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपना पढ़ो, हमारा क्यों पढ़ रहे हो ? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आरक्षित पदों की सीधी भर्ती की जाएगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सुनो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : सुनने की क्षमता रखो, सुनो, क्या कह रहे हैं। (व्यवधान) श्रवणजी, हिम्मत रखो। (व्यवधान) अपने काले कारनामे सुनिये, क्या कह रहे हैं। (व्यवधान) यह अपना भाषण पढ़ रहे हैं, इनको अपनी स्पीच देने दो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं कह रहा हूं कि काले कारनामे.....(व्यवधान) मैं कह रहा हूं, सुन रहे हैं न ? पर आप यह किस वक्त की बात कर रहे हो ? 1998 की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : कांग्रेस का पुराना विजन बता रहा हूं और आप का विजन बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस का इतिहास पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री हीरालाल : आपके किये हुए कारनामों का इतिहास पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : पण्डित जवाहरलालजी नेहरू ने सामाजिक न्याय के लोगों के बारे में टिप्पणी की कि चूंकि मैं आप लोगों से मिलने से इन्कार नहीं कर सकता इसलिये मैं यहां पर आया हूं। बहुत समय पूर्व आपकी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बस्तियों में जाने के पश्चात् मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी, उसका उल्लेख करना मेरे लिये सम्भव नहीं है। वहां की दयनीय स्थिति देखकर मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने महसूस किया कि देश की आजादी के बाद भी आप लोग उसी प्रकार का कष्ट पा रहे हैं जितना आजादी के पहले पा रहे थे। इन सब बातों से मुझे चिन्ता होती है। अतः मुझे आप लोगों के बीच में आने में संकोच हो रहा है। अच्छा विजन था, अच्छी सोच थी। पण्डित जवाहर लाल नेहरू की। लेकिन आज क्या हो रहा है ?

दूसरा, 2 दिसम्बर, 1998 को राजस्थान के मुख्य मंत्री के रूप में माननीय अशोकजी गहलोत ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद पहला निर्णय, एक तरफ तो कह रहे थे एस.सी., एस.टी. का बैकलाग भरेंगे, दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री गहलोतजी के द्वारा पद ग्रहण करते ही सर्व प्रथम अनुसूचित जाति के जोधपुर विश्वविद्यालय के बाइस-चांसलर पर पहली गाज गिरायी गयी। उन्होंने अपने इस में उल्लेख लिखा है, लिखा है प्रोफेसर श्यामलाल ने, मेरा कार्यकाल नहीं बढ़ाया, मुझे हटा दिया गया। पूरा दलित समाज हैरान था। अब यह एक ऐतिहासिक घटना बन गयी आने वाली अनुसूचित जातियों की पीढियों के लिए। विशेषकर जो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, विशेषकर भंगी जाति की पीढियां, समझे, यह देखें कि कांग्रेस के मन में क्या था। वह ऊपरी तौर पर अनुसूचित जाति और विशेषकर भंगी जाति के संरक्षण की झंकार नहीं जो कांग्रेस यहां वहां और सर्वत्र.....(व्यवधान) बल्कि उस आकलन के पीछे क्या असलियत थी, आज सबने उस एक्शन के पीछे + + + को देखा। यह उसका असली चेहरा है। यह इस बारे में.....(व्यवधान) और आज चिन्ता करने लगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था और माफी मांगनी पड़ी थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने लाल किले से भंगी शब्द कहा था, क्षमा मांगनी पड़ी थी। आपको भी क्षमा मांगनी पड़ जाएगी।

श्री प्रहलाद गुंजल : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, यह इसमें लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो इसमें लिखा है वह पढ़ा है मैंने। (व्यवधान) यह मुझे भी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पता है, आप मत समझाइये। (व्यवधान) यह जो किताब में लिखा है, वह पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव : उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, वह पढ़ा है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : मेहतर समाज के आदमी को वाइस चान्सलर पद से हटाया है, इतना तो सुनिये। (व्यवधान) एक भंगी समाज के वाइस चान्सलर को आपने हटाया, उस वाइस चान्सलर ने अपनी किताब में लिखा है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : कार्यकाल पूरा हुआ या पहले हटा दिया ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, पहले हटाया कार्यकाल से।

श्री कैलाश त्रिवेदी : कार्यकाल पूरा हो गया था, देखो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : पूरा नहीं हुआ। (व्यवधान) यह तो चलाकर हटाया है आप लोगों ने। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, चलाकर हटाया है उस भंगी को। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कार्यकाल पूरा हुआ है, बीच में नहीं हटाया उसको। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जैसे आप लोगों ने हमें कार्यकाल पूरा होने के बाद हटा दिया, वैसे ही हटाया है। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : कार्यकाल बढ़ाया नहीं। (व्यवधान) पूछ लो, अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल बढ़ाया नहीं, कार्यकाल पूरा हो गया। बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, यह सरकार की इच्छा होती है। आप भी बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, यह आपकी इच्छा है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : कांग्रेस की नीयत का पता चल गया, कांग्रेस क्या चाहती है। शिड्यूल कास्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी : कार्यकाल नहीं बढ़ता है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अब तो आप सारे इधर से जीते हो; माननीय एस.सी., एस.टी. के सदस्य, दो को छोड़कर, 5 साल बाद पूछेंगे एस.सी., एस.टी. के लिये क्या किया है। अब तो ठोके जाओ, 5 साल बाद पूछेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेन्ट्री बोर्ड में 9 सदस्य हैं जो हाइएस्ट बोर्ड है, एक भी एस.सी. और एस.टी. का आदमी हो तो बता दीजिए। (व्यवधान) एक भी नहीं है..... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान की जनता ने फैसला किया, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति-जनजाति के विधायक राजस्थान में जीते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एन.के. बैरवा को आर.पी.एस.सी. का चैयरमैन भी आपने बनाया होगा ?(व्यवधान) आपने बनाया होगा, एन.के. बैरवा को आर.पी.एस.सी. का चैयरमैन ?.....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान की जनता ने फैसला दिया। अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा विधायक जीते तो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, यह फैसला है जनता का। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो भी बढ़ा सकते थे।

श्री संयम लोढ़ा : 120 में से 45 सदस्य बी.जे.पी. के एस.सी., एस.टी. के हैं, फिर सी.एम. बनाओ न एस.सी., एस.टी. का। क्यों उठाकर पालकी घूम रहे हो ? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : बनाएंगे। (व्यवधान) अभी वसुन्धरा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : डिप्टी सी.एम. बना दो। एक डिप्टी सी.एम. बना दो तो जानें। (व्यवधान) मदन दिलावरजी को डिप्टी सी.एम. बना दो तो जानेंगे, कितने हितैषी हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम तो बैरवा साहब को जिताना चाहते थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एस.सी., एस.टी. के नेताओं को मंत्री बनाया है हमारे राज में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ? (व्यवधान) अपने स्थान पर विराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था, बजट के समय, विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान जो हमको चिन्ता करनी चाहिए चर्चा के साथ-साथ। दूसरा विषय आपने उठाया था पुलिस और अपराध का।

श्री जुबेर खान : यह जवाब तो वन बाई वन मुख्य मंत्रीजी देंगी। आप सारे जवाब देंगे क्या ?

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज में कोई अव्यवस्था होती है, अपराध बढते हैं तो सरकार की जवाबदेही बनती है। (व्यवधान) हां, कनक्लूड कर रहा हूं। दो मिनट में कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : बिरलाजी, खतरा हो रहा है। (व्यवधान) इसलिये तो बिरलाजी और भवानीजी दोनों एक हुए पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और बोलूंगा। समाज में अव्यवस्था होती है, अपराध बढ़ते हैं तो कोई सरकार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जवाबदेही से बच नहीं सकती है। लेकिन इसके साथ हमको चिन्ता सब होती है, दुर्भाग्यपूर्ण बात जब पैदा होती है जब सरकार के अपराध और अव्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता बरतने के बजाय सत्ता में बैठे हुए लोगों के तार अपराध से जुड़ जाएं। कौन जिम्मेदार है, पिछले राज में डी.जी. के लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ एक सम्भ्रान्त परिवार के साथ हरकत करने का ? क्या हश्र हुआ, बदनसिंह की रूह आज भी कानून से न्याय की उम्मीद कर रही है। किसके फार्म हाऊस पर आई.एस.आई. के एजेण्ट रूकने की खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई ? वह सरकार में मंत्री बनकर बैठे थे। तब सत्ता में बैठे हुए लोगों के तार आई.एस.आई. के साथ जुड़ें थे। (व्यवधान) जब सत्ता में गृह मंत्री के घर पर हत्याएं होने लगेंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : यह वही फार्म हाऊस है, जहां श्रीवास्तव..... (व्यवधान) और आपके वे दलाल, कई ईस्ट इण्डिया कम्पनी उसमें लगी हुई हैं, ईस्ट इण्डिया कम्पनी आ गयी यहां पर.....(व्यवधान)

(18.00 बजे)

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो कानून से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह चरित्र पिछले राज का सार्वजनिक रूप से लोगों ने देखा है। लेकिन आज राजस्थान के गृह मंत्रीजी पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी संवदेनशीलता के साथ राजस्थान के पुलिस अमले में आमूल-चूल परिवर्तन करके इसे आधुनिकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। उनके इस कथन से राजस्थान की जनता का विश्वास बना है। अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं। अब हमारे मुख्य सचेतकजी का आदेश है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्तिम बात कह रहा हूं। आप लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : यह बात कर रहे हैं परन्तु वर्तमान सरकार के एक मंत्री के सुपुत्र ने हाथ पकड़ लिया, उसके खिलाफ क्या किया ?

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

वर्तमान मंत्रीजी के सुपुत्र ने किसी बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसका क्या हुआ ? अब इससे कानून को बदनाम कर रहे हैं। शराब पीकर कई लोगों के बीच में......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर देखकर बोलिये। माननीय सदस्य, नहीं, नहीं।

श्री प्रहलाद गुंजल : पंचायती राज के बारे में आप कल दुहाई दे रहे थे, इन्होंने सहकारी संस्थाओं का, लोकतन्त्र का गला घोंटा। आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी, आप सहकारिता कानून नहीं लाना चाहते हैं। (व्यवधान) लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं। आपने सरे-आम सहकारिता आन्दोलन का गला घोंटने का प्रयास किया। (व्यवधान) 1992-93 में जो सहकारी संस्थाओं के चुनाव हुए, उसके बाद आज एक दशक का समय बीत गया है, पांच साल आपका राज रह गया, एक्ट में संशोधन के नाम पर, एक्ट बनाने के नाम पर सहकारिता में लोकतन्त्र की सरे आम हत्या हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वही लोग लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं। अध्यक्ष हटाये जा रहे हैं, उपाध्यक्ष हटाये जा रहे हैं। आज वह बात ठीक है कि वह विधेयक कानून के स्वरूप में, नियम के स्वरूप में बन गया लेकिन बैक डोर एण्ट्री का आर्डिनेन्स कौन लेकर आये थे, यह सारा सदन जानता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं।

माननीय, जिस विनियोग विधेयक पर आज चर्चा करके पारित कर रहे हैं, वह राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को इस धन का समुचित उपयोग करने का अधिकार प्रदान करेगा। यह जिस प्रकार की बजट में योजनाएं लेकर आयी हैं, हम सब विश्वास रखते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उससे राजस्थान का कल्याण होगा, राजस्थान का भला होगा। हम गांव और गरीब को खुशहाली का वातावरण दे पाएंगे, बेकार हाथ को काम दे पाएंगे, सूखे खेत को पानी दे पाएंगे, कई प्रकार की योजनाएं और कई प्रकार के हमारे सपने साकार होंगे। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। और अन्त में एक बात और मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आयरन और स्टील पर परचेज टैक्स लगाने से स्थानीय उद्योग को जो नुकसान होने की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्थितियां बन रही हैं, आज जवाब के समय आप कुछ न कुछ राहत और कुछ न कुछ बात करने की कृपा करेंगी तो आपके इस बजट से सारे राजस्थान के सपने साकार होंगें। इसी विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बून्दी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर अपनी बहुत छोटी-सी बात कहना चाहूंगी। बहुत छोटी-सी। मेरी दो तीन बातें ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सब छोटी ही कहते हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : एक तो चम्बल कमाण्ड एरिया के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि चम्बल कमाण्ड एरिया को माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपने बजट में जरूर लें क्योंकि एक हजार किलोमीटर लम्बी जो नहरें हैं, माइनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनकी मरम्मत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। माननीय सदस्य, आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : आपकी चिन्ता मैं बजट भाषण में कह चुका हूं, रामगंजमण्डी में नहीं आयी है।

श्रीमती ममता शर्मा : रामगंजमण्डी में नहीं है, वे नहरें बून्दी क्षेत्र में हैं। लैफ्ट और राइट मेन कैनाल की बात कर रही हूं मैं। आप अपने एरिये की बात करिये।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों का हित एक ही है।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहरों का री माडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि पिछली तत्कालीन सरकार में उस पर काफी कम किया गया है लेकिन मैं चाहती हूं कि जो बची हुई हैं उनके लिए बजट दिया जाए उनको जरूर बजट में लाया जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि उस एरिया में ट्राइबल्स बहुत हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं। मैं मानती हूं, हो सकता है कि जो सरकार के आंकड़े हैं उनके

(श्रीमती ममता शर्मा)

परसेन्टेज में वे नहीं आता हो लेकिन फिर भी वहां भील और मीणा जाति इतनी हैं कि उनके बारे में अलग-अलग विचार किया जाए। बून्दी जिले के जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बजट जरूर हो, और माननीय मंत्री यहां पर हैं, मैं यह चाहती हूं कि उसको माडा में लिया जाए। अलग से माडा के लिए जब लिखकर भेजते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं समझती हूं कि उस एरिया को अगर माडा में ले लिया जाएगा तो हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनको बहुत फायदा होगा।

तीसरी बात मैं पर्यटन पर कहना चाह रही हूं। हालांकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको पर्यटन में लेने का हमें आश्वासन तो दिया है लेकिन ऐसा कोई खास पैकेज नहीं दिया है जिससे हम यह मान सकें कि उनको पर्यटन में ले रही हैं। दरा को जो इन्होंने नेशनल पार्क घोषित किया है उसके साथ मैं चाहती हूं कि कोटा डैम, जवाहर सागर और उसका जो एरिया है, जहां घना जंगल है और जानवर भी हैं, उसका प्रोजेक्ट तत्कालीन सरकार ने बना लिया था, 2001-2002 के टाइम बन चुका है, उसको भी जरूर लें। (व्यवधान) बस इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मदन राठौड़।

श्री जुबेर खान : इधर से ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन राठौड़। मदनजी, इसी तरह से शार्ट में।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में, एक मिनट में भी कोई इधर बोल गया तो फिर दो घण्टे आप उधर दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री जुबेर खान : आप देखिये तो सही कि कौन कितना बोल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मदनजी, बहुत शार्ट में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री मदन राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के प्रतिपक्ष के नेता महोदय रोजगार पर चिन्ता कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से उन्हें यह बताना चाहूंगा कि जब उनकी सरकार आयी थी तो उन्होंने 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष रिटायरमेन्ट की एज घोषित की थी। तब तो युवकों में शायद उम्मीद थी कि निश्चित रूप से अब कुछ लोगों को ये रोजगार देंगे लेकिन पूरे पांच वर्ष तक इन्होंने किसी भी बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं दिया और पूरे पांच वर्ष तक उनके साथ धोखा किया। मैं सोचता हूं कि उनके किये कारनामों का जवाब उनको खुद ही मिल जाना चाहिए। हमारी सरकार ने रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण जनों में रोजगार उपलब्ध कराने और ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जिसमें चालीस हजार तक ऋण और दस हजार तक अनुदान उनको मिलेगा, वे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, हमारी सरकार ने आते ही अध्यापकों के लिएं प्रार्थना पत्र लेना शुरू भी कर दिया। भर्ती इसलिए नहीं हो सकी कि पहले नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए यदि आमन्त्रित किया जाए तो देश का कोई भी नागरिक, कोई भी युवक जो किसी भी विद्यालय में पढ़ा हो, वह आवेदन कर सकता था। आपको मालूम है कि उत्तरप्रदेश के अभी जो मुख्य मंत्री हैं, मुलायमसिंह यादव, उन्होंने चुनावों में और चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा था कि किसी भी विद्यार्थी को नकल करने की छूट दूंगा, यदि मैं सत्ता में आया। जब वे सत्ता में आ गये तो वहां पर नकल करने की छूट है तो वहां का विद्यार्थी 95 परसेन्ट अंक प्राप्त करता है और राजस्थान का विद्यार्थी बड़ी मेहनत करने के बाद भी 62, 65 परसेन्ट, 70 परसेन्ट अंक ही प्राप्त कर पाता है। लेकिन जब नौकरियों में छूट मिलती है तो वह भी आवेदन कर सकता है और हमारे यहां का नौजवान भी आवेदन करता है तो उनको नौकरी मिल जाती थी और हमारे यहां का नौजवान पिछड़ जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने एक प्रावधान किया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 200 नम्बर का एक न्यूमेरिकल प्रश्न पत्र उनको देंगे, उस प्रश्न पत्र का वह करेगा और पास हो जाए तो मैरिट के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी। राजस्थान में जो

(श्री मदन राठौड़)

भौगोलिक स्थिति है, जैसे राजस्थान में खेजड़ी होती है, उस पर विद्यार्थी से यह प्रश्न किया जाए कि खेजड़ी के कैर होते हैं या सांगरी ? तो उसने जब खेजड़ी देखी ही नहीं तो वह क्या लिखेगा ? वह कैर लिखेगा और फेल हो जाएगा। हमारे यहां का विद्यार्थी, हमारे यहां का नौजवान जिसको मालूम है कि वहां सांगरी होती है, वह सांगरी लिखेगा। इस प्रकार से हमारे यहां के नौजवान को रोजगार मिल सकेगा। इस प्रकार का प्रयास हमारे यहां के शिक्षा मंत्रीजी ने किया। हमारे विपक्ष के नेता यह बोल रहे थे कि.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह तो शिक्षा मंत्रीजी पहले ही बोल चुके हैं कैर-सांगरी की बात तो। यह कैर-सांगरी की बात तो पहले शिक्षा मंत्रीजी बोल चुके हैं। आपके श्रीमुख से नहीं आया, यह बात जरूर है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : राजस्थान की सरकार किसी को मरने नहीं देगी। कि हमारी सरकार ने तय की है फूड स्टेंप योजना, अर्थात् गरीब को भी भूख से नहीं मरने दिया जाएगा। सरपंच के माध्यम से दस-दस किलो गेहूं के पैकेट उपलब्ध होंगे। वह किसी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति से या और किसी भी माध्यम से वहां से प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है। शिक्षा के मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने 175 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान रखा था, प्राथमिक शिक्षा के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनजी।

श्री मदन राठौड़ : वर्तमान बजट में 300 करोड़ 66 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में पहले केवल 31 करोड 93 लाख का प्रावधान था, वर्तमान बजट में 123 करोड़ 12 लाख का प्रावधान रखा गया है। यह चार गुना प्रावधान है। शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस प्रकार का प्रावधान किया है कि आठवीं तक.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये कई बातें पहले आ चुकी हैं इसलिए आप इसको दुबारा रिपीट मत कीजिये। करीब करीब सब बातें आ चुकी हैं।

श्री मदन राठौड़ : नई बात बताना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब चाइना में एक अरब की आबादी थी तो एक अरब की आबादी को देखकर सारी दुनिया सोचती थी कि चीन आबादी के बोझ के तले दब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगा कि चीन काफी विकसित हो चुका है। वह विकसित इसलिए हो गया कि चीन में 10 वर्ष पहले नदियों को जोड़ दिया गया। ब्रह्मपुत्र गंगा से जुड़ेगी, इसी प्रकार की योजना हमारे यहां बनी है। हमारे देश के प्रधान मंत्री थे जवाहर लाल नेहरू, उस समय एक मिस्टर के.एल. राव थे, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हिन्दुस्तान में भी नदियों को जोड़ने की योनजा बनाएं, तो जवाहर लालजी ने कहा था यह के.एल. राव तो पागल हो गया है, यह बेवकूफ है। नदियां भी कभी जुड़ती हैं। नदी अपनी दिशा में बहती है, अपनी धाराओं में बहती है। यह पागलपन की बात करता है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह साबित कर दिया, उन्होंने साढ़े ढह लाख करोड़ की एक स्कीम बनाकर सुरेश प्रभुजी के नेतृत्व में नदी जल आयोग बनाया और इस प्रकार की योजना बनाई (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह किस पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान) आवेश में जो मन में आवे सो बोल जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : जब ब्रह्मपुत्र गंगा से जुड़ेगी, गंगा यमुना से जुड़ेगी, यमुना नर्मदा से जुड़ेगी, इस प्रकार से नदियां जुड़ेगी, नहर निकलेगी और जब नहर निकलेगी तो कहीं पर सूखा नहीं होगा। (व्यवधान) कहीं पर बाढ़ नहीं आएंगी। पानी का उपयोग होगा। हमारे देश में, हमारे राजस्थान प्रान्त में..... (व्यवधान) 0.16 प्रतिशत ही है।

श्री हेमाराम चौधरी : मन में आवे तो बोले जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : भूजल 1.2 प्रतिशत है। यह बहुत बड़ी समस्या है। जब इस प्रकार की व्यवस्था है, इसके समाधान के लिये सिंचित जल की योजना बनाई है।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। माननीय कल्ला साहब, मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलाएं ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सारा बजट के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूं, मैंने बजट के बाहर कुछ भी बात नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी।

श्री मदन राठौड़ : मैं नदियों को जोड़ने के लिये विपक्ष के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री के सामने जाकर यह प्रयास करें कि नदियों को जोड़ने की योजना को समाप्त नहीं करें और नदियों को जोड़ने की योजना को वह चालू रखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, आपके बोलने के बाद.....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये। इस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पहाडियाजी के बाद। पहाडियाजी के बाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये, जोशीजी का नाम पुकार लिया है मैंने। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं केवल पांच मिनट बोला हूं, आप मुझे बोलने दीजिये। सारे आंकड़े भी लोगों ने कह दिये तो मुझे जब बाद में अवसर दिया गया तो मैं अपनी बात कुछ तो कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि लाइम स्टोन व्यापार, लाइम स्टोन खनिज, यह अभी समस्याग्रस्त है, लाइम स्टोन पर जो रायल्टी बढ़ाई गई है, उसको कम करने का मैं निवेदन करता हूं। यही नहीं पैट्रोलियाम काप पर जो तीन प्रतिशत एण्ट्री टैक्स लगाया है, लाइम स्टोन जो भट्टा पकाते हैं, वे लोग इनको काम में लेते हैं और लाइम स्टोन जो काम में लेते हैं वे गरीब लोग लेते हैं, सामान्य वर्ग के लोग लेते हैं

(श्री मदन राठौड़)

जो सीमेन्ट नहीं खरीद पाते, लाइम और चूने से मकान बनाते हैं, उनके ऊपर यह व्यर्थ बोझ पड़ेगा। मेरा यह निवेदन है कि लाइम पर से रायल्टी दर भी कम की जाए और पेट्रोलियम काप पर जो एण्ट्री टैक्स है, उसको या तो समाप्त किया जाए या कम किया जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष खनिज के मामले में बोल रहे थे, मैं उनको यह बताना चाहूंगा, 2001-02 में आपने अवैध खनन के 588 मामले पकड़े थे लेकिन मुकदमें बनाये केवल 48, क्यों बनाये 48 ? बाकी लोगों ने शायद आपकी जेबें गरम कर दी होंगी। इसलिए आपने उनके खिलाफ मुकदमें नहीं बनाये। 2002-03 में अवैध खनन के 633 मामले पकड़े गये, यह एक जवाब में बताया है, लेकिन मुकदमें बनाये हैं केवल 33 के खिलाफ। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और कोई हो नहीं सकती कि आपने केवल 33 लोगों के खिलाफ मुकदमें बनाये। इसका जवाब आपके पास देने के लिये नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आरोप लगाना.....(व्यवधान)...यह सरासर गलत बात है। यह सीधा आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जेबें गरम कर दीं।...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं यह आरोप कोई झूठा नहीं लगा रहा, एक प्रश्न के उत्तर में आया है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं आंकड़े लेकर आया हूं, आंकड़ों में इनकी पोल खुल जाएगी इसलिए बीच बीच में यह व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। मैं जब बोलने खड़ा होता हूं तो बीच में व्यंवधान उत्पन्न करके मेरा समय यह खराब करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाएं। मुझे बोलने से रोकने का प्रयास नहीं करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : पूर्व सरकार ने मैट्रो सिटीज को जोड़ने के लिये 6 लेन रोड बनाने की जो घोषणा की है, ये उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसका केवल, नाम ही नहीं मिटा रहे बल्कि उस योजना को बन्द करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा षड्यन्त्र चल रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा, यदि आपकी

(श्री मदन राठौड़)

चलती है, मैं जानता हूं कि आपकी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि आपने केवल चार सीटें दी है 25 में से, इसलिए आपको तो वे अछूत समझते हैं, आपकी बात को वहां कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके पास दम है तो आप जाकर कहिये कि इस योजना को रोकने का प्रयास नहीं करें, इस योजना को पूरा करें।

यही नहीं, मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगंज से लेकर आबू तक का मार्ग अछूता रह गया, अजमेर, ब्यावर, पाली, सुमेरपुर, इस मार्ग को जोड़ने के लिये चार लेन रोड स्वीकृत की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिये ट्रोमा यूनिट और न्यूरो सर्जरी पांच स्थानों पर और लगाने का तय किया है। ट्रोमा यूनिट्स हैं 6 स्थानों पर। जिला अस्पतालों को एस.एम.एस. से जोड़ने और, यही नहीं, जिला अस्पताल में टेली मेडिसीन योजना के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने की जो स्कीम बनी है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री मदन राठौड़ : योजना बन रही है वह अत्यन्त ही लाभकारी होगी। मेरे सुमेरपुर में भी ट्रोमा यूनिट लगाने का मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी भी स्वीकृति दें। आज मुझे वास्तव में बीच में टोका, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सारे भाषण को आपने अस्त-व्यस्त कर दिया। सारे पेपर इधर उधर करवा दिये। एक अन्तिम निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।

वर्ष 2002-03 के अकाल के कार्य 16 अगस्त से शुरू किये, 2002-03 में 4 लाख 18 हजार का लेबर सीलिंग था, इसके विरूद्ध 2 लाख 65 हजार श्रमिक ही नियोजित किये। अब यह किस मुंह से बात करते हैं। रोजगार की बात करते हैं, 4 लाख 18 हजार के विरूद्ध 2 लाख 65 हजार ही आपने किया। यही नहीं, केन्द्र सरकार ने भी आपको बहुत सहयोग दिया, 32 लाख मीट्रिक टन आपको चार महीने में गेहूं दिया जो आपने पूरा उठाया, लेकिन वह गेहूं कहा गया ? उसमें से कितना गेहूं आपने खा लिया ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने हमको अछूत समझा था, वे अछूत आज भूखों मर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में आज कोई काम नहीं खोला है। राजसमन्द में काम चल रहा है, भीलवाड़ा में काम चल रहा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपके इतने आदमी ज़िताये, आपने हमको तो अछूत समझा। (व्यवधान) फिर भी भूखों मर रहे हो.....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में आठ में से छह बी.जे.पी. के जीतकर आये हैं, दो कांग्रेस के आये हैं। जालौर में और सिरोही में जीतकर आये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तीन-तीन लाख से हारे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यह जो एक अन्तिम निवेदन है सरकार में...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आ चुका है कई बार। यह रिकार्ड पर कई बार आ चुका है। आप बन्द कीजिये। यह बार-बार रिपीट करने में कोई.....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : केवल एक मिनट लूंगा। 2002-03 राजस्व के सामान्य वर्ग में 22 अरब 49 क़रोड़ रूपये बकाया आवसूली रहा, यह इनके राज में रहा। यही नहीं, 2002-03 में बिक्री कर का 13 अरब 17 करोड़ रूपया आवसूली रहा। इस प्रकार से इन्होंने बहुत चूना लगाया है राजस्थान की जनता को और राजस्थान की जनता के धन को बर्बाद किया है। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं, राठौड़ साहब, बैठिये। आप एक एक करके कर रहे हो.....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मेरे एक कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि आप बीजेपी वाले तो कुत्ते हैं, आप खजाने की रक्षा करते हैं। आप हल्ला मचाते हैं, न तो खुद खाते हैं, न किसी को खाने देते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या कहा

(श्री मदन राठौड़)

जाए ? उन्होंने कहा, हम तो मुर्गे हैं, अच्छा-अच्छा दाना खाते हैं और पंजे से पीछे फेंकते जाते हैं अपने कार्यकताओं के लिए। यही काम उन्होंने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल का डिस्कशन रूल 154 के अन्तर्गत है। हमारी सरकार दिसम्बर में बन गयी थी और अब सरकार दूसरा बजट लायी है। इस एप्रोप्रिएशन बिल के स्कोप में यह है कि पब्लिक इम्पार्टेन्स के इश्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसीज हैं, जिनका डिस्कशन ग्राण्ट में हो गया, बजट में हो गया, उसके सम्बन्ध में चर्चा की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से हम चर्चा कर रहे हैं तब से सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है। सभी यह जानते हैं कि हमारी तनख्वाह में करीब 6 हजार करोड़ रूपये हम खर्च करते हैं, पेन्शन में खर्च करते हैं। जो हमारी स्टेब्लिशमेन्ट कास्ट है और जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। यह चर्चा का विषय है।

यह सरकार जो पिछले दिसम्बर में बन गयी थी, जनवरी में बजट लेकर आयी तो हम यह आशा कर रहे थे कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी के बारे में चर्चा करेगी जिससे हम जनता के बीच में जाकर कह सकें कि जो यह स्टेब्लिशमेन्ट कास्ट है उसको हम कैसे कम करेंगे। यह हमारी चिन्ता है, सब की चिन्ता है और सरकार की भी चिन्ता स्वाभाविक होनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी में, इसमें कोई इस बात की चर्चा नहीं हुई कि उस कास्ट को कैसे हम कम करेंगे। जब तक राजस्थान के वित्तीय प्रबन्धन में हम इस चीज के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करेंगे तब तक बजट के बारे में जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, हमने बजट की साइज बढ़ा दी, इस साल बजट की साइज को 7 हजार से ज्यादा कर दिया, वो उसका एक पक्ष है, लेकिन एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट कम नहीं हुई। दिल्ली की सरकार डी.ए. बढ़ाती है तो राजस्थान सरकार

(डा. सी.पी. जोशी)

को भी डी.ए. बढ़ाना पड़ता है। राजस्थान सरकार की जो वित्तीय स्थिति बनी हुई है, यहां के कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का सरकार का कमिटमेन्ट है, उसको पूरा कर देंगे। हमारा अकाल पड़ गया, वित्तीय संसाधनों को हम देख लेंगे तो हमारा बजट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें उस मोटे तथ्य के सम्बन्ध में एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी का कोई डिस्कशन नहीं है। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी रही हैं, हमारी भी रही हैं, अब समय आ गया है कि सरकार को खुले दिल से इस बात पर चिन्ता करनी चाहिए कि आने वाले पांच साल में राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी क्या रहेगी जिससे हमारे वित्तीय प्रबन्धन में एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट को हम कम कर सकें।

मैंने उस दिन भी चर्चा की और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि 73वें और 74वें अमेंडमेन्ट के बाद यह जो इनक्लूजिव सर्विस का कंसैप्ट है, उस कंसैप्ट के सम्बन्ध में सरकार को चर्चा करनी चाहिए। यह जो टेली मेडिसिन का सम्बन्ध आ गया जिससे कास्ट कम कर के हम लोगों को सुविधा दे सकते हैं, इसकी चर्चा की जानी चाहिए। टेली एजुकेशन का जो कंसैप्ट आ गया, जिससे हम एजुकेशन को दूरदराज के इलाकों में पहुंचा सकते हैं, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कास्ट कम हो। लेकिन मैं समझता हूं हमने इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं की। मेरी इच्छा है कि सरकार निश्चित तौर पर एक पालिसी बना कर आए कि अगले चार साल में एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट कैसे कम करेंगे।

फिफ्थ पे कमीशन के सम्बन्ध में भी चर्चा की। फिफ्थ पे कमीशन में एनविसेज किया गया था कि 30 परसेन्ट पोस्टें कम होंगी। नहीं हुई, नहीं कर सकते। लोकतन्त्र का कम्पल्शन है, नौकरी देनी पड़ेगी, लोगों को जाब में रखना पड़ेगा। यह हमारा लोकतन्त्र में वोट देने का तरीका है जिसमें हम कमिटमेन्ट करना चाहते हैं। इसको कम करने के सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं करेंगे तब हम अपनी पालिसीज के बारे में जो एप्रोप्रिएशन बिल को पास करने वाले हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हम कोई बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें वित्त मंत्री के रूप में, तो बताएं कि अगले चार साल में राजस्थान में एस्टेब्लिशमेंन्ट

(डा. सी.पी. जोशी)

कास्ट को कम करने के लिए उनके मन में क्या कल्पना है, कैसे एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट को कम करेंगे, कैसे लोगों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार का सम्बन्ध सरकारी नौकरी से है ? क्या नौकरी का सम्बन्ध इनडायरेक्ट जाब के अन्दर है, जो हम जनरेट करना चाहते हैं, उसको हम आधार बनाना चाहते हैं ? स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा नौजवान लोगों को कि जमाना आ गया है कि सर्विस का मतलब नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो क्या व्यवस्था हो सकती है, यह नौजवान लोगों के बीच जाकर कहना पड़ेगा। यह इसलिए कहना पड़ेगा, आज शिक्षा मंत्रीजी भी जानते हैं, दूसरे मंत्री भी जान रहे हैं, आज 1998 के लोग नहीं आये, वे हड़ताल कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में बनियान खोल कर कोई यह काम कर रहा है, ये प्रश्न खड़े होंगे राज्य सरकार के सामने। यदि हमने इस पर चिन्ता नहीं की, चिन्तन नहीं किया तो इन प्रश्नों का सीधा समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, समय आ गया है कि डीसेंट्रलाइजेशन एक सिल्वर लाइनिंग है, केन्द्र की सरकार बनी तो केन्द्र की सरकार के कर्मचारियों के नियम और कानून, सेवा शर्ते अलग थीं, स्टेट गवर्नमेन्ट बनी तो स्टेट गवर्नमेन्ट की सेवा शर्ते अलग थीं, कालान्तर में जाकर हमने स्टेट गवर्नमेन्ट और सेंट्रल गवर्नमेन्ट एम्पालई की टर्म एण्ड कण्डीशन को एक कर दिया। अब 73वां और 74वां अमैंडमेन्ट हम को एक मौका देता है। आज लोगों की इच्छा क्या है ? प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करें, प्राइमरी हैल्थ का काम पूरा करें, डिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके यहां बिजली व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए, उनके खेती के संसाधन ठीक ढंग से होने चाहिए। इस काम को करने के लिए जो एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट हमने 50 साल में बना दी, क्या उसी एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट के आधार पर हम काम करना चाहते हैं ?

माननीय शिक्षा मंत्रीजी जानते हैं, मैंने उस दिन भी आंकड़ा दिया, एक करोड़ दस लाख बच्चे पहली क्लास में भर्ती होते हैं, दो लाख समथिंग बच्चे हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन क्या है ? उसमें एस.सी. के कितने हैं ? एस.टी. के कितने हैं ? ओ.बी.सी. के कितने हैं ? आज तक

(डा. सी.पी. जोशी)

हम डबल फीगर में नहीं पहुंचे। एस.सी., एस.टी. की गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन में ड्रापआउट की रेट कितनी है ? हमें शिक्षा मंत्रीजी से पूछना पड़ेगा कि आखिर में आपका चिन्तन क्या हैं ? कैसे ड्रापआउट रेट को पूरा करेंगे ? कैसे एस.सी., एस.टी. की गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन है उसको जनरल फीमेल की एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे ? इसका कोई चिन्तन, कोई मनन इस एडमिस्ट्रेटिव पालिसी में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम इन चीजों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करेंगे स्कूल खोल दें, स्कूल खोलने के बाद अध्यापक भी दे दें हम और सब काम कर लें, लेकिन ड्रापआउट रेट कम करना, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन रेट को बढ़ाना, बच्चों की रीटेन्शन करना, इस सम्बन्ध में हमने फोकस नहीं किया कि कौनसे इलाके हैं। आज भी आप जालौर में चले जाएं, आज भी आज झालावाड़ में चले जाएं, आज भी आप उदयपुर में चले जाएं, कोटड़ा में चले जाएं, बांसवाड़ा के दानपुर के इलाके में चले जाएं, ऐसी बहुत सी पंचायत समितियां हैं जहां पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा वनिस्पत कि हम फोकस करें बड़े शहरों में।

उस दिन मैंने आंकड़ा दिया, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे ज्यादा प्रासपरस डिस्ट्रिकट हैं, चाहे जयपुर ले लें, चाहे अलवर ले लें, चाहे झुंन्झुनूं ले लें, वहां पिछले डिकेड में पापुलेशन बढ़ी है। आखिर यह कोरिलेशन क्या है कि जो गरीब आदमी है, आदिवासी इलाके का आदमी है वहां पापुलेशन नहीं बढ़ रही है ? पंचायत समिति का जो एक्सपांशन हो रहा है वह बड़े डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है जहां पर हमारी सुविधाएं हैं। तो हमारी जो फैमिली प्लानिंग की पालिसी है, सरकार को उसको फोकस करना पड़ेगा कि इनके बीच में कोरिलेशन है या नहीं है। यदि हमने अच्छी इंडस्ट्री की व्यवस्था की है, लोगों को एन्टरप्रिन्योर एक्टिविटी दी है उसके बाद में पापुलेशन बढ़ रही है तो या तो वहां पर माइग्रेट पापुलेशन होकर ज्यादा आ रही है और सेंसस में उसका रिफ्लैक्शन हो रहा है या हम दूसरी चीजों को नहीं कर रहे हैं। कोई एक तरीका हो सकता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा इस बात के लिए कि पापुलेशन की ग्रोथ को यदि हमें स्टेबल करना है तो हमें यह बात

(डा. सी.पी. जोशी)

सोचनी पड़ेगी कि पापुलेशन माइग्रेशन करके आ रही है वह राजस्थान की है या बाहर की है। आप लोगों को जाकर पूछिये। मुझे जानकार आश्चर्य होता है कि आज सबसे ज्यादा, 10 हजार से लगा कर 25 हजार से ज्यादा आदमी राजस्थान में बिहार का आ गया। बिहार का आदमी जो मैसनरी का काम करने वाला सबसे परफैक्ट आदमी है, आप किसी इलाके में चले जाएं, जो मकान बनाने का काम कर रहा है, ईंट का काम कर रहा है, सीमेन्ट बनाने का काम कर रहा है वह बिहार का कर रहा है। बिहार के 30 हजार, 40 हजार आदमी राजस्थान में आकर नौकरी करने लग जाएं और हमारे यहां के लोगों को रोजगार के सम्बन्ध में कोई चर्चा ही नहीं हो तो हमें नियम बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यह जो नान स्किल्ड लेबर है, उसमें भी यदि पोटेंशल इसके साथ जाकर जुड़ रहा है तो हम एम्प्लायमेन्ट की स्कीम में क्या कर रहे हैं। हमारी पालिसी क्या है सम्बन्ध में ? इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर चर्चा करने की आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय।

मुझे अन्यथा नहीं लें, हमार फर्म कंविक्शन हैं, हमने पिछले पांच-सात साल में जो बिजली का जनरेशन किया या आपकी पिछली सरकारों ने चार हजार करोड़ रूपये की बिजली खरीदी, बिजली खरीद ली या हमने पैदा की, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि यदि राजस्थान में पानी उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करना चाहते हैं। हम ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं, ग्रिड स्टेशन बनाने से क्या होगा ? ग्रिड स्टेशन का मतलब है, नान इन्टरप्ट बिजली मिलेगी। नान इन्टप्ट बिजली कहां मिलेगी ? जहां बिजली की चोरी हो रही है। हम क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ? चार हजार करोड़ रूपये हम खर्च कर दें बिजली के तन्त्र को सुधारने के लिए, और बिजली के रेवेन्यू कलेक्शन का आधार बनाएं तो उसके बीच में कोई को रिलेशन नहीं है। हमने बना लिया, मेवाड़ के लोगों को झुंन्झुनूं और सीकर के लोगों को साथ में जोड़ दिया। मेवाड़ में बिजली कौन काश्तकार ले रहा है ? वहां पर 10 हार्स पावर की किसके पास मशीन है ? वहां दो हार्स पावर की और चार हार्स पावर की मशीन है। वहां लैंड होल्डिंग है दो बीघा और तीन बीघा। यहां लैंड होल्डिंग ज्यादा है। हमारा

(डा. सी.पी. जोशी)

फाइनेन्शल मैनेजमेन्ट ठीक होना चाहिए, ग्रास सब्सिडी होनी चाहिए। वहां के किसान के साथ यहां के किसान को जोड़ दिया, यदि उदयपुर में आपको बिजली की व्यव्सथा करनी है तो उदयपुर में इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ सकती है। इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए व्यवस्था करनी है तो फिर उदयपुर के लोगों के सम्बन्ध में बिजली की व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, राजस्थान में इतने बेरिएशन हैं। अलवर की हालत देख लें आप, बासंवाडा से निकल कर बाड़मेर में चले जाएं, इतना बेरिएशन है। तो हम होमोजीनियास पालिसी क्यों बना रहे हैं ? हमारी पालिसी एक तरह की क्यों बन रही है ? हमारी पालिसी में कोई वेरिएशन क्यों नहीं हो रहा है ? क्या हम 50 साल तक एक ही तरह की पालिसी लेकर काम करेंगे ? क्या आपको फीगर मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, आज मेवाड़ का आदमी अपने गेहूं पकाता है, किसान वहां पर बैल रख रहा है, बिजली की व्यवस्था कर राह है, उसके गेहूं का भाव भी वही, और हमने राजस्थान कैनाल में लाकर लोगों की जमीन पहूंचा दी, उसके पास पानी पहुंचाने के बाद उसके किसान के पास भी वही भाव मिलेगा, तो यह विषमता पैदा नहीं होगी ? मेवाड़ के आदमी के टैक्स का पैसा यदि हम राजस्थान के दूसरे इलाके में लगा रहे हैं तो मेवाड़ के इलाके के लोगों को रोजगार करने की क्या व्यघस्था करनी है, यह भी काम हमें करना पड़ेगा। कितना इन्वैस्टमेन्ट किया हमने 50 साल में, उसका एक परसेन्ट भी हम इरिगेशन में वसूल नहीं कर रहे हैं। यूजर्स चार्ज हम कहां लगाना चाहते हैं ? यूजर्स चार्ज लगाना चाहिए, जहां हैव्ज हैं। हैव्ज नोट पर हम लगाना चाहते हैं, जिस आदमी की हैसियत बढ़ी है, हमने 50 साल पहले कल्पना की थी कि लोगों के पास, जागीरदारों के पास क्या जमीन होगी। मेवाड़ के जागीरदार के पास सीलिंग का नियम अलग था। मेवाड़ के अलावा जो वैस्टर्न राजस्थान का जागीरदार था, उसके पास जमीन अलग थी। 50 साल में हमने पानी पहुंचा दिया, उसकी जमीन की किस्म को हमने नहीं बदला। क्या हमारा धर्म नहीं बनता है ? लैंड होल्डिंग ज्यादा थी, हमने पानी की व्यवस्था कर दी, पानी उसके पास पहुंचा

(डा. सी.पी. जोशी)

दिया, तब भी जमीन की किस्म नहीं बदली। इसलिए वैस्टर्न राजस्थान के काश्तकार की क्या स्थिति बनी है और साउथ राजस्थान के काश्तकार की क्या स्थिति बनी है, क्या इस सम्बन्ध में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ? मैं समझता हूं कि नये सिरे से इस बात को सोचने की आवश्यकता है। यदि इरिगेशन का पैसा इन्वैस्ट किया, किया जाना चाहिए हमारा पोटेंशल पश्चिमी राजस्थान में है, वहां जमीन है, वहीं खेती हो सकती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। साउथ राजस्थान में बच्चे को पढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। साउथ राजस्थान का गरीब आदमी कैसे आगे बढ़ सके, उसकी बच्ची कैसे पढ़ सके, कैसे स्वाभिमान की जिन्दगी जी सके, उसके लिए नियम हमें अलग बनाना पड़ेगा। महाराष्ट्र पैटर्न में हम तीस करोड़ रूपए दे रहे हैं, तीस करोड़ रूपये में हम आशा करें कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ट्राइबल सब प्लान के लोगों का भला हो जाएगा और पांच सौ - सात सौ रूपए हम कहां खर्च करते हैं, उससे राजस्थान की विषमता बढ़ेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए एक ही तरह के नियम और कानून बनाकर हम राजस्थान में समझें कि हम लोगों का भला कर पाएंगे, भला नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी के अन्दर आधारभूत परिवर्तन करें। वह परिवर्तन हम नहीं करेंगे तब तक राजस्थान में विषमता इतनी बढ़ जाएगी, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले समय में लोग मांग करेंगे कि पूर्वी राजस्थान अलग बनना चाहिए, साउथ राजस्थान अलग बनना चाहिए, वह राजस्थान अलग बनना चाहिए। यह भी एक खतरा पैदा हो जाएगा। इस खतरे के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर सोचकर कुछ चर्चा की जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पापुलिस्टिक मेजर लेते हैं, पापुलिस्टिक मेजर के बिना हमारा काम नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना है, कितनी एस्टेब्लिशमेन्ट कास्ट है, इतनी सैण्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम हैं, इतना एक्सटर्नल एडेड फण्ड है, इसमें इतना पैसा हमारा देने का है। यह बजट जो है, हम जगलरी पैदा कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा आपको, आपने प्लान की साइज बढ़ाई

(डा. सी.पी. जोशी)

है, 2003 में बढ़ाई, 2004-2005 में बढ़ाई, प्लान की साइज बढ़ाने के बाद भी आपका नान डवलपमेन्ट एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आप उठाकर देख लें आंकड़े, 2001 से लेकर 2004-2005 के बजट को उठाकर देख लें, नान डवलपमेन्ट एक्सपेंडिचर आपका कम नहीं हुआ है। यदि प्लान की साइज बढी है तो नान डवलपमेन्ट एक्सपेंडिचर आपका कम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, सोशल सैक्टर का उठाकर देख लें, सोशल सैक्टर में हमने प्लान की साइज बढ़ी दी है पर प्लान के अन्दर रेवेन्यू का जो परसेन्टेज़ है उसमें कोई बढोतरी नहीं हुई है। हम आंकड़े देकर कह सकते हैं, हमने शिक्षा में इतना खर्चा किया, उसमें इतना खर्चा किया, पर आप अपने आंकड़े उठाकर देख लें, प्रपोशनेट परसेन्टेज जो है वह न सोशल सैक्टर का बढ़ा है, न नान डवलपमेन्ट का बढ़ा है। नान डवलपमेन्ट का एक्सपेन्डिचर आपका घट नहीं रहा है, सोशल सैक्टर का बढ़ नहीं रहा है, फिर हम कल्पना करें कि राजस्थान का विकास हो जाएगा। कोई पांच प्राइमरी स्कूल खोलकर, एक सब सेण्टर खोलकर या कई जगह सड़क देकर हम समझते हैं कि गांव के आदमी का विकास हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वह जमाना गया। आज एच.आर.डी. का काम करना पड़ेगा। कितने लोगों की शिक्षा के सम्बन्ध में हमने काम किया, कितने लोगों की एजुकेशन को ठीक करने के साथ साथ उनकी हैल्थ के सम्बन्ध में हमने काम किया. कितनी हमने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रोकी है, कितनी मातृ मृत्यु दर को रोका है, ये नये इंडेक्स हैं जिसके ऊपर फोकस करने के लिए हमारी इसमें कोई दृष्टि नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, मुझे मालूम है कि अन्य साथी भी बोलेंगे, लेकिन अन्त में एक बात राजस्थान की इकोनोमी सबसे ज्यादा निर्भर करती है बरसात पर और बरसात का पानी कम हो रहा है तो वाटर हार्वेस्टिंग को हमें प्राथमिकता के आधार पर लेना पड़ेगा। राजस्थान की इकोनोमी एनीमल हस्वेंड्री वेस्ड थी, क्यों हमने इसको एग्रीकल्चर बेस किया, यह भी हमें सोचने की आवश्यकता है। आज भी 35 हार्स पावर, 50 हार्स पावर की मोटर को लगाकर हम खेती करने का काम करेंगे ?

(डा. सी.पी. जोशी)

मैं फिर कहना चाहता हूं कि समय आ गया है आपकी जो सपोर्ट प्राइस है, आप काश्तकार को इसेंटिव दीजिए मोटिव दीजिए, उनको मोटिवेट करिए, जिससे काश्तकार कम पानी में जो फसल बोए, उस फसल को खरीदने के लिए गवर्नमेन्ट सपोर्ट प्राइस देगी और ज्यादा पानी में फसल पैदा करेगा उस प्रोड्यूस को हम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। यह डिस्क्रिमिनेशन हमें करना पड़ेगा और डाइबर्ट करना पड़ेगा उसे एनीमल हस्बेंड्री की तरफ। इसलिए मैं चाहता हूं, नये सिरे से यह अवसर है, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम भी सरकार में रहे हैं, सात-आठ महीने हो गये, चार-पांच साल तक सरकार में और रहेंगे, अच्छा काम करें, पचास साल सरकार में रहे लेकिन राजस्थान की बहबूदी के लिए नियम और कानून में परिवर्तन करने का साहस हमने आज नहीं किया तो यह आप छोड़ दें।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारें तो बदलती रहती हैं, इनकम्बेंसी कह दें, गुड गवर्नेस कह दें, कुछ भी बात कह दें, पर एक नया आंकड़ा आया है। जिन सरकारों ने जी.डी.पी. बढ़ाने का काम नहीं किया है, जी.डी.पी. नहीं भी बढ़ती है, अकाल पड़ जाता है तब भी नहीं बढ़ती है, जी.डी.पी. बढ़ाने के लिए दूसरे काम करने हैं वे काम भी नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की परचेज कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, माली हालत नहीं सुधरेगी, जी.डी.पी. नहीं बढ़ेगी तो सरकारें कोई भी आएं, सरकारों के बदलने की स्थिति बनी रहेगी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली में सरकार थी, जिसने इतना बड़ा इन्वैस्टमेन्ट किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा प्रोपोगेंडा किया, उसके बाद क्या स्थिति बनी ? इसलिए हमें मोह नहीं रखना चाहिए। राज आएगा, जाएगा लेकिन हम कुछ नियम और कानून बनाकर जाएं तो अपना काम ठीक ढंग से कर पाएंगें।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं , फिर रिपीट करना चाहता हूं, ये जो छह लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनके ऊपर हम छह हजार करोड़ रूपया खर्च कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके नियम और कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आदमी करप्ट है, इनएफीशिएंट है,

(डा. सी.पी. जोशी)

नौकरी से बाहर निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एफीशिसएंट आदमी है तो उसको रिकार्ड करना पड़ेगा। उसकी इन्सेंन्टिव में एक साल के इन्क्रीमेन्ट के साथ दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो आज प्राइवेट सेक्टर के अन्दर है, जिससे अच्छा आदमी ज्यादा काम कर सके। उसके सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने डिपार्टमेन्ट बना रखे हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट बना रखा है, एक्साइज डिपार्टमेन्ट बना रखा है, हमने टोल टैक्स का काम कर रखा है, सब काम कर रखा है, सरकारी कर्मचारी तनख्वाह लें और टोल टैक्स का सब काम प्राइवेट सैक्टर में दे दिया तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी ? इस सम्बन्ध में सोचा जाना चाहिए कि आने वाले समय में यह हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा हो जाए कि हम यह व्यवस्था करना चाहते हैं तो उससे व्यवस्था क्या सुधरेगी।

अन्त में एक ही बात कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का फंक्शन होना चाहिए एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। एजुकेशन का काम आप करवाइये, लोगों की लाइफ एक्सपैक्टेंन्सी बढाने का काम करें, लेकिन यहां कानून व्यवस्था ठीक ढंग से रहे उसमें भी हमें नियम और कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक गुण्डा आदमी मर्डर कर दे, उसकी एंटीसिपेटरी वेल हो जाए, सेठजी उसको नौकरी लेकर बीस हजार रूपए दे दें, आज उठाकर देख लीजिए, कंविक्शन रेट किस तरह की है। डे लाइट में आदमी मर्डर कर रहे हैं, आपका कानून इस तरह का बना हुआ है, उसकी जमानत हो जाए और वह आदमी घूमता रहे तो कैसे आप व्यवस्था सम्भालोगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, आपका लोएस्ट पेड आदमी है उसकी तनख्वाह क्या है ? एक एफ.आई.आर. में पुलिस आपका नाम मर्डर में लिख दे तो हाई कोर्ट तक आपको जमानत नहीं होती। एक रेवेन्यू का क्लर्क आपकी जमीन की किस्म बदल दें तो रेवेन्यू बोर्ड भी बदल नहीं सकता। टोल टैक्स वाला एक नाकेदार आदमी टी.पी. लेकर एक ट्रैक्टर चार-पांच बार भेज दे, आपका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकता। यह लोएस्ट पेड आदमी को जो आपने ताकत दे रखी है, उस लोएस्ट पेड आदमी को ब्राइब करके आदमी सबसे ज्यादा रेवेन्यू

(डा. सी.पी. जोशी)

लीकेज कर रहे हैं। आप उठाकर देख लें, रेवेन्यू लीकेज कहां हो रहा है हमारे पास में ? इसलिए हमें नये सिरे से इन बातों को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी कैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। डाक्टर हड़ताल कर रहे हैं तो प्राइवेट डाक्टर काम कर लेगा, यू.डी.एच. डिपार्टमेन्ट काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सैक्टर में लोग मकान बनाने का काम कर देंगे, ये समानान्तर व्यवस्थाएं जो पनप रही हैं, यह लोकतन्त्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम आशा करते हैं, सरकार इन चीजों पर चर्चा करेगी और ऐसे नियम कानून हैं उनमें परिवर्तन करने का काम करेगी जिससे हम कह सकें और बजट के आधार पर हम राजस्थान की बहबूदी की जो कल्पना कर रहे हैं उसको साकार कर सकें।

इन्हीं बातों के साथ हमें पूरा विश्वास है कि जो विनियोग बिल हम प्रस्तुत कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी वित्त मंत्री के रूप में जवाब देंगे, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे जिससे आने वाले समय में राजस्थान के विकास की कल्पना को साकार कर सकें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत लम्बे समय बाद अच्छा बोले हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक आध तो ताली बजा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारा सदन बजाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी से यही उम्मीद थी। श्री रामकिशोर मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गागर में सागर भरो।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करूंगा। राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक जो प्रस्तुत किया है उसके सन्दर्भ में जो बातें पहले बताई जा चुही हैं उनको रिपीट नहीं करता हुआ.....

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग ही बीच में थोड़ी छेड़ा छाड़ी करके.....

श्री रामकिशोर मीणा : यही निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी दी हैं। जो कल्याणकारी सरकारें होती हैं उनका

(श्री रामकिशोर मीणा)

हमेशा दायित्व होता है कि जो गरीब है उसको ऊंचा उठाया जाए और जो समाज में और वर्गों में असमानता है उसको बजट प्रस्तावों के मार्फत कम से कम किया जाए। हमारे मुख्य मंत्री महोदय और जो वित्त मंत्री महोदय भी हैं, उन्होंने अबके जो बजट प्रस्तुत किया है और जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें यह बात विशेष तौर से उठाई गई है। जो वित्तीय प्रबन्ध है, इसमें अनुशासन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा ताकि जिस प्रकार..... (व्यवधान) वित्तीय अनुशासन जब तक हम नहीं कायम करेंगे तब तक चाहे हम कितना ही बढिया बजट प्रस्तुत करें, उसके रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएंगे। कितना हमारा बजट का एस्टीमेट होता है, और वास्तव में हम इसकी उपलब्धियां कितनी कर पाते हैं, इनका जितना कम अन्तर होगा वही सबसे ज्यादा बढिया कहलाता है और हमेशा प्रयास यही रहता है। केवल चुनावों के समय में लोक-लुभावने वायदे करने के कारण से कभी कभी इस प्रकार के बजट प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कि जो वास्तविकता से बहुत परे होते हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट के अन्दर प्रावधान किया है कि वित्तीय अनुशासन को कायम रखने के लिए एक कानून बनाकर भारत सरकार की तर्ज पर वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबन्ध विधेयक लाएंगे और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि बजट के जो लीकेज हैं या जिस प्रकार से कर की अपवंचना होती है, उसको रोका जाए। जितने बड़े घराने होते हैं, हमेशा यह देखा जाता है कि बहुत बड़े बजट के जो अनुमान हैं उनको अपनी पहुंच के आधार पर कम कर देते हैं और गरीब को जो राहत उसके मार्फत, उससे टैक्स वसूल करके ली जाती है उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में लीकेज जितना ज्यादा से ज्यादा हम कम कर पाएंगे उसके कारण से हम ज्यादा से ज्यादा राहत दिला पाएंगे। विनियोग विधेयक में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते गरीब वर्ग को हम ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करें।

मैं इसके बारे में सुझाव देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हमारी कृषि उपज मंडी सड़क बनाती है, उसके प्रस्ताव बनाकर देती है, पी.डब्ल्यू.डी.

(श्री रामकिशोर मीणा)

और दोनों का अन्तर इतना ज्यादा होता है कि सडक उसके अन्दर चाहे कृषि विपणन बोर्ड बनाए या पी.डब्ल्यू.डी. बनवाए लेकिन दोनों का अन्तर आ जाता है। अभी जो पिछले समय में चला है, अकाल के समय में जो सड़क बना दी, अर्थ वर्क कर दिये, जो हम सड़क बनाते है तो उसको नये सिरे से, जैसे बिलकुल यहां सड़क पहले नहीं थी, उसी हिसाब से उसके एस्टीमेट लगाकर बनाते हैं। अर्थवर्क का जो पैसा पहले लगा हुआ है, उसको कम करके यदि हम बनाएंगे तो हमारी बचत होगी और ज्यादा काम कर पाएंगें।

इसी प्रकार से कृषि में जैसे स्प्रिंकलर सैट या अन्य हम सुविधाएं देना चाहते हैं, इसमें आजकल यह धन्धा बन गया है। काश्तकारों को हम लाभ देना चाहते है लेकिन उन सेट्स की कीमतें ही इतनी तय की जाती हैं जबकि बाजार में उससे आधी रेट पर वे मिलते हैं। यदि काश्तकार को हम खुली छूट देकर इस बजट में प्रावधान कर दें तो बीच में जो कमीशन खाने वाले लोग हैं, काश्तकारों को जो वास्तव में फायदा मिलना चाहिये वह मिल पाएगा जो अभी नहीं मिल पाता। इस बजट के अन्दर और विनियोग विधेयक के तहत इसको सख्ती से लागू करके इस प्रकार के जो लीकेज हैं उनको कम करना चाहिये।

देवस्थान की बहुत बड़ी जमीनें हैं, इससे भी हमको बहुत रेवेन्यू मिल सकती है। यह देखा गया है कि जितनी भी देवस्थान की जमीनें हैं, वह पुजारी पहले जितने भी रहे थे उन्होंने उसको बेच दिया है। उस पर काबिज हैं, बरसों पुराने उनके कब्जे हैं, वे किसी कीमत पर भी उसको वापस नहीं देने देते चाहे वे मर जांए। उसका एक रास्ता निकाला जा सकता है, कानून में संशोधन करके किया जा सकता है कि जमीनें आज की कीमत पर रजिस्ट्री करके उनको दे दें। उस मंदिर के नाम से उसकी जो इनकम होगी उसको उसके नाम से जमा कर दें तो उसके ब्याज से भी उसकी बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं और गवर्नमेन्ट को भी उसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आज की तारीख में मन्दिरों के पास रिकार्ड में तो जमीन है लेकिन प्रैक्टिकल में जमीन पास नहीं है.....(व्यवधान) लेकिन संशोधन के लिय प्रस्ताव तो किये जा सकते हैं और इस सन्दर्भ में प्रयास हमारी तरफ से किये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम जितने भी चालू हैं,

(श्री रामकिशोर मीणा)

ज्यादातर हम सब्सिडी देकर काश्तकार या गरीब वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसके लिये जो भी समय समय पर पर हम सब्सिडी देते हैं उसका सत्यापन समय समय पर होता जाना चाहिये। जितने भी हमारे वर्क्स हैं उनको समयबद्ध तरीके से हम करेंगे तो निश्चित ही हमारी रेवेन्यू भी समय पर आएगी। हमारा काम नहीं होगा तो हमारा जो बजट अनुमान बढ़ता है, वह नहीं बढ़ पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जितने भी जन सहयोग के कार्य लिये जाते हैं उसका उद्देश्य यही रहता है कि उसके आधार पर जितनी जनता की भागीदारी होगी उतना ही उसमें गड़बड़ी की आशंका कम होती है। इस प्रकार के जो प्रोत्साहन अब के प्रावधान में दिये हैं, ये स्तुत्य हैं और इस प्रकार के प्रयास हमारी तरफ से लगातार किये जाने चाहिये।

इसी सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो स्किल्ड लेबर है उसको आज रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राजस्थान में जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है लेकिन जैसे सिकन्दरा में है, हमारे सैंड स्टोन की हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, इसी प्रकार से लकड़ी की भी हैं, इसमें बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हम जितना ज्यादा आगे बढाएं, हमको बेनिफिट मिल सकता है, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

जितनी भी हमारी वेकेंसीज पड़ी हैं उनको जितना हम भरेंगे, उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। उससे काम भी मिलेगा। इसी प्रकार जो बैकलाग सरकारी सेवाओं में है, उसको भी जल्दी से जल्दी हम पूरा करेंगे तो काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, उन वर्गों में भी बहुत उत्साह बढ़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिंये धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री उत्तर देंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : पारित होने पर।

श्री विजय बंसल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना नाम दिया हुआ है बोलने के लिये और मै अपने विधायक दल का लीडर हूं. क्या मेरे को समय नहीं दोंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, समय तो देंगे, लेकिन काफी समय हो गया।

श्री विजय बसंल : यह तो समय किसके लिये है ? दोनों पार्टियों के लिये है, हमारे लिये नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की भावना ऐसी थी कि इसको जल्दी समाप्त कर दिया जाए। माननीय जगन्नाथजी पहाड़िया। आपको समय देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप लिखित मे दे देना। मुख्य मंत्रीजी को लिखित में दे देना।

श्री विजय बंसल : बार बार ऐसा ही होता है। बार बार ऐसा ही हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप हमारे साथ नहीं हो क्या ?

श्री विजय बंसल : हैं। हमारी भाषा तो सुन लो। हम बोलना चाहें, हमारी भरतपुर की समस्याओं को कौन सुनेगा ? महारानी साहब हमारी अपनी है.....(व्यवधान) चलो, ठीक है।

श्री जगन्नाथ पहाडिया (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक पर आज सुबह से चर्चा हो रही है। इसके द्वारा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा विभिन्न खर्चों के लिये जो मांगे मांगी गयी हैं, कुछ रिजर्वेशंस के साथ हम अपना समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि विनियोग विधेयक के जरिये से सरकार विभिन्न मदों के लिये पैसा मांग रही है उस पर जब तक हम कोई कार्यवाही नहीं देख लें, तब तक निश्चित विचार व्यक्त करना बहुत कठिन है। विनियोग विधेयक के जरिये से बजट में किये गये प्रावधानों को दो खण्डों में प्रस्तुत किया गया, पहले वोट आन अकाउण्ट के जरिये और अब बजट के जरिये। इसलिये इन प्रावधानों का समग्र रूप में सही आंकलन करना हमारे लिये बहुत कठिन हो रहा है। उपाध्यक्षजी, कुछ समय लगेगा जबकि हम

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

अपना विचार इसमें निश्चित रूप से जाहिर कर सकेंगे और इसीलिये मैंने पहले ही कह दिया कि हम कुछ रिजर्वेशंस के साथ इसका समर्थन कर रहे हैं।

बजट के जरिये आपने सकल घेरलू उत्पादन, बजट एवं वित्तीय घाटा आदि की चर्चा करते समय जो बातें कही थीं, कई बातों का जिक्र इसमें हम नहीं देख रहे हैं। आज हम सिवाय सुझाव देने के न तो कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, न संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। समय आने पर इसका हम आंकलन करेंगे और सदन के सामने अपनी राय जाहिर करेंगे।

श्रीमान्, बजट की मिश्रित प्रक्रिया जो हुई थी इसमें हमारी ऐसी आशा थी कि इस विधेयक के द्वारा उन बातों का समाधान कर दिया जाएगा जिनके बारे में हमारे रिजर्वेशंस हैं। कुछ करों में छूट, कुछ में हेरफेर, कुछ आंकड़ों का जाल, उससे जनता तो क्या हम जैसे लोग भी भ्रमित हो गये। एक हाथ से कुछ देना और उन्हीं प्रावधानों में उन्हीं के जरिये ले लेना, यही बजट का सार हमारी समझ में आया। कुछ चीजों पर टैक्स छोड़ा, लेकिन इसके साथ-साथ उसी पर दूसरा टैक्स लगा दिया। खाता बराबर हो जाता तब तक हमको चिन्ता नहीं थी, लेकिन हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो पता चलता है कि उन मदों पर, उन वस्तुओं पर भी टैक्स में छूट देने से जनता को राहत नहीं मिली बल्कि टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। अभी जैसा.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज इतना डिटेल में हिसाब थोड़े ही लगेगा।

श्री जुबेर खान : आज जितना कोटा नहीं हुआ था, न पूरा करेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी हुई लोगों को कि टर्न ओवर टैक्स समाप्त कर दिया, एंट्री टैक्स हटा दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उन्हीं पर सेल्स टैक्स तो बढ़ा दिया। क्या हम ऐसी आशा रखें इस सरकार से कि वह हमें और राजस्थान की जनता को इस प्रकार से धोखे में रखेगी ? कोई साफ-साफ विचार हमारे सामने रखेगी जिस पर कि जनता इन बातों का खुशी का इजहार कर सके कि इस नयी सरकार ने कोई नया तोहफा राजस्थान को दिया ? विधेयक में बहुत सारी नई घोषणाएं की गयी हैं लेकिन उन घोषणाओं के क्रियान्वयन की इस सरकार ने क्या योजना बनाई, क्या

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

प्राथमिकताएं तय की, हमें खुशी होती, इस विधेयक में उन बातों की घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए विस्तृत विवरण होता और सदन से पैसे मांगे जाते। लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी की चतुराई की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने अपने बजट भाषण में यह कह दिया, यह हमारा विजन डाकूमेन्ट है।

श्री कालूलाल गुर्जर : चतुराई तो मान ली।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : हम तो बहुत सारी बातें मान रहे हैं, आप सुनेंगे तो। अब यह हमारी समझ में नहीं आया, यह विजन डाकूमेन्ट सरकार का है या पार्टी का है। जहां तक हमारी जानकारी है, विजन डाकूमेन्ट पार्टी का है और सदन कभी भी किसी पार्टी के विजन डाकूमेन्ट को पैसा नहीं दे सकता है। पैसा हमें सरकार को देना है, यह हम जानते हैं। सरकार किस पार्टी की है, यह विधान की व्यवस्था है। सारी पार्टियां सरकारें चलाती हैं, सारी सरकारों की अपनी-अपनी पार्टियां होती हैं। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि सब बातों को नजरंदाज करके, केवल राज करने वाली पार्टी की विचारधारा को यहां पर रखा जा रहा है। हमारी ऐसी आशा है कि इस विधेयक को विधेयक रहने देंगी और उसमें जो प्रावधान किये हैं, उनका इस्तेमाल राजस्थान की जनता की भलाई के लिए क्या जाऐगा न कि किसी पार्टी विशेष के लिए। जिन बातों की चर्चा हम करते रहते थे और यहां पर विरोधी पक्ष से हम सुनते रहते थे, हमारी ऐसी आशा थी कि सत्ता में आने के बाद सारी बातों का सुधार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने बहुत जोर-शोर से घोषणा की कि कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत सारा कर्जा राजस्थान की जनता पर लाद दिया। हम ऐसी आशा कर रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी वित्त मंत्री के रूप में उस कर्जे को समाप्त कर देंगी। राजस्थान की जनता को कर्जे से मुक्त कर देंगी। लेकिन उस नेता ने तो यहां तक भी कहा कि हमको और कर्जा लेना पड़ेगा तो कर्जा लेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी चर्चा की अपने बजट भाषण में कि हमने कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लिया, लेकिन सस्ते ब्याज पर लिया। ब्याज सस्ता है कि महंगा है, कर्जा तो कर्जा है। हमारी ऐसी आशा है कि इस विधेयक में न सही अगले विधेयक

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

में इस तरह का प्रावधान किया जाएगा जिससे राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता को कर्जे से मुक्त कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि बिना कर्जे के काम नहीं चलता है। राज्य की सरकारें कर्जा लेती हैं, जनता कर्जा लेती है। केन्द्र की सरकार भी कर्जा ले सकती है, लेती होगी। लेकिन कर्जा उन्हीं बातों के लिए लिया जाना चाहिए जिससे जनता का भला हो। यहां तो राजस्थान की सरकार कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रही है। कांग्रेस की सरकार के लिए बहुत कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की जनता को कर्जे के बोझ से लाद दिया। हमारी ऐसी आशा है कि जो आपने कहा है उसी पर आप चलेंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगली बार जब आप यह विधेयक लाकर प्रस्तुत करें, अगर आपने ही विधेयक प्रस्तुत किया, तो जो सरकार राजस्थान की जनता को कर्जे से लाद रही है इससे मुक्त कर देंगी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक परम्परा बन गयी है कि जो भी सरकार आती है वह पिछली सरकार को कभी अच्छा तो कहती नहीं, उसकी खामियां निकालने, दोष निकालना, यही सब बातें होती हैं। प्रजातन्त्र का तरीका है, आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सरकार तो चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है, कंटीन्युटी होती है। हम मानते हैं कि जो पिछली सरकार ने काम किये थे उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। लेकिन बहुत अच्छे काम भी तो हुए थे। श्रीमन्, आज राजस्थान पर अकाल की काली छाया छाई हुई है, बरसात जितनी होनी चाहिए थी उसकी आधी भी नहीं हुई। आशंका इस बात की बन गयी है कि अकाल फिर हमको तंग कर सकता है। लेकिन पिछली सरकार ने अकाल का प्रबन्धन अच्छा किया था, इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद थी कि बाढ़ और अकाल जैसी आपदाओं से निपटने के लिए इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान किये जाएंगे जिससे कि हमें और कोई एक्सट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ें। लेकिन अकाल, बाढ़ या इस प्रकार की और प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस विधेयक में हम कुछ नई चीजें देख

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

नहीं रहे हैं। हमें खुशी होती अगर आप इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए सदन से कुछ पैसा मांगती। हमें ऐसी आशा है कि अब भी समय है।

श्री विजय बंसल : आप खुद मुख्य मंत्री थे, आपने भरतपुर जिले का कर दिया ? अपने गांव के लिए नहीं किया। आपने गांव तक के लिए नहीं किया, भरतपुर की बात छोडिये। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : अध्यक्ष महोदय, यह इनकी सोच है। मैं मुख्य मंत्री राजस्थान का था, चाहे थोड़े दिन ही था, लेकिन इनको मेरे गांव की याद आ रही है, भरतपुर की याद आ रही है। राजस्थान की याद नहीं आ रही है। वहां पर हम जो भी विचार करते हैं वह राजस्थान के बारे में विचार करते हैं और मैं मुख्य मंत्री राजस्थान का था।

श्री विजय बंसल : जो अपना भला नहीं कर सकते हैं, वह दूसरों का क्या भला करेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाडिया : मैं कहूं कि मुख्य मंत्रीजी कल अपने क्षेत्र के लिए सब कुछ करें या अपने जिले के लिए सब कुछ करें, कांग्रेस की यह नीति कभी नहीं रही। कांग्रेस समग्र विकास में विश्वास करती है, राजस्थान के विकास में विश्वास करती है और हम आशा करके चलते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोग अपनी इस विचारधारा को बदलेंगे। आप जहां से चुनकर आते हैं, सारे राजस्थान के लिए चुनकर आते हैं। एक क्षेत्र के लिए चुनकर नहीं आते हैं। प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र का करते हैं लेकिन विचार तो राजस्थान के बारे में जाहिर करना चाहिए। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जो अखिल भारतीय पार्टी है, जिसने देश को चलाया है। मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने राजस्थान की चिन्ता की, चाहे मेरा क्षेत्र भूखा रह गया हो।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है इस बात कि कि कुछ नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की सोची गयी है। जैसे तेल और गैस के उत्पादन पर चर्चा हुई है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, इस विनियोग विधेयक में उन प्राकृतिक साधनों को बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान आपने रखा है ? क्या प्रयास किया जा रहा है ? अब तक जो प्रयास किये जा रहे हैं वे तो सारे के सारे केन्द्र

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

सरकार द्वारा संचालित हैं। जहां-जहां अब तक रिसर्च हो रही है, वे दो-तीन खड्डे हैं मैंने सुना है वहां हो रही है। सात ब्लाक्स हैं जिन पर कि रिसर्च होनी चाहिए, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। हमको ऐसी आशा है, मुख्य मंत्री जी, अगर सम्भव हो सके तो उस पर विचार कीजिये जिससे आपका नान टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ की साथ राजस्थान की जनता को बेकारी से त्रस्त है, उसको कुछ रोजगार भी मिल सकेगा।

आपने बहुत तारीफ की सौ दिन की कार्य योजना की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन छोटी-मोटी बातों में आप क्यों पड़ते हो ?

श्री जगन्नाथ पहाडिया : बहुत इस बात की तारीफ हुई कि आपने नई सड़कें इसके आधार से बनाई, हैण्ड पम्प लगाये, ट्यूबवैल लगाये, न जाने क्या -क्या कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि आपने आने के बाद में कोई नया प्रावधान इस सौ दिन की कार्य योजना के लिए किया था क्या। जहां तक हमारी जानकारी है, पिछली सरकार ने जो प्रावधान किये थे, जो योजनाएं थीं, जो कार्य चल गये थे उन सबको आपने पूरा कर लिया और सौ दिन की कार्य योजना के नाम पर आपको और आपकी पार्टी को तोहफा मिल गया। मैं आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं कि यह प्रचार का युग है, उसमें तोहफा लेना कोई बुराई की बात नहीं है, अच्छे काम के लिए हम भी आपको तोहफा देते हैं, दे रहे हैं, आपने कई चीजें अच्छी की हैं, लेकिन उससे जो ज्यादा बुरा कर दिया उसकी हम तारीफ कैसे कर पाएंगे ?

(19.00 बजे)

आपने योजना का आकार बढ़ाने के लिए बहुत चर्चा कर दी, इसमें क्या खास बात हुई ? आपने कहा कि हमने योजना का आकार बढ़ा दिया। अध्यक्षजी, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी योजना आई है शुरू से लेकर आज तक, जिसका आकार घट गया हो ? (व्यवधान) आज तो मैं ही बोल लूं, आप बहुत बोल चुके हैं बार-बार। अध्यक्षजी, इनको जरा समझाइएगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि हर योजना का आकार बढ़ता रहता है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने सकल घरेलू उत्पाद की बहुत चर्चा की,

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

यह वृद्धि तो राष्ट्रीय आय के साथ होती है, इसमें केन्द्र सरकार ने जो प्रयास किये हैं, वे सराहनीय हैं। उन्हीं कारणों से राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा है, राजस्थान में योजना का आकार भी बढ़ा है, इसलिए राजस्थान सरकार को हम समर्थन देने के साथ-साथ केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना नहीं भूल सकते।

अध्यक्षज़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की बड़ी चर्चा हुई, मैंने पहले कहा कि यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत की सरकार ने हजारों करोड़ रूपयों के रूप में जो पैसा पिछली सरकार को नहीं दिया था, आपको दे दिया। इसी कारण से आपका बजट घाटा भी कुछ कम हुआ। लेकिन फिर भी आपने उन प्राथमिकताओं में कुछ नई प्राथमिकताएं कीं, उनकी मैं सराहना करना चाहता हूं। जैसे प्राथमिक अध्यापकों में 10 प्रतिशत आपने विधवाओं और परित्यक्ताओं को आरक्षण देने की बात कही, यह बहुत अच्छी बात है। विधवाएं परेशान हैं, परित्यक्ताएं परेशान हैं। लेकिन, अध्यक्षजी, महिलाओं पर होने वाले आम अत्याचार का क्या होगा ? महिलाओं की अस्मत लुट रही है, तलाक दिए जा रहे हैं, दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, पति द्वारा पत्नी को और सास द्वारा बहू को प्रताडित किया जा रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान किए हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया। हमारी ऐसी आशा है कि उस पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्षजी, 65 वर्ष के ऊपर वालों को 30 प्रतिशत रोडवेज के किराये में छूट दी, यह अच्छी बात है। कुछ विकलांगों को छूट दी, वह भी अच्छी बात है। लेकिन एक मेरा सुझाव है कि अंधे जो भाई-बहन हैं, उनके साथ एक व्यक्ति को अगर पास और दे दिया जाए तो सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वे देख नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनको कोई सहारा चाहिए। हमारी आशा है कि अंधे व्यक्तियों के साथ एक पास और दिया जाएगा।

अध्यक्षजी, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास की बहुत चर्चा रही। एक बात आमतौर पर कह दी जाती है कि आपने क्या किया। उन सब बातों की चर्चा मैं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं केवल एक मानसिकता

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

का उदाहरण दे रहा हूं। शायद 23 तारीख को एक सज्जन उधर से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियों में रहने वाली मां, शराब पीने वाली मां, देह व्यापार करने वाली मां, क्या संस्कार देगी ? क्या सरकार ने विचार किया है कि उन बहनों को अच्छा वातावरण दे सकें, अच्छे से अचछा रहन-सहम दे सकें जिससे वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें ? क्या किया है उनके लिए हमने ? क्या प्रावधान है इस विधेयक के अन्दर ? मैं आशा करके चलता हूं कि उस पर मुख्य मंत्रीजी विचार करेंगी। शराब एक बहुत बड़ी बुराई है, सभी नशीली चीजें बुरी हैं, इनके रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं इस विधेयक के अन्दर कोई प्रावधान नहीं देख रहा हूं। अपने आप तो कोई कच्ची बस्ती में रहना नहीं चाहता, सब अच्छे मकानों में रहना चाहते हैं। क्या किया है प्रावधान आपने कच्ची बस्तियों में रहने वाली उन माताओं और बहनों के लिए जिनके बारे में ये संकुचित विचार हैं ? आपने क्या प्रावधान किया उन देह व्यापार करने वाली बहनों के लिए ? अध्यक्षजी, माफ करना, कोई बहन देह व्यापार अपनी मर्जी से नहीं करती, शायद कोई एक्सेप्शन हो सकता है, मजबूर होकर ये माताएं और बहनें देह व्यापार करती हैं। कई तो सुसाइड करना चाहती हैं, मरने का भी मौका उनको नहीं मिलता है। ऐसी बहनों के उत्थान के लिए, उनकी मदद के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं देख रहा हूं। मैं आशा करके चलता हूं कि सत्ताधारी पक्ष के लोग अपने विचार बदलेंगे इन माताओं और बहनों के बारे में जो माताएं और बहनें मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकतीं, उनकी मजबूरी है इसलिए उनको रहना पड़ता है, वर्ना कोई कच्ची बस्ती में रहना नहीं चाहता, देह व्यापार नहीं करना चाहता। हमारी ऐसी आशा है कि उनके लिए कोई प्रावधान किया होगा।

उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कह रहा हूं, सत्ताधारी पक्ष के लोग कह सकते हैं कि आपने क्या किया। हमने क्या किया, बहुत सारी बातें गिनाई जा सकती हैं। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जब मैं मुख्य मंत्री था.....

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया कांग्रेस ने। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : कांग्रेस ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय, व्यवधान न डालें। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : इस सत्र में आप मुख्य मंत्री नहीं बनने वाले हैं, वह नाराज हो जाएंगी, जरा विचार करो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : है उससे और हाथ धो बैठोगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजीवजी की बात नहीं मानी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप खड़े हो गये, क्या करते हो, मुख्य सचेतक महोदय ?

श्री जगन्नाथ पहाडिया : आप पर ही इतना विश्वास होता तो मिनिस्टर नहीं बना देती ? मिनिस्टर तो बनाती नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मुख्य सचेतक साहब, आप यह तो सोच लिया करो कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी आपके सामने बैठी हैं, अब तो आप जरा तसल्ली रखा करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसको सुना रहे हैं, माननीय पहाडिया साहब ? आपके साथ अन्याय हुआ उस समय, मैं भी आपके दर्द में शामिल हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : पूर्व मुख्य मंत्री बोल रहे हैं, आप बीच में न बोलें।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : आपकी हमदर्दी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) अध्यक्षजी, इसमें एस.सी. और एस.टी. के कुछ लोगों के लिए हमने कुछ बसों के रूट रिजर्व किये थे, कुछ दिन वे बसें चलीं। सरकार बदल गई। कुछ कारणवश कि उनको तर्जुबा नहीं था, दूसरा कारण, आर.एफ.सी. ने जो कर्जा दिया था उसको रोज वसूल करने की बात होती रही, किराया जितना आता था उसे ब्याज समेत वसूल उनसे किया जाता था, रूट उनके बदल दिऐ गऐ, नतीजा यह निकला कि उनका कर्जे पर कर्जा बढ़ता चला गया और आज उनका कर्जा इतना हो गया है कि पीढियों तक भी उसको चुका नहीं पाएंगे।

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थोड़े वे लोग रह गऐ हैं जो उन बसों के कर्जों को नहीं चुका पाए हैं, कृपा होगी अगर आप इस पर विचार करके इसको माफ कर दें। करोड़ों-अरबों का तो हम माफ कर देते हैं, गरीब कोई व्यक्ति है, एक स्कीम की बात मैंने कही, उसको हम माफ नहीं कर सकते ? यह बात सही है, इसको एग्जामिन करना चाहिए और जितनी राहत हो सके, उनको दे दी जानी चाहिए।

मैं देख रहा हूं, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स कारपोरेशन, डवलपमेन्ट कारपोरेशन, फाइनेन्स कारपोरेशन, माइनोरिटी कारपोरेशन इत्यादि की चर्चा की जाती है। माइनोरिटी को बहुत सुविधा दी जा रही है, कास्ट को सुविधा दी जा रही है, ट्राइब्स को सुविधा दी जा रही है। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगी, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, तो बहुत कम पैसा उसमें होता है क्योंकि आज भी गारण्टी राज्य सरकार बहुत कम देती है। कर्जा मिलता है बहुत थोड़ा-सा, मंहगाई बहुत बढ़ गई है।

श्री अध्यक्ष : आप पीछे की तरफ क्यों देखते हैं ? आप बार-बार पीछे ही पीछे देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : पीछे वालों से डरते-डरते बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : समर्थक क्या महसूस करते हैं, यह देख रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : हां, डर तो बहुत लगता है क्योंकि पहली बार बोल रहा हूं न। इसलिए आपको मेहरबानी करनी चाहिए। (व्यवधान)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों पर विचार करके कर्जे की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। ब्याज में आपने पांच प्रतिशत अनुदान की घोषणा की है। ज्यादा अच्छा रहता कि मूल पर आप इस अनुदान की घोषणा करती। केवल मात्र ब्याज में अनुदान की घोषणा करने से काम नहीं चलने वाला, इससे उनका हित नहीं होगा, चाहे माइनोरिटी के लोग हों,

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

चाहे शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हों। मेरी ऐसी आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे।

एक बात मुझे और कहनी है जल प्रबन्धन के बारे में। आज बेतहाशा एनीकट बनाए जाने की बात है, जगह-जगह पानी रोकने की बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मुझे चिन्ता है, सारे राष्ट्र का क्या होगा, राज्य का क्या होगा ? सारे राज्य इस पानी को रोक लेंगे। सारे जिले अपने पानी को रोक लेंगे, सारे ब्लाक अपने पानी को रोक लेंगे तो नदियों में बहकर जाने वाला पानी जहां विशेष प्रकार के स्रोत हैं उनका क्या होगा ? कल को सूख जाएंगे। आपने भरतपुर की चिन्ता की, मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन भरतपुर का नाम इसलिए लेना पड़ेगा कि उदाहरण के लिए वो अच्छा इलाका है। उदाहरण के तौर पर गम्भीर नदी वहां जाती थी, बाणगंगा वहां जाती थी, कोकंद वहां जाती थी, रूपारेल जाती थी, चारों तरफ से भरतपुर पूरा जिला हरा-भरा रहता था। गम्भीर नदी पर पांचना का बांध बन गया, बाणगंगा पर कालाखो का बांध बहुत पहले बन गया था, रूपारेल पर बन गया, अब वहां पानी जाता नहीं है। नतीजा निकल रहा है कि भरतपुर बेबस हो रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, अध्यक्षजी, यही हालत सब जगह हो सकती है। इसलिए पानी पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एक जिले का अधिकार नहीं है, राज्य का नहीं है। इसीलिए तो हम पंजाब से पानी लेने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी ऐसी आशा है इस पर विचार किया जाएगा। जहां जरूरी है वहां पानी को रोका जाए, वर्ना पानी के जो कुदरती स्रोत हैं उनको बन्द नहीं किया जाए। वर्ना बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। हमारे पुराने कुएं, बांध, तालाब, बावडियां ये सब सूखते चले जा रहे हैं, पानी नीचे चला जा रहा है, पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। जगह-जगह ट्यूबवैल खोद रहे हैं, हैण्ड पम्प लग रहे हैं। हैण्ड पम्प आप लगाते हैं थोड़े दिन के बाद में पानी छोड़ जाता है, क्योंकि जितना गहरा जाना चाहिए पाइप को, उतना ठेकेदार करते ही नहीं हैं। उस समय गांव के लोग जानते नहीं हैं। थोड़े दिन पानी दिखा दिया इसके बाद पानी बन्द। पैसा पूरा दे दिया जाता है। हमारी ऐसी आशा है इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि पूरी तरह से जितनी निचाई के लिए, जितने पैसे से

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

लगना चाहिए वो लगे। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाए कि जगह-जगह इन बातों का केवल सर्वेक्षण होकर ही काम किया जाना चाहिए। थोड़े दिन बाद में पानी सूख जाएगा तब क्या होगा ? भगवान जाने, भगवान से प्रार्थना करते हैं पानी इस साल भी बरसे, अच्छा पानी हर साल बरसे, रिचार्ज होते रहें, लेकिन अगर नहीं हुआ कभी तो मुश्किल हो जाएगी। हमारी ऐसी आशा है इसका ध्यान रखेंगे। यह पानी सबका है, सबके लिए है इसलिए उसका इस्तेमाल भी सबको करने का मौका होना चाहिए।

अध्यक्षजी, पर्यटन की बात बहुत जोर से कही गई है और उसके साथ-साथ एक नयी बात सामने आई है आध्यात्मिक पर्यटन की। यह बहुत खुशी की बात है। बड़े-बड़े स्थान हैं जिनको हम जानते हैं, उनका जिक्र इसमें किया गया है, उनका विकास होना चाहिए। उससे हमारी आय बढ़ेगी, लोगों की रूचि बढ़ेगी, विदेशों में हमारा नाम भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ-साथ जो अब तक उपेक्षित पर्यटन स्थल हैं, अब मैं केवल उदाहरण के तौर पर कहता हूं, धौलपुर का मचकुंड, बाड़ी की तालाबशाही, रूपवास का रानी रूपमती का तालाब, बैर की बावड़ी ऐसे स्थान हैं जिन पर आप देखेंगे तो ताज्जुब कर जाएंगे। किलों के विकास की तो चर्चा हुई है, बहुत अच्छा है, तिजारा के किले का विकास होगा, लेकिन उसके साथ-साथ भरतपुर का किला, डीग का किला, बैर का किला, धौलपुर का किला इत्यादि-इत्यादि राजस्थान में बहुत सारी जगह हैं जो अब तक उपेक्षित हैं, उन पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जब आप मुख्य मंत्री थे तब तो आप कभी ले नहीं गये सदस्यों को, अब आप बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : यह तो बहुत बार सुन चुके हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक स्थलों में जहां अन्य स्थलों की चर्चा हुई है वहां कैला देवी का मन्दिर, झील का बाड़ा, बयाना का उषा मन्दिर, कुछ ऐसे स्थान हैं जिन पर अब तक हमारा ध्यान नहीं गया। हमारी ऐसी आशा है कि उन उपेक्षित स्थानों को जो राजस्थान में बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं उनका भी सर्वे किया जाना चाहिए और उनका विकास भी किया जाना चाहिए।

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

अध्यक्षजी, शिक्षा के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं क्योंकि काफी अब तक की सरकारों ने, सबने ही, स्कूल खोले हैं, खोलते ही चले जा रहे हैं। खोले जाने चाहिए, लेकिन माननीय जोशी जी ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा तो शायद हमको कम्पलसरी कर देनी चाहिए। अगर सम्भव हो सकें तो मैट्रिक तक भी। लेकिन बेतहाशा कालेज खोलते चले जाएं, लड़के-लड़की पढ़ते चले जाएं और बेकारी की समस्या के साथ-साथ एक नयी सामाजिक समस्या हमारे सामने पैदा करते चले जाएं, अध्यक्षजी, आप तो जानते हैं जब बच्चे-बच्चियां ज्यादा पढ़ जाते हैं तो उनके लिए वर मिलना मुशिकल हो जाता है और उनका कोई उपयोग नहीं है। इसकी बजाय तो तकनीकी शिक्षा पर हमारा ध्यान जाए, सभी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा दी जाए। हमारे पुराने रोजगार धन्धे चौपट होते चले जा रहे हैं। मैं बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए, कालेज के लिए इस बजट में, इस विनियोग विधेयक में प्रावधान देख रहा हूं, लेकिन स्कूल में, गांव के बच्चों को किस तरह से तकनीकी शिक्षा दी जाएगी जिससे अपने पुराने धन्धों में वे लगे रहे ? पुराने धन्धों में लगे रहने का मैं जातीय आधार पर हिमायती नहीं हूं, लेकिन कोई व्यक्ति लुहार का काम सीखे, सुनार का काम सीखे, कुम्हार का काम सीखे, बागवानी का काम सीखे। अध्यक्षजी, आपको एम.ए. पास, बी.ए. पास बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गांवों में ट्रैक्टर ठीक करने वाला, इंजन को ठीक करने वाला, बिजली को ठीक करने वाला टैक्नीशियन नहीं मिलता, और उसके लिए ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, कालेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करके चलता हूं कि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि नये टैक्नीशियंस हमारे पैदा हों जिससे कि हमारे ट्रैक्टर, हमारे इंजन, हमारी बिजली इन सबको हम ठीक कर सकें। ये रोज खोले जाने वाले स्कूल, कालेज, ये अच्छी बात है।

मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा, इस राजस्थान के अन्दर कुछ शहीद हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान देश की आजादी के लिए दिया। आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ-साथ उन शहीदों के स्थानों को भी विकसित किया

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

जाए। वहां पर कालेज खोले जाएं, शिक्षा संस्थान खोले जाएं, तकनीकी संस्थान खोले जाएं तो उनका नाम भी होगा, हम उनकी जानकारी रख सकेंगे। वर्ना अपने बच्चों को हम दोष देते हैं। कई बार शहीदों के नाम बच्चे नहीं जानते, उनके बैकग्राउण्ड के बारे में नहीं जानते। उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमने उनको पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, लिखाया नहीं। हमारी ऐसी आशा है कि उन शहीदों के नाम पर कालेज खोले जाएंगे। फिर आप कहेंगे आपको याद नहीं रही, अपने कस्बे की मुझे याद आ रही है, अन्य राजस्थान में शहीद कई हुए, सबके लिए खोले जाने की वकालत कर रहा हूं, मेरे यहां भी अमर शहीद रमेश स्वामी हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि इनके नाम पर कालेज खोलने की कृपा की जाएगी।

राजस्थान कल्याण कोष की स्थापना हुई, कृषि बीमा योजना की चर्चा हुई, वो बहुत अच्छी बात है, हमारी ऐसी आशा है कि इसको बढ़ाया जाएगा। उसके साथ-साथ एक बात मुझे कहनी है कि सारे के सारे काम सरकार करें, यह बहुत जरूरी नहीं है। हमको जनता की भागीदारी पर ध्यान देना पड़ेगा चाहे वो पंचायती राज की संस्थाएं हों, चाहे वो नगरपालिकाएं हों, सबको शुरू करें। यह तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब जनता की भागीदारी हमको ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मेरी ऐसी आशा है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नगरपालिकाएं स्वावलम्बी हों, हमारी पंचायती राज संस्थाएं स्वावलम्बी हों। सबको सरकार कर रही है, उनको करना चाहिए। लेकिन अब वो समय आ गया है जब जिम्मेदारियां हमको बांटनी चाहिए। सुना है, विदेशों में ऐसा ही प्रतीत होता है। मैं आशा करके चलता हूं, इस तरह का प्रावधान इस विधेयक में अगर किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो मैं केवल ग्रान्ट की ही बात देख रहा हूं, आगे से कैसे इनको स्वावलम्बी बनाएं इस बात पर विचार किया जाएगा तो मैं समझता हूं उत्तम होगा।

एक बात मुझे और करनी है। आपने सैल्स टैक्स के लिए कहा कि उन लोगों को जो अधिकतम सैल्स टैक्स जमा कराएंगे, पुरस्कृत किया जाएगा,

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

जो पांच अधिकतम जमा कराएंगे। इसके मायने क्या हुए ? जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं केवल वो ही उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनकी कुछ श्रेणी बनायी जाए, इतने रूपये तक का जो टैक्स जमा कराने वाले हैं उनकी एक श्रेणी, उनको पांच को पुरस्कृत करेंगे। इससे अधिक वाले, उनको अलग पांच को पुरस्कृत करेंगे। क्योंकि अगर अधिकतम को किया जाएगा तो सारे राजस्थान में केवल पांच वो व्यक्ति जो सबसे बड़े व्यापारी हैं, वो ही लाभान्वित होंगे। छोटे व्यापारी भी ईमानदार हो सकते हैं, उनको हम बेइमान नहीं कह सकते। उनकी क्षमता नहीं है इसलिए अधिकतम टैक्स वो जमा नहीं कर सकते। जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसको वर्गीकृत कर दिया जाए तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा।

मैं मानता हूं सभी लोग बिजली के बारे में चिन्तित हैं और बिजली ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन सके। मैं पिछली सरकारों को दोष नहीं देना चाहता, न आज की सरकार को दोष देना चाहता हूं, इसमें समय लगता है, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे परम्परागत स्रोत हैं उनकी ओर हम ध्यान देते चले जा रहे हैं पानी से बिजली बने, कोयले से बिजली बने इत्यादि-इत्यादि। जो हमारे गैर-परम्परागत स्रोत हैं उनकी ओर हमारा ध्यान बहुत कम जा रहा है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वो तो हमारे हैं नहीं इसलिए इस तरह की चर्चा कर नहीं सकते, लेकिन ये दो एनर्जी ऐसी हैं जो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में हम पा सकते हैं। हमारी ऐसी आशा है कि अन्य प्रकार से बिजली पैदा की जाएगी लेकिन उसके साथ-साथ हमारा सोलर एनर्जी खासतौर से विंड एनर्जी पर ध्यान जाएगा। तो मैं समझता हूं खर्चा भी कम आएगा और आज जो बिजली की कमी है वह निश्चित रूप से हमको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सकेगी।

अध्यक्षजी, मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच भी होता है, मैं जानता हूं किसी का समर्थन मुझे इस बात में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एनर्जी की कमी का एक कारण यह नाजायज ली जाने वाली बिजली भी है। मेरे क्षेत्र में उपभोक्ता हैं जो बिजली लेने वाले हैं। जायज तरीके से

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

कनेक्शन लेने वाले लोग तो वंचित रह जाएं, जो नाजायज तरीके से बिजली ले रहे हैं वे मजे उड़ाएं, पर्याप्त बिजली भी लें, पैसा भी जमा नहीं कराएं, बिल भी जमा नहीं कराएं। मैं सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की वकालत नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर बिजली वाले बिल मांगने जाएं, कनेक्शन काटने जाएं, नाजायज बिजली को हटाने जाएं, जम्पर को तोड़ना चाहें तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है जिनको सरकार का संरक्षण नहीं मिलता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जो अलग प्रकार से छीजत हो रही है ट्रांस्मिशन वगैरह वगैरह की, उसमें तो आप देख रहे हैं उसमें कुछ प्रावधान हैं, लेकिन हमारे अपने द्वारा इस तरह से जो गड़बड़ हो रही है उसमें दो बातें, अध्यक्षजी, बहुत गड़बड़ हो रही हैं। एक तो हमारी मानसिकता बढ़ती चली जा रही है कि जायज़ तरीके से बिजली क्यों ले, नाजायज तरीके से बिजली ले लो, इन मानसिकता में कमी आएगी और हमारा जो रेवेन्यू कम हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। हमारी ऐसी आशा है कि इस ओर भी आपका निश्चित रूप से ध्यान जाएगा।

कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपने जो बिजली के लिए प्रावधान किया है उसमें धौलपुर में गैस थर्मल पावर परियोजना पर जितना पैसा खर्च करने के लिए प्रावधान करना चाहिए वह नहीं किया है। मैं मानता हूं, झालावाड़ पर ध्यान आपका ज्यादा होगा लेकिन धौलपुर आपका अपना है। हमारी ऐसी आशा है कि इसको जितनी जल्दी आप पूरी कर सकेंगे, उतना अच्छा होगा। (व्यवधान) क्या धौलपुर को आप राजस्थान से अलग समझते हैं ? आपको ध्यान होना चाहिए, धौलपुर पूर्वी राजस्थान का ही अंग है, मैंने उदाहरण के तौर पर कहा। मैंने कहा सभी बिजली योजनाओं को बढ़ावा देना है। मैंने तो इन योजनाओं के अलावा गैर पारम्परिक स्रोतों की चर्चा भी की, आप नहीं सुनें तो उसका मैं इलाज क्या कर सकता हूं ? मैंने उदाहरण के तौर पर कहा है कि उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। अध्यक्षजी, मैं केवल कहने के लिए कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन जिस प्रकार की यह नान परफारमेन्स गवर्नमेन्ट हमारे को नजर आ रही है उस गवर्नमेन्ट के बारे में

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। इस सरकार का पानी की ओर ध्यान नहीं, राजस्थान में पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मच रही है, कई जगह तो तीन -तीन दिन तक पानी नहीं मिल रहा है। हो सकता है अभी कठिनाई में हों, लेकिन आगे के लिए जिसका बजट प्रावधान होना चाहिए, विनियोग विधेयक में जितना प्रावधान होना चाहिए वह प्रावधान हम नहीं देख रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं लेकिन बेमन से करते हैं इसलिए बरसात नहीं हो रही है, इसलिए भगवान से प्रार्थना मन से करनी चाहिए, वह दिल का विषय है। भगवान आपसे अप्रसन्न इसीलिए है कि आप भगवान का मजाक करते हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : उससे पहले वाले पांच वर्षों में मन से ही की है।

श्री अध्यक्ष : आपस में वार्ता नहीं करें। (व्यवधान) बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : ये सत्ताधारी दल के लोग भगवान का मजाक करते हैं, देवताओं का मजाक करते हैं। हमारी ऐसी आशा है कि मन से भगवान को याद करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारी सुनेगा। अगर हमने केवल दिखावा मात्र किया तो माफ करना, भगवान भी आपको माफ करने वाला नहीं है। बहुत चर्चा की, अयोध्या में मन्दिर बनाएंगे, मन्दिर बनना तो दूर रहा, उसका नक्शा तक आज तक नहीं बना। (व्यवधान) आप हमारी और आपकी तुलना करना चाहते हैं ? (व्यवधान) मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं.....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : पहले मन्दिर बनेगा अयोध्या में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : आपने तो अभी तक नक्शा नहीं बनाया। 9 नवम्बर, 1989 को राजीव गांधी प्रधान मंत्री के तौर पर अयोध्या गये थे, अपने सामने नींव रखवाकर आये थे, आपने उसको नहीं माना, कारण क्या

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

था ? केवल एक कारण था कि राजवीजी ने स्वयं नींव नहीं लगाई थी, एक सज्जन के हाथ से नींव लगाई थी। उसी समय आप लोगों ने कह दिया था, मन्दिर यहां नहीं बनेगा।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिए। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : और कहा मन्दिर कहां बनेगा ? मन्दिर वहीं बनाएंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : कहां मन्दिर बनाएंगे, हमको पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिए। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : यह कैसे मन्दिरों का उद्धार करेंगे ? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : राजीवजी की बात तो कांग्रेस ने नहीं मानी, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और हटा दिया। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : गिरजे बनने चाहिए लेकिन सच्चे मन से उनकी पूजा होनी चाहिए। अगर आपने मन को साफ नहीं रखा तो भगवान आपको नहीं बख्शेगा। न बिजली की चर्चा की, न पानी की चर्चा की।

एक माननीय सदस्य : राजीव गांधी कभी गये नहीं वहां। (व्यवधान) पता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बूटा सिंह गये थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : अध्यक्षजी, मैं कोई धर्म की चर्चा यहां नहीं करना चाहता लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। (व्यवधान) हम भी धर्म को अलग नहीं करना चाहते, हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, फर्क इतना-सा है कि हम मन्दिर को, मस्जिद को, गुरूद्वारे को, चर्च को सब को समान मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें, माननीय सदस्य, आप कहां मन्दिर में चले गये ? (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : जगह की चर्चा करते हैं। (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल : मन्दिर पर लग रहे हो।

श्री अध्यक्ष : यही मैं कह रही हूं, आप माननीय सदस्य, मन्दिर पर कहां चले गये ? (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल : मन्दिर बीच में कहां आ गया ? मन्दिर के क्यों लग गये ? अब आपके प्रवचन सही सही दे दो, पाकिस्तान कल ही खतम हो जाएगा। यों ही कहते हो न, भगवान आपको माफ नहीं करता, तो भगवान आपके पास में ही हो तो पाकिस्तान खतम हो जाए आपके कहने से ही चले तो।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : आपके आगे वाले जानते हैं अच्छी तरह से, आप विराजिये। आपकी कितनी आस्था है उसके बारे में जानते हैं। नेता के प्रति आस्था रखो तो कुछ मिलेगा, भगवान से तो प्रार्थनाएं किया करो। अध्यक्ष जी, जब मैंने प्राथमिकताओं की चर्चा की तो मैं लौटकर आता हूं आपके विधेयक पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी भी कुछ प्राथमिकताएं होंगी।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : आपने अपनी प्राथमिकताओं में दरिद्रता, कुपोषण व भूख से मुक्ति की चर्चा की है। यह आपकी प्राथमिकता है।

श्री संयम लोढ़ा : आपका टाइम हो गया, आठ बज गये हैं, राठौड़ साहब का टाइम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : What do you mean by that ?

श्री वियज बंसल : अध्यक्षजी, हद हो गई-शार्ट करो या फिर रात को इन्तजाम करो खाने-पीने का। नहीं, खाने-पीने का इन्तजाम करो फिर तो रातोंरात चलाओ, क्या है ? (व्यवधान) खाने-पीने का बताओ न। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वसुन्धरा जी के राज में कोई कमी है क्या ? (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाडिया : अध्यक्ष जी, जब मैंने प्राथमिकताओं की चर्चा की ओर मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहा कि प्राथमिकता क्या, तो मेरे सामने कुछ प्राथमिकताएं आई। पहली प्राथमिकता है दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति। अध्यक्षजी, दरिद्रता की चर्चा मैं आगे देख नहीं रहा हूं, विनियोग विधेयक में कोई चर्चा नहीं देख रहा हूं कि दरिद्रता को किस तरह से मिटाया जाएगा। लेंकिन कुपोषण और भूख से मुक्त जीवन प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी मानवाधिकार है। मान्यवर, कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर एम.एस.एस. स्वामीनाथन ने इस अवधारणा को प्रभावी रूप से इस प्रकार कहा है, प्रोफेसर स्वामीनाथन को कोट कर रहा हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैंने जानबूझकर दोहराया है स्वामीनाथन का नाम, आपने उनको देखा कि नहीं देखा, उनसे वास्ता पड़ा कि नहीं पड़ा, सन् 1967 में जो कृषि उप मंत्री थे उस समय मेरे साथ काम करते थे। उनकी योग्यता के बारे में मैं जानता हूं, अगर आपको जानना बाकी है। उन्होंने क्या कहा.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान डालेंगे, वह और समय लेंगे। व्यवधान न डालें, उनको बोलने दें।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : मैं उनको कोट कर रहा हूं। हम अपने इतिहास के एक ऐसे अनोखे मोड़ पर हैं जहां भोजन के अधिकार की अवधारणा विश्लेषण से वास्तविकता में बदल सकती है। मुख्य मंत्रीजी, मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं, यह सब इसलिए सम्भव है क्योंकि केन्द्र की सरकार के पास अनाज के प्रचुर भण्डार हैं। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने केन्द्र की सरकार के लिए कहा है कि उनके पास भण्डार हैं।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल तो राजस्थान सरकार का है।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : वर्तमान में अधिकांश खाद्यान्न, अब मैं मुख्य मंत्रीजी को कोट कर रहा हूं, उन्होंने अपने भाषण में कहा, वर्तमान में अधिकांश खाद्यान्न सहायता योजनाएं केन्द्र प्रवर्तित हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार के दायरे से बाहर है। अध्यक्षजी, मैं नहीं कह रहा हूं,

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

क्या स्वामीनाथन ने कहा वह मैंने कोट किया, क्या मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा, वह मैंने कोट किया। इसके मायने क्या हुए ? केवल केन्द्र की सरकार पर आप आधारित हैं। अपनी ओर से क्या करना चाहते हैं, हमने इस विनियोग विधेयक के अन्दर कोई प्रावधान देखा नहीं। अगर है, मेहरबानी करके उसको अपने भाषण में बताएंगी तो मैं समझता हूं कि सब लोगों को उसकी जानकारी हो जाएंगी। इसी प्रकार से.....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं किसी को इन्टरप्ट नहीं करना चाहता लेकिन, क्या यह फैडरल स्ट्रक्चर है या नहीं ? क्या आपका फैडरल स्ट्रक्चर में विश्वास है या नहीं ? केन्द्र और राज्य में आप अलग-अलग कैसे कर सकते हैं ? क्या कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि पंजाब के जो अमरिन्दर सिंहजी कर रहे हैं वह सब लोग मिलकर करेंगे ? इस देश का फैडरल स्ट्रक्चर क्या है उसको भी तहस-नहस करेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे बोल रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हमारा एक आदमी डैपुटेशन पर गया है वह कितना काम कर रहा है, देखो आप।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : मन्दिर में बीच में नहीं आते, अमरिन्दर सिंहजी कहां से आ गये यह ?

श्री अध्यक्ष : गलत।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल देखा था, निष्ठा का सबूत दिया है यों। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आज भी हमारे लिये काम कर रहा है, देखो आप। वहां बैठकर भी हमारे लिये काम कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : अध्यक्षजी, अब इनसे पूछिये कि जब मैंने मन्दिर की चर्चा की तो कहते हैं कि मन्दिर कहां से आ गया, अब मैं पूछता हूं

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

कि अमरिन्दर सिंह कहां से आ गये ? अमरिन्दर सिंह की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य के मुख्य मंत्रीजी से बात कर रहा हूं। वह पंजाब के मुख्य मंत्री हैं। इसी प्रकार से असहाय व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए जीवन चक्र पद्धति के अन्तर्गत एक समुचित कार्या योजना तैयार की है। इसमें जिस बात का जिक्र है, अगर वही योजना है तो यह कोई नई योजना नहीं है। यह केन्द्र सरकार की योजना है, राजस्थान कीं पुरानी सरकार की योजना है। किस प्रकार से सरपंचों के पास में खाद्यान्न रहेगा, किस प्रकार से राशन कार्ड दिये जाएंगे, यह कोई नई चीज नहीं है। आपने क्या नई कार्य योजना तैयार की है, उसका अगर खाका हमारे सामने आ जाए तो हो सकता है इसमें कुछ आपकी हम मदद कर सकें। अध्यक्षजी.....

मोहम्मद माहिर आजाद : आज गोली ले लेंगे, गोली, आप भाषण सुनें पहले।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : अध्यक्षजी, कुछ योजनाएं ऐसी हैं, आपके ताली बजाने से न तो मैं निरूत्साहित होता हूं, न उत्साहित होता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या कह दिया ? क्या कह दिया ?

श्री जगन्नाथ पहाडिया : लेकिन मुझे इस बात का ध्यान है कि सदन का समय ज्यादा नहीं लिया जाए।

डा. दिगम्बर सिंह : आप तो केवल महादेवी वर्मा के छायावाद पर हो और आपकी कोई.....

श्री जगन्नाथ पहाडिया : अब कोई गुंजाइश नहीं है आगे बढ़ने की, वह बैठी हैं, सुन रही हैं, जानती हैं अच्छी तरह से आपको। इसलिए आपसे विनती करना चाहता हूं कि जिन बातों का जिक्र मैंने किया है और जिन बातों का जिक्र मेरे साथिनों ने किया है, मैं आशा करके चलता हूं उन बातों को नोट किया गया होगा और राजस्थान के समग्र विकास के लिए अगर आज प्रावधान नहीं हैं तो आने वाले समय में उनका ध्यान रखा जाएगा। राज्य में किस तरह से गरीबी मिटे, किस तरह से बेकारी मिटे, कैसे पानी की समस्या का समाधान हो, चाहे पीने का हो या सिंचाई का हो, भविष्य में किस प्रकार से बिजली की समस्या का समाधान हो, किस प्रकार से हम मकान का प्रबन्धन कर सकें, इन

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

बातों का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो प्रावधान आपने इस विनियोग विधेयक में किये हैं उनको हम वाद में एग्जामिन करेंगे और जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, अच्छे और बुरे रूप में, दोनों तरह से जरूरत पड़ेगी आलोचना भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी ता सहयोग भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : और एग्जामिन भी करेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया : अध्यक्ष महोदय, बोलना तो बहुत था लेकिन समय की कमी से लास्ट पन्ना बोल देता हूं कि बजट में जो कोयले पर भी एन्ट्री टैक्स लग गया है, इससे जो विद्युत उत्पादन निगम है उसमें दिक्कत आ रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको कहते हैं भाषण।

डा. सी.पी. जोशी : यह तो मुख्य मंत्रीजी से कहलवा दो.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी का.....

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सभी बोल चुके हैं तो दो शब्द हम भी कह लें, हां।

श्री अध्यक्ष : विजय बंसल। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग पर भरतपुर जिले के किसानों और व्यापारियों पर एहसान करते हुए खल पर से टैक्स माफ किया। इसके लिए बहुत-बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष

(श्री विजय बंसल)

महोदय, पर्ची के माध्यम से बोलने वाले आज एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि राजनीतिक विद्वेषता के कारण पंचायती राज और चेयर पर्सन को निलम्बित किया जा रहा है, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अलावा भी नियम विरूद्ध अनेक चेयर पर्सन को, जो इनकी पार्टी के खिलाफ थे, ससपैण्ड किया था। मैंने 1998 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एम.एल.ए. का चुनाव लड़ा था, मात्र कुछ वोटों से हार गया। जीतने वाले कांग्रेसी विधायक ने क्योंकि मैं चेयरमैन, नगर परिषद, भरतपुर था, आरोप लगाये। तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवालजी ने यह मना कर दिया कि यह गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आरोप थोड़े ही है इसमें।

श्री वियज बंसल : सुन लें पहले क्योंकि मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) उसके बावजूद नियम विरूद्ध.....

श्री सी.डी. देवल : पूर्व माननीय सदस्य के विरूद्ध आरोप नहीं लगाएं।

श्री विजय बंसल : उसके बाद भी नियम विरूद्ध, नियम यह था कि किसी चेयर पर्सन पर कोई दोषारोपण किया जाता है तो कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् अगर वह दोबारा चुनकर आता है तो उसके खिलाफ जांच तो कराई जा सकती है, लेकिन निलम्बित नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक है, सही बात है।

श्री विजय बंसल : उसके बावजूद तत्कालीन मुख्य मंत्री ने निलम्बित किया। हाई कोर्ट में उसके जवाब में उस पर्सन को बहाल करते हुए यह कहा कि राज्य सरकार, नियम बनाने वाली, नियम का उल्लघंन करती है, नियम जानती नहीं। इसके अलावा भी यह कहा एडीशनल एडवोकेट जनरल को कि एक ऐसा उदाहरण बता दीजिये, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी कांग्रेस के चेयर पर्सन को ससपैण्ड किया हो।

श्री जुबेर खान : यह तो एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोल रहे हैं न जो आप पहाडियाजी को बार-बार कह रही थीं।

श्री विजय बंसल : उसके बोलने से पहले मैं कहना चाहता हूं...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री वियज बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी चीज का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सी.डी. देवल : मैं बताता हूं आपको, फालना के चेयरमैन को हटाया है। सच्चाई सुनने क़ी क्षमता पैदा करो।

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आमतौर से इस बजट से पहले जितने भी बजट बने थे, वे उद्योगपति और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से वातानुकूलित कमरों में बैठकर बनाये जाते रहे। यह पहला बजट है जिसमें जनता की राय को, जनता की समस्याओं को, हर बात को ध्यान में रखा गया। इस बजट में ऐसा नहीं लगता कि मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री ने बनाया है, ऐसा महसूस हो रहा है जनता ने अपनी बात सुन कर इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 के.....(व्यवधान) जनता की आवाज नक्कार की आवाज होती है। यह एक ऐतिहासिक बजट था। मैं यह कहना चाहता हूं, 1998 में जब एम.एल.ए. के चुनाव हो रहे थे, प्राय: जनता की आवाज आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें भी नहीं ले पाएंगी। लोग यह समझ रहे थे कि यह कांग्रेस वालों की अफवाह है लेकिन जब रिजल्ट्स आये तो वह बात सच साबित हुई। इसी तरह से अभी जो चुनाव हुए हैं, जनता की आवाज आई कि कांग्रेस आधी सीटें भी नहीं बचा पाएंगी। रिजल्ट्स में यह बात सच साबित हुई। इस बजट को 12 तारीख को जो प्रस्तुत किया, लगातार चाहे पान की थड़ी हो चाहे चाय की दुकान हो, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, हरेक ने यही कहा कि आज तक के रिकार्ड में ऐसा बजट नहीं दिया है जहां प्रत्येक वर्ग को राहत दी गई हो, इसलिए मैं इसको ऐतिहासिक बजट कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सभी को राहत तो दी गई है, पूरे राजस्थान में अनेक

(श्री विजय बंसल)

जगह रियायत दी गई हैं लेकिन.....(व्यवधान) पूर्वी राजस्थान, मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला भी उसमें पड़ता है, शायद कुछ उपेक्षाएं भी की गई हैं। हो सकता है, पूर्वी राजस्थान की जनता ने जो इनके बालक के समान है, चुनाव के समय कुछ गलतियां कर दी हों, लेकिन एक बुजुर्ग के नाते उनको भूल जाना चाहिए। मैं उसमें कुछ सुझाव प्रस्तुत करने से पहले.....(व्यवधान) आरोप लगाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। 1998 में जब चुनाव हो रहे थे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार था और कांग्रेस पार्टी ने लोक-लुभावने वादे जनता के साथ किये थे। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों को 16 घण्टे बिजली दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के साथ कहा कि ग्रेच्युटी, बोनस और अन्य सुविधाएं उनको बहाल की जाएंगी। व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने का आह्वान किया। इस लुभावने वादों में आकर जनता ने इनको 153 सीटों का बहुतम दिया, जो कि ऐतिहासिक बहुमत था। लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात् कथनी और करनी में अन्तर करते हुए सबसे पहला आदेश निकला कि सरकारी नौकरियों पर तुरन्त प्रभाव से पाबन्दी लगाई जाती है। हजारों-लाखों नौजवानों की आशा पर तुषारापात किया। बिजली की हालत यह कि तीन घण्टे से ज्यादा नहीं मिली कभी। सरकारी कर्मचारियों का दमन, एक आन्दोलन उन्होंने किया तो दबा दिया गया। उद्योगों को बन्द कर दिया गया। कथनी और करनी में अन्तर करते हुए राजस्थान को कब्रिस्तान में बदला गया। एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक नम्बर के मुख्य मंत्री कहलाने वाले को जनता ने यह कहा, "मजारे-गरीबां पे कातिल ये बोला, ये सारे घर मेरे बसाये हुए हैं" राजस्थान को कब्रिस्तान बना दिया और एक नम्बर के मुख्य मंत्री कहलाने लगे। माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य ने जो बोला है, इसको कार्यवाही से निकाला जाए। बहुत गलत बात है यह। राजस्थान कब्रिस्तान कहां से बन गया ? अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है, आप आसन से देखती रहें.....

श्री विजय बंसल : कितनी मौंते हुई, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, कितने लोग भूख से मरे, आप बताइये ? मैं पूछना चाहता हूं आपसे।

श्री जुबेर खान : कोई माननीय सदस्य कुछ भी कहता रहे, आपत्ति करते माननीय प्रतिपक्ष से अगर कोई बात हल्की-सी भी आ जाए तो आप तुरन्त रिएक्ट करती हैं। हम निवेदन आशा करेंगे कि आसन सबके लिए बराबर है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल बराबर है। माननीय सदस्य, आसन के द्वारा......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भूल जाते हैं, ये तो प्रतिपक्ष में ही हैं।

श्री वियज बंसल : हालांकि मैं पहली दफा बोल रहा हूं लेकिन मैं सत्य बात बोल रहा हूं, चिढ़ो मत। ऐसे आप क्यों चिढ़ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ये गलत बात को रिपीट करते हैं। मान लो, माननीय सदस्य, हम आपके लिए अगर इस तरह की बात करते हैं तो.....(व्यवधान) आप वही शब्द इस्तेमाल करिये, जैसे यह गाज आपके ऊपर भी पांच साल बाद गिरने वाली है। (व्यवधान) वही शब्द निकालिये जो आपको भारी नहीं पड़े पांच साल बाद।

श्री विजय बंसल : नहीं बना क्या राजस्थान कब्रिस्तान ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कब्रिस्तान बन जाता तो आप यहां कैसे बैठे होते ?

श्री विजय बंसल : मैं कब्र में नहीं जाऊंगा, मैं शमशान में जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिये, आप विषयान्तर हो गये हैं।

श्री विजय बंसल : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं शार्ट में निवेदन करना चाहूंगा, देर हो रही है, लोगों का टाइम हो रहा है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान के साथ इस बजट में जो उपेक्षा की

(श्री विजय बंसल)

गई है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। बजट की दृष्टि से देखा जाएं भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर इनमें एक बर्ड सैंक्चुरी और एक टाइगर सैंक्चुरी आती है, एक गोल्डन ट्राएंगल दिल्ली-आगरा-जयपुर के लिए बनाया हुआ है। मैं सुझाव देना चाहूंगा, इनमें तीनों सैंक्चुरीज को जोड़ते हुए, डीग के किले को साथ में रखते हुए भरतपुर-डीग-अलवर होकर यह निकल जाऐ। पर्यटन के हिसाब से ऐतिहासिक वर्ड सैंक्चुरी का भरतपुर कहलाता है, वर्ड हैरिटेज के नाम से जाना जाता है, उसमें पानी की कमी है, व्यवस्थाओं का माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में ध्यान रखेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सर्वाधिक अन्न उत्पादन में भरतपुर का नम्बर आता है। राजस्व की दृष्टि से भी 13 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत तक भरतपुर जिला देता है। भरतपुर में एक बेटरिनरी कालेज या मत्स्य यूनिवर्सिटी खोली जाए तो भरतपुर के लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में आई.जी. पुलिस कार्यालय है, एडिशनल चीफ इंजीनियर, पी.एच.ई.डी. बैठता है, एस.ई. पी.डब्ल्यू.डी., एस.ई. आर.एस.ई.बी., एस.ई. इर्रिगेशन भी बैठते हैं और भस्तपुर जिले की मांग है, पूर्वी राजस्थान की मांग है कि भरतपुर में अगर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय खोला जाए तो भरतपुर के लोग, पूर्वी राजस्थान के लोग जिनको जयपुर आने में समस्याएं पैदा होती है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं.....

मोहम्मद माहिर आजाद : आज ही घोषणा होनी चाहिए, भरतपुर में सम्भागीय आयुक्त कार्यालय घोषित करो। मैं इनकी इस बात का समर्थन करना चाहूंगा, भरतपुर में आज ही सम्भागीय आयुक्त कार्यालय घोषित करिये।

श्री जुबेर खान : अलवर को तो जयपुर में ही रखिये, भरतपुर में मत भेज दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : मैंने कल 295 के माध्यम से एक प्रश्न लगाया था। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, धौलपुर रियासत को, महारानी

(श्री विजय बंसल)

साहिबा को पौत्र मिला था। उस दिन के उपहार स्वरूप भरतपुर को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा करने की मेहरबानी करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के प्रावधानों में गायों के ऊपर बहुत चिन्ता व्यक्त की गई है और गौशालाओं के लिए बहुत प्रबन्धन की बात की गई है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 400 बीघा जमीन उस ऐतिहासिक गौशाला की भरतपुर में थी, जहां 10,000 गायें पलती थीं, लेकिन कुछ भू-माफियाओं के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। उसको मुक्त कराकर गौशाला का प्रबन्धन किया जाएं तो इस अकाल में गायों की रक्षा हो सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी का प्रश्न है, रावी-व्यास पर पूरे राजस्थान की चिन्ता है। अन्य प्रदेशों में जो राज्य का हिस्सा है, उसके बारे में सोचना चाहिए। संन् 1994 में पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने बैठकर फैसला किया था कि यमुना जल का पानी भरतपुर जिले को मिले और तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के महामहिम उसका उदघाटन करने आये थे। मेरा अनुरोध है कि चम्बल और यमुना जल का प्रबन्धन करके भरतपुर को दिलाया जाए जिससे अकाल से राहत मिले।

अन्त में एक सुझाव और देना चाहूंगा कनक्लूड करते हुए; जहां तक वित्तीय प्रबन्धन की बात है, ब्याज का घाटे से राजस्थान को लगातार नुकसान हो रहा है। ज्यादा ब्याज से कम ब्याज पर लोन लेकर कुछ इसका प्रबन्धन किया गया है, लेकिन 23,000 करोड़ रूपये से बढ़कर कांग्रेस के राज में 53,000 करोड़ हुआ और आज 59,000 करोड़ के करीब घाटा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सुझाव देना चाहूंगा कि अर्थशास्त्रियों की कमेटी बनाकर, सदन के माननीय सदस्यों की जो इसमें अपना ज्ञान ज्यादा रखते हों, कि कैसे कम किया जाएँ, यह बढ़ता हुआ पहाड़, इसके बारे में भी सरकार को कुछ विचार करना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए।

मैं अन्त में इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हुए महारानी साहिबा से कहना चाहूंगा कि आप अपनों को भूल कर गैरों का ध्यान रख रही हैं। हमारी

(श्री विजय बंसल)

महारानी साहिबा हैं, मुख्य मंत्री बाद में हैं। मैं महारानी साहिबा से एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं-

तुम्हें गैरों से कब फर्सत, हम अपने गम से कब खाली।

सब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली।।

धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक (संख्या-3) 2004 के लिए मैं दो-तीन बातें आपने जैसा आदेश दिया उसी के अनुरूप मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, वही करो आप तो।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : कुछ बातें ऐसी हैं जो सुबह से मैं सुन रहा हूं, हो सकता है वो बात आई नहीं है, इसलिए मेरे मन में थी वह बात रखनी थी। जैसा सबसे पहले तो मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं, रोजगार की बातें की गई कि कितने लाख बेरोजगारों को रोजगार दिये जाएंगे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मेरे छोटे-से दिमाग का एक सुझाव है, मैं समझता हूं, उपयोगी होगा। हमारे राजस्थान प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की विभिन्न योजनाएं चालू हैं जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चालू की जा सकती हैं चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, चाहे वो कुटीर-धन्धे हों, चाहे वो बैंकों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण के माध्यम से हों। मेरा इसमें एक छोटा-सा सुझाव यह है कि प्रति विधान सभा क्षेत्र, प्रति उपखण्ड 250 बेरोजगारों को एक साल में एक बार कैम्प लगाकर बैंकों के माध्यम से, सारी सरकार की योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिया जाता है तो पांच साल में ढाई लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। जरूरत इस बात की है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है उसके बारे में आप इस प्रकार की कमेटी बनाकर यह काम कर सकते हैं।

इसके साथ साथ, जिस दिन चिकित्सा पर चर्चा चल रही थी, माननीय

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

सदस्य अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे इस सदन के बीच में, कोई सदस्य ऐसा नहीं था जिसने यह नहीं कहा हो कि उनके क्षेत्र में चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते या पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा से वंचित रह रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपसे मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों की, चिकित्सकों की और पैरा मेडिकल स्टाफ की ग्रामीण क्षेत्रों में आप उपस्थिति सुनिश्चित कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आपने जो बजट पेश किया है इसका वास्तविक लाभ ग्रामीण स्तर पर आम आदमी को मिल पाएगा।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा आपदा राहत कोष के मामले में। विभिन्न क्षेत्रों में अग्निकांड होता है, तीस साल पहले योजना बनाई गयी थी, किसी का घर जल जाए, किसी का मकान जल जाए, किसी का अनाज जल जाए, कपड़ा जल जाए तो उसमें 2500 रूपये की सहायता के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपदा राहत कोष में आपने जिस प्रकार से बजट रखा है उसमें 2500 रूपये की राशि से आज एक किसान का, गरीब का छप्पर भी नहीं आता, उसको बढाने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। आज इस बढ़ी हुई मंहगाई के जमाने में 10 हजार रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसको करेंगे तो वह छप्पर भी एक बार कर सकेगा। आज छप्पर की कीमत भी कम से कम 5 से 6 हजार रूपये हो गई। तात्कालिक उसको 5-7 दिन का आटा, दाल, अनाज भी चाहिए। इस तरह उसको 2-4-5 हजार का सामान चाहिए। इसलिए 10 हजार रूपये उसको बढ़कर करेंगे तो मैं समझता हूं कि गरीबों को बड़ा लाभ मिल पाएंगा।

एक बात मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं, अभी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय पहाडियाजी बता रहे थे विद्युत क्षरण के सम्बन्ध में, एक बहुत बड़ी बात है। विद्युत पर 15 पैसे टैक्स बढ़ाने की बात आई तो हमारे कांग्रेस के भाइयों ने भी बड़ा हो-हल्ला किया और काफी बड़ी बातें हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय अगर इस बात के पूर्ण रूप से उपाय कर

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

दें, व्यवस्था कर देंगी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में कभी भी बिजली के पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारा विद्युत क्षरण 44-45 प्रतिशत पर पहुंच गया और जैसा अभी बता रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की भावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, जो व्यवस्था को बनाने की बात आपने कही है, सही गवर्नेंस देने की बात जो आपने कही है, बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर वास्तव में लगाम लगाकर चोरी की पर यदि रोक लगा देंगे तो मैं समझता हूं कि आपको पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी और राजस्थान में बढिया बिजली उपलब्ध करवाएंगे क्योंकि उनकी मिलीभगत से ज्यादा चोरी होती हैं। चोरी उसी की रोकी जाती है जो उनको पैसा नहीं देता। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आप उस चोरी को रोकना चाहते हैं तो अपने विभाग के अधिकारियों पर कंट्रोल कीजिये। निश्चित रूप से आपको इसमें बड़ा लाभ और क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया अब बहुत। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इसी के साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा किसानों के सम्बन्ध में। किसानों के सम्बन्ध में हमारे सभी माननीय सदस्य बड़ी बड़ी बात कहते हैं, सदन में बहुत कुछ होता है.....

श्री जुबेर खान : किसानों का तो तगारामजी बहुत कह गये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो किसी ने नहीं कही है। वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बहुत बजट हम कृषि विभाग में रखते हैं। कितना बड़ा अमला ऊपर से नीचे तक कृषि विभाग में है मंत्री से लेकर एक ग्राम सेवक तक। लेकिन ग्राम सेवक से लेकर ऊपर सैक्रेटरी तक का कोई भी अधिकारी गांव में, किसान के खेत में जाकर उसको कृषि की जानकारी नहीं देते हैं। कोई मदद नहीं देता। आज हमारे गांवों में जो दवाइयां बिकती हैं, वो दवाइयां उस किसान को बताने वाला केवल वो दुकानदार है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी किसान के खेत में नहीं जाते। माननीय अध्यक्ष

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर राजस्थन के किसान को खुशहाल करना चाहते हैं तो आप गांव में किसान के खेत में व्यवस्थाएं कीजिये जिससे किसान को लाभ मिलेगा। किसान अपनी जितनी ज्यादा पैदावार देगा उतनी प्रदेश को उससे राहत मिल पाएंगी।

श्री अध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इसी के साथ बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा की बात और निवेदन करूंगा.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। इतने निवेदन तो कर दिये आपने। आपने तीन बातें तो कह दीं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय से मैं एक निवेदन और करूंगा। एक ही बात करूंगा, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। पहली बात तो निर्दलीय सदस्यों को बोलने का मौका ही बहुत कम देते हो दोनों पंक्ष के लोग। मैं एक निवेदन यह करना चाह रहा हूं, बालिका शिक्षा आज ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जहां पर 250 की छात्र संख्या है वहां पर 200 बालिकाएं हैं, केवल 50 बच्चे रह गये हैं और हम विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं कर पा रहे हैं। बच्चियां दो किलोमीटर से ज्यादा तीन किलोमीटर, पांच किलोमीटर दूर बड़े स्कूलों में नहीं जा रही हैं। वास्तव में महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा को जो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं वह इसलिए नहीं हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी ज्यादा है। मां-बाप ने लड़कों को तो भेज दिया है प्राइवेट स्कूलों में और बालिकाओं को केवल सरकारी विद्यालयों में इसलिए भेजा है कि उनके लिए वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं में इस पीड़ा को महसूस कर सकती हैं कि एक बालिका को अगर अध्ययन का लाभ नहीं मिले तो उसकी कितनी बड़ी मन की पीड़ा और उसकी मन की आत्मा का दमन होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में, चाहे बालिका विद्यालय का नाम लेकर, उनको क्रमोन्नत कर

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

दें और या फिर आम विद्यालयों में जो मिडिल और सैकण्डरी किये जाने हैं, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर अगर सैकण्डरी विद्यालय कर देंगे तो मैं समझता हूं कि बालिकाओं के लिए आप ज्यादा कुछ दे पाएंगे। इन्हीं भावनाओं और इन्हीं विचार के साथ मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सब माननीय सदस्यों ने बड़ी रूचि के साथ भाग लिया है। इतनी रूचि के साथ भाग लिया है कि मैं तो यह समझती हूं कि यहां कई ऐसे माननीय सदस्य होंगे जो अपनी बात रखने से वंचित रह गये हैं। मैं तो विश्वास करती हूं कि बाद में भी वो मेरे को अपनी बातें समझा देंगे और फिर उनको मैं लेने की कोशिश करूंगी। मैं सबका आभार प्रकट करना चाहती हूं। इतना जरूर कहना चाहूंगी, जब इस वर्ष का बजट हम लोगों ने तैयार किया तो हमने राज्य के आम आदमी को केन्द्र बनाकर और सरकार में जो उसकी अपेक्षाएं हैं वे किस प्रकार से पूरी की जा सकती हैं, इसका प्रयास हमने अपने बजट के अन्दर करने की कोशिश की है। मैं

(20.00 बजे)

शुरूआत में ही सबको यह कहना चाहूंगी, कई लोगों के सुझाव जो आये हैं, जो उनकी बातें आयी हैं, उनके बारे में मैं एक-एक मिनट चर्चा जरूर करूंगी और कोशिश करूंगी इस मौके को जितना कम्प्रैस करके जितना छोटा बना सकती हूं, उसको करने की। अभी-अभी कुछ दिनों में अनुदान की मांगों पर सदन में बहुत अच्छी एक विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई है। सरकार की तरफ से सम्बन्धित हमारे मंत्रीगण ने बड़े उचित उत्तर भी दिये हैं और नीतिगत जो बिन्दु हैं उनके ऊपर उन्होंने खुलासा भी किया है। घोषणाएं भी की हैं। जैसा बैर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे सामने यह बात रखी,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी हैं, अब भी घोषणाएं हुई हैं। मैं तो समझती हूं कि आपने मेरे अच्छे के लिए ही कहा है. मैं उसके ऊपर ध्यान रखूंगी। मैं आपको यह जरूर बता सकूंगी कि जो-जो बातें हमने बजट के अन्दर लिखी हैं उन बातों को पूरा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में इन चर्चाओं का एक विशेष महत्व होता है और भावी निर्णय के अन्दर, बहुत अच्छे जो बिन्दु उठते हो वो हमारे लिए सहायक भी सिद्ध होते हैं। इन मांगों की चर्चा के ऊपर माननीय सदस्यों के योगदान के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगी।

टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य और लीडर आफ दी अपोजिशन, विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों ने राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, बढ़ते हुए कर्ज के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट की है। मैं यह कहना चाहूंगी कि वित्तीय सुधार के सम्बन्ध में 1999-2000 का जब बजट प्रस्तुत किया गया था, उस समय वित्त मंत्री श्री चन्दनमलजी बैद थे, उन्होंने अपने भाषण में यह जरूर कहा था, मैं थोड़ा-सा कोट करूंगी, कि "नये संसाधन जुटाना और प्रभावी कदम उठाकर 5 वर्ष के अन्दर शनैः-शनैः राज्य के बजट के राजस्व घाटे को कम करते हुए पूर्ण रूप से समाप्त कर राजस्व घाटे में अधिशेष की स्थिति लायी जाए।" यह उन्होंने कहा था वर्ष 2000-01 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने यह भी कहा था कि "वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट होना उचित नहीं है और हम प्रभावी कार्य योजना बनाकर राजस्व घाटे को अगले तीन वर्ष में समाप्त करना चाहते हैं।" अभी जो चर्चाए हो रही थीं उसके दौरान आपने उठ कर यह कहा भी था कि हमने कोशिश की थी कि हमारे इस घाटे को हम कंट्रोल करें, परन्तु कई बार बजट के भाषण के अन्दर जो बातें लिखी होती हैं वो शायद पूरीं हम लोग नहीं कर सकते। यह तो हमने अच्छी तरह से देखा क्योंकि सी.ए.जी. ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की। 2002-03 की रिपोर्ट जो 15 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत यहां कर ली गयी थी, उसमें उन्होंने उल्लेख यह किया- 1998-99 में जहां राजस्व

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

घाटा 2996 करोड़ रूपये का था, वहां वर्ष 2002-03 में यह बढ़ कर 3934 करोड़ रूपये हो गया था। तो मैं समझती हूं कि कितनी स्थिति खराब हो गयी थी, वो सबके सामने है पर मैं यह आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, हो सकता है कि यह कठिन है, कठिन है परन्तु हमारी कोशिश यह होगी और मैं मानती हूं कि हम लोग उसको पूरा कर सकेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने सौ दिवस का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया, यह देखने को कि किस तौर से किस रूप में हम उस कार्ययोजना को पूरा कर सकते हैं। हमने देखा कि सौ दिन की कार्य योजना को 95% से ज्यादा हमने पूरा किया। जब वो हम पूरी कर सकते थे तो बजट के अन्दर भी जैसा वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसमें परिश्रम करने की जरूरत होती है उसमें पीछे लगने की जरूरत होती है, हम परिश्रम करेंगे लगेंगे और उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसी तरीके से मैं यह बताना फिर से चाहूंगी कि राजस्व घाटा 2003-04 बजट अनुमानों में 3673 करोड़ रूपये आंका गया था और सिर्फ चार महीने के अन्दर हमने वैटर टैक्स कलेक्शन करके इस घाटे को कम करने का पूरा प्रयास किया है और राज्य के लेखों के नवीनतम अनुमानों के अनुसार हमारे राजस्व घाटे में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में करीबन 8% का सुधार होकर यह अनुपात 22.48% ही रह गया है। क्योंकि यह 5% से ज्यादा इम्प्रूवमेन्ट रहा है in the ratio of revenue deficit to revenue receipts, मैं समझती हूं कि इसके फलस्वरूप राज्य को करीबन 60 करोड़ यानी 59 करोड़ 77 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होगी। मैं समझती हूं कि यह भी हमारे लिए अच्छा ही है।

आज के परिवेश में जहां राज्य सरकार से अधिक से अधिक योजनागत विकास करने की अपेक्षा की जाती है, सब माननीय सदस्यों ने यह बात रखी है, क्योंकि अपने आप में ही अलग-अलग अपने क्षेत्र के बारे में चिन्ता करते हुए सब लोगों ने यह कहा कि विकास हम लोगों को करना है, तेज गति पर करना है, वहीं यह भी आशा की जाती है कि राज्य वित्तीय दृष्टि से और सुदृढ़ हो जाए और राजस्व घाटा कम हो जाए यानी राजकोषीय घाटा जो प्रूडेंशल लिमिट है उसके अन्दर रहे। अब यह दोनों लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल काम है क्योंकि these are contradictions in terms.

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फिर भी हमने इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में सामंजस्य लाने का प्रयास किया है। योजना के आकार में हमने बढ़ोतरी भी की है परन्तु राजस्व घाटे को कम करने और राजकोषीय घाटे को सीमित रखने का भी हमने पूरा प्रयास किया है। अभी-अभी लीडर आफ दी अपोजिशन और पहाडियाजी, वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि खाली आकार बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मैं यह मानती हूं कि संशोधित आकार जो पहले 5,504 करोड़ रूपये था उसकी बढ़ोतरी हमने की, करीबन 27% बढोतरी की है, और हमारा राजस्व घाटा 2,204 करोड़ रूपये अनुमानित है जो पिछले 5 वर्षों में आज तक सबसे कम है। कुछ तो फिस्कल डिसिप्लिन रखने की जरूरत भी होगी। मैं समझती हूं कि इस स्किल डिसिप्लिन के अन्दर रह कर अगर हम विकास कर सकते हैं, हमारे प्लान साइज को बढ़ा कर अगर हम विकास कर सकते हैं तो राज्य के लिए और हमारे सबके क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए यह अच्छा ही रहेगा। इसीलिए राज्य में योजनागत विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमने कोई समझौता नहीं किया है और राजस्व घाटे को कम करने में हम लोग पूरी तरह से कृतसंकल्प हैं।

विपक्ष के माननीय नेता ने योजना के आकार के बारे में बात कही, इससे भी मालूम पड़ता है कि उनको भी इसमें बहुत चिन्ता है और पहाडिया जी ने भी यह बात कही। जो संसाधन हमने जुटाये हैं वों संसाधन चाहे कर्ज के रूप में हमने लिये हों, हमने यह कोशिश की है और उनको एसेट्स क्रियेशन के अन्दर हमने लगाया है। मैं बताऊंगी कि 1997-98 में जो ऋण और देनदारियां थी, उसमें जो एसेट्स क्रियेशन हुआ वह हमारे महामहिम उप राष्ट्रपतिजी के आखिरी साल का था। उसके अन्दर हमने बताया कि 77% उपयोग एसेट्स क्रियेशन में हम लोगों ने किया, लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट 2002-03 में यह घटकर केवल 36% ही रह गया। हमारी यह कोशिश है कि बजट अनुमानों के अन्दर डैट की राशि का बेहतर उपयोग करके इस प्रतिशत को बढ़ा कर हम लोग 68% इस बार करेंगे। यह हमारी पूरी तरह से कोशिश रहेगी, इसका अभिप्राय यह है कि जितना शुद्ध ऋण हम लोग लेंगे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इस वर्ष के दौरान उसका 68% एसेट्स क्रियेशन के अन्दर हम लोग उपयोग करेंगे।

माननीय सदस्य नाथद्वारा से जो आये हैं उन्होंने गैर विकासीय व्यय के बारे में चिन्ता की, इस सम्बन्ध में मैं पूर्व वर्षों के राज्य के कुल व्यय में विकासीय व्यय के अनुपात के आंकड़े थोड़े-से प्रस्तुत आपके सामने करना चाहूंगी- 1999-2000 60.81, वर्ष 2000-01 60.06%, 2001-02 59.39% और 2002-03 में 59.85% था। आपने देखा होगा कि यह चार साल के अन्दर 59 और 60% के बैण्ड के अन्दर ही रहा।

वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों के इस प्रतिशत को बढ़ाकर हम लोग करीबन 65 प्रतिशत पर ले जाएंगे। मैं समझती हूं कि तुलनात्मक रूप से विकासीय व्यय हेतु 2004-05 में अधिक प्रावधान लाये गये।

मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में यह जरूरी है हम लोगों के लिये कि ऐसी आर्थिक नीति हम लोग लागू करें ताकि हमारा राज्य भी किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहे। सोचकर हमने इकोनोमिक पालिसी और रिफार्म्स काउंसिल गठित किया है। इसमें विकास से जुड़े हुए अलग-अलग क्षेत्र से बहुत जाने माने सुलझे हुए प्रबुद्ध व्यक्तियों को सदस्य बनाया है। इस काउंसिल की समय समय पर मीटिंग होगी और इसमें अच्छे अच्छे दिशा निर्देश प्राप्त किये जाएंगे जिन पर हमारी आर्थिक नीतियां आधारित रहेंगी। साथ-साथ क्योंकि द पेस आफ इकोनोमिक डवलपमेन्ट बढ़ता ही जाएगा, हम चाह रहे हैं कि हमारे संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो। इस उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक्सपेंडीचर रिफार्म्स कमीशन का गठन कर दिया है और इसकी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2004 तक हमारे पास आ जाएगी हम आशा करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी और सार्थक सिफारिशें ये देंगे, क्योंकि हमारे जो संसाधन हैं उनमें वृद्धि के साथ-साथ व्यय की भी उपादेयता में बढोतरी हो सके, यह भी हमारी कोशिश है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की थी बढ़ते हुए ऋण भार पर। आपने हम सबका इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। आपने यह कहा था कि इसको कहां लेकर जाएंगे यह बात सही है, 53 हजार के लगभग का बोझ तो हमको विरासत में मिला। हम यही कहना चाहेंगे कि अब 59 हजार 976 करोड़ रूपये यह जो है, यह पिछले वर्ष से मात्र 12.3 प्रतिशत अधिक है और प्रतिशत के रूप में यह वृद्धि पिछले 6 वर्ष में सबसे कम वृद्धि है क्योंकि 1999-2000 में जो वार्षिक वृद्धि थी वह 4 प्रतिशत के ऊपर थी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी 1987-88 से 1994-95 की अवधि में लगभग 90 प्रतिशत रहता था परिसम्पत्तियों का निर्माण, कुल ऋण व अन्य देनदारियों के प्रतिशत के रूप में, पिछले 5 वर्षों में इसमें अभूतपूर्व कमी आई है और यह 55 से 65 प्रतिशत के मध्य रह गया है।

आपने कहा इस बजट में करों से कोई राहत नहीं दी गई, आपने कहा इस हाथ से लिया उस हाथ से दिया। कई तरीके से आपने उसको घुमाया। अब इतना अनुभव तो मुझे नहीं है, पर मुझे लगा शायद आप मुझे यह कहना चाह रहे हो कि बजट बहुत अच्छा है पर मुझे कुछ इसमें ऐसी कोई बात दिखाई दे नहीं रही है इसलिए मैं कुछ आपके ऊपर पिन पाइंट कर नहीं पा रहा हूं। मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने कोशिश की है मेरे बजट प्रस्तावों में कि किस तरीके से आम आदमी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और सामान्य उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी दर कम हो जाएं। एक हाउस वाइफ के तौर पर अपना घर चलाने के लिये जिन-जिन समस्याओं को हमें देखना पड़ता है, जिनका हमें सामना करना पड़ता है उससे तो हम अवगत हैं ही, और इसीलिए जो टैक्स है उसका रेशनलाइजेशन करते वक्त हमने आम उपभोग की वस्तुओं को नीचे के टैक्स स्लैब में रखा। हम उसको ऊपर के टैक्स स्लैब में नहीं ले गये, उसको नीचे के स्लैब में रखने की कोशिश की। किसानों के हित में, क्योंकि आपने यह भी पाइंट रेज किया, हमने खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, पम्प सैट्स नीचे के स्लैब की टैक्स दरों से उसको जोड़ा है ताकि यह बोझ किसी भी तरीके से कम हो जाए। राज्य के चार जिलों में हमने दो वर्ष के लिये एक इतनी बड़ी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माफी कर दी है, आबियाना की जो माफी है, क्योंकि मैं समझती हूं कि वहां के लोग बिना पानी के इतने तरसे हुए थे, उन सबकी मांग थी। मैं समझती हूं कि वह मांग जब इनको दी तो उससे वे इतने खुश रहे हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट उससे लाभान्वित रहेंगे।

पूर्व में मैंने व्यवसाय कर को समाप्त कर दिया, मनोरंजन कर को 70 से 50 प्रतिशत लाकर रख दिया। स्टाम्प ड्यूटी को 11 प्रतिशत से 8 प्रतिशत पर रख दिया और जो लग्जरी टैक्स है उसको 10 प्रतिशत से 8 प्रतिशत पर लाकर रख दिया। घरेलू गैस और मिट्टी के तेल की दरों में भी आपको कुछ कमी मिली है। मैं समझती हूं कि काफी राहत मिली है। मैं समझती हूं कि जो दूसरे बजट में अभी तक नहीं मिली है वह शायद इस बजट में हमने करने की कोशिश की है। फिर आपने यह कहा कि अकाल राहत पर होने वाले व्यय हेतु कैसे संसाधन जुटाओगे। मैं यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने तो अपनी पूरी निगाहें दिल्ली की सरकार पर टिका दी थीं। मुझे तो याद नहीं है उनके बजट में कोई प्रावधान रखा भी गया था अकाल के लिये। मैं अभी भी यह मानती हूं, अपन अकाल शब्द ले रहे हैं, जैसे आपने कहा, पूजा पाठ तो हम सब लोग कर रहे हैं, सच्चे दिल से हम कर रहे हैं, पर मैं विश्वास करती हूं कि सच्चे दिल से करेंगे तो कुछ न कुछ राहत हम लोगों को तो मिलेंगी ही मिलेगी, इसलिए मैं तो कह रही हूं कि अभी मानसून पूरी तरह से फिर सक्रिय हो सकता है, पीने के पानी का इंतजाम अभी भी हो सकता है। मैं समझती हूं जो भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, वे अपने दिल में, जिस भी मन्दिर में या जो भी उनके पूजागृह हैं उसमें जाकर अपने आप यह पूजा तो करते ही होंगे कि राजस्थान के ऊपर कोई बड़ा संकट मत लाकर रखो। कभी कोई अप्रत्याशित स्थिति होने पर हम लगभग सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिये तैयार हैं। हमारे बजट में खाद्य सुरक्षा प्रदान करके हमने भुखमरी से निपटने के लिये एक पर्याप्त बल दिया भी है और उसके लिये बजट भी अलग से रखा हुआ है। यह मेरी वचनबद्धता है कि कैसी भी स्थिति होने पर मेरे राज में कोई भी भूखा मरेगा नहीं और इसको पूरा करने के लिये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम लोग कोई भी कोर-कसर छोडेंगे नहीं। मैं यह विश्वास करती हूं कि जब हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें विपक्ष का भी पूरा-पूरा सहयोग हमको मिलेगा।

आपदा राहत कोष-सी.आर.एफ. में इस वर्ष में 251.61 करोड़ की राशि उपलब्ध है। अतिरिक्त धन की आवश्यकता हेतु हम केन्द्र सरकार से एन.सी.सी.एफ. में राशियों के आवंटन हेतु निवेदन करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगी कि पूर्व सरकार ने राजनीतिक दुराव को नजरंदाज करके पूरी तरह से जितनी मदद देने की जरूरत थी, वह दी। मैं समझती हूं कि इतनी इतिहास में कभी नहीं मिली थी। मैं आज भी यह विश्वास करती हूं कि केन्द्र की जो वर्तमान सरकार है वह भी जिस तरीके से उन्होंने नहीं की थी उसी तरीके से हमारे साथ भी किसी तरीके से भेदभाव नहीं करेगी।

विपक्ष के माननीय नेता ने मेडिसिनल प्लांट और हर्बल के ऊपर काफी जोर दिया। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं तो कहती हूं कि काश पूर्व सरकार ने भी इस पर कोई सार्थक कदम उठाये होते तो आज पांच साल में ही बहुत कुछ निकल जाता। उसमें भी हम मदद कर देते तो आगे बढ़ भी सकते थे। मेरा यह मानना है कि नई फसल की ओर किसान तभी आकर्षित होगा जब उसको पूरी तरह से विश्वास होगा कि इसकी उपज आसानी से अच्छे दाम पर बिकेगी। इसके बारे में मैंने अपने बजट में पूरी तरह से कहा भी है, पैरा 72 में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से इसको सृजित करने की कोशिश हम करेंगे। आवश्यक विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये जो किसान कल्याण कोष है उसकी स्थापना का प्रस्ताव भी मैंने रखा हुआ है। एक हर्बल सब्सिडी की भी आपने बात रखी थी। हमारी सरकार ने मेडिसिनल प्लांट की खेती के लिये 30 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने में काफी सफलता प्राप्त की है, इन निम्न आंकड़ों से आपको मालूम पड़ जाएगा 2002-03 में 5 प्रोजैक्ट सैंक्शन थे जिसमें 40;20 लाख रूपये मिले, 2003-04 में 51 प्रोजैक्ट सैंक्शन थे जिसमें 137.33 लाख रूपये मिले और 2004-05 में 116 प्रोजैक्ट सैंक्शन है जिसमें 181.05 लाख रूपये मिले। सब्सिडी की राशि कुल प्रोजैक्ट कास्ट की 30 प्रतिशत की दर से है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसी तरीके से आपने बताया कि कृषि तो घाटे का सौदा है। हम लोग सब इसमें चिंतित हैं, हम लोगों ने कोशिश की है। किसानों की उपज के उपयुक्त दाम दिलाने के लिये हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और इसके लिए हमने चार फसलों के लिये मार्केट इण्टरवेंशन स्कीम लागू कर दी है। सर्वप्रथम संतरों के लिये, फिर जीरा और धनिये के लिये और अभी हाल में प्याज के लिये भी हमने किया है। मैं मानती हूं कि मण्डी अधिनियम को संशोधित करके इस कल्याण कोष जिसके बारे में अभी बात की थी, उसकी स्थापना जल्दी की जाएगी।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कम पानी लेने वाली जो जिंसें हैं उनको प्रोत्साहित करने की बात कही। इसको भी मैंने अपने बजट भाषण के अन्दर मेंशन किया था। हमारी यह कोशिश है कि कम से कम पानी इस्तेमाल किया जाए। उसके लिये एक-एक बूंद ज़ो जल का है उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। हम फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि जल की प्रत्येक इकाई कृषि उत्पादन को अधिकतम करने पर केन्द्रित हो।

इसी तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि इन्दिरा गांधी नहर के ऊपर आपने कोई ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया है, आपने कहा कि गत वर्ष में आप लोगों ने बहुत कम पैसा दिया है। आपको बताना चाहूंगी कि वर्ष 2001-02 के अन्दर 113.30 करोड़, 2001-02 में 115 करोड़, 2002-03 के अन्दर 125.66 करोड़ और 2003-04 के अन्दर 155.64 करोड़ पैसा हम लोगों ने उसके लिये दिया है।

इसी तरीके से फिर आपने ओ.एन.जी.सी. के बारे में बात रखी, आपने आयल इण्डिया के बारे में बात की। आपने जो तेल का हमार भण्डार है उसके बारे में कई पाइंटस रखें। माननीय सदस्य, टोडारायसिंह से आने वालों ने भी इस बारे में कुछ बात कही। (व्यवधान) वह तो था पर लास्ट में आऊंगी मैं उस पर। इन जरूरी बातों को तो पहले कर लें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

केन्द्र सरकार ने 1998 में तेल की खोज हेतु नयी लाइसेंस नीति बनायी और पिछले 6 वर्षों में राजस्थान में तेल की खोज हेतु निजी क्षेत्र की प्रमुख कम्पनियों को अधिकृत किया। राज्य सरकार ने इसका पूरा सहयोग दिया। 1998 से अब तक कुल 33 कुएं खोदे गये हैं जिनमें से 27 में गुणवत्ता का तेल अच्छी मात्रा में मिला है। मई, 2005 तक इसी कम्पनी द्वारा 25 कुएं और खोदे जाएंगे। राज्य सरकार को वाणिज्यिक कर के रूप में 49.72 लाख रूपये तथा पिट आयल की बिक्री के अन्दर उन्होंने 270 लाख रूपये अब तक दिये हैं। राज्य सरकार राज्य में तेल और गैस को प्राथमिकता प्रदान करेगी क्योंकि इसके दोहन से राज्य की आय में इजाफा होना है। पिछड़े हुए जो सीमान्त जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह, इनके लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास तेल और आयल की वजह से, उनके उद्योगों से होगा, मैं समझती हूं, वह काफी कुछ लाभ होगा।

इसी तरह से आपने बिजली की कीमतों के बारे में बहुत उल्लेख किया, मैं समझती हूं जब बिजली की डिबेट होगी तो उसके अन्दर काफी कुछ बातें निकलेंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, पहले भी मैंने कहा है इस बात को, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, सरकार किसी भी तरीके से बिजली की दरों को रेज करने की कोई बात भी सोच नहीं रही थी, परन्तु जब डीजल की कीमत और कोयले की कीमत बढ़ी और हमारे ऊपर 250 करोड़ का पूरा भार पड़ा तो हमारे पास भी कोई रास्ता रहा ही नहीं और हम लोगों को कर एक किस्म से डालना ही पड़ा। हमने कोशिश यह की, डोमेस्टिक और इण्डस्ट्रीज के ऊपर हम इसको लगाएंगे परन्तु हमने किसी भी तरीके से किसान के ऊपर ज्यादा भार नहीं डाला है।

धौलपुर पावर प्रोजेक्ट, उस समय भी माननीय सदस्य ने इस बात को रेज किया था इसलिये मैं इसको खाली टच करूंगी, माननीय सदस्य, वैर से आने वालों ने बहुत इसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं दिया, पिछली बार भी मैंने माननीय सदस्य को यह बताया था, शायद आप हाउस में नहीं थे, और बहुत ही विसतृत तरीके से बताया है, मैं फिर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसको दोहरा दूंगी कि 1155 करोड़ रूपये इसके ऊपर खर्च होने वाले हैं। 330 मेगावाट की क्षमता है, इसमें राज्य सरकार 347 करोड़ रूपये खर्च करेगी, 808 करोड़ रूपये ऋण के रूप में हमको मिलेंगे और यह परियोजना ढाई वर्ष के अन्दर चालू हो जाएगी। चालू वर्ष में इसके ऊपर 320 करोड़ रूपये हम खर्च करने वाले हैं। राज्य सरकार 120 करोड़ रूपये इक्विटी के रूप में देगी और 200 करोड़ रूपये ऋण के रूप में आएंगे। यह सब जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, उसी पर बना हुआ है।

प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने काश्तकारों को अधिक हार्स पावर की बात कही थीं, इसमें हमने यह कोशिश की है कि जितना हो सके उतना सिम्पलीफाई कर दिया जाए ताकि कोई ए.ईएन., जे.ईएन. जाकर किसी भी काश्तकार को मजबूर न करे, दुःखी न करे, परेशान न करे और उसको अच्छे दाम के ऊपर बिजली मिल जाए। उसकी हमारी कोशिश है। छीजत की बात आप लोगों ने कही, हमारी कोशिश है कि छीजत को जितना हम कर सकें, 45 प्रतिशत जो आज है हम घटाने की कोशिश करेंगे। एक प्रयोग हम लोगों ने और करने की कोशिश की है, जिसमें एक सब-स्टेशन के अन्दर हम लोग 45 या 40 प्रतिशत से लाकर 15 प्रतिशत दे देंगे। जिस इलाके के अन्दर इसको सक्सैसफुली कर सकेंगे उस इलाके को फिर हम 24 घण्टे बिजली देने की सोच रहे हैं ताकि और भी लोग उससे प्रोत्साहित हो जाएं। जहां तक आपके हार्स पावर का है, उस पर 3500 प्रति हार्स पावर, पहले 10 हार्स पावर के ऊपर और उसके बाद अधिक होने पर हजार प्रति हार्स पावर, 20 हार्स पावर तक, और उससे अधिक पर 750 प्रति हार्स पावर की हम लोग दर करने जा रहे हैं। हमारी इस पद्धति में एस्टीमेट आधारित मांग पत्र की आवश्यकता को हम लोग समाप्त करेंगे। उसकी कोशिश हम करेंगे ताकि निचले स्तर पर एस्टीमेट की विसंगति और तत्सम्बन्धी कृषि उपभोक्ता की शिकायत आदि से उनको छुटकारा मिल सके। नयी नीति के अन्तर्गत छोटे ट्रान्सफार्मर लगाएंगे। 11 के.वी. लाइनों की लम्बाई जो अधिक होती है, कृषकों की ओर से अच्छी वोल्टेज सुनिश्चित हो जाए, ये छोटे-छोटे ट्रान्सफार्मर लगाने की हम लोग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कोशिश करेंगे। नयी नीति में 5 हार्स पावर अधिक के लिये कम से कम 25 हजार रूपये देय होगा, और तुलनात्मक हिसाब से हमने हार्स पावर जो लिये हैं उसमें अगर 15 हार्स पावर का है तो पोलों की संख्या 8 होगी। पहले जो देय था वह 41750 रूपये थे और अब जो देय होगा उसमें 40 हजार रूपये होंगे। जो हार्स पावर 20 का हैं उसमें पोलों की संख्या 10 होगी। जो पहले देय थे 67200 रूपये, अब वह 45 हजार रूपये होंगे। जो 30 हजार्स पावर से ऊपर होंगे, 12 पोल लगायेंगे। उसमें 98700 जो पहले थे, अब 52500 रूपये होंगे। मैं समझती हूं कि उसमें कई किसानों को फायदा होने वाला है। जनजाति क्षेत्र के अन्दर, अन्य स्थानों पर जहां 3 हार्स पावर के कनेक्शन होंगे, वहां प्रस्तावित राशि न्यूनतम् मांग पत्र के ऊपर 15 हजार रूपये की होगी। आपने जो 19 गांवों में निर्धारित हार्स पावर की बात कहीं थी, बीकानेर के 19 गावों की बात कही थी, वे 40 हार्स पास के हैं, केवल वहीं पर 40 हार्स पावर के मांग पत्र दिये जा रहे हैं। यदि उन गांवों में भी वास्तविक हार्स पावर 30 एच.पी. हैं तो 30 हार्स पावर का ही मांग पत्र दिया जाएगा।

फिर आपने और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी लिग्नाइट की बात की थी, तो लिग्नाइट में बरसिंहसर और नैवेली कारपोरेशन द्वारा 125 मेगावाट की जो 2 इकाइयां लगाने की योजना है, वह कैबिनेट कमेटी में इकोनोमिक अफेयर्स की स्वीकृति के लिये विचाराधीन है। वर्तमान में इसकी प्रगति के लिये, अभी ऊर्जा सचिव कोयला सचिव से भी मिलकर आये हैं। उन्हें जानकारी दी गयी है कि यह परियोजना शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। यह कल की बात है।

ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रिड सिस्टम को भी हम लोग ठीक करने की कोशिश में हैं। निजी क्षेत्र के लोगों को भी उसमें आकर्षित करने की हम कोशिश करेंगे। पावर ग्रिड से पश्चिमी राजस्थान में ग्रिड सिस्टम विकसित कराने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर कैप्टिव पावर प्लाण्ट की बात आयी। कैप्टिव पावर प्लाण्ट के बारे में हमने अपने बजट भाषण के अन्दर बात रखी थी। परन्तु फिर हम यह कहना चाहेंगे कि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कुछ तो बिजली कम्पनियों के द्वारा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है और बिजली कम्पनियों द्वारा डिफरेण्ट कैटेगरी आफ एण्ड यूजर्स है, उनके लिये अलग-अलग दरें वसूल की जाती हैं, अतः एक प्रकार से लेबल प्लेन फील्ड बनाने की हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि ऐसी इकाइयां जो स्वयं बिजली का उत्पादन कर रही हैं, उनको भी समान स्तर पर लाया जाए। स्व उत्पादक जो बिजली है, उस पर थोड़ा-सा विद्युत शुल्क लगाने की हमने घोषणा की है। इस विद्युत शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि को वितरण कम्पनियों को दिया जाएगा, डाइरेक्टली टू बी सब-वैंटेड, ताकि कम्पनियों द्वारा जो कोयले और डीजल में वृद्धि हुई है उसकी आंशिक भरपाई वे कर पाएं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है। माननीय सदस्य नेता विपक्ष ने और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्या ने भी दरा की बात रखी। हाड़ौती सर्किट की भी बात रखी। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा और इम्पार्टेण्ट एरिया है और मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी महत्व दिया जा रहा है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के सिद्धान्त पर हम लोगों को कई प्रोजेक्ट हाथ में लेने हैं, जैसे जलमहल है, जैसे इण्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जैसे उदयपुर के अन्दर रोप-वे है, जैसे इण्टरनेशसनल गोल्फ रिपोर्ट, जयपुर के अन्दर है, तिजारा के अन्दर फोर्ट है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। एडाटहर मोन्यूमेन्ट्स स्कीम इसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसको हाथ में लेने की बात है ताकि बहुत सारे मोन्यूमेन्ट्रस का रख-रखाव अच्छी तरह से हो जाए। हैरिटेज ट्यूरिज्म को बढ़ावा देना-सभी जिलों में हैरिटेज प्रापर्टीज की इन्वेंटरी हम लोग तैयार करने की सोच रहे हैं ताकि उनका प्रचार-प्रसार अच्छी तरह से हो। निजी क्षेत्र से उसके अन्दर इन्वैस्टमेन्ट हम लोग आमन्त्रित कर रहे हैं ताकि किले, महल, हवेलियां और अन्य सम्पत्तियों का रख-रखाव हम अच्छी तरह से कर सकें और उनको आगे बढ़ावा दे सकें। इसमें भरतपुर सम्भाग के कई लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी। बाड़ी की भी बात रखी, धौलपुर के तलाब शाही की भी बात रखी और भरतपुर के मन्दिरों की भी बात रखी। उसमें डीग के महलों की भी बात है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यानि बहुत सारी वहां हमारी सम्पदा है जिसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। मैं तो आपसे सहमत हूं क्योंकि अब राजस्थान अपना है। जैसा आपने भी कहा कि आप खाली अपने धौलपुर क्षेत्र के अन्दर, अपने क्षेत्र के अन्दर कन्सन्ट्रेट नहीं कर रहे थे, पूरे राजस्थान को अपने हाथों में आपने लिया था। उसी तरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। परन्तु साथ-साथ हाड़ौती के सर्किट को भी और धौलपुर के सर्किट को भी, भरतपुर के एरिया को भी हम लोग प्रोत्साहन देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी तरह से उनको नजरन्दाज नहीं करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं। इसको आगे लाने की कोशिश करेंगे।

इसी तरह से सब लोगों ने चिन्ता जताई, जिसमें विपक्ष के नेता श्री कल्ला साहब, माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य और मदनजी राठौड़ इन सबने यह कहा कि भाई रोजगार उपलब्ध होगा तो कहां से उपलब्ध होगा और कैसे-कैसे उपलब्ध होगा, यह हमें बताया जाए। तो मैंने इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से अपने बजट भाषण के अन्दर आप लोगों को बताया है। रोजगार सृजन का पूरा भाग उसी के ऊपर हमने रखा है। कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य हो, वन हो, सहकारिता हो, पर्यटन हो, खनिज हो, उद्योग हो, इन सब क्षेत्रों के अन्दर रोजगार सृजन दृष्टि से हमने विशेष बल दिया है। उद्योग विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के द्वारा 72 हजार लोगों को रोजगार, खादी में 15,400 लोगों को, रीको और आर.एफ.सी. द्वारा दस हजार लोगों को, इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा, यह हमारी कोशिश है।

आपने स्वावलम्बन की बात कही, हमने स्वावलम्बन योजना शुरू की है जिसके माध्यम से पांच हजार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। वन विभाग की योजनाओं में 30 हजार श्रमिकों को प्रति दिन अपने नियोजित कर सकेंगे। सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से 204 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन हो सकेगा। खनिज और खनन में चालीस हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार व एक लाख व्यक्तियों को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के अन्दर 1200 लोगों को प्रथम वर्ष में और सैकिण्ड ईयर में 2000 लोगों को हम रोजगार देने की कोशिश करेंगे। माइन्स की बात हुई की माइन्स हमारी इतनी सम्पत्ति है, इस सम्पत्ति को हम लोग इस तरीके से और क्या करने जा रहे हैं ? मैं समझती हूं कि पिछली बार भी इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ बात कही। माननीय मंत्रीजी ने इस चर्चा के अन्दर भाग लेकर कहा कि हम लोगों ने क्या-क्या किया है इसलिए मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो-जो खानों को बन्द कर दिया गया था, उसमें से आधी से ज्यादा खानों को हम लोगों ने फिर से खोल दिया है। हमारी कोशिश यह है कि कोर्ट के साथ इन लोगों की मदद करके जो सर्टिफिकेट इनको लेने हैं, एन.ओ.सीज. लेकर और दिल्ली में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से बात करके जल्दी से जल्दी खुलवाने की हम लोग कोशिश करेंगे।

करगिल लड़ाई की बात माननीय सदस्य जो बैराठ से आते हैं उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि लड़ाई के पूर्व के शहीदों की, सैनिकों की विधवाओं को आप लोगों ने एक पैकेज के रूप में नौकरी देने का प्रस्ताव किया है, पर बाद के का क्या हुआ ? बैराठ से आये हुए माननीय सदस्य ने भी बात रखी, मैं यह बताना चाहूंगी कि करगिल की लड़ाई के बाद सैनिकों की जो विधवाएं हैं, उनको स्थाई रूप से नि:शक्त सैनिकों में, उनके एक-एक आश्रित को नौकरी दी जा रही है। मैं मानती हूं कि जिस-जिस जगह के अन्दर उनके स्टेच्यू वगैरह बने गये हैं, उनका रख-रखाव, उनकी सफाई वगैरह करना भी जरूरी है। मैं समझती हूं कि जिस गांव के अन्दर वे स्टेच्यू हैं, उस गांव के अन्दर के लोग भी बड़े सम्मान के साथ उनको सम्भालते हैं, उनको देखते हैं और उन स्टेच्यू की भी सफाई वगैरह करने में वे पीछे नहीं हटे। गांव वाले तो करते ही है, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने इस सुविधा में अब इस वर्ष से सभी शहीदों के परिवारों को सम्मिलित कर दिया है। उसमें जिनकी मृत्यु या स्थाई रूप से नि:शक्त की घटना 1971 के युद्ध से करगिल युद्ध के बीच तक हुई थी, उनको भी इसके अन्दर जोड़ लिया गया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय सदस्य भरतसिंहजी ने पाम आयल के ऊपर और सरसों की पैदावार के बारे में बात की। वे हैं नहीं, जब मिलेंगे तो उनकी बात को मैं बता दूंगी। मार्केटिंग बोर्ड के बारे में भी उन्होंने बात रखी। माननीय सदस्य श्री बैद साहब का फेवरिट टापिक है, तारानगर से आये हुए माननीय सदस्य का फेवरिट टापिक है एम.आर.पी. के ऊपर, उन्होंने दवा खुदरा बिक्री और वह सब कहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने अपने बजट भाषण के अन्दर पूरी तरह से विस्तृत तरीके से अपनी बात रखी थी और आज भी माननीय चिकित्सा मंत्री ने उसका पूरा खुलासा किया, माननीय पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी उसके बारे में बात कही। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगी, एक एग्जाम्प्ल देकर, कि मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जो एस.एम.एस. के अन्दर है, ग्लूकोज बोतल का एग्जाम्प्ल है, ग्लूकोस बोतल किस प्राइस के ऊपर बिकती थी और मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी ने एस.एम.एस. के अन्दर उसको अपने हाथ में लिया तो प्राइसेस कैसे नीचे गये ? यह भी बताना चाहूंगी कि लाइफ सेविंग् ड्रग्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दिल्ली ने तो अभी-अभी टैक्स हटाया है, हम लोगों ने तो बहुत दिन पहले ही वह टैक्स हटा लिया था। हरियाणा में जिसकी बात आपने की, उसके लिए मैं यह बताना चाहूंगी, सच तो यह है कि वैट लग गया हरियाणा के अन्दर. और उसके पहले थोड़े दिनों के अन्दर जो यह लगाया था उसके अन्दर 25 परसेन्ट राजस्व में वृद्धि हुई। ये उनके फैक्ट्स एण्ड फिगर्स हैं उसको एक दफा आप जरूर देख लीजिए।

इसके साथ ही माननीय सदस्य जो नाथद्वारा से आते हैं, उन्होंने कहा कि गैर विकास व्यय कम कर दिया और सामाजिक सेवाओं के अन्दर भी। इसकी भी बात मैंने पहले आपके सामने रखी थी। मैं फिर से यह कहना चाहूंगी कि चालू वर्ष के अन्दर सामाजिक सेवाओं में गत वर्ष से 782 करोड़ 44 लाख रूपये का अधिक प्रावधान किया गया है, तो इस सैक्टर पर हमने पूरी तरह से ध्यान दिया है।

माननीय सदस्य जो बूंदी से आते हैं, उन्होंने चम्बल कमाण्ड एरिया के बारे में कुछ प्रावधान की बात रखी। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अन्दर चम्बल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सिंचित क्षेत्र विकास में 4 हजार हैक्टेयर अनफार्म डवलपमेन्ट का हमने लक्ष्य रखा है जो पिछले वर्ष से अधिक है और इसी के अनुरूप मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए बजट में प्रावधान भी हमने रखा है। माननीय सदस्य जो बैराठ से आते हैं, उन्होंने बी.पी.सी. डोर, विण्डो प्रोफाइल्स पर टैक्स की दर के सरचार्ज की बात 9 परसेन्ट से बढ़ाकर जो 12 परसेन्ट कर दिया है, उसके बारे में बात रखी थी। हमने कर की दरों को राउण्ड आफ करते समय पी.वी.सी. डोर, विण्डोज एण्ड प्रोफाइल्स की दर 12 परसेन्ट अधिसूचित कर दी है। अब उद्योग समूह द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर हमने कर की दर को घटाकर 9 परसेन्ट अधिसूचित कर दिया है और यह अधिसूचना 26 जुलाई, 2004 को गजट में प्रकाशित कर दी गयी है।

श्री जुबेर खान : इतने मंत्री तो सोते रहते हैं। आपके मंत्रीगण।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे ध्यान से सुन रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इन्होंने इतना सारा काम किया हुआ है, इसी वजह से थोड़ा-सा। आप पूछ रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपका भाषण नहीं सुन रहे हैं। आठ आदमी झपकी ले रहे हैं, आठ मंत्री फ्रंट रो में। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका भाषण बुरा लग रहा है इन्हें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अब मैं क्या बताऊं कि कितने लोग ले रहे थे, इतने-इतने घण्टे में ? इसका तो अपन क्या कहें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका भाषण बुरा लग रहा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आटोमोबाइल के बारे में। आटोमोबाइल वोडी के ऊपर.....(व्यवधान) इनको सबको मालूम है, मैं बात आपको समझा रही हूं। आटोमोबाइल बाडी के ऊपर जो टैक्स की दर को 4 परसेन्ट से बढ़ाकर 5 परसेन्ट कर दिया गया है, उसके ऊपर भी माननीय सदस्य श्री मोहनजी गुप्ता ने बात रखी थी। यह पूर्व 4 परसेन्ट की दर से विक्रय कर देय था परन्तु इस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पर सरचार्ज देय नहीं था। यह मानते हुए कि आटोमोबाइल बाडी पर सरचार्ज लगाया जाता है, विक्रय कर की दरों को हमने राउण्ड आफ करते समय 5 प्रतिशत प्रस्तावित कर दिया था। उद्योग समूह ने जब हमारे पास प्रार्थना-पत्र भेजा इसके बारे में तो हमने पुनः कर की दर को 4 प्रतिशत कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी 26 जुलाई को निकाल दिया है।

रामगंज मण्डी से आये हुए माननीय सदस्य ने आयरन इन्गट्स और स्टील इन्गट्स के बारे में कहा बजट भाषण में हमने स्पष्ट किया था कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाया गया है और आयरन इन्गट्स और स्टल इन्गट्स पर प्रवेश कर लगाया गया था। उसके स्थान पर अब स्टील स्ट्रक्चर, स्टील बाथ और टी.एम.टी. पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर हमने लगाया है और इस बारे में अब उद्योग से कोई शिकायत नहीं है।

कोयला पर जो एण्ट्री टैक्स था जिससे कैप्टिव पावर प्लाण्ट्स को परेशानी हो रही थी, बजट में सभी प्रकार के इण्डस्ट्रियल फ्यूल्स पर एण्ट्री टैक्स हमने लगाया था और कोयला और लिग्नाइट पर लगने वाले टैक्स को हमने कर मुक्त कर दिया है। इसके बारे में वांछित नोटिफिकेशन भी हमने जारी कर दिया हैं। इससे कोयला और लिग्नाइट का प्रयोग करने वाले जो कैप्टिव पावर प्लाण्ट्स हैं, उनकी सबकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी।

अब कोटा स्टोन, निम्बाहेड़ा स्टोन और मार्बल टाइल्स, स्लैब के बारे में चिराई से पूर्व जो पर्चेज टैक्स चुकाया जाता है, क्रय कर की वर्तमान दर अभी तीन प्रतिशत है। लम्बे समय से यह मांग रही है कि क्रय कर की दर को हम कम करेंगे। इन उद्योगों को वास्तविक राहत प्रदान करने की दृष्टि से कोटा स्टोन, निम्बाहेड़ा स्टोन और मार्बल टाइल्स और स्लैब के ऊपर 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में जो ड्यू टैक्स 3.45 प्रतिशत सरचार्ज सहित था हमने घटाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित किया है। यह भी कहना चाहूंगी कि यह तो किया ही किया, पर इसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से किया गया है। मैं समझती हूं कि इससे बहुत कुछ लाभ उनको होगा। रियायती दरों का लाभ लेने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के लिये व्यवहारियों को उक्तानुसार देय जो बकाया कर है, वह 30 सितम्बर, 2004 तक भुगतान करना पड़ेगा। भविष्य में कोटा स्टोन, निम्बाहेड़ा स्टोन और मार्बल टाइल्स, स्लैब पर क्रय कर एक प्रतिशत की दर से देय होगा। मुझे विश्वास है कि इससे पत्थर उद्योग को भारी बढ़ावा मिलेगा।

फिर विद्युत शुल्क 125 के.वी. से अधिक क्षमता के जो कैप्टिव पावर प्लाण्ट्स हैं उनके ऊपर उत्पादित विद्युत पर 25 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित शुल्क लगाया गया है। अब सीमेन्ट उद्योग, टैक्सटाइल उद्योग, रासायनिक उद्योग और ऐसे कई अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों ने कैप्टिव पावर प्लाण्ट्स पर निर्धारित शुल्क कम करने की मांग की। मैंने बजट प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया था कि ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो विद्युत वितरण कम्पनियों से विद्युत क्रय कर रही हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिये कैप्टिव पावर जनरेशन सैट कर निर्धारित शुल्क लगाया जाए। यह भी स्पष्ट किया है कि इस विद्युत शुल्क से प्राप्त समस्त राशि को सववेन्ट किया जाएगा टू दी कम्पनीज ताकि केन्द्रीय कम्पनियों द्वारा जो वृद्धि हुई है, उसको आफ-सैट कर सकें। उद्योग संगठनों की मांग को देखते हुए हम प्रस्तावित करते हैं कि 125 के.वी. से अधिक क्षमता के जो कैप्टिव पावर जनरेशन सैट्स हैं, उनके द्वारा उत्पादित प्रथम पांच करोड़ यूनिट प्रति वर्ष पर 20 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क देय होगा और पांच करोड़ यूनिट प्रति वर्ष से अधिक उत्पादित विद्युत शुल्क पर 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत शुल्क देय होगा और यह वर्ष की गणना 01 अगस्त, 2004 से की जाएगी। नई दरें 01 अगस्त, 2004 से प्रभावी होंगी।

वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजों के अन्दर आप लोगों ने सीटें आरक्षित की हुई हैं, बसों के अन्दर है, आपने यह कहा था कि अन्धों के साथ एक और आदमी के लिये सीट आरक्षित कर दी जाए। मैं समझती हूं इसको मानने में कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। उनको अगर मदद मिलेगी तो मान लिया जाएगा। मैं समझती हूं आप खुश तो हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो कथनी और करनी है उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। जो स्कीम्स हमने अपने बजट के अन्दर घोषित की हैं उनका हमने पूरी तरह से बजट के अन्दर प्रावधान किया है। इस सदन के माध्यम से मैं सबको, राज्य की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने हमारे सब बजट प्रावधान के ऊपर, प्रस्तावों के ऊपर गौर किया और हम सब की, सरकार की सराहना की। माननीय सदस्यों ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर बहुत जोरदार विचार किया और वित्तीय प्रबन्धन की सम्भावित कठिनाइयों से हमको पूरी तरह से आगाह किया। इसके लिये मैं पूरी तरह से उन सबका आभार प्रकट करना चाहूंगी। हम ने हमारे बजट प्रस्तावों और भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको तैयार किया है और मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से और जनता के समर्थन से हम विकसित राज्य की परिकल्पनाओं का साकार कर सकेंगे। क्योंकि शेर-शायरी का दौर यहां कम नहीं हुआ, और क्योंकि विपक्ष के नेता, माननीय कल्ला साहब ने भी यह बात कही, तो मैंने भी यह सोचा कि पीछे क्यों रहा जाए, जब इतना सब कुछ कर लिया है तो एक आपके नाम पर और पूरे सदन के नाम पर है :-

"अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है।
कुछ परिन्दों का अभी इम्तिहान बाकी है।
अभी तो सिर्फ पर्वतों को लाघां है,
अभी सामने एक आसमान बाकी है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद के बाद कुछ जरूरी बातों पर कुछ प्रश्न हैं.....(व्यवधान) आपने नान प्लान का 500 करोड़ रूपया प्लान में कैसे दिखाया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको तीन बार बता सकती हूं जिन सालों के अन्दर बिना किसी प्रश्न का जवाब दिये। पारित करवाया गया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहाडिया जी चीफ मिनिस्टर थे, भैरोसिंह जी ने उनसे कम से कम दस सवाल पूछे होंगे.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बी.ए.सी. में तय हो गया था। यह कार्य सलाहकार समिति में बात हो गयी थी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई तय नहीं हुआ। मैंने बी.ए.डी.पी. का सवाल उठाया था, अब आप बताइये, बजट के बारे में बी.ए.डी.पी. में पिछली बार पांच साल में एक भी पैसा नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको बताने से कोई फायदा नहीं है।..... (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : हो गया। हो गया।

श्री अध्यक्ष : और एक और बताती हूं आपको, बिना प्रश्न के, जवाब के कई बार हुआ है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 पारित किया गया। सदन की बैठक गुरूवार, दिनांक 29 जुलाई, 2004 के प्रातः 11. बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.48 बजे गुरूवार; 29 जुलाई, 2004 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

दूदू के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

335. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को दिन में कितने घण्टे विद्युत प्रदान करने की घोषणा की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सराकर द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घंरेलू उपभोक्ताओं को घोषणा अनुसार विद्युत् नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के किस-किस ग्राम को विद्युतीकृत कर दिया गया व किस-किस ग्राम को विद्युतीकृत किया जाना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अविद्युतीकृत ग्रामों को सरकार कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अनुसूचित जाति के परिवार वालों से घरेलू तथा कृषि उपयोग में ली जाने वाली राशि में रियायत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पूरे राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को 6 घण्टे थ्री फेज सप्लाई 3 ब्लाकों में (रात्रि 11 बजे से 5 बजे, प्रातः 5 बजे से 11 बजे एवं दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक) देने का प्रावधान है। पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं को सायंकाल 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक एवं जिल क्षेत्र में थ्री फेज सप्लाई का ब्लाक रात्रि का होता है वहां दिन में 11 बजे से 5 बजे तक सिंगल फेज सप्लाई देने का प्रावधान था। पूरे उत्तरी भारत में वर्षा की कमी,

(ऊर्जा मंत्री)

विभिन्न विद्युत गृहों की ईकाइयासें के वार्षिक रखरखाव के लिये बन्द होना एवं गर्मी के कारण मांग बढ़ जाने से उत्तरी ग्रिड में विद्युत उपलब्धता में कमी आ जाने से शहरी क्षेत्रों में विद्युत कटौती लागू की गई है जिससे कि कृषि के उपयोग में लिये तीन ब्लाक में 6 घंटे तथा ग्रामीण घरेलू उपभोग के लिये 4 घण्टे सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक सुनिश्चित की जाती है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र दूदू में भी उपरोक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्धतानुसार की जाती है। तथापि जिस क्षेत्र के कृषकों के द्वारा सिंगल फेज सप्लाई के दौरान केपेसिटर लगाकर फेज स्प्लिटिंग कर अपने कुएं की मोटरें चलाई जाती हैं उस क्षेत्र के सब-स्टेशनों पर स्थापित पावर ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक भार आने पर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आता है। अन्यत्र नहीं।

(3) सन् 1991 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र दूदू के सभी ग्राम विद्युतिकृत घोषित हैं। किन्तु 21 ग्राम ऐसे हैं जिनमें विद्युत तन्त्र नहीं है। उनमें से 9 ग्राम गैर आबाद हैं, 8 ग्रामों में किसी भी श्रेणी में कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं तथा एक ग्राम खाजूपुरा के ग्रामवासियों से सब-स्टेशन एवं लाईन खींचने में विवाद के कारण निगम अधिकारियों के अथक प्रयास के पश्चात् भी विद्युत तन्त्र स्थापित नहीं किया जा सका। ग्राम नगरी, खेड़ी सुवा व सोरठा का बास में विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु वांछित विद्युत तन्त्र स्थापित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त 21 ग्रामों की सूची प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(4) ग्राम नगरी, खेड़ी सुवा व सोरठा का बास में घरेलू तथा कृषि श्रेणी के कनेक्शन देने हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं। इन पर नियमानुसार कार्यवाही कर कनेक्शन जारी करने हेतु वांछित विद्युत तन्त्र की स्थापना शीघ्र ही की जावेगी।

(5) जी हां। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को जो एक बत्ती घरेलू कनेक्शन के लिए चिन्हित हों, उन्हें उक्त कनेक्शन नि:शुल्क देय है। कृषि कनेक्शन हेतु अनुसूचित जाति के आवेदनकर्ताओं को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी में कनेक्शन देय हैं जबकि कृषि कनेक्शन हेतु अन्य जाति के आवेदनकर्ताओं को

(ऊर्जा मंत्री)

शीघ्र कनेक्शन केवल फार्महाउस श्रेणी में देय है। इस प्रकार कृषि कनेक्शन हेतु अनुसूचित जाति के आवेदकों को दी गई राहत का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

दूदू विधान सभा क्षेत्र के अधीनस्थ अविद्युतीकृत ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	पंचायत समिति	विद्युतिकृत घोषित की तिथि	जन संख्या	विशेष विवरण
1.	जसपुरा	9-6-25	दूदू	19-2-83	458	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं
2.	बेनी खेड़ा	9-6-33	"	30-3-89	346	"
3.	नोल्था	9-6-47	"	8-5-69	391	"
4.	सोरठाकाबास	9-6-80	"	21-1-73	471	21 घरेलू आवेदन पत्र 2/04
5.	खाजपुरा	9-6-20	"	27-2-93	219	46 घरेलू + 3 कृषि आवेदन पत्र 29-7-2001
6.	नगरी	9-6-60	"	31-3-91	374	36 घरेलू आवेदन पत्र 17-4-1999
7.	बालापुरा	9-6-65	"	डीम्ड इलेक्ट्रीफाइड	413	नवसृजित गांव (ग्राम सेवा से) आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए।

1	2	3	4	5	6	7
8.	दयालपुरा	9-6-120	दूदू	डीम्ड इलेक्ट्रीफाइड	320	"
9.	ढ़ाणीनंदा	9-6-120	"	डीम्ड इलेक्ट्रीफाइड	654	"
10.	ढाणीनाचियान	9-6-120	"	डीम्ड इलेक्ट्रीफाइड	332	"
11.	मूगीथला	9-6-120	"	डीम्ड इलेक्ट्रीफाइड	319	"
12.	चक जासनोता	9-6-101	"	31-3-79	-	गैर आबाद
13.	बाढ़ ककराला	9-6-117	"	31-12-85	-	गैर आबाद
14.	चकमीरापुरा	9-6-133	"	31-3-91	-	गैर आबाद
15.	चक झाग	9-6-141	"	23-3-91	-	गैर आबाद
16.	चक दूदू	9-6-143	"	31-3-79	-	गैर आबाद
17.	तन झाग	9-6-45	"	31-3-79	-	गैर आबाद
18.	तन छापरवाड़ा	9-6-67	"	29-12-92	-	गैर आबाद
19.	चक महेशपुरा	9-6-72	"	31-3-79	-	गैर आबाद
20.	गोठड़ा	9-6-59	"	31-3-91	-	गैर आबाद
21.	खेड़ीसुवा	9-6-29	"	28-2-91	670	36 घरेलू 17-12-1999

नोट :- 1. ग्राम खाजपुरा के ग्रामवासियों में सब-स्टेशन एवं लाइन खेंचने के विवाद के कारण विद्युत तन्त्र की स्थापना का कार्य नहीं किया जा सका।

2. ग्राम नगरी एवं खेडी सुवा व सोरठा में भी लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत तन्त्र विद्यमान नहीं है।

परिशिष्ट-"ब"

कृषि कनेक्शन हेतु अनुसूचित जाति के आवेदकों को दी गई राहत का विवरण

क्र. सं.	मद	अनुसूचित जाति के आवेदक से सामान्य श्रेणी में ली जाने वाली राशि (राशि रूपयों में)	अन्य जाति के आवेदकों से फार्म हाउस श्रेणी में ली जाने वाली राशि (राशि रूपयों में)	राहत
1.	आवेदन शुल्क	75/-	250/-	175/-
2.	अग्रिम राशि	250/-	5000/-	
3.	मांग पत्र राशि			
	10 हा.पा. तक इसके बाद	3500/- प्र.हा.पा.	8000/- प्र.हा.पा.	
	20 हा.पा. तक उससे अधिक हेतु	1000/- प्र.हा.पा.	2000/- प्र.हा.पा.	
		750/- प्र.हा.पा.	2000/- प्र.हा.पा.	
4.	मांग पत्र राशि न्यूनतम	25000/-	50000/-	

मगरा विकास परियोजना की स्वीकृति

336. **श्री हरीसिंह रावत (भीम) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मगरा विकास परियोजना की घोषणा कर नाथद्वारा, देवगढ़, आमेट, भीम, जवाजा, मांडल, रायपुर तथा मसूदा पंचायत समिति क्षेत्रों के विकास के लिए 10 लाख की राशि के उक्त क्षेत्र के सर्वे करने का प्रावधान किया गया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य किसी निजी संस्था से करवाया गया ? यदि हां, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्वे के बाद अब तक इस बहु-उद्देशीय मगरा विकास योजना को स्वीकार नहीं करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार इस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक उत्थान करने के लिए इस योजना को कब तक स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मगरा क्षेत्र विकास के लिए वर्ष 2000-01 में माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुरूप इस योजना के लिए यद्यपि 10.00 लाख रूपये का बी.एफ.सी. में प्रावधान किया गया था। परन्तु यह प्रावधान उक्त क्षेत्र के सर्वे के लिए नहीं था, जिसे बाद में आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक 10(24)/आयोजना/अनु.-5/2000 दिनांक 16-2-2001 द्वारा शून्य कर दिया गया।

अरावली संसथा द्वारा शुद्रक (SUDRAK) नामक उदयपुर की संस्था के सहयोग से कराये गये सर्वे की रिपोर्ट संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) राज्य के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुये मगरा विकास योजना के लिये बजट उपलब्ध नहीं कराये जा पाने के कारण यह योजना स्वीकार नहीं की गई।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(3) उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल इस योजना को स्वीकार करने का सरकार का कोई विचार नहीं हैं। (रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा आखलियों के आबंटन में अनियमितता

337. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा पिछले पांच वर्षों में जोधपुर में आखलिया क्षेत्र के किरायेदारों को आखलिया के पट्टे जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो किन-किन को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पट्टे आखली रिक्त नहीं होने के उपरान्त भी फेरबदल कर जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो ऐसे आवण्टन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसे मामले जो कि न्यायालय में लम्बित हैं उनमें भी न्यास द्वारा पट्टे ज़ारी किए गए हैं ? क्या उससे न्यास की स्थिति न्यायालय में प्रभावित नहीं होगी ? ऐसे मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा पिछले पांच वर्षों में आखलिया क्षेत्र में 127 व्यक्तियों को आखली क्षेत्र में पट्टे परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जी नहीं। ऐसे मामलों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र

338. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर अत्यन्त खारे पानी, रेतीला व बार-बार पड़ने वाले सूखे से ग्रस्त रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी केन्द्र बहुत ही कम संख्या में खुले हुए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुपोषण से शिकार क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कम से कम प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी। हां।

(2) जी। नहीं। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र संपोषित है तथा भारत सरकार के नार्म्स अनुसार स्वीकृत सभी केन्द्र खोले जा चुके है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्र आबाद राजस्व ग्रामों में ही खोले जाते है। भारत सरकार द्वारा औसतन एक हजार की आबादी पर एक केन्द्र खोला जाता है। यदि भारत सरकार से अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त होती है तो उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र रहित ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जावेगा।

बारां जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन

339. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1991 में जिला बारां बनाने के पश्चात् से अब तक कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(2) कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कब-कब से दुध संग्रहण का कार्य कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बारां जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जिला कोटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत ही कार्य कर रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या बारां जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां एवं जिला कलक्टर में भी विभाग को संघ के गठन का प्रस्ताव भिजवाया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार बारां जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिले में अब तक 51 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई हैं, सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी हां। चूंकि यह कोटा संघ की समितियां ही है।

(4) जी हां। कोटा जिला दुग्ध संघ से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का पृथक से संघ में गठन किया जाना वितीय रूप से उचित नहीं होगा।

(5) वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

बारां ज़िले में गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ समिति की सूची एवं दुग्ध संकलन प्रारम्भ करने की तिथि

क्रमांक	नाम समिति	दुग्ध संकलन प्रारम्भ करने की तिथि
1.	गरडा	21-9-2001
2.	मेहरावदा	25-07-2002
3.	रिलावन	21-09-2001
4.	छिनोद	21-09-2001
5.	सूण्डा	06-10-2000
6.	हलावनी	11-11-2000
7.	जन्मझुरी	06-10-2000
8.	जैतपुरा	06-10-2000
9.	छत्तरगंज	06-10-2000
10.	खल्दी	06-10-2000
11.	लक्ष्मीपुरा	06-10-2000
12.	जैसवा	06-10-2000
13.	भंवरगढ़	06-10-2000
14.	वारथूनी	06-10-2000
15.	कोटीखेड़ा	11-11-2000
16.	ढिकोनिया	06-10-2000
17.	काकरदा	11-11-2000
18.	गोरधनपुरा	11-11-2000
19.	बकनपुरा	21-07-2001

क्रमांक	नाम समिति	दुग्ध संकलन प्रारम्भ करने की तिथि
20.	गढावली	01-04-2001
21.	रामगढ़	21-09-2001
22.	करवरीकला	11-09-2001
23.	श्रीपुरा	01-04-2002
24.	सीमली	21-12-2001
25.	सिगरी	21-06-2002
26.	उम्मेदपुरा	21-09-2001
27.	करणपुरा	16-08-2002
28.	किशनगंज	30-04-2003
29.	केदार कुई	06-10-2000
30.	अजरोन्डा	01-08-2001
31.	ऊनी	11-06-2001
32.	चण्डालिया	11-11-2000
33.	खटका	01-08-2001
34.	सीताबाड़ी	06-01-2000
35.	सिसवाली	11-09-1984
36.	बम्बूलिया माताजी	11-02-1987
37.	रताडिया	31-04-1988
38.	माल बम्बोरी	11-03-1990
39.	भटवाड़ा	11-03-1990
40.	रायथल	21-12-2001
41.	मूण्डला	21-12-2001

क्रमांक	नाम समिति	दुग्ध संकलन प्रारम्भ करने की तिथि
42.	ईश्वरपुरा	19-02-2003
43.	ऊदपुरिया	25-09-2003
44.	पचेलकला	29-01-2004
45.	मुसाई गुजरान	22-03-1991
46.	कुन्जेड	01-01-2001
47.	छजावा	21-11-2002
48.	दरा	21-11-2002
49.	खेरखेडा रामलोथन	21-11-2002
50.	उम्मेदगंज	21-11-2002
51.	महाराजपुरा	21-11-2002

देवली ग्राम (कोटा) में प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन

340. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम देवली, जिला कोटा में स्थित 33/11 के.वी.जी.एस.एस. से आस-पास के गांवों को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलता है एवं कृषि कार्य प्रभावित होता है

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम देवली, जिला कोटा में वर्ष 2000 में "बूम" योजना के तहत 132 के.वी.जी.एस.एस. बनाना प्रस्तावित था व इस कार्य हेतु जिला कलक्टर, कोटा के आदेश पर भूमि की अवाप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो ग्राम देवली में 132 के.वी.जी.एस.एस. कब तक बना दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन देवली जिला कोटा के आस-पास के गांवों में पर्याप्त वोल्टेज ने मिलने की कोई शिकायत लम्बित नहीं है। पूर्व में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु 33 के.वी. सब-स्टेशन बालूहेड़ा के बनने के बाद उक्त क्षेत्र में वर्तमान में वोल्टेज की कमी की कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

(2) जी हां। ग्राम देवली, जिला कोटा में 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण "बूम" योजना के तहत प्रस्तावित था जिसमें वे सभी योजनाएं सम्मिलित कर ली गई थी जिनकी आवश्यकता आगामी 8-10 वर्षों में हो सकती थी। व्यावहारिक प्रस्ताव प्राप्त न होने क कारण "बूम" योजना को आर्थिक एवं तकनीकी आधार पर परीक्षण उपरान्त निरस्त कर दिया गया।

आने वाले वर्षों में वास्तविक विद्युत मांग के आधार पर बने प्रस्ताव की जांच करने पर उसे तकनीकी आर्थिक दृष्टि से साध्य पाये जाने पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उस पर वांछित कार्यवाही की जावेगी।

बागोलिया (भीलवाड़ा) सरपंच, ग्राम पंचायत के विरूद्ध जांच प्रकरण

341. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत बागोलिया, पंचायत समिति, रायपुर (भीलवाड़ा) को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ट्रेप किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उक्त सरपंच का चालान पेश करने हेतु सरकार से अनुमति चाही थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार ने दोषी सरपंच का न्यायालय में चालान पेश नहीं कराकर उसे बहाल कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर अब दोषी सरपंच को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 24-12-2002 को ट्रेप किया गया था।

(2) जी हां। उक्त प्रकरण दिनांक 8-1-2004 को विभाग में प्राप्त हुआ है।

(3) जांच विचाराधीन रखते हुए दिनांक 26-2-2004 को बहाल किया गया।

(4) सरपंच के दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही यथा शीघ्र की जावेगी।

नगरपालिकाओं हेतु विशेष आर्थिक पैकेज

342. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में नगरपालिकाओं को चुंगी की एवज में पुनर्भरण राशि प्रति वर्ष पांच प्रतिशत बढ़ोतरी करके दी जाती थी जिसे बाद में

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि का पुनः पांच प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई विशेष आर्थिक पैकेज देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 की आय में 10% वृद्धि कर अगस्त 1998 से शहरी निकायों को चुंगी पुनर्भरण अनुदान दिया जाता रहा हैं। वर्ष 2000-01 तक 10% प्रतिवर्ष वृद्धि के साथ यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। किन्तु वित्तीय वर्ष 2001-02 से चुंगी पुनर्भरण अनुदान में 5% वृद्धि करते हुए अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष 2003-04 में चुंगी पुनर्भरण अनुदान की स्वीकृत राशि में 10% वृद्धि कर, राशि स्वीकृत की है, जो तदनुसार ही नगरीय निकायों को आवण्टित की जाने की सम्भावना है।

(2) वर्तमान में नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज देने का कोई विचार नहीं है।

निवाई (टौंक) में प्रस्तावित बस स्टैण्ड

343. **श्री हीरालाल (निवाई)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निवाई शहर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें कहां-कहां से संचालित होती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बसों के रूकने व यात्रियों की सुविधा के लिए निवाई शहर में उपयुक्त एवं सुविधायुक्त बस स्टैण्ड की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निवाई शहर में नया बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निवाई शहर मुख्य बस स्टैण्ड होकर निगम के विभिन्न आगारों द्वारा वर्तमान में दैनिक 200 एकल परिचक्र संचालित किए जा रहे हैं। आगारवार संचालित मार्गों एवं उनके सामने अंकित एकल परिचक्रों का विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम का स्वयं का निवाई शहर में नया बस स्टैण्ड बनाने की कोई योजना नहीं है। भविष्य में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर इस प्रकार के प्रकरणों पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-1

निवाई शहर होकर विभिन्न आगारों द्वारा मार्गवार संचालित एकल परिचक्रों का विवरण

क्र.सं.	आगार	मार्ग का नाम	संचालित एकल परिचक्र
1.	खेतडी	सिंघाना-रावतभाटा	1
		रावतभाटा-खेतड़ी	1
2.	तिजारा	तिजारा-चादखोडी	2
3.	टौंक	दिल्ली-कोटा	2
		सवाईमाधापुर-दिल्ली	1
		टौंक-फरीदाबाद	4
		टौंक-फिरोजाबाद	2
		टौंक-फर्रूखाबाद	2
		श्योपुर-जयपुर	1
		जयपुर-गुना	2
		जयपुर-कोटा	16
		टौंक-जयपुर	44
		जयपुर-टापुर वाया निवाई	2
4.	मत्स्यनगर	अलवर-टौंक	9
5.	झालावाड	इकलेरा-दिल्ली	1
		दिल्ली-पाटन	1
		पाटन-अलवर	2
		पाटन-जयपुर	6

1	2	3	4
		झालावाड़-जयपुर	2
		इकलेरा-जयपुर	2
		पिडावा-जयपुर	2
		झालावाड़-दिल्ली	2
6.	बारां	बारां-दिल्ली	2
		बारां-जयपुर	2
		बारां-अलवर	2
7.	कोटा	कोटा-दिल्ली	12
		कोटा-जयपुर	8
		कोटा-पिलानी	2
8.	बून्दी	जयपुर-ओंकारेश्वर	2
		कोटा-दिल्ली	6
		कोटा-गोर्वधन	2
		जयपुर-कोटा	3
		बून्दी-जयपुर	3
9.	भीलवाडा	भीलवाड़ा-जयपुर वाया देवली-निवाई	2
10.	जयपुर	जयपुर-इन्दौर	6
		जयपुर-भोपाल	2
		जयपुर-सवाईमाधोपुर	2
11.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं-कोटा	2
12.	सीकर	चूरू-कोटा	2
13.	वैशालीनगर	जयपुर-बोली वाया निवाई	8

1	2	3	4
		जयपुर-बनस्थली	21
		चतरपुर-जयपुर वाया निवाई	1
		जयपुर-जोधपुरिया वाया निवाई	2
14.	चित्तौड़	चित्तौड़-जयपुर वाया माडलगढ़-देवली -निवाई	3
		चित्तोड़-दिल्ली	1
15.	सांगानेर	सांगानेर थाना-निवाई	1
		निवाई-लालनिवास	1
16.	दौसा	दौसा-निवाई	2
		कुल	200
		इसके अतिरिक्त :	
		हरियाणा रोडवेज	2
		मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम	8
			10

राजफैड, श्री गंगानगर में राजफैड के प्रबन्धक संचालक द्वारा बारदाना क्रय में अनियमितताएं

344. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजफैड के श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष 1998-99 में भारतीय खाद्य निगम हेतु बारदाना बोरियां क्रय की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस फर्म/सप्लायर द्वारा कितनी मात्रा में किस दर से कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घटिया स्तर का बारदाना होने की जानकारी मिलने के बाद भी भी तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, राजफैड, जयपुर ने पूर्व में आरोपित फर्म को भुगतान करने के आदेश दिए ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि भारतीय खाद्य निगम के पास मई, 1998 के मध्य तक का बारदाना उपलब्ध होने एवं दिनांक 15 मई, 1998 को बी.टी. बारदाना हेतु टेण्डर आमन्त्रित किए हुए थे इसके बावजूद भी तत्कालीन प्रबन्ध संचालक व महाप्रबन्धक वित्त एवं लेखा ने बिना निविदा के पूर्व की फर्म से सप्लाई लेने का आदेश दिया जिससे राजकोष को लगभग 12 लाख रूपयों का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इसके जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी थे तथा उनके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? क्या सरकार इनसे नुकसान की राशि वसूली का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्री गंगानगर में उक्त प्रकरण का मुकदमा दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरूद्ध ? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच का विचार रखती है ? यदि हां, तो क़ब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजफैड के श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष 1998-99 में भारतीय खाद्य निगम हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद

(सहकारिता मंत्री)

के लिए बारदाना (बोरियां) क्रय किया गया था। क्रय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	फर्म/सप्लायर	मात्रा (बोरी)	दर प्रति बोरी	सप्लाई अवधि
1.	मै. स्नेह एन्टरप्राइजेज, श्रीगंगानगर	327000.00	24.11	दि. 14-5-1998 को 1,19,100 बोरी
				दि. 15-5-1998 को 1,67,400 बोरी
				दि. 19-05-1998 को 26,700 बोरी
				दि. 20-05-1998 को 3000 बोरी
				दि. 21-05-1998 को 900 बोरी
				दि. 23-05-1998 को 9900 बोरी
2.	मै. श्रीराम एन्टरप्राइजेज, जयपुर	2,04,000.00	20.26	दि. 23-05-1998 को 1,02,000 बोरी
				दि. 27-05-1998 को 66,000 बोरी
				दि. 28-05-1998 को 36,000 बोरी

(2) जी नहीं।

(3) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध बारदाना स्टाक व बारदाना निविदा के बारे में राजफैड को कोई जानकारी नहीं थी। जी नहीं। तत्कालीन

(सहकारिता मंत्री)

प्रबन्ध संचालक राजफैड द्वारा पूर्व में आमन्त्रित की गई निविदा की फर्म से ही बारदाना सप्लाई करने का आदेश दिया। बारदाना खरीद आदेश से राजकोष को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

(4) जी हां। कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर में उक्त प्रकरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) श्री युसूफ खान, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड, श्रीगंगानगर श्री आर.एन.अरविन्द, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, राजफैड, जयपुर श्रीमती उर्मिला जोशी, तत्कालीन महाप्रबन्धक, वित्त एवं लेखा, राजफैड, जयपुर, श्री रणवीर सिंह, लेखाकार, राजफैड, श्रीगंगानगर के विरूद्ध दर्ज की गई है। इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उल्लेख किया गया कि उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई अपराध गठित होना नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट को न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर द्वारा दि. 30-09-2002 को स्वीकार कर लिया गया।

बाड़मेर जिले में लम्बित कृषि कनेक्शनों हेतु "कट-आफ-डेट"

345. श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में कृषि प्रयोजनार्थ बिजली के कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना पत्र लम्बित हैं ? विकास खण्ड वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर के प्रत्येक विकास खण्ड में कृषि प्रयोजनार्थ बिजली के कनेक्शन हेतु "कट आफ डेट" क्या निर्धारित की गई ?

(3) वर्तमान निर्धारित "कट आफ डेट" से प्रत्येक विकास खण्ड में कितने-कितने कुओं/नलकूपों को विद्युत् कनेक्शन दिया जा सकेगा ?

(4) क्या विद्युत कम्पनी पूर्व में दिये गये नर्सरी/विशेष श्रेणी/हाउस गार्डन कनेक्शनों को साधारण कनेक्शनों में बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के अधीन जून 2004 तक श्रेणीवार एवं उपखण्डवार

(ऊर्जा मंत्री)

विचाराधीन कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या प्रपत्र-"अ" में संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में वर्ष 2004-05 के लिये पंचायत समितिवार कट आफ डेट निम्नानुसार है :-

1.	धोरीमन्ना	मार्च, 1994	5.	सिन्दरी	मार्च, 1995
2.	चौहटन	मार्च, 1995	6.	बाड़मेर	मार्च, 1999
3.	सिवाना	मार्च, 1994	7.	शिव	मार्च, 2000
4.	बालोतरा	मार्च, 1994	8.	बायतू	मार्च, 2001

(3) बाड़मेर जिले में वर्ष 2004-05 में कुल 1580 कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से वर्ष 2004-05 में माह जून 2004 तक 101 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। कट आफ डेट के अनुसार सभी श्रेणियों सहित कुल 2933 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनमें से 648 आवेदन पत्र स्पेशल/फार्म हाउस श्रेणी के हैं। प्रत्येक विकासखण्ड (पंचायत समिति) के अधीन लक्ष्य के अनुपात में ही कनेक्शन दिये जाने सम्भव है। कट आफ डेट के पंचायत समितिवार एवं उपखण्डवार लम्बित कनेक्शनों का विवरण प्रपत्र-"ब" पर संलगन है।

(4) दिनांक 01-04-2000 के उपरान्त स्पेशल श्रेणी एवं नर्सरी श्रेणी में जारी किये गये एवं इस श्रेणी में लम्बित भविष्य में जारी होने वाले समस्त कनेक्शनों को उनकी सामान्य श्रेणी की उसी गांव की वरीयता में नीचे वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से उन्हे सामान्य कृषि दर से बिलिंग कर दिये जाने का प्रावधान है। उक्त मापदण्ड में आने तक वर्तमान प्रभावी दर के अनुसार बिलिंग करने का प्रावधान है।

प्रपत्र-अ

बाड़मेर जिले के अधीन जून, 2004 तक श्रेणीवार एवं विकास खण्ड (उप खण्ड) वार विचाराधीन कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित प्रार्थना पत्रों की सूची

क्र.सं.	उप खण्ड का नाम	सामान्य	अनु. जाति	स्पेशल	फार्म हाऊस	योग
1.	बालोतरा	336	4	6	-	346
2.	पंचपवरा	78	2	-	-	80
3.	गुड़ामालानी	504	18	7	2	531
4.	सिणधरी	713	16	14	-	743
5.	सिवाना	1021	169	33	361	1584
6.	बाड़मेर	45	1	-	2	48
7.	बाड़मेर (ग्रामीण)	446	9	4	2	461
8.	शिव	739	6	4	2	751
9.	बायतू	359	3	-	1	363
10.	धोरीमना	2179	32	63	-	2274
11.	चौहटन	1047	75	147	-	1269
	योग जिला बाड़मेर	**7467**	**335**	**278**	**370**	**8450**

प्रपत्र-ब

बाड़मेर जिले के अन्तर्गत कट आफ डेट अनुसार विकास खण्ड एवं श्रेणी वार लम्बित कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्र. सं.	उप खण्ड का नाम	सामान्य	अनु. जाति	स्पेशल	फार्म हाऊस	योग
1.	बालोतरा	88	4	6	-	98
2.	पचपदरा	9	2	-	-	11
3.	गुड़ामालानी	138	18	7	2	165
4.	सिणधरी	364	16	14	-	394
5.	सिवाना	165	161	33	361	720
6.	बाड़मेर	6	1	-	2	9
7.	बाड़मेर (ग्रामीण)	118	9	4	2	133
8.	शिव	337	6	4	2	349
9.	बायतू	147	3	-	1	151
10.	धोरीमना	398	32	63	-	493
11.	चौहटन	188	75	147	-	410
	योग जिला बाड़मेर	**1958**	**327**	**278**	**370**	**2933**

प्रपत्र-ब

बाड़मेर जिले की वर्ष 2004-05 के लिये निर्धारित पंचायत समितिवार कट आफ डेट के अनुरूप दिये जाने वाले कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	प्रस्तावित कृषि कनेक्शनों की संख्या
1.	धोरीमन्ना	530
2.	चौहटन	22
3.	सिवाना	91
4.	बालोतरा	95
5.	सिन्दरी	334
6.	बाड़मेर	180
7.	शिव	242
8.	बायतू	159
		1653

भादरा (हनुमानगढ़) पंचायत समिति द्वारा करवाये विकास कार्यों में अनियमिताएं

346. **डा. सुरेश चौधरी** (भादरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला हनुमानगढ़ की भादरा पचायत समिति को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं में (वर्ष 1999 से अभी तक) कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत राशि से पंचायत समिति भादरा द्वारा किन-किन योजनाओं में क्या-क्या कार्य किन-किन एजेन्सियों द्वारा कब-कब करवाए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों का निरीक्षण किन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कब-कब ? क्या इसमें कोई अनियमितता पाई पाई ? यदि हां, तो क्या एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ की भादरा पंचायत समिति को विभिन्न विकास योज़नाओं में (वर्ष 1999 से अब तक) कुल प्राप्त राशि एवं पंचायत समिति भादरा द्वारा विभिन्न योजनाओं में करवाए गए विकास कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'अ' पर अवलोकननीय है।

(2) उक्त सभी विकास कार्यों का निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-सयम पर किया गया तथा कोई अनियमितता नहीं पाई गई। निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर अवलोकनीय है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण की विवादित आवासीय योजनाएं

347. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक बनाई गई कितनी आवासीय योजनाएं विवादित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) क्या इन विवादित योजनाओं में से आवेदकों की धनराशि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवेदन के साथ मांगे जाने के कारण जमा कर ली गई ? यदि हां, तो ऐसे किस-किस योजना के कुल कितने सफल आवेदकों से कितनी राशि ली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे सफल आवेदकों को अन्यत्र योजना बनाकर भूखण्ड आवण्टित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के निम्न आवासीय योजनाएं विवादित है

1. समूह आवासीय योजना हाथोज।

2. कल्पना नगर आवासीय योजना।

3. पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त योजनाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित है। माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे वाद के निर्णय होने के पश्चात् ही सफल आवेदकों को भूखण्ड आवण्टन करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 'अ'

सफल आवेदकों के वर्तमान जमा राशि का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	सफल आवेदकों की संख्या	सफल आवेदकों से प्राप्त कुल राशि (अमानता एवं नजराना)	रिफण्ड लेने वाले आवेदकों की संख्या	रिफण्ड की गयी राशि	वर्तमान में कुल जमा राशि
1.	समूह आवासीय योजना हाथोज	279	रूपये 4,72,43,495-00	-	-	रूपये 4,72,43.495-00
2.	पृथ्वीराज नगर योजना	3374	रूपये 14,03,15,867-00	436	रूपये 3,18,66,020-00	रूपये 10,84,49.847-00

निगम के घाटे की पूर्ति हेतु कार्य-योजना

348. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) एवं **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निजी वाहनों के अवैध संचालन, भ्रष्टाचार व अधिक लागत खर्च निगम के घाटे के प्रमुख कारण हैं ? यदि हां, तो इन पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ओर यदि नहीं, तो फिर कौन से कारण हैं ? जिनकी वजह से निगम निरन्तर घाटा हो रहा है ?

(2) निगम को लाभ में लाने के लिए विभाग की क्या कार्य-योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि निजी वाहनों के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बिना परमिट तथा परमिट शर्तों के उल्लघंन कर संचालन से निगम को घाटा हो रहा है परन्तु यह संचालन निगम के घाटे का एक मात्र कारण नहीं है। जहां तक अवैध संचालन पर रोक लगाने हेतु ठोस कदम उठाये जाने का प्रश्न है, विभाग सजग है तथा ऐसे वाहनों की चैकिंग विभाग में कार्यरत उडनदस्तों द्वारा नियमित रूप से की जाकर इनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। इन वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए समय-समय पर पूरे राज्य में परिवहन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संयुक्त जांच अभियान चलाए जाते हैं। वर्तमान में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित कर हर माह कम से कम 7 दिवस की अवधि का संयुक्त जांच अभियान नियमित रूप से चलाने जाने के निर्देश दिए हुए हैं।

निगम घाटे के अन्य कारण निम्न प्रकार हैं :-

(1) राज्य में बड़ी रेल लाइनों का विस्तार।

(2) डीजल की कीमतों में वृद्धि।

(3) संस्थापन खर्च का बढ़ना आदि।

(2) निगम को लाभ में लाने के लिए निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर उपलब्ध है।

<u>**परिशिष्ट-1**</u>

निगम को लाभ में लाने के लिये निगम द्वारा किये गये जा रहे प्रयास

(1) परिचालकों द्वारा बिना टिकिट यात्री ले जाने तथा कम आय लाने से निगम को उबारने हेतु परिचालकों के लिये ग्रीन कार्ड योजना लागू की गई है।

(2) बसों की चैंकिग व्यवस्था सुदृढ़ की गई है।

(3) मुख्यालय स्तर से नई समय सारिणी लागू की गई है जिसके कारण ओवर लेपिंग किलोमीटर में कमी हुई है।

(4) चालक एवं परिचालकों की ट्रेनिंग में यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो सके।

(5) बसों का आवागमन समय से किया जाता है।

(6) असंचालित आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है।

(7) कर्मचारियों की नियमित भर्ती पर रोक लगाई गई है।

(8) खर्चे में नियन्त्रण हेतु मितव्ययता के आदेश जारी किये गये है।

(9) तेल कम्पनियों से डीजल, आयल लुब्रीकेन्ट आदि की खरीद पर छूट ली जाती है।

(10) बैंको से नेगोसियेशन करके ऋणों पर ब्याज की दरों में कमी हुई है।

(11) प्रशासन में गति एवं वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु कदम उठाये जा रहे है यथा मुख्य प्रबन्धकों एंव अन्य प्रबन्धकों की मासिक बैठक की जाती है।

(12) आय में वृद्धि हेतु प्रतिदिन वाहन उपयोगिता एवं बेड़ा उपयोगिता में वृद्धि की गई है।

आदिवासियों के उत्थान हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि

349. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में गत 2 वर्षों में आदिवासियों के विकास एवं उत्थान हेतु कितनी राशि किस-किस योजनान्तर्गत व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र सरकार से गत 2 वर्षों में इस कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत दो वर्षों (वर्ष 2002-03, 2003-04 आदिवासियों के विकास एवं उत्थान हेतु योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) इस कार्य हेतु केन्द्र सरकार से गत 2 वर्षों में प्राप्त एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि लाखों में)

मद	भारत सरकार से प्राप्त राशि	प्राप्त राशि के विरूद्ध व्यय
(I) वि.के.स.	6934.16	5227.89
(II) संविधान की धारा 275(1)	4294.48	1015.21
योग	**11228.64**	**6243.10**

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों को विशेष आरक्षण

350. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्य सेवा में वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक में सीधी भर्ती में 45 प्रतिशत पद योजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों में से भरने का प्रावधान है ?

(2) सरकार द्वारा उक्त प्रावधान कब से लागू किया गया एवं 31 मार्च, 2004 तक किस-किस विभाग में कितनी-कितनी कुल भर्ती की गई एवं उसमें से कितने प्रतिशत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय होने के पश्चात् भी कई विभागों में प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग की भर्ती नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार इनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्य सेवा में वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों हेतु सीधी भर्ती में स्थानीय जनजाति अभ्यार्थियों हेतु 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(2) उक्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22-3-1995 से लागू किया गया है। दिनांक 31-3-2004 तक विभिन्न विभागों द्वारा की गई कुल भर्ती का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। कुछ विभागों द्वारा निर्धारित प्रावधान से कम नियुक्तियां की गई हैं। इसके लिए सम्बनिध विभाग के सक्षम अधिकारी जिम्मेदार हैं। प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग की भर्ती नहीं किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-1

जनजाति उप योजना क्षेत्र में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों को 45 प्रतिशत आरक्षण के तहत दी गई नियुक्तियों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	वेतन श्रृंखला	भर्ती किए गए पदों की संख्या वर्षवार		अनु. जनजाति के आशार्थियों हेतु 45 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर की गई नियुक्तियों की संख्या	प्रतिशत
				वर्ष	पदों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जिला परिषद, उदयपुर	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1997-98	15	5	33.33
		सहायक अध्यापक	4500-7000(9A)	1995-96	604	99	16.39
		सहायक अध्यापक	4500-7000(9A)	1996-97	793	88	11.10
		सहायक अध्यापक	4500-7000(9A)	1999-2000	981	272	27.73
		ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1999-2000	181	54	29.83
	जिला परिषद, डूंगरपुर	सहायक अध्यापक	4500-7000(9A)	1999-2000	184	113	61.41

1	2	3	4	5	6	7	8
		सहायक अध्यापक	4500-7000(9A)	1997-98	244	110	45.08
		कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1997-98	5	2	40.00
		ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1997-98	106	38	35.85
	जिला परिषद, बांसवाडा	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1999-2000	10	4	40.00
		ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1999-2000	96	10	10.42
		सहायक अध्यापक	4500-7000(9A)	1998-99	480	172	35.83
	जिला परिषद, सिरोही	ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1999-2000	37	9	24.32
		सहायक अध्यापक	4500-7000(9A)	1999-2000	175	19	10.86
	जिला परिषद, चित्तौड़गढ़	ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1996-97	30	1	3.33
		ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1999-2000	39	11	28.21
		कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1997-98	33	6	18.18
		अध्यापक	4500-7000(9A)	1995-96	800	126	15.75
		अध्यापक	4500-7000(9A)	1996-97	597	66	11.06
		अध्यापक	4500-7000(9A)	1998-99	578	93	16.09

1	2	3	4	5	6	7	8
	उप निदेशक (प्रा.शि.), उदयपुर						
	उदयपुर	अध्यापक	4500-7000(9A)	1998-99	132	37	28.03
	डूंगरपुर	अध्यापक	4500-7000(9A)	1998-99	37	15	40.54
	बांसवाड़ा	अध्यापक	4500-7000(9A)	1998-99	57	23	40.35
	चित्तौड़गढ़	अध्यापक	4500-7000(9A)	1998-99	20	8	40.00
	सिरोही	अध्यापक	4500-7000(9A)	1998-99	7	4	57.14
	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,						
	उदयपुर	ए.एन.एम.	4000-6000(9)	1998-99	15	7	46.67
		ए.एन.एम.	4000-6000(9)	1999-2000	8	2	25.00
		ए.एन.एम.	4000-6000(9)	2000-2001	19	3	15.79
		प्रसाविका	4000-6000(9)	1996-970	85	11	12.94
		प्रसाविका	4000-6000(9)	19998-99	25	7	28.00
		प्रसाविका	4000-6000(9)	1999-2000	8	2	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		प्रसाविका	4000-6000(9)	2000-2001	19	5	26.32
		प्रसाविका	4000-6000(9)	2003-2004	20	9	45.00
		वार्ड बाय	4000-6000(9)	1996-97	25	10	40.00
	डूंगरपुर	ए.एन.एम.	4000-6000(9)	1998-99	5	2	40.00
	बांसवाड़ा	ए.एन.एम.	4000-6000(9)	1998-99	15	6	40.00
			4000-6000(9)	1999-2000	5	1	20.00
			4000-6000(9)	2000-2001	10	4	40.00
		प्रसाविका	समेकित वेतन	2000	10	4	40.00
		ए.एन.एम.	समेकित वेतन	2003	128	52	40.63
	प्रतापगढ़	ए.एन.एम.	4000-6000(9)	2000-2001	10	6	60.00
	जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर (मा.शि.)	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	215	97	45.12
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	137	61	44.53
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1997-98	154	68	44.16

1	2	3	4	5	6	7	8
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1996-97	43	14	32.56
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1997-98	10	4	40.00
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1998-99	8	3	37.50
	मुख्य निरीक्षण कारखाना	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1996	2	2	100.00
	एवं बायलर्स, जयपुर	च.श्रे.क.	2550-4590(1)	1997	1	1	100.00
	कलक्टर (यू;अ.), डूंगरपुर	पटवारी	3050-4590(6)	1999	4	2	50.00
	जिला कलक्टर (भू.अ.), बांसवाड़ा	पटवारी	3050-4590(6)	1997	22	4	18.18
		पटवारी	3050-4590(6)	1998	2	1	50.00
		पटवारी	3050-4590(6)	1999	23	2	8.70
		पटवारी	3050-4590(6)	2003		5	
	जिला कलक्टर (भू.अ.), उदयपुर	पटवारी	3050-4590(6)	1997	50	8	16.00
		पटवारी	3050-4590(6)	1998	6	1	16.67
		पटवारी	3050-4590(6)	1999	47	7	14.89

1	2	3	4	5	6	7	8
		पटवारी	3050-4590(6)	2003	19	1	5.26
	जिला परिषद, बांसवाड़ा	ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1996	78	10	12.82
		ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1999	164	10	6.10
		कनिष्ठ लिपिक	4500-7000 (9A)	1997	10	4	40.00
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	59	50	84.75
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	347	11	3.17
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1998-99	434	162	37.33
	उप निदेशक प्रा.शि., जोधपुर	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1998-99	7	4	57.14
	जिला सिरोही						
	पशुपालन निदेशालय, जयपुर	पशुधन सहायक	4000-6000(9)	1995	31	31	100.00
		पशुधन सहायक	4000-6000(9)	1996	37	37	100.00
		पशुधन सहायक	4000-6000(9)	1997	19	19	100.00
		पशुधन सहायक	4000-6000(9)	2001	2	1	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	अति. मुख्य कार्यकारी अधि. प्रा.शि. सिरोही	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1998-99	7	4	57.14
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1997	32	6	18.75
	जिला परिषद, चित्तौडगढ़	ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1996	30	1	3.33
		ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1999	79	11	13.92
	शिक्षा उप निदेशक मा.शि. उदयपुर						
	बांसवाड़ा	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	375	170	45.33
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	309	132	42.72
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1997-98	107	21	19.63
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1995-96	57	13	22.81
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1996-97	20	2	10.00
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1998-99	34	18	52.94
	चित्तौड़गढ़	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	57	10	17.54

1	2	3	4	5	6	7	8
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	58	28	48.28
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1997-98	29	8	27.59
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1996-97	30	3	10.00
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1997-98	7	1	14.29
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1998-99	6	3	50.00
	डूंगरपुर	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	215	97	45.12
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	237	61	25.74
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1997-98	154	68	44.16
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1996-97	43	14	32.56
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1997-98	10	4	40.00
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1998-99	8	3	37.50
	उदयपुर	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	268	67	25.00
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	377	90	23.87
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1997-98	373	77	20.64

1	2	3	4	5	6	7	8
	जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.						
	सिरोही	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	112	1	0.89
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	123	2	1.63
	उदयपुर	शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1995-96	141	9	6.38
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1996-97	83	15	18.07
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1997-98	45	13	28.89
		शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	1998-99	49	14	28.57
		शारीरिक शिक्षक-(म)	4500-7000(9A)	1998-99	15	4	26.67
		पुस्तकालयाध्यक्ष-III	4500-7000(9A)	1995-96	5	1	20.00
		प्रयोगशाला सहायक-III	4000-6000(9)	1995-96	5	1	20.00
	सिरोही	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	17	1	5.88
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	19	2	10.53
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1996	78	10	12.82
	जिला परिषद, बांसवाड़ा	ग्राम सेवक	3200-4900(7)	1999	164	10	6.10

1	2	3	4	5	6	7	8
		कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1997	10	4	40.00
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1995-96	59	50	84.75
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1996-97	347	11	3.17
		अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1998-99	434	162	37.33
	निदेशक मूल्यांकन संगठन	अन्वेषण सहायक	4000-6000(9)	1995	1	1	100.00
	जयपुर	अन्वेषक	5000-8000(10)	1995	1	1	100.00
	जिला शिक्षा अधि. प्रा.शि. एवं	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1997-98	89	24	26.97
	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1998-99	57	23	40.35
	बांसवाड़ा						
	श्रम आयुक्त, जयपुर	क्रीड़ा आवेक्षक	4500-7000(9A)	1995	2	1	50.00
		क्रीड़ा आवेक्षक	4500-7000(9A)	1996	2	1	50.00
		कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1996	4	1	25.00
		कनिष्ठ लिपिक	3050-4590(6)	1998	4	1	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		च.श्रे.क.	2550-3200(1)	1996.	21	3	14.29
	जिला शिक्षा अधि. प्रा.शि.	अध्यापक-III	4500-7000(9A)	1999-2000	17	9	52.94
	डूंगरपुर	(जिला परिषद, डूंगरपुर द्वारा भर्ती की गई)					
	पुलिस महानिदेशक, जयपुर						
	सिरोही	कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1995-96			
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1996-97	48	2	4.17
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1997-98	95	3	3.16
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1998-99	124	4	3.23
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1999-2000			
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2000-2001	30		
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2002-2003	28	9	32.14
	जिला उदयपुर	कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1995-96	328	40	12.20
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1996	70	8	11.43

1	2	3	4	5	6	7	8
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1997	17	2	11.76
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1998	168	21	12.50
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1999	124	15	12.10
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2000			
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2001	131	16	12.21
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2002	32	4	12.50
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2003	118	14	11.86
	जिला चित्तौड़गढ़	कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1997	22	5	22.73
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1998	195	8	4.10
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1999	94	1	1.06
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2001	66	2	3.03
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2003	100	29	29.00
	जिला बांसवाड़ा	कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1996	59	28	47.46
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1998	88	48	54.55
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1999	78	37	47.44

1	2	3	4	5	6	7	8
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2000	26	26	100.00
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	2001	30	24	80.00
	जिला डूंगरपुर	कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1996	30	13	43.33
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1997	11	3	27.27
		कान्स्टेबल	3050-4590(6)	1998	125	54	41.60
		क.लि.	3050-4590(6)	1998	3	1	33.33
		च.श्रे.क.	2550-3200(1)	1996	1	1	100.00
		च.श्रे.क.	2550-3200(1)	1999	1	1	100.00
		च.श्रे.क.	2550-3200(1)	2001	1	1	100.00
		च.श्रे.क.	2550-3200(1)	2002	1	1	100.00
	जिला उदयपुर	क.लि.	2550-3200(1)	1996	1	1	100.00
	शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, उदयपुर						
	बांसवाड़ा	शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	2003-04	29	14	48.28

1	2	3	4	5	6	7	8
	चित्तौडगढ़	शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	2003-04	10	7	70.00
	डूंगरपुर	शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	2003-04	8	3	37.50
	उदयपुर	शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	2003-04	87	26	29.89
	सिरोही	शारीरिक शिक्षक-III	4500-7000(9A)	2003-04	46	4	8.70

रानीवाड़ा पंचायत समिति द्वारा निजी आय से कराये गये कार्य

351. **श्री अर्जुन सिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रानीवाड़ा पंचायत समिति द्वारा निजी आय से कौन-कौन से कार्य पिछले 2 वर्षों में कराये गये व क्या-क्या खरीददारी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति द्वारा निजी आय से शिक्षा मद में कौन-कौन से कार्य कराये गये व क्या-क्या खरीददारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों एवं खरीददारी हेतु सक्षम स्वीकृति पंचायत समिति की साधारण सभा और जिला परिषद् से प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रानीवाड़ा पंचायत समिति की निजी आय से पिछले दो वर्षों में कुल 29 निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर 24 कार्य पूर्ण कराये गये एवं 3 कार्य अधूरे रहे तथा 2 कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये (परिशिष्ट-1) रानी वाड़ा पंचायत समिति की निजी आय से पिछले 2 वर्षों में की गई खरीददारी की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) रानीवाड़ा पंचायत समिति द्वारा निजी आय से शिक्षा मद में कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। रानीवाड़ा पंचायत समिति द्वारा निजी आय से शिक्षा मद में पिछले 2 वर्षों में दरी पटिट्यां एवं जाजमों की खरीद की गई जिसकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति द्वारा उपरोक्त कार्यों में से जिन जिन कार्यों हेतु स्वीकृति पंचायत समिति की साधारण सभा से प्राप्त की गई है, उनकी सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। जिन कार्यों हेतु सक्षम स्वीकृति पंचायत समिति की

साधारण सभा और जिला परिषद् दोनों से ही प्राप्त नहीं की गई है उसकी सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रामगंजमण्डी नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण

352. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका रामगंजमण्डी द्वारा सुविधा नगर योजना अनुमोदित की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुमोदित कालोनियों में सुविधा क्षेत्र अनुमोदित मानचित्र 40,000 वर्ग फिट में से 32,500 वर्ग फिट ही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस निजी आवासी कालोनी में सुविधा क्षेत्र में खसरा नम्बर 52 गोरधनपुरा ग्राम की सरकारी भूमि को भी सम्मिलित कर दिया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि नगरपालिका रामगंजमण्डी द्वारा राजकीय आवास हेतु आरक्षित रखी गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में हुई अनियमितता के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में उक्त नगरपालिका के अधिसशासी अधिकारी, ड्राफ्टमैन एवं तहसीलदार रामगंजमण्डी की संदिग्ध भूमिका रही है ? यदि हां, तो उक्त के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरीय विकास विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक-5(8) न.वि.वि./3/99 दिनांक 26-05-2000 से गठित ले-आऊट स्वीकृति हेतु अधिकृत समिति की बैठक 04-02-2003 से अनुमोदित है।

(2) उक्त सुविधा नगर आवासीय कालोनी के अनुमोदित ब्ल्यू प्रिन्ट

(स्वायत्त शासन राज मंत्री)

के अनुसार सुविधा क्षेत्र 40,000 वर्गफिट को ही प्रावधान रखा गया है, लेकिन उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा द्वारा की गई जाचं में यह सुविधा क्षेत्र मौके पर कम है।

(3) जी हां। सुविधा नगर योजना के नाम से अनुमोदित इस निजी आवासीय कालोनी के सुविधा क्षेत्र में खसरा नम्बर 52, ग्राम-गोरधनपुरा की भी कुछ भूमि सम्मिलित हो गयी है।

(4) जी नहीं। खसरा नम्बर 52 की भूमि पालिका रामगंजमण्डी द्वारा राजकीय आवास हेतु आरक्षित नहीं रखी गयी है, अपितु जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.2(10)(20)राजस्व/III/03/1698-1702 दिनांक 22-02-2003 से राजकीय कार्यालयों, आवासों, भवनों हेतु आरक्षित है।

(5) नगरपालिका को इस सुविधा नगर योजना के सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा द्वारा करायी गयी जांच से सुविधा क्षेत्र में राजकीय भूमि को सम्मिलित करने एवं यूटिलिटि ऐरिया का प्रतिशत बढ़ा कर भू-स्वामी को लाभ पहुंचाने सम्बन्धी तथ्य प्रमाणित हुए है, जिनके सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

सहकारी संस्था कर्मियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ

353. डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप वेतन भत्ते दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें सहकारी संस्थाओं के सभी कर्मचारियों पर लागू कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री गोपाल बाहेती)

(3) क्या किसी उपभोक्ता भण्डार में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सहकारी संस्थाओं का स्वरूप व्यावसायिक होने के कारण उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तों का साम्य राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के साथ नहीं किया जा सकता। अतः इसमें कोई विसंगति की स्थिति नहीं है।

(3) जी हां। बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. के कर्मचारियों पर तथा सवाईमाधोपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. के एक कर्मचारी के मामले में संचालक मण्डल/आमसभा के निर्णयानुसार पांचवां वेतन आयोग लागू किया गया है।

सादुलपुर में विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्य

354. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पिछले पांच वर्ष में स्थानीय विधायक विकास कोष से किन-किन विभागों के कार्य स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूरे हुए तथा उनमें से कितने कार्य अभी तक अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। अधूरे कार्य को सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

(3) कितने कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया तथा कितने कार्यों का नहीं ?

(4) जिन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं हुए उनके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद चूरू से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पिछले पांच वर्ष में स्थानीय विधायक कोष से विभागवार निम्न 504 कार्य स्वीकृत हुए:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत कार्य
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	11
2.	शिक्षा विभाग	1
3.	नगर पालिका	74
4.	विकास विभाग	250
5.	विद्युत विभाग	44
6.	जनस्वा. अभि. विभाग	124
	योग	**504**

कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' उपलब्ध हैं।

(2) उक्त स्वीकृत 504 कार्यों में से 445 कार्य पूरे हुए हैं। संलग्न परिशिष्ट-'अ' पृष्ठ 1 के क्र.सं.-9 पर वर्णित एक कार्य निरस्त कर दिया गया है। शेष 58 कार्य अभी अपूर्ण हैं। पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' के कालम संख्या 5 में अंकित हैं। अधूरे कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) पूर्ण कार्यों में 412 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तथा 33 कार्यों के किये जाने शेष हैं।

(4) जिन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए उनके कारणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' के कालम संख्या 7 पर अंकित हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री डूंगरपुर शहर में बरसाती पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण

355. **श्री मंगलाराम गोदरा** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ शहर में बरसाती पानी निकासी हेतु नाला निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह नाला निर्माण कितनी लम्बाई व कितनी राशि का स्वीकृत हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नाला निर्माण की राशि 21.85 लाख स्वीकृत की गई थी और इसमें वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कितनी क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नाला निर्माण मानदण्ड के अनुसार नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ शहर में बरसाती पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी नकमीना अनुसार वास्तविक लम्बाई 1500 मीटर थी। जिसमें चैम्बरों की लम्बाई का क्षेत्रफल अलग है तथा इस कार्य हेतु 31.60 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

(2) जी हां। प्रारम्भ में उक्त नाला निर्माण की राशि 21.85 लाख स्वीकृत की गयी थी, तत्पश्चात् पालिका के संशोधित प्रस्ताव अनुसार 31.60 लाख रूपये की संशोधित स्वीकृति इस शर्त पर जारी की गयी कि, पालिका 21.85 लाख रूपये योजना मद से व शेष राशि पालिका स्वयं की आय से खर्च करेगी। इस कार्य को पूर्ण होने में 22,300/- रूपये का अतिरिक्त व्यय होना पाया गया है। अतः 31.82 लाख की संशोधित कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। यह वृद्धि वास्तविक निर्माण कार्य के अनुसार लागत में हुई वृद्धि के कारण हुई है।

(3) जी नहीं। कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता क्वालिटी कण्ट्रोल, बीकानेर के अनुसार नाला निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होना पाया गया है।

नागौर जिले के तुरन्त एवं हरा चारा योजनान्तर्गत जारी कृषि कनेक्शन

356. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में तुरन्त योजना एवं हरा चारा योजना के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन किस वर्ष के शुरू किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत जिला नागौर में कुल कितने कृषि कनेक्शन मार्च, 2004 तक जारी किय जा चुके हैं ? सूची विवरण सहित विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कनेक्शन करते वक्त दो वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर इन कनेक्शनों को साधारण श्रेणी में बदलने का वादा किसानों से किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कनेक्शनों को साधारण श्रेणी में बदल दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तुरन्त योजना के अन्तर्गत नर्सरी श्रेणी में 01-02-1995 से कनेक्शन जारी करना शुरू किया गया। हरा चारा उगाने हेतु स्पेशल स्कीम में 14-12-1999 से कृषि कनेक्शन जारी करना शुरू किया गया था। आदेश प्रतियां संलग्न है।

(2) हरा चारा व तुरन्त योजना के अन्तर्गत मार्च, 2004 तक जिला नागौर में कुल 2455 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। नर्सरी श्रेणी के अन्तर्गत 31-03-2000 तक जारी कनेक्शनों को दो वर्ष पूर्ण होने पर व बिल बकाया न होने पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तन कर दिये जाने का प्रावधान था। इसके पश्चात् जारी उक्त श्रेणी के कनेक्शनों को उनकी सामान्य श्रेणी की उसी गांव की वरीयता से नीचे वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से उन्हें सामान्य कृषि दर से बिलिंग किये जाने का प्रावधान है। इन कनेक्शनों पर उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही कार्यवाही की गई है व भविष्य में भी की जावेगी।

आदेश- क्रमांक राराविमं/मुअ(ग्रावि)/अअ(मोनि)प्रे-2065, दिनांक 01-02-1995

राजस्थान में कृषि कनेक्शन हेतु लगभग 2.5 लाख आवेदन लम्बित हैं। जन-प्रतिनिधियों एवं काश्तकारों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये मण्डल ने दिनांक 8-12-1994 को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर एक पोल योजना को दो पोल योजना तक बढ़ाने के आदेश जारी किये थे। काश्तकारों ने इस योजना से उत्साहित होकर लगभग 25000 आवेदन माह जनवरी, 1995 तक मण्डल में प्रस्तुत कर दिये। इस बड़ी संख्या को देखते हुए फिलहाल मण्डल ने दो पोल योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले आवेदन को तत्काल प्रभाव से बन्द करने का निर्णय लिया है।

मण्डल ने समय-समय पर काश्तकारों एवं जन-प्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान करते हुये, एक पोल योजना को दो पोल योजना तक बढ़ाने एवं अविद्युतीकृत गांवों में दो पोल से भी अधिक की लाइनों के खींचने एवं कृषि कनेक्शन देने हेतु काफी हद तक उदारीकरण किया है।

2.5 लाख आवेदकों की लम्बित आवेदनों की वरीयता को ध्यान में रखते हुये सामान्य श्रेणी के आवेदक को कनेक्शन जारी होने में औसतन 8 से 10 वर्ष का समय लग जाता है। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रचारित एन.डी.एस. की नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन लेने वाले हजारों आवेदकों को मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों की आपूर्ति के अभाव में वंचित होना पड़ रहा है। काश्तकारों के उत्साह को देखते हुये मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी काश्तकार को विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत गांव में एन.डी.एस. की नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन दिया जा सकता है।

अतः मण्डल ने निर्णय लिया है कि यदि आवेदक दो पोल से अधिक की दूरी के कनेक्शन एन.डी.एस. की नर्सरी श्रेणी की विद्युत दर देने के लिये सहमत है तो, उन्हें निम्नलिखित शर्तों की आपूर्ति करने पर कनेक्शन दिया जा सकता है :-

(1) प्रार्थना पत्र के साथ अग्रिम 5000/- जमा कराने होंगे।

(2) इस योजना के अन्तर्गत कृषि आवेदक को रू. 9000/- प्रति पोल (मय कन्डक्टर आदि) का खर्च वहन करना होगा।

(3) अविद्युतीकृत अथवा विद्युतीकृत गांव में कनेक्शन चाहने वालों को रू. 2500/- प्रति हार्स पावर (चाहे वर्तमान ट्रांसफार्मर में क्षमता शेष हो या क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता हो अथवा नये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की आवश्कता हो), वहन करना होगा।

(4) ऐसें सभी आवेदकों को एन.डी.एस. की नर्सरी श्रेणी में लागू विद्युत दर देनी होगी।

एन.डी.एस. श्रेणी में नर्सरी विद्युत दर के अन्तर्गत कनेक्शन लेने से पूर्व राजस्व विभाग अथवा वन विभाग से नर्सरी आदि के बारे में किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। सामान्य कृषि के लिये भी इस योजना के अन्तर्गत कनेक्शन लेने के लिये उपभोक्ता स्वतन्त्र हैं।

यदि ऐसे उपभोक्ता का सामान्य श्रेणी की वरीयता में नम्बर आ जाता है, तो ऐसे नर्सरी कनेक्शन को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकेगा परन्तु ऐसा परिवर्तन नर्सरी कनेक्शन लेने के दो वर्ष से पूर्व नहीं होगा।

अविद्युतीकृत ग्राम में विद्युत मण्डल का जो कर्मचारी/अधिकारी केवल प्रथम कृषक आवेदक को प्रेरित कर कनेक्शन जारी करवायेगा उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में आदेश संख्या 2064 दिनांक 31-1-1995 के अनुसार रूपये 1000/- दिया जावेगा।

इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

क्रमांक राराविमं/उमुअ(ग्रावि-निरी-भावि)/प्रे.2544
दिनांक 14-12-1999 आर.ई.ए. - 176

आदेश

विषय:- अकाल की स्थिति के कारण कृषि कनेक्शन हेतु स्पेशल स्कीम।

राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने घास-चारा पैदा करने के लिये राज्य में पांच हजार कृषि कनेक्शन देने हेतु एक 'स्पेशल स्कीम' प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत कनेक्शन देने के लिये निम्न प्रकार से कार्यवाही की जावे:-

1. इस योजना में 5000 कृषि कनेक्शन इस वर्ष दिये जाने वाले 30,000 कृषि कनेक्शनों में शामिल होंगे।

2. जिन आवेदकों ने 13-12-1999 तक साधारण श्रेणी में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं वे ही इस योजना के तहत कृषि कनेक्शन के पात्र होंगे। इस योजना के इच्छुक आवेदक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ 2000 रूपये तथा यह घोषणा करनी होगी कि वे अपने कुएं द्वारा सिंचित भूमि में 50 प्रतिशत जमीन पर अगले 6 माह तक चारा उगायेंगे तथा ऐसा नहीं करने की दशा में उनका कनेक्शन तुरन्त प्रभाव से काट दिया जायें। यह आवेदंन 31 दिसम्बर तक ही प्राप्त किये जायेंगे।

3. प्रत्येक पंचायत समिति में इस वर्ष जारी किये जाने वाले सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों की संख्या में से 20 प्रतिशत संख्या में कनेक्शन इस 'स्पेशल स्कीम' के तहत जारी किये जावे। कनेक्शन 31 दिसम्बर तक प्राप्त हुये आवेदकों को तुरन्त उनकी वरीयतानुसार दिये जा सकते हैं एवं सभी कनेक्शन 31 मार्च, 2000 तक दिये जाने हैं।

4. इस योजना में एच.टी./एल.टी. लाईन के लिये रूपये 11,000/- प्रति पोल लिये जावेंगे। जहां पर एल.टी. से एच.टी. में बदलना हो वहां पर रूपये 5000/- प्रति पोल लिये जावेंगे। रूपये 1200/- प्रति हार्स पावर ट्रान्सफार्मर चार्जेज लिये जायेंगे जो कि वापिस देय नहीं होंगे।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में ये कनेक्शन पलेट रेट पर ही दिये जावें एवं शहरी क्षेत्रों में व लगातार सप्लाई वाले फीडरों पर मीटर श्रेणी में दिये जावें। बिजली की दर 1.40 पैसे प्रति यूनिट होगी एवं 60 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रति माह न्यूनतम चार्जेज रहेंगे। फ्लेट रेट 120 रूपये प्रति माह प्रति हार्स पावर लिये जावेंगे अर्थात् कृषि सामान्य श्रेणी से दुगुनी दें होंगी।

6. इस योजना के तहत कनेक्शनों को इनके नीचे वाली वरीयता के कनेक्शन साधारण श्रेणी में होने की तिथि से बिजली का बिल साधारण श्रेणी की दर से लिया जावेगा।

इस श्रेणी के कनेक्शन उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिये जायेंगे।

परिशिष्ट-"अ"

जिला नागौर में तुरन्त योजना व हरा चारा योजना के अन्तर्गत मार्च, 2004 तक जारी कृषि कनेक्शनों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	तुरन्त व हरा चारा योजनान्तर्गत 2003-04 तक जारी कृषि कनेक्शन
1.	मेड़ता	105
2.	नावां	580
3.	परबतसर	234
4.	जायल	73
5.	डीडवाना	423
6.	मकराना	176
7.	नागौर	148
8.	मुण्डवा	169
9.	डेगाना	343
10.	लाडनूं	204
	कुल योग	**2455**

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

357. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं ?

(2) क्या सरकार नई ग्राम पंचायतों का गठन करने का विचार रखती है ?

(3) जिला मुख्यालयों से सरकार को इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 9189 ग्राम पंचायतें हैं।

(2) जी नहीं। परिसीमन आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 15 फरवरी, 2004 की प्रशासनिक इकाईयों की यथास्थिति रखने जाने के निर्देश दिये गये है ऐसी स्थिति में नई ग्राम पंचायतों का गठन, पुनर्सीमांकन कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जनगणना 2001 की जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो चुके है लेकिन परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा नई प्रशासनिक इकाईयों की दिनांक 15 फरवरी, 2004 की यथास्थिति रखे जाने के निर्देशों की पालना में जिला मुख्यालय से पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव अभी नहीं मांगे गये हैं।

जवाहर सर्किल, जयपुर के पास परिवहन निगम के लिए अवाप्त भूमि का अन्यत्र आबंटन

358. डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जवाहर सर्किल जयपुर के पास राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये भूमि अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा एल.एस. गुर्जर)

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि अन्य को आबंटित कर दी गई ? यदि हां, तो किसे व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि किन-किन को आबंटित की गई ? नाम, भूमि का माप एवं दर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भूमि आबंटन की क्या शर्ते निर्धारित की गई एवं किन नियमों के अन्तर्गत भूमि का आबंटन किया गया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न के भाग 2 के अनुसार।

(4) प्रश्न के भाग 2 के अनुसार।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि के मूल्य निर्धारण हेतु जारी परिपत्र

511. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा कोई ऐसा परिपत्र जारी किया गया है जिसमें उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का मूल्य निर्धारण हेतु जमाबन्दी के साथ-साथ 4 वर्ष की गिरदावरी देना आवश्यक हो ?

(2) क्या इस परिपत्र के अनुसार 4 वर्षों की 8 फसलों में से किसी भी एक फसल में किसी अनकमाण्ड बीघे पर सिंचित काश्त दर्ज होने पर सिंचित किले के रूप में मुद्रांक कर लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार किसानों के हित में इस परिपत्र को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 57 (पुराने नियम 1955 का नियम 59 ए) में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेज के साथ अन्तिम खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत करने का प्रावधान है। विभागीय परिपत्र संख्या 2 दिनांक 1-10-1999 के द्वारा उक्त नियम की अनुपालना में कृषि भूमि के दस्तावेज के साथ अन्तिम 4 वर्ष की खसरा गिरदावरी की प्रति भूमि के मार्केट वैल्यू की जांच के लिए लेने के निर्देश दिये गये हैं जो उपनिवेशन क्षेत्र में भी लागू होते हैं।

(2) जी नहीं। उपरोक्त परिपत्र के तहत यदि खसरा गिरदावरी में जमीन की किस्म नहरी/सिंचित है और अन्तिम चार वर्षों में :-

(अ) 6 या अधिक फसल हो तो मोघे के पास।

(ब) 4 या 5 फसल हो तो मोघे के मध्य।

(स) 4 से कम फसल हो तो मोघे से दूर।

मानते हुए मूल्यांकन करने के निर्देश दिये गये हैं, चूंकि जिला स्तरीय

(वित्त मंत्री)

समिति द्वारा भूमि की दरों का निर्धारण मोघे (पानी सप्लाई का पोइन्ट) से पास, मध्य व दूरी के आधार पर किया गया है इसलिए विभाग ने सभी स्थानों पर एकरूपता के लिए उक्त मापदण्ड तय किये हैं ताकि पंजीयन अधिकारी की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रहे।

(3) जी नहीं। उक्त परिपत्र किसानों के हित में है क्योंकि पंजीयन के समय पंजीयन अधिकारी जिला स्तरीय समिति की दरों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन करते समय अपनी मर्जी से दर नही लगा सकते। एक निश्चित मापदण्ड होने के कारण उनका डिस्क्रिशन समाप्त हो गया है इससे राजस्व हानि पर भी अंकुश लगा है तथा जनता को परेशान करने की गुंजाइश भी समाप्त हो गई है।

पंजीयन निरीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही

512. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंजीयन अधिनियम में सम्पत्ति का पंजीयन करने हेतु मौका निरीक्षण का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस हेतु कितने निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं ?

(2) इन निरीक्षकों की क्या योग्यता है ? शिकायत के कारण राज्य में अब तक कितने निरीक्षकों को हटाया गया अथवा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब पंजीयन अधिनियम में सम्पत्ति का पंजीयन करने हेतु मौका निरीक्षण का प्रावधान ही नहीं है और इस नियम में निरीक्षक नियुक्त ही नहीं किये जाते हैं तो निरीक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने एवं निरीक्षकों को हटाने और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान कैडर के अधिकारियों का पदस्थापन

513. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कुल कितने अधिकारी पदस्थापित हैं ?

(2) इन पदों में ऐसे कौन-कौनसे पद हैं, जिन पर सिर्फ राजस्थान केडर के अधिकारी ही पदस्थापित किए जा सकते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल 199 पद (कुल स्वीकृत पद 260 में से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 56 तथा प्रशिक्षण रिजर्व के 5 पद कम करते हुए) स्वीकृत हैं और वर्तमान में राजस्थान कैडर के 167 एवं मणिपुर-त्रिपुरा कैडर और सिक्किम कैडर के 1-1 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन में राज्य कैडर विशेष को दृष्टिगत नहीं रखा जाता है।

ब्यावर में मदिरा तस्करी के दर्ज प्रकरण

514. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में अब तक विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत थानों में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत कितने मुकदमें दर्ज हुए व कुल कितनी देशी व विदेशी मदिरा पकड़ी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिये क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

वर्ष	पंजिकृत अभियोगों की संख्या	जब्त मदिरा बल्क लिटर में		
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर
2002-03	64	2618.500	4562.010	459.55
2003-04	78	4286.100	4799.325	453.70
2004-05 दिनांक 19-6-2004	50	1074.500	974.310	335.40
योग	**192**	**7979.100**	**10335.645**	**1248.65**

(2) अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु आबकारी विभाग द्वारा वर्तमान में उपलब्ध स्टाफ एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों से नियमित रूप से रोड गश्त की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशेष आबकारी धावों का आयोजन भी किया जा रहा हैं, विशेष आबकारी धावों में विभागीय स्टाफ के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार पुलिस बल की भी मदद ली जा रही हैं। समय-समय पर नाकाबन्दी की जाकर अवैध शराब की धरपकड़ भी की जा रही हैं।

आबकारी ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली

515. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शराब के ठेकेदारों के विरूद्ध बकाया राशि प्रकरणों में सन्तोषजनक वसूली नहीं होते हुए भी विभाग इसे सतत प्रक्रिया मानकर जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं कर रहा है ?

(2) क्या सरकार जिन ठेकेदारों के एक करोड़ रूपये से अधिक बकाया राशि है उनसे वसूली की कार्यवाही के लिए कानून में संशोधन करने का विचार

(श्री रामनारायण मीणा)

रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त श्रेणी के ठेकेदारों की कुल बकाया राशि की समूहवार व दिनांक सहित सूची बनाकर कार्यवाहीं की जा रही है ? यदि हां, तो सूची सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब सरकार बकाया राशि कब तक वसूल कर लेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिन ठेकेदारों में आबकारी राजस्व बकाया है, उनसे भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली करने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(3) मदिरा के जिन ठेकेदारों में राशि रूपये 1.00 करोड़ से अधिक बकाया है उनकी सूची परिशिष्ट-'अ' में संलग्न है। इन ठेकेदारों से भी वसूली भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही की जा रही है।

(4) जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में बकाया राशि वसूली के लिये निश्चित सीमा अवधि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-'अ'

दिनांक 1-7-2004 को मदिरा के ठेकेदारों में राशि रू. 1.00 करोड़ से अधिक राजस्व बकाया प्रकरणों की सूची

राजस्व जिला भरतपुरः

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	म.स. धौलपुर	91-92	31787115	राघवेन्द्रसिंह पुत्र मण्डलेश्वर सिंह, भूपेन्द्रसिंह पुत्र मण्डलेश्वरसिंह, दिनेश सिंह पुत्र ग्यारसीराम, विजय प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश, मुरारीलाल शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा, दीपचंद पुत्र जीवनलाल, शिवचरण गुप्ता पुत्र बाबूलाल, रामप्रसाद पुत्र गुलाबसिंह, गिर्राजसिंह किशोर पुत्र रामबाबू, मूलचंद पुत्र सीताराम, सीताराम पुत्र देवीराम
2.	म.स. बयाना	92-93	10188803	कैलाश चन्द्र पुत्र किरोडीलाल, ओमप्रकाश पुत्र बृजेन्द्रसिंह, टौमीसिंह पुत्र मिठ्ठलाल
	योग:-		41975918	
राजस्व जिला जयपुरः				
क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
3.	म.सं. फुलेरा व जयपुर शहर की खुदरा दुकानें	96-97	17852782	नवीन टांक पुत्र चिंरजीलाल, मनोज पुत्र झांगीराम, सत्यनारायण पुत्र जगदीश, विष्णु कुमार पुत्र बरदीचन्द, मोहन लाल पुत्र लादूराम,

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
				पुत्र सूरजाराम, मुख्तसिंह पुत्र सुरजीत सिंह, इब्राहीम आजी, बदरूद्दीन पुत्र मांगीराम, रजनीबा गर्ग पुत्र एस.सी. गर्ग, बीरबल खां पुत्र भादरा खां, राजदीन पुत्र मांगीलाल, मोहन लाल पुत्र रामस्वरूप, घनश्याम दास पुत्र बी.डी. शर्मा
	योग:-		**17852782**	

राजस्व जिला झुन्झुनूं:

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	दे.म. खेतड़ी-नवलगढ़	92-93	26623607	वेदपाल पुत्र छाजूराम, नेकीराम पुत्र शिवराम, जोगीराम पुत्र जोधराम, बहादुर सिंह पुत्र चिरंजीलाल, रघुवीर प्रसाद पुत्र बालूराम
2.	म.स. खेतड़ी-बुहाना	99-2000	49688261	रामकरण पुत्र रूडाराम, बोदूराम पुत्र सूरजाराम, विशम्भदयाल पुत्र गोमाराम
	योग:-		**76311868**	

राजस्व जिला सवाई माधोपुर:

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	दे.म. सवाईमाधोपुर-अलीगढ़	92-93	32067016	मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह, महावीर सिंह पुत्र कुम्भाराम, प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह, बनवारीलाल पुत्र कुम्भा राम, उमेश कुमार पुत्र मोतीलाल,

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
				श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि राज कुमार, मोतीसिंह पुत्र सुरजन सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र सावन सिंह, मोहब्बतसिंह, समर्थसिंह
	योग:-		32067016	

राजस्व जिला नागौर:

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	दे.म. नागौर-मेड़ता	89-90	14586878	राजेन्द्रसिंह पुत्र बुधसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्र सुमेरसिंह, भगवान सिंह पुत्र हणवत, घनश्यामसिंह पुत्र आशु सिंह, छोगासिंह पुत्र बामुसिंह, दातार सिंह पुत्र भंवर सिंह, श्याम सिंह पुत्र नाथूसिंह
2.	म.स. नागौर-जायल-मेड़ता-डेगाना	2000-01	109917092	राजेश कुमार निगम पुत्र धनेश कुमार, राजेश्वर पुत्र हनुमानप्रसाद जायसवाल
3.	म.स. मकराना-परबतसर-नावां-कुचामन-डीडवाना	2000-01	121381812	राजेश कुमार निगम पुत्र धनेश कुमार, राजेश्वर पुत्र हनुमानप्रसाद ज़ायसवाल
	योग:-		245885782	

राजस्व जिला पाली:

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	म.स. सुमेरपुर ग्रामीण (निरस्त)	2000-01	13088700	तख्त सिंह पुत्र भवानी सिंह

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
2.	म.स. देसूरी (निरस्त)	2000-01	38150133	सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोकुल सिंह, सुरेश पुत्र चुन्नीलाल, मदनसिंह पुत्र गोकुल सिंह
3.	म.स. सोजत-मारवाड़ जं.	2000-01	46328001	चतुरभुज पुत्र द्वारका प्रसाद, मनोज शर्मा पुत्र सीताराम
	योग:-		**97566834**	

राजस्व जिला श्रीगंगानगर:

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	म.स. रायसिंहनगर	2000-01	27948600	सोनसिंह पुत्र गिरधारी
	योग:-		**27948600**	

राजस्व जिला बाड़मेर:

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	दे.म. जैसलमेर	91-92	15068626	मोहम्मद हनीफ पुत्र सती मोहम्मद, हरिसिंह पुत्र रावत सिंह, भवानीसिंह पुत्र रेवतसिंह लियाकतअली पुत्र हुसैन खां, रघुवीर सिंह पुत्र सवाईसिंह, मोहम्मद सलीम पुत्र गोरे खां
2.	दे.म. बाड़मेर ग्रामीण (निरस्त)	2000-01	40793000	श्रीमति आईशा प्रवीन पत्नि मोहम्मद आमाद
	योग:-		**55861626**	

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
राजस्व जिला बीकानेर:				
क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	दे.म. वि.म. बीकानेर-डूंगरपुर	89-90	18883340	भवरलाल पुत्र बख्तावरमल, महादेव पुत्र रेलूमल, सलाउद्दीन पुत्र अब्दुले, अजीम खां पुत्र जमींखा, रघुवीरप्रसाद पुत्र बालू राम, अशोक कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार, साहबराम पुत्र गनीराम, अलाउद्दीन पुत्र दीदार बक्श, तेजभान पुत्र बिहारी लाल, पूरणचन्द पुत्र सोनू राम, सोहनलाल पुत्र धन्नाराम
2.	म.स. डूंगरपुर (निरस्त)	2000-01	17680897	फिरोज पवांर पुत्र सुजान खां
	योग:-		36564237	
राजस्व जिला चूरू:				
क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	विम चुरू-लाडनूं	89-90	13198330	मांगीलाल पुत्र मिश्री खां, निजामुद्दीन पुत्र जुमरदीन, भंवरअली पुत्र जमालखां, समसु खां पुत्र भोलेखां, हबीब पुत्र मालू खां, यासीन खां पुत्र मुंगे खां, सिकन्दर खां पुत्र भंवर खां, सजीर खां पुत्र चंदन खां, मुमताज अली पुत्र अब्दुल मजीद, फतेह मो. पुत्र सुरज्ञान खां, श्रीमती सुवरी देवी पत्नि

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
				अब्दुल मजीद, फजरूद्दीन पुत्र जुमरदीन, मोहम्मद सददीक पुत्र ज्ञान मोहम्मद, बदरूददीन पुत्र नत्थू खां
2.	विम चुरू-राजगढ़ -रतनगढ़	91-92	19315406	विजय बेनीवाल पुत्र बलदेवसिंह श्रीमती संगीता पत्नि विजय बेनीवाल, भंवरसिंह पुत्र विक्रमसिंह, बाबूलाल सेनी पुत्र बंसतीलाल, नाथूराम पुत्र गोपालराम
3.	म.सं. रतनगढ़ (निरस्त)	2000-01	29487442	हनुमानराम पुत्र गणेशराम
4.	म.स. सरदारशहर	2000-01	12990194	गोविन्दराम पुत्र चोखाराम जाट, भागीरथ सिंह पुत्र हनुमान सिंह, भंवरलाल पुत्र मानाराम, चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रदीप शर्मा, भगवानाराम पुत्र हरदेवाराम
5.	म.स. चुरू	2003-04	45931325	इकबाल पुत्र अजीज खान
	योग:-		**120922697**	

राजस्व जिला हनुमानगढ़:

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	म.स. हनुमानगढ़ (निरस्त)	2000-01	107705796	मोहम्मद अहमद पुत्र फरीद खां, जोगेन्द्र सिंह पुत्र मेघराज सिंह, जालिम सिंह पुत्र जवाहर सिंह
	योग:-		**107705796**	

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
राजस्व जिला जालौर:				
1.	म.स. जालौर-आहौर (निरस्त)	2000-01	91029000	दीपेश कुमार पुत्र मोहन लाल, श्रीमती मानकंवर पत्नि उगमसिंह, तरूण कुमार पुत्र मोहन लाल
2.	म.स. भीलमाल-रानीवाड़ा-सांचौर (निरस्त)	2000-01	88784000	दीपेश कुमार पुत्र मोहन लाल, श्रीमती मानकंवर पत्नि उगमसिंह, तरूण कुमार पुत्र मोहन लाल
	योग:-		**179813000**	
राजस्व जिला जोधपुर:				
क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	म.स. जोधपुर	98-99	10750000	पुखराज सिसोदिया, मुरलीधर एण्ड पार्टी
2.	म.स. ओसियां (निरस्त)	2000-01	17676000	गैरालाल पुत्र पुनमचन्द, विशालसिंह पुत्र आशूसिंह, भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह, प्रवीणसिंह पुत्र प्रेमसिंह
3.	म.स. शेरगढ़ (निरस्त)	2000-01	20769000	ललित मेवाड़ा पुत्र महेन्द्र कुमार
4.	म.स. फलौदी व लूणी ग्रा.	2000-01	16732000	दिलीप शर्मा पुत्र सुरेन्द्र नाथ
	योग:-		**65927000**	
राजस्व जिला उदयपुर:				
क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	थोक भीम 2	84-85	28789002	महेन्द्र कुमार पुत्र जौहरीलाल
	योग:-		**28789002**	

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
राजस्व जिला बून्दी:				
क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	दे.म. बून्दी-केशोरायपाटन-लाखेरी-इन्द्रगढ़	96-97	15955600	यासीन खां पुत्र नूरमोहम्मद, बाबू खां पुत्र नूर मोहम्मद, मनोज पुत्र सलाउद्दीन, अयूब खां पुत्र सलाउद्दीन, बीरबल पुत्र सलाउद्दीन
2.	म.स. बून्दी	2000-01	61686315	परसराम पुत्र हरीशचन्द
	योग:-		**77641915**	
राजस्व जिला कोटा:				
क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम
1.	म.स. कोटा-लाडपुरा-दीगोद-पीपल्दा	2000-01	279865760	परसराम पुत्र हरीशचन्द्र
	योग:-		**279865760**	

नवलगढ़ एवं मुकन्दगढ़ नगरपालिका की आवासीय बस्तियों से गन्दे पानी की निकासी

516. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नवलगढ़ व मुकन्दगढ़ में आवासीय बस्तियों के मध्य काफी मात्रा में गन्दा पानी भरा रहता है एवं उक्त गन्दा पानी, पानी की पाइपों में भी भर जाता है ?

(2) गन्दे पानी की निकासी के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका नवलगढ़ व मुकन्दगढ़ की आवासीय बस्तियों के मध्य कई स्थानों पर गन्दा पानी इकट्ठा होता है, लेकिन इस एकत्रित गन्दे पानी की समय-समय पर निकासी की जाने के कारण, उक्त गन्दा पानी, पीने के पानी की पाईप लाइनों में नहीं भरता।

(2) उक्त गन्दे पानी की निकासी हेतु नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा दो बिजली के पम्प सैट व एक डीजल पम्प सैट स्थायी रूप से लगाए हुए हैं। जिन पर 3.00 लाख रूपये के तकरीबन वार्षिक नगरपालिका द्वारा व्यय किये जाते हैं। इसी प्रकार नगरपालिका मुकन्दगढ़ द्वारा भी उक्त गन्दे पानी की निकासी पम्पसैट लगा कर करवायी जाती है। इस पर अब तक करीब 96 हजार रूपये व्यय हुए हैं।

बनीपार्क की सीवर लाइन रहित आवासीय क्षेत्र

517. प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के अधिकांश वार्डों की कालोनियों, मौहल्ले, बस्तियों, गांव-ढाणियों में सीवर लाइन का अभाव है ? यदि हां, तो सीवर से वंचित प्रत्येक वार्ड की कालोनी, बस्ती, मौहल्ले का

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीवर लाइन से संचित उक्त क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के माध्यम से प्रतिमाह सीवरेज चार्ज भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार शीघ्र उक्त सीवर लाइन वंचित क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के जिन मौहल्लों, वार्डों की कालोनियों व बस्तियों में सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध है, जहां सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा जहां कार्य कराया जाना प्रस्तावित है एवं जो वार्ड, मौहल्ले, कालोनियां सीवर से संचित हैं, की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जो लो-लेवर के कारण तकनीकी दृष्टि से फिलीबल नहीं है, को छोड़ कर शेष कालोनियों, मौहल्लों, बस्तियों, गांव व ढाणियों में 50% राशि वहां के निवासियों द्वारा 12.50 रूपये प्रति वर्गगज की दर से जमा कराए जाने पर सीवरेज व्यवस्था से प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जा सकेगा। वैसे बजट की उपलब्धता के आधार पर भी उक्त कार्य करवाया जा रहा है। कतिपय क्षेत्रों में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा भी सीवर लाईन डालने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कालोनियां, जिनका नियमन नहीं हुआ है, वहां सीवर लाइन डालना सम्भव नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बीकानेर नगर परिषद् का नगर निगम में क्रमोन्नयन

518. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन राजय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् को नगर निगम में बदलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(2) उक्त मानदण्डों के आधार पर किन-किन नगर परिषदों को नगर निगम में परिवर्तित करने का सरकार विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बीकानेर शहर की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर निगम बनने लायक हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर बीकानेर नगर परिषद् को नगर निगम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद को नगर निगम में बदलने के लिए 5 लाख से अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है।

(2) नगर परिषद, बीकानेर को 5 लाख से अधिक की आबादी होने के कारण नगर निगम बनाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(3) जी हां। वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा प्रशासनिक इकाइयों के सृजन पर रोक लगायी हुई है, जिससे परिषद को निगम में परिवर्तित करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिसीमन आयोग द्वारा उक्त लगाई गयी रोक को हटाये जाने पर, प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

इटावा (पीपल्दा) ग्राम पंचायत का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

519. **श्री प्रभूलाल वर्मा (पीपल्दा)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्रमुख कस्बे इटावा की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर नियमानुसार नगरपालिका स्थापना हेतु मानदण्ड अनुसार थी ? यदि हां, तो 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी नगरपालिका स्थापित नहीं किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब सरकार इटावा में ग्राम पंचायत के स्थान पर

(श्री प्रभूलाल वर्मा)

नगरपालिका की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं तत्पश्चात् परिसीमन आयोग द्वारा प्रशासनिक ईकाईयों के सृजन पर रोक लगायी जाने के कारण इस ग्राम पंचायत को नगर पालिका में परिवर्तित करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(2) परिसीमन आयोग द्वारा लगायी गयी रोक हटाये जाने के पश्चात् प्रकरण से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करने एवं जिला कलक्टर व पंचायती राज विभाग से विस्तृत प्रतिवेदन/अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

नाहरगढ़ रोड (जयपुर) स्थित सार्वजनिक मन्दिर पर अनधिकृत अतिक्रमण

520. **श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के नाहरगढ़ रोड, बारह भाइयों के चौराहे के पास स्थित चतुर्भुज जी के मन्दिर के सामने स्थित महादेव जी का मन्दिर जो सरकारी रिकार्ड के अनुसार सार्वजनिक मन्दिर है, को किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा निजी मिल्कियत बताये जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा क्या ? प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर को किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये ध्वस्त किया जाकर गैर कानूनी तरीके से बदनियति पूर्वक कराये जा रहे निर्माण को रूकवाकर मन्दिर का मूल स्वरूप बहाल करने के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों द्वारा आयुक्त, हवामहल जोन, नगर निगम, जयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(3) उक्त अनधिकृत निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक कब-कब क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर के नाहरगढ़ रोड़, बारह भाइयों के चौराहे के पास स्थित चतुर्भुज जी के मन्दिर के सामने स्थित महादेव जी मन्दिर के सन्दर्भ में किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा निजी मिल्कियत बताए जाने के कोई प्रमाण नगर निगम, जयपुर को प्रस्तुत नहीं किए गए।

(2) जी हां। श्री कृष्ण कुमार द्वारा दिनांक 24-05-2004 को आयुक्त हवामहल जोन, जयपुर नगर निगम को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्र की प्रति संलग्न है।

(3) जयपुर नगर निगम द्वारा दिनांक 07-07-2004 को उक्त स्थल पर गार्ड तैनात कर, निर्माण कार्य का बन्द करवा दिया।

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
नगर निगम, हवामहल जोन,
जयपुर।

विषय : सरकारी सम्पत्ति (मन्दिर) पर अतिक्रमण।

महोदया,

निवेदन है कि जयपुर में नाहरगढ़ रोड, बारह भाईयों के चौराहा, राजा शिवदास जी का रास्ता, चतुर्भुज जी के मन्दिर के सामने, एक शिव मन्दिर है। जो कि नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार खसरा संख्या 226/40 एक सरकारी सम्पत्ति है (फोटो प्रति संलग्न है)

मन्दिर पर कुछ व्यक्ति कब्जा कर दुकान बनाकर/किराया देना चाहते है। वे व्यावसायिक उपयोग हेतु भवन बनाकर बेचना/किराये पर देना चाहते हैं। वर्ष 1959 में भी एक ऐसा प्रयास हुआ था। लेकिन मौहल्ले वालों की जागरूकता के कारण यह विफल हो गया। उस समय के नगर पालिका के कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार यह एक सरकारी सम्पत्ति है। इस पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्माण कार्य नहीं कर सकता न ही बिना अनुमति के जीर्णोद्वार करा सकता है। क्योंकि यह एक सरकारी सम्पत्ति है। रिपोर्ट की फोटो कापी संलग्न है।

उपरोक्त मन्दिर के सन्दर्भ में ही तत्कालीन विधायक श्रीमती डाक्टर उजला अरोड़ा के दिनांक 25-03-1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 में भी सरकार ने इसे सरकारी सम्पत्ति बताया गया है (फोटो प्रति संलग्न है)

इसी सम्बन्ध में देवस्थान विभाग को 18 जून, 1969 में जीर्णोद्वार के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें भी इसका सरकारी सम्पत्ति होने का उल्लेख किया गया है। जो उस समय के स्पष्ट नहीं है की रिपोर्ट है। जिसके अनुसार यह सम्पत्ति सरकारी है व देवस्थान विभाग के अधीन आती है। (फोटो प्रति संलग्न है।)

परन्तु पिछले कुछ वर्षा से रघुवीर शरण पारीक नामक व्यक्ति इस सम्पत्ति को अपनी बताता है व मौहल्ले के लोगो से गाली गलौच करता हैं।

लोकसभा चुनाव में प्रशासन को व्यस्तता का लाभ उठाकर बिना अनुमति के पुराने मन्दिर को ध्वस्त कर उसका मौलिक स्वरूप नष्ट करके उसके पट्टी धांसे लगभग 15 ट्रैक्टर ट्राली खुर्द बुर्द करा दिया व पीपली के पेड में तेलाब डालकर नष्ट कर दिया। शीला माता का मन्दिर छिन्न-भिन्न कर दिया। ताकि उसको व्यावसायिक रूप देकर दुकाने बनाकर उसे किराये/बेचान करना चाहता है। मौहल्ले के व्यक्तियों को डारता है, धमकाता है, व भय का माहौल करता है।

महोदय निवेदन है कि मन्दिर पर निजी कब्जा रूकवाने के लिए अतिक्रमण रूकवाने के लिएं उचित कार्यवाही करें व उसका मौलिक स्वरूप लौटाने के लिए उचित व्यव्सथा करें।

धन्यवाद।

भवदीय,

(कृषण कुमार)

जयपुर मालवीय नगर की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

521. श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के वार्ड नम्बर 28 में मालवीय नगर सैक्टर 6 के सामने से जगतपुरा जाने वाली सड़क के मध्य खसरा नं. 843 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा (सिवाय चक) तथा खसरा नं. 848 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा (चरागाह) भूमि स्थित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों खसरा नम्बर में स्थित भूमि की वर्तमान बाजार भाव से कीमत लगभग दस करोड़ रूपये से भी अधिक है ? और उक्त कीमती भूमि पर कतिपय भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जे कर अतिक्रमण किये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन अतिक्रमियों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भू-माफिया द्वारा पुनः उपरोक्त भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को हटवाकर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो इसकी पुख्ता व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। खसरा नं. 843 ग्राम सवाई गैटोर का कुल रकबा 7 बीघा एवं खसरा नं. 848 ग्राम सवाई गैटोर का कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा है उक्त खसरा नं. की भूमि की किस्म चरागाह है।

(2) उक्त भूमि दोनों खसरा नं. की भूमि की डी.एल.सी. की दरों के अनुसार रूपये 6.00 लाख प्रति बीघा की हिसाब से लगभग रू. 1,00,20,000/- होती है। जी नहीं, इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(3) जी नहीं। इस भूमि पर पुरानी आबादी बसी हुई है।

(4) उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि पर वर्तमान में कोई

अतिक्रमण नहीं है। भविष्य मे उक्त भूमि पर भू-माफिया या किसी अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण न हो इस हेतु प्राधिकरण अपने साधनों एवं प्रदत्त अधिकारों के साथ अतिक्रमण रोकने की कार्यवाही करेगा।

जयपुर में अवैध रूप से निर्मित बहुमंजिली इमारतें

522. डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा जयपुर में कुछ अवैध रूप से निर्माण की गई बहुमंजिली इमारतें चिन्हित की गई हैं ? यदि हां, तो इनके मालिकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इमारतें कब चिन्हित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त अवैध रूप से निर्मित बहुमंजिली इमारतें के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त इमारते नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 में चिन्हित की गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2002 में चिन्हित की गई थी।

(3) जी हां। की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

देवीपुरा (सीकर) आवासन मण्डल कालोनी की सीवरेज लाइन

523. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका क्षेत्र सीकर की देवीपुरा आवासन मण्डल कालोनी में सीवरेज लाइन कब डाली गई थी ?

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सीवरेज लाइन की मरम्मत की गई ? यदि हां, तो कब एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस सीवरेज लाइन में जगह जगह रूकावटें आ रही हैं ? यदि हां, तो सरकार की इसकी मरम्मत की क्या योजना है और इसकी मरम्मत कर कब तक सीवर लाइन सूचारू रूप में चालू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र सीकर की देवीपुरा आवासन मण्डल कालोनी में सीवरेज लाइन वर्ष 1985 एवं 1986 में डाली गई थी।

(2) जी हां। वर्ष 1999 में उक्त मरम्मत स्थानीय नगरपरिषद के अनुरोध पर आवासन मण्डल ने की थी।

(3) जी हां। नगरपरिषद के पास इसकी मरम्मत हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सीवरेज लाइन में समय-समय पर रूकावट आती है जिसे नगरपरिषद द्वारा चैम्बर्स आदि की सफाइ करवाई जाकर लाइन चालू करवा दी जाती है।

कोटा शहर की सरकारी भूमि पर संचालित अवैध नलकूप

524. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में व्यस्तम बाजार की सरकारी भूमि पर कुछ होटल मालिकों व अन्य व्यवसाइयों ने नलकूप खोद रखे हैं ? यदि हां, तो उक्त होटल व मालिकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नलकूप खोदने से पूर्व सम्बन्धित द्वारा सरकार से अनुमति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। संलग्न सूची में वर्णित है।

(2) जी नहीं। केवल पायल होटल के मालिक द्वारा स्वीकृति चाहे जाने पर सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य होटल मालिकों/व्यवसाईयों को बिना

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

पूर्व निगम स्वीकृति के नलकूप खोदने के कारण इनके विरूद्ध नगर निगम कोटा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

क्रम संख्या	नाम होटल/व्यसाय मालिक मय पता
1.	श्री प्रेमचन्द छाबडा पुत्र श्री मेघराज छाबडा होटल मेघराज स्टेशन रोड, कोटा।
2.	श्री श्यामलाल पुत्र सूरजमल होटल आनन्द स्टेशन रोड, कोटा।
3.	श्री राजेन्द्र चांवला पुत्र श्री खण्डराय,
4.	श्री प्रकाश/विक्रमजीत सिंह होटल राघव मालारोड, कोटा।
5.	श्री गुरूपालसिंह होटल पायल नयापुरा, कोटा।
6.	श्री बालमुकन्द पुत्र श्री रामचन्द गोयल, गोयल धर्मशाला, रामचन्दपुरा छावनी, कोटा।
7.	राजकुमार माहेश्वरी होटल आनन्द छावनी चौराहा, कोटा।
8.	श्री अशोक माहेश्वरी, माहेश्वरी रेस्टोरेन्ट छावनी चौराहा, कोटा।
9.	श्री गिरधारीलाल पुजवाली पुत्र जिन्सामल 10-डी, न्यू कालोनी, गुमानपुरा, व्यवसायिक काम्पलैक्स।
10.	श्री विनोद रसवट वकील, 9-डी न्यू कालोनी गुमानपुरा, व्यवसायिक काम्पलैक्स।
11.	श्री चेतन पुरूसवानी पुत्र कन्हैयालाल, 7-डी, न्यू कालोनी गुमानपुरा, व्यवसायिक निजी आवास।
12.	श्री अनिल गोयल, भारत होटल गुमानपुरा मुख्य मार्ग।
13.	श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री रणछोर दास, 18-डी न्यू कालोनी गुमानपुरा, कोटा।
14.	श्री प्रभुराम झमनानी, 32-डी गुमानपुरा, न्यू कालोनी कोटा।

क्रम संख्या	नाम होटल/व्यसाय मालिक मय पता
15.	श्री ओम अडवानी पुत्र नारायण दास, शिवपूजा मेरिज हाल गुमानपुरा, मैन रोड कोटा।
16.	श्री महेन्द्र सिंह महेन्द्र निवास 29-ए, गुमानपुरा कोटा, आवासीय ग्रीन बेल्ट पर।
17.	श्री गिरधारीलाल पचेरिया 25 बी, न्यू कालोनी, गुमानपुरा, कोटा।
18.	श्री लडडाराम ग्वालानी, सुखपाल 16-बी न्यू कालोनी, गुमानपुरा कोटा।
19.	श्री उत्तमचन्द तामी, 27 बी न्यू कालोनी गुमानपुरा कोटा।
20.	श्री चन्द्रप्रकाश मालव, 19 बी न्यू कालोनी गुमानपुरा कोटा।
21.	श्री शक्ति कोहली पुत्र ओमप्रकाश, 4-बी, न्यू कालोनी गुमानपुरा, कोटा।
22.	श्री हरविन्दसिंह कोहली पुत्र श्री अवतारसिंह, 13-बी न्यू कालोनी, गुमानपुरा कोटा।
23.	श्री अनिल कुमार बुद्वानी पुत्र श्री जीवनदास, मेरिज होल झालानी रोड, कोटा।
24.	श्री सुनील बन्दवा, प्लाट नं. 15, झालानी रोड कोटा होटल रोक लैण्ड। व्यवसायिक।
25.	श्री अरविन्द गोयल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, प्लाट नं. 17 झालावाड़ रोड, कोटा।
26.	होटल कल्पना (व्यवसायिक) दास पुत्र श्री रामचन्द्र, प्लाट नं. 19 झालावाड रोड, होटल एवरेस्ट, व्यवसायिक।
27.	श्री शिव पारासर पुत्र श्री हरि नारायण श्री राम नारायण प्लाट नं. 20, झालवाड़ रोड होटल मरूधर व्यवसायिक।

जयपुर लाल कोठी योजना में जारी पट्टे

525. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि लाल कोठी योजना, जयपुर में गलत तरीके से पट्टे जारी करने के मामले की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लाल कोठी योजना में कुछ जारी पट्टों की प्राथमिकता जांच करवाई जा रही है।

(2) प्राथमिक जांच से पूर्व प्रथम दृष्टयां इन प्रकरणों में उप नगर नियोजक श्री अनन्त देव टांक गलत रिपोर्ट किये जाने पर दिनांक 13-2-2003 को निलम्बित किया गया था। परन्तु बाद में श्री टांक को जांच विचाराधीन होते हुऐ दिनांक 8-4-2003 को बहाल कर दिया गया।

सांगानेर (जयपुर) की दीपक कालोनी में आवश्यक सुविधाएं

526. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम श्योपुर (सांगानेर) स्थिति दीपक कालोनी (दी सांगानेर को-आपरेटिव सोसायटी लि.) का नियमन किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब तथा उक्त नियमन से सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कालोनी में सड़क, नालिया, पेयजल व्यवस्था, रोड लाइट, पार्क आदि विकास कार्य करवाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? नियमन हो जाने के बाद भी कालोनी में विकास कार्य नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

(3) अब सरकार उक्त कालोनी में विकास कार्य कब तक कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दी सांगानेर को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की योजना दीपक कालोनी ग्राम नगरियावाला का नियमन दिनांक 30-11-2002 को किया जा चुका है। उक्त कालोनी के नियमन से राज्य सरकार को राशि रूपये 721656/- प्राप्त हुई है।

(2) प्राधिकरण द्वारा इस योजना में जिन सड़कों की अनुमोदित मानचित्रानुसार चौड़ाई पूर्ण उपलब्ध थी उनमें डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। शेष सड़कों का निर्माण कार्य, योजना के निवासियों द्वारा सड़क भूमि से अतिक्रमण हटाने के पश्चात् सम्भव हो सकेगा। नाली निर्माण का कार्य, इस क्षेत्र की विकास नाली के निर्माण पश्चात्, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। का-आपरेटिव स्कीम की कालोनियों में रोड लाइट एवं पेयजल की व्यवस्था प्राधिकरण के स्तर से नहीं की जाती है। इस योजना में अनुमोदित मानचित्र अनुसार पार्क के लिए भूमि आरक्षित नहीं है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने एवं भूखण्डधारियों द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार सड़क भूमि से अतिक्रमण हटाने के पश्चात् विकास कार्य कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

जयपुर की परवाना विहार कालोनी का नियमन

527. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आनन्द भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा परवाना विहार योजनान्तर्गत आवासीय कालोनी के पट्टे जारी किए गए ? यदि हां, तो किन-किन को ?

(2) क्या इस योजना का जयपुर विकास प्राधिकरण से नियमन कराने हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(श्री बाबूलाल नागर)

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क की वसूली भी की गई है ? यदि हां, तो कितनी व किस-किस से ?

(4) क्या उक्त योजना में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या एवं उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उक्त योजना का रेकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश नहीं होने से नियमन की कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

बैराठ में खेल शिविरों का आयोजन

528. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खेलकूद में राज्य का प्रतिनिधित्व अन्य राज्यों की तुलना में निम्नतम स्थान पर है यदि हां, तो सरकार ने अब तक खेलों के विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बैराठ में खेलों के विकास के लिए क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र बैराठ में ग्रामीण प्रतिभाओं को खोजने व खिलाडियों को प्रशिक्षण देने के लिये ग्रीष्मकालीन शिविरों व अन्य शिविरों का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे शिविर कब-कब और कहां-कहां आयोजित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(युवा एवं खेल मंत्री)

(2) वर्तमान में बैराठ विधान सभा क्षेत्र में कोई खेल कार्य प्रगति पर नहीं है।

(3) जी नहीं।

पाली जिले की पुरामहत्व की इमारतों का रख-रखाव

529. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में प्राचीन मन्दिर ऐतिहासिक इमारतें, बावडियां कहां कहां स्थित हैं ?

(2) सरकार द्वारा उक्त पुरा महत्व की ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल एवं रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ क्षतिग्रस्त भी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे मन्दिर/इमारत/बावड़ी का कितना भाग कब से क्षतिग्रस्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इनकी मरम्मत/मूल स्वरूप में पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला पाली में सूर्य मन्दिर, रणकपुर तथा हथूंडी या इस्तिकुण्डी राजस्थान पुरावशेष, स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के तहत राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित हैं तथा मकरमण्डी माता मन्दिर, नीमाज एवं जूनाखेड़ा, नाडोल को संरक्षित घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

(2) समिति वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के अन्तर्गत उक्त पुरामहत्व की ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल के लिये मकरमण्डी माता मन्दिर, नीमाज में दो चौकीदार नियुक्त हैं। इस स्थान पर बिखरी मूर्तियों को एक बड़े हाल में सुरक्षित रखवाया हुआ है।

जूनाखेडा, नाडोल में सुरक्षा हेतु दो चौकीदार नियुक्त है। कलात्मक मूर्तियों को स्थानीय पंचायत भवन में सुरक्षित रखवाया गया है।

(पुरातत्व मंत्री)

हस्तिकुण्डी स्मारक पर एक चांकीदार नियुक्त है। सूर्य मन्दिर, रणकपुर में देवस्थान विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गइ है।

(3) स्मारकों की प्राचीनता, काल-प्रभाव, ऐतिहासिक एवं सामाजिक घटनाओं तथा भूगर्भीय हलचलों के कारण प्राय स्मारक न्यूनाधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं।

(4) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत उपलब्धता के अनुपात में आवश्यकतानुसार प्राथमिकता क्रम से स्मारकों के संरक्षण कार्य कराये जाते हैं।

वर्तमान में ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि 92.30 लाख से मकरमण्डी माता मन्दिर नीमाज के मूलस्वरूप के अनुरूप संरक्षण कार्य प्रगति पर हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2004-05 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 6.60 लाख रूपये से सूर्य मन्दिर, रणकपुर के संरक्षण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं। इसके लिये निविदा आमन्त्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मृत कनिष्ठ लेखाकार के आश्रितों को बकाया भुगतान

530. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या आयोजना (जनशक्ति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग में वर्ष 1978 से 1982 तक में गबन के मामले में किन-किन कनिष्ठ लेखाकारों को निलम्बित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निलम्बित किये गये कनिष्ठ लेखाकारों में से किन-किन कनिष्ठ लेखाकारों की निलम्बन काल में सेवा निवृत्ति हुई एवं उसके पश्चात् स्वर्गवास हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मृतक कनिष्ठ लेखाकारों के आश्रितों को विभाग द्वारा ग्रेच्यूटी, जी.पी.एफ., राज्य बीमा, पेन्शन इत्यादि के बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया तथा क्या उनकी पत्नि को फैमिली पेन्शन देना भी प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग (तत्कालीन जिला गजेटियर्स विभाग) में वर्ष 1978 से 1982 तक में गबन के मामले में एक कनिष्ठ लेखाकार श्री नटवर बिहारी सक्सेना को निलम्बित किया गया।

(2) जनशक्ति एवं गजेटियर्स में निलम्बन काल में किसी कनष्ठि लेखाकार की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु नहीं हुई है। कनिष्ठ लेखाकार श्री नटवर बिहारी सक्सेना को इस विभाग में गबन प्रकरण में उनके पैतृक विभाग निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा दिनांक 12-5-1982 को निलम्बित किया गया तथा दिनांक 11-1-1991 को राज्य सेवा से हटा दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 3-6-2003 को श्री सक्सेना का स्वर्गवास हो गया।

(3) जी नहीं। मृतक कनिष्ठ लेखाकार श्री नटवर बिहारी सक्सेना के विरूद्ध गबन का फौजदारी प्रकरण माननीय ए.सी.जे.एम. कोर्ट संख्या-2, जयपुर नगर, जयपुर में वर्ष 1982 से दिनांक 26-3-2003 तक विचाराधीन रहा। दिनांक 3-6-2003 को श्री सक्सेना के स्वर्गवास हो जाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा 26-6-2003 को आरोपी के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही को ड्राप (Drop) करने के आदेश जारी किए।

इसके पश्चात् मृतक के आश्रित से ग्रेच्युटी/पेन्शन आदि के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में पैतृक विभाग निदेशालय कोष एवं लेखा ने इस विभाग को सूचित किया है कि दण्डादेश दिनांक 11-1-1991 के द्वारा सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत दोष सिद्ध होने पर सी.सी.ए. नियम-14 के अन्तर्गत उल्लेखित दण्ड क्रम संख्या (VI) के अनुसरण में राज्य सेवा से तत्काल हटाया गया है। उक्त दण्ड के अन्तर्गत अपचारी को अर्जित लाभ पेन्शन/ग्रेच्युटी देय नहीं है।

राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. की बकाया राशि का भुगतान राजकीय बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाता है। मृतक के पैतृक विभाग निदेशालय कोष एवं लेखा से प्राप्त निर्देशानुसार जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग द्वारा राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. की बकाया राशि के भुगतान प्राप्त करने हेतु मृतक के आश्रित को निर्धारित प्रपत्र भरकर भिजवाने हेतु दिनांक

(आयोजना (जनशक्ति) मंत्री)

18-6-2004 को एवं स्मरण पत्र दिनांक 20-7-2004 के द्वारा सूचित भी कर दिया गया था, परन्तु मृतक के आश्रित से आज दिनाक तक विभाग में क्लेम हेतु निर्धारित प्रपत्र में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

जैसलमेर जिले के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

531. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) - क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जैसलमेर में कुल कितने राजस्व गांव हैं ? कितने राजस्व गांवों को अब तक बिजली से जोड़कर वहां ट्रान्सफार्मर स्थापित कर दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जैसलमेर के बाकी बचे गांवों को किन-किन वर्षों में जोड़ना प्रस्तावित है ? फेज प्रोग्राम की वर्षवार व गांववार कार्य-योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार जैसलमेर जिले में कुल 578 राजस्व गांव हैं। इनमें से 348 गांवों को अब तक बिजली से जोड़कर वहां ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये हैं।

(2) शेष बचे गांवों में से 4 गांव पूर्व में विद्युतीकृत घोषित हैं व 38 गांव विद्युतीकृत घोषित गांवों से अलग होकर बने राजस्व गांव हैं जो स्वत: विद्युतीकृत घोषित हैं। इनमें वर्तमान में विद्युत तन्त्र स्थापित नहीं है। इनमें वर्तमान में कोई आवेदन भी लम्बित नहीं हैं। मांग आने पर तदनुसार इनमें विद्युत तन्त्र स्थापित किया जावेगा। इनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। इसके अनन्तर शेष रहे गांवों में से 37 गांवों के विद्युतीकरण जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा वर्ष 2004-05 में किये जाने का लक्ष्य है जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। अन्य बचे हुए गांवों का विद्युतीकरण अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संसाधनों की उपलब्धतानुसार सन् 2007 तक करने का लक्ष्य है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कठूमर के अविद्युतीकृत ग्राम

532. श्री रमेश खिंची (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कितने गांव व ढाणी विद्युतिकरण से वंचित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग या अन्य सरकारी मद से अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों हेतु नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान है ?

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कितने कृषि कनेक्शन व घरेलू कनेक्शन देने शेष हैं ? क्या सरकार इन बकाया कनेक्शनों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि 33 के.वी. ग्रिड़ सब-स्टेशन वहतूकलां में स्वीकृति हेतु विचाराधीन था ? यदि हां, तो सरकार अब उसे कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर की जनगणना 1991 के सभी गांव विद्युतिकृत घोषित हैं। उक्त क्षेत्र के ग्राम रूंध मैथना कोड नं. 5/10/88 एवं ग्राम रूंध सोखरी कोड नं. 5/10/274 गैर आबाद ग्राम हैं जिनमें एक भी घर नहीं है अत: इनमें विद्युत तन्त्र उपलब्ध नहीं है। ग्राम भगवतपुरा कोड नं. 5/10/309 में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में वहां ट्रान्सफार्मर स्थापित नहीं है। इस ग्राम में अब कनेक्शन की मांग आई है जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार ने ढाणियों को न तो पूर्णत: चिन्हित किया है न ही सूचीबद्ध किया है।

तथापि उक्त विधान सभा क्षेत्र की विद्युतीकरण से वंचित प्रमुख ढाणियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है जो सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं माडा टाडा विभाग की सहायता से गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चिन्हित अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को भी नि:शुल्क एक बत्ती घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में अब तक 973 कृषि श्रेणी व 323 घरेलू श्रेणी के आवेदन पत्र लम्बित हैं। उक्त कृषि श्रेणी के आवेदकों में से दिनांक 31-03-2003 तक के प्राप्त 934 कृषि आवेदनों के आवेदकों को क्रमश: अगले तीन वर्षों में कनेक्शन देने का लक्ष्य है। शेष को माह मार्च, 2007 के उपरान्त कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी तथा घरेलू श्रेणी के आवेदकों को इसी वर्ष में कनेक्शन देने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष रहे कनेक्शनों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-"ब" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। 33/11 के.वी. का सब-स्टेशन ग्राम बहतूकलां में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जिसे जांच करने पर तकनीकी रूप से असाध्य व वित्तीय रूप से अव्यावहारिक पाये जाने पर निरस्त कर दिया गया है। अब यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र कठूमर की विद्युतीकरण से वंचित ढाणियां निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ढाणी का नाम
1.	झालाटाला	हनुमान का बास
2.	झालाटाला	पाछेल
3.	ईटोला	कुम्हार की ढाणी
4.	कठूमर	मंगलापुर की ढाणी
5.	मसारी	जाटव की ढाणी
6.	मसारी	मीणा की ढाणी
7.	खेरा सारंगपुरा	खेरा की ढाणी
8.	जहाड	बैरवा की ढाणी
9.	मनोकर	मीणा की ढाणी
10.	मनोकर	बैरवा की ढाणी
11.	सांखरी	जाटव की ढाणी
12.	रामपुरा	गोविन्दपुरा की ढाणी
13.	समोची	हरिजन की ढाणी
14.	बादसू	मीणा कालोनी
15.	साजनपाडा	बैरवा कालोनी
16.	मुडिया	मूडिया की ढाणी

परिशिष्ट-"ब"

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कृषि के 973 घरेलू 323 कनेक्शन दिये जाने शेष हैं कि वर्षवार सूची निम्न हैं

वर्ष	लम्बित कृषि कनेक्शन	लम्बित घरेलू कनेक्शन
1988-89	175	
1989-90	112	
1990-91	88	
1991-92	99	
1992-93	83	
1993-94	162	
1994-95	110	
1995-96	36	
1996-97	3	
1997-98	5	
1998-99	37	
1999-2000	27	
2000-01	4	
2001-02	4	
2002-03	9	273
2003-04	19	50
योग:-	**973**	**323**

मार्च 1991 तक की कट आफ डेट के कृषि कनेक्शन कृषि नीति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं एवं बाकी कनेक्शन नियमानुसार जारी किये जावेंगे।

सलूम्बर के अविद्युतीकृत राजस्व ग्राम

533. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सलूम्बर द्वारा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2003-04 में 33 के.वी. ग्रिड़ सब स्टेशन बनाने के लिये सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये थे ? यदि हां, तो किस स्थान हेतु व उपरोक्त प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सलूम्बर क्षेत्र के अन्तर्गत कितने राजस्व ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका एवं बकाया राजस्व ग्रामों को कब तक विद्युतिकृत करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार जनजाति के व्यक्तियों के लिये घरेलू कनेक्शन मुफ्त देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिशासी अभियन्ता सलूम्बर द्वारा वर्ष 2003-04 में निम्नांकित चार 33/11 के.वी. सब-स्टेशन प्रस्तावित थे जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

(अ) भवराना	स्वीकृति जारी हो चुकी है।
(ब) अदकालियां	स्वीकृति जारी हो चुकी है।
(द) खरका मोड	तकनीकी आधार पर साध्य नहीं है।
(य) डगार	तकनीकी आधार पर साध्य नहीं है।

(2) सन् 1991 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल गांवों की संख्या 234 है, उनमें से विद्युतिकृत गांवों की संख्या 219 है। विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के परिशिष्ट-"अ" में वर्णित 15 गांवों में से 5 गांवों कालीपोल, सरामानपुरा, बुडेल, भीमागांव एवं जयमालपुरा का विद्युतीकरण अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा व तीन गांवों अरावला, सती की चोरी व

(ऊर्जा मंत्री)

श्यामपुरा का विद्युतीकरण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित है। शेष 7 गांवों रमिना, वालिया खेड़ा, कुण्डा, जम्बरा, सरवानी, वेन व कचारिया का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार मार्च, 2007 तक करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(3) जी हां। जनजाति के उन चयनित व्यक्तियों के लिये घरेलू कनेक्शन मुफ्त देने का प्रावधान है जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवनयापन करते हों व एक बत्ती घरेलू कनेक्शन योजना के पात्र हों।

परिशिष्ट-"अ"

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कुल 234 गांव है उनमें से 219 गांवों का मार्च 2004 तक विद्युतीकरण हो चुका है तथा निम्न 15 गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है

1.	कालीपोल	21/15/77
2.	सरामानपुरा	21/15/78
3.	बुडेल	21/15/79
4.	भीमागांव	21/15/84
5.	जयमालपुरा	21/15/151
6.	अरावला	21/15/85
7.	सती की चोरी	21/15/80
8.	श्यामपुरा	21/15/227
9.	रमिना	21/15/72
10.	वालिया खड़	21/15/73
11.	कुण्डा	21/15/74
12.	जम्बूरा	21/15/80
13.	सरवानी	21/15/99
14.	वेन	21/15/100
15.	कचारिया	21/15/220

उपरोक्त 15 गांवों में से 5 गांवों (क्रम संख्या 1 से 5) तक का विद्युतीकरण वर्ष 2004-05 में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा करना प्रस्तावित है। तीन गांवों क्र.सं. 6 से 8 का विद्युतीकरण राजस्थान रिनेवेबल एनर्जी कार्पोरेशन (पूर्ववर्ती आर.इ.डी.ए.) द्वारा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा करना प्रस्तावित है। शेष 7 गांवों (क्र.सं. 9 से 15) का विद्युतीकरण मार्च, 2007 तक करने का लक्ष्य प्रस्तावित है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सारोला (खानपुर) में नियमित विद्युत सप्लाई

534. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सारोला, सूमर में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन है जिस पर ओ.सी.बी. नहीं लगी हुई है ? यदि हां, तो इस पर ओ.सी.बी. कब तक लगाई जाकर विद्युत सप्लाई दुरूस्त कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में 33/11 के.वी. के सब-स्टेशन सरोला कलां एवं सूमर स्थापित हैं। वर्तमान में 33/11 के.वी. सब स्टेशन सारोला कलां पर एक ओ.सी.बी. लगी हुई है जो कि चालू हालत में हैं एवं 33/11 के.वी. सब-स्टेशन सूमर पर एक ओ.सी.बी. लगी हुई है जो खराब है। उक्त खराब ओ.सी.बी. को शीघ्र ठीक करने की कार्यवाही की जा रही है।

132 के.वी. ग्रिड स्टेशन अन्ता से पचेलकला को विद्युत आपूर्ति

535. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 33 के.वी. लाइन को पचेकला ग्रिड स्टेशन तक अन्ता 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन से जोड़ने की स्वीकृति कब हुई थी तथा कब ? तक इसमें कितना कार्य हो चुका है ?

(2) उक्त लाइन अब तक चालू नहीं होने के क्या कारण रहे तथा अब उपरोक्त लाइन कब चालू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) 33/11 के.वी. सब-स्टेशन पचेकलां को 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन अन्ता से जोड़ने हेतु 33 के.वी. लाइन की स्वीकृति वर्ष 1996 में जारी हुई थी। इसमें 12 कि.मी. 33 के.वी. लाइन का कार्य एवं रेलवे क्रासिंग का कार्य प्रस्तावित था। जिसमें से 12 कि.मी. 33 के.वी. लाइन का कार्य दिसम्बर, 2002 में पूर्ण हो गया था एवं रेलवे क्रासिंग का कार्य शेष है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) दिसम्बर, 2002 में पचेल अन्ता लाइन का कार्य पूर्ण होने के बावजूद रेलवे क्रासिंग का कार्य अपूर्ण रहने के कारण लाइन चालू नहीं हो पाई थी। इसके पश्चात् फरवरी 2003 में कुछ लाइन आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ लाइन चोरी हो गई थी जिसकी अन्ता थाना में प्राथमिकी रिपोर्ट नं. 41/03 के द्वारा दर्ज करवा दी गई थी। रेलवे क्रासिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। रेलवे क्रासिंग का कार्य पूर्ण होते ही लाइन को पूर्ण कर अविलम्ब आवेशित कर दिया जायेगा।

दानदाताओं द्वारा जनहित में निर्मित ट्यूबवैल/कुएं पर विद्युत कनेक्शन

536. **श्री भंवरू खान (फतेहपुर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि यदि कोई दानदाता किसी गांव में ट्यूबवैल या कुआ ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था करना चाहता है तो उसे विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या अब ऐसे दानदाताओं को जनहित में ट्यूबवैल/कुएं पर विद्युत कनेक्शन देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) के गैर विद्युतिकृत राजस्व गांवों की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार ऐसे गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दानदाताओं द्वारा गांव में ट्यूबवैल या कुआं खुदवाकर ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदक को विद्युत कनेक्शन नियमानुसार देय है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। आवश्यक दस्तावेजात के साथ आवेदन करने व मांगपत्र की राशि जमा करा "एल" फार्म प्रस्तुत करने पर।

(3) सीकर जिले को मार्च, 1982 में पूर्ण रूप से विद्युतिकृत घोषित है। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित राजस्व ग्राम "सींगडों की ढ़ाणी" (मूल ग्राम भाखरवासी 21/10/01/31) 1998 से अलग राजस्व ग्राम घोषित किया है, जिसे मान्य विद्युतिकृत (डीम्ड इलेक्ट्रिफाइड) माना गया है। उपरोक्त नवसृजित राजस्व ग्रामों में वर्तमान में विद्युत तन्त्र नहीं है। वर्तमान में "सींगड़ों की ढ़ाणी" में किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नवसृजित राजस्व ग्राम सींगड़ों की ढाणी में नियमानुसार कनेक्शन जारी करने हेतु वांछित विद्युत तन्त्र स्थापित किया जावेगा।

बाड़मेर जिले की डीम्ड इलैक्ट्रीफाइड ग्राम

537. **श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में कितने ऐसे गांव है जिनको बिजली से नहीं जोड़े जाने के उपरान्त भी बिजली से जोड़े गये (डीम्ड इलैक्ट्रीफाइड) मान लिया गया ?

(2) सरकार ऐसे गांवों को वास्तव में बिजली से कब तक जोड़े जाने का विचार रखती है ? प्रति वर्ष कितने ऐसे गांव बिजली से जोड़ दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार कुल 1634 गांव हैं जिनमें से 1595 गांवों को विद्युतिकृत घोषित किया गया। विद्युतिकृत गांवों से टूट कर नवसृजित गांवों की संख्या 726 है जिनको स्वतः विद्युतिकृत (डीम्ड इलेक्ट्रिफाइड) मान लिया गया। इनमें से 438 गांव वर्तमान में विद्युत तन्त्र से जुड़े हुये नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त गांवों में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार उन्हें जारी करने हेतु वांछित विद्युत तन्त्र स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी जिसका वर्षवार पूर्व आंकलन सम्भव नहीं है।

विद्युत कम्पनियों में पदस्थापित संगणकों को देय लाभ

538. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की पांचों विद्युत कम्पनियों में संगणकों की संख्या कितनी है तथा उनमें से विभागीय पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से कितने संगणक लिए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय पदोन्नति से बने संगणकों को मूल नियुक्ति से जोड़कर 9-18-27 का लाभ नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य की पांचों विद्युत कम्पनियों में संगणकों की संख्या कुल 102 है। ये सभी सीधी भर्ती से लिए गये हैं। कम्पनीवार संगणकों की संख्या की सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। संगणक का पद सीधी भर्ती से भरा जाता है, पदोन्नति से नहीं। सीधी भर्ती के पश्चात् 9-18-27 का लाभ इस संवर्ग में सीधी भर्ती की तिथि से ही देय है। पूर्व पद यदि कोई हो तो उसके सेवाकाल को सम्मिलित करते हुए नहीं।

परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	नाम कम्पनी	संगणकों की संख्या
1.	जयपुर विद्युत वितरण निगम	47
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम	33
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम	15
4.	राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम	7
5.	राज. राज्य विद्युत उत्पादन निगम	0
	कुल	**102**

बांदीकुई में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

539. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 132 के.वी. एवं 33 के.वी. के कितने ग्रिड सब स्टेशन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रिड सब स्टेशन विद्युत लोड के हिसाब से पर्याप्त हैं ?

(3) क्या सरकार ग्राम डिगारिया भीम ग्रिड सब स्टेशन को 132 के.वी. व ग्राम मोटूका में नया सब ग्रिड स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 132 के.वी. बांदीकुई का एक पावर सबस्टेशन स्थापित है तथा 33 के.वी. के 8 सबस्टेशन क्रमशः बांदीकुई, बडियाल कलां, बसवा, निवाई, डिगारिया भीम, भांवता, गुढा कटला एवं प्रतापपुरा स्थापित है।

(2) वर्तमान में प्रतापपुरा एवं बडियाल कलां के अलावा उक्त सभी पावर स्टेशन लोड के हिसाब से पर्याप्त है। प्रतापपुरा एवं बडियाल कलां में लोड अधिक होने के कारण एक नवीन 33/11 के.वी. सब-पावर स्टेशन आभानेरी में निर्माणाधीन है जिसका कार्य प्रगति पर है।

(3) 132/33 के.वी. जी.एस.एस. डिगारिया व 33/11 के.वी. सबस्टेशन मोटूका के प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से असाध्य एवं वित्तीय दृष्टि से अव्यवहार्य पाये गये। अतः उक्त प्रस्ताव अब विचाराधीन नहीं हैं।

दुगना बिल स्पेशल स्कीम के तहत किसानों को विद्युत कनेक्शन

540. श्री अरूणसिंह (डीग) एवं श्री महीपाल यादव (बानसूर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत निगम ने गत वर्षों में स्पेशल स्कीम (दुगना बिल) के तहत किसानों को पम्प सेट कनेक्शन दे रहे हैं ?

(श्री अरूण सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि जो किसान वरिष्ठता (सिनियोरिटी) से कनेक्शन लेते हैं उनके बिल एवं मांग पत्र राशि तथा जिन किसानों ने तुरन्त कनेक्शन लिया उनके बिल एवं मांगपत्र राशि में दुगना अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ? इस विसंगति को कब दूर कर दिया जायेगा ?

(3) श्री नन्दराम पुत्र श्री कालूराम अहीर ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर का पम्प सैट कनेक्शन वर्तमान खाता सं. 0279 किस स्कीम के तहत हुआ ?

(4) क्या सरकार डबल बिल (दुगना बिल) जैसी विसंगतियों को दूर करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सामान्य श्रेणी व स्पेशल श्रेणी के बिल व मांग पत्र की राशि में अन्तर है। क्योकि स्पेशल श्रेणी के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी में वर्षों से प्रतीक्षारत आवेदकों की वरीयता को लांघकर तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर आवेदक की स्वेच्छा से (आप्शन से) दिया जाता है। अतः इसकी दर व मांग पत्र राशि विशिष्ठ रखा जाना न्यायसंगत है। विसंगति नहीं।

(3) श्री नन्दराम पुत्र श्री कालूराम अहीर ग्राम शेरपुर का कनेक्शन चारा योजना, कृषि फ्लैट रेट के तहत हुआ है। जिसका टैरिफ कोड 4500 है, खाता संख्या 1502/279 है। नियम आर.ई.ए.-176 की प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं। सामान्य श्रेणी में आवेदकों को लगभग 15 वर्ष तक लम्बी प्रतीक्षा उपरान्त कृषि कनेक्शन वरीयता के आधार पर देय है तथा इस श्रेणी में आवेदकों को मांग पत्र की राशि व विद्युत दरों में सब्सिडी दी जाती है, जबकि तुरन्त कृषि कनेक्शन (पूर्णतः स्वैच्छिक) चाहने वालों को वरीयता लांघकर तुरन्त कृषि क़नेक्शन दिया जाता है तथा इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसमें कोई विसंगति नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विकलांगों को पेन्शन एवं अन्य सुविधा

541. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में गत 5 वर्षों से कितने विकलांगों को कितनी पेन्शन दी गई और उस पर कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में विकलांगों को क्या-क्या सुविधायें सरकारी खर्चे पर उपलब्ध करायी जाती हैं और उस पर सरकार ने गत 5 वर्षों में कितनी राशि व्यय की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विकलांगों की पेन्शन एवं अन्य सुविधाओं में विस्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि विकलांगों के पेन्शन के प्रार्थना पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने और उनका निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विकलांगों को राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेन्शन नियम, 1965 के अन्तर्गत रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से पेन्शन दी जा रही है। गत 5 वर्षों में विकलांग पेन्शन योजना के अन्तर्गत व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	कुल व्यय राशि
1.	1999-2000	42409	772.40
2.	2000-01	52880	1101.17
3.	2001-02	56286	1167.09
4.	2002-03	58600	1352.62
5.	2003-04	66219 (अनुमानित)	1399.10

(2) परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) विकलांगों की पेन्शन बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अन्य सुविधाओं के बारे में बजट प्रावधानानुसार शीघ्र आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

(4) जी हां। विकलांगों के पेन्शन के प्रार्थना पत्र निम्नानुसार विचाराधीन हैं-

क्र.सं.	जिला	विचाराधीन प्रार्थनापत्रों की संख्या	निस्तारण की सम्भावित अवधि
1.	अजमेर	15	31-07-04 तक
2.	भरतपुर	13	31-07-04 तक
3.	बीकानेर	05	एक सप्ताह
4.	बूंदी	13	अपूर्ण होने के कारण विचाराधीन है। पूर्ति होने पर शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।
5.	हनुमानगढ़	25	अगस्त 2004 तक
6.	जैसलमेर	1	एक माह
7.	करौली	29	एक माह
8.	सीकर	1	31-07-04 तक
9.	उदयपुर	37	31-07-04 तक
10.	श्री गंगानगर	17	अपूर्ण है, पूर्ति होने पर शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा

परिशिष्ट-1

नि:शक्तों के कलयाणार्थ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही हैं। प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1 **नि:शक्त छात्रवृत्ति**

नि:शक्त छात्र/छात्रा के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा नि:शक्त छात्रों को नि:शक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नि:शक्तों को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 40,000 रूपये तक है उन्हें निम्न प्रकार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इस योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	101.48
2000-2001	106.02
2001-2002	99.53
2002-2003	121.69
2003-2004	116.80

2 **नि:शक्तों को कृत्रिम अंग/उपकरण एवं आर्थिक सहायता:**

इस योजना के अन्तर्गत नि:शक्तों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने की दृष्टि से आर्थिक सहायता एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं। जैसे कैलीपर्स, ट्राइसाईकिल, श्रवण यंन्त्र, टेपरिकार्डर एवं स्वयं के व्यवसाय हेतु रूपये 2000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	86.02
2000-2001	70.57
2001-2002	63.50
2002-2003	34.71
2003-2004	30.24

3 **नि:शक्तों को परिवहन सहायता:**

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग की बसों में यात्रा करने वाले दृष्टिबाधितों को नि:शुल्क एवं अस्थि विकलांगों को किराये में 75 प्रतिशत छूट की सुविधा दी जाती है। अस्थि विकलांगों तथा दृष्टिबाधितों के अलावा श्रवण बाधितों को भी निगम की बसों में 75 प्रतिशत तथा मानसिक विमंदितों को शत-प्रतिशत एवं उनके सहायक को किराये में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	5.00
2000-2001	5.00
2001-2002	5.00
2002-2003	----
2003-2004	5.00

4 **पोलियो करेक्शन आपरेशन:**

इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिविर लगाकर आपरेशन करवाने पर प्रति आपरेशन रूपये 3000/- तक की दर से अनुदान/सहायता स्वीकृत की जाती है। इस राशि में चिकित्सक दलों की व्यवस्था, सर्जरी, दवाइयां, जांच, प्लास्टर, रोगी व परिचारक का भोजन, परिवहन, टैण्ट, आवास एवं प्रचार-प्रसार आदि समस्त प्रकार के व्यय सम्मिलित हैं।

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में आपरेशन करवाने पर रूपये 2000/- तक की दर से अनुदान/सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। इस राशि में रोगी की जांच, दवाइयां, प्लास्टर, रोगी व परिचारक का भोजन, परिवहन, प्रचार-प्रसार आदि व्यय सम्मिलित है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	33.00
2000-2001	49.55
2001-2002	248.99
2002-2003	107.67
2003-2004	72.42

5　　विकलांगों को विवाह परिचय सम्मेलन हेतु अनुदान:

विकलांगों के विवाह के प्रोत्साहन एवं परिचय सम्मेलन आयोजन हेतु प्रति विवाह पर रूपये 20,000 का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। विवाह प्रोत्साहन राशि पूर्व में 5,000 हजार रूपये दी जाती थी जो दिनांक 19-08-2003 से बढ़ाकर रूपये 20,000 हजार कर दी गई है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
199-2000	3.65
200-2001	4.44
2001-2002	4.88
2002-2003	4.50
2003-2004	10.00

6　　विकलांगों का चिन्हीकरण:

विकलांगों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने की दृष्टि से विकलांगों का चिन्हीकरण किया जाता है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	0.65
2000-2001	3.33
2001-2002	4.34
2002-2003	3.07
2003-2004	5.97

7　　राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना:

भारत सरकार द्वारा संचालित नि:शक्तों के कल्याणार्थ, नि:शक्तों को राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अनुरूप राज्य स्तर पर नि:शक्तों के श्रेष्ठ नियोजकों, श्रेष्ठ नियोजित व स्वनियोजित नि:शक्तों, नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ समाजसेवी संस्थाओं एवं समाज सेवी को पुरस्कृत किया जाता है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	0.75
2000-2001	0.38
2001-2002	0.76
2002-2003	0.26
2003-2004	0.82

8 विकलांगों को कियोस्क हेतु अनुदान:

नि:शक्तों को स्वयं का व्यवसाय करने के लिये कियोस्क उपलब्ध करवाये जाते हैं। कियोस्क निर्माण की लागत का पुनर्भरण विभाग द्वारा स्थानीय निकाय विभाग को किया जाता है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
2000-2001	16.00
2001-2002	60.00
2002-2003	53.00
2003-2004	33.29

9 नि:शक्तों के लिये खेलकूद आयोजन हेतु अनुदान:

नि:शक्त व्यक्तियों में मौजूद प्रतिभाओं को उजागर करने के उद्देश्य से खेलकूद कार्यक्रमों का विभिन्न स्तरों पर आयोजन किया जाता है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
2001-2002	1.00
2002-2003	0.25
2003-2004	0.90

10 निःशक्तों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण हेतु अनुदानः

निःशक्तों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु इस योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम वर्ष 2003-04 से आरम्भ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2003-04 में रूपये 3.20 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रूपये 3.20 लाख स्वयं सेवी संस्था को निःशक्त जनों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृत किया गया है।

11. नेत्रहीनों को ब्रेल साहित्यः

दृष्टिबाधित व्यक्ति, छात्र/छात्राओं का निःशुल्क पाठ्य सामग्री/ समाचार पत्र ब्रेल लिपि में उपलब्ध करवाये जाते हैं। ब्रेल समाचार पत्र राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर एवं ब्रेल पाठ्य पुस्तकें एल.के.सी. जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकाशित की जाती हैं तथा अध्ययनरत निःशक्त छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	8.00
2000-2001	3.00
2001-2002	3.00
2002-2003	3.00
2003-2004	3.00

12 नेत्रहीनों के शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्रः

राज्य सरकार द्वारा दृष्टि बाधितों के विद्यालयों हेतु शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से एस.टी.सी. स्तर का चालया जा रहा है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	1.00
2000-2001	1.00
2001-2002	1.00
2002-2003	1.00
2003-2004	1.00

13 मानसिक विमदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास केन्द्रः

विभाग द्वारा मानसिक विमंदित महिला एवं बालकों के कल्याणार्थ जयपुर में मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास केन्द्र संचालित किया जा रहा है। इसमें आवासी महिला एवं बालकों को नि:शुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	28.76
2000-2001	35.69
2001-2002	36.88
2002-2003	39.59
2003-2004	47.60

14 क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रः

मानसिक विमंदित बच्चों के लिये विशेष शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित यह केन्द्र भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय विमंदित संस्थान, सिकन्दराबाद में मान्यता प्राप्त है।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	7.99
2000-2001	10.00
2001-2002	9.30
2002-2003	8.60
2003-2004	8.35

15 स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदानः

विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2003-04 में राज्य

सरकार द्वारा 17 स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है एवं भारत सरकार को 23 संस्थाओं के प्रस्ताव अग्रेषित किये गये हैं।

इस योजना योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	व्यय
1999-2000	36.75
2000-2001	44.56
2001-2002	45.19
2002-2003	23.80
2003-2004	93.01

तारानगर व राजगढ़ (चूरू) तहसील में विकलांगों को सहायता

542. डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विकलांगों की सहायता के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिला चूरू की तहसील, तारानगर एवं राजगढ़ में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वंचित रहे विकलांगों को लाभान्वित करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) विकलांगों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिला चूरू की तहसील तारानगर एवं राजगढ़ में दिनांक 01-01-2004 से अब तक लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पात्र विकलांग व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार लाभान्वित किया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नाम योजना	जिला चूरू की तहसील तारानगर में विकलांग लाभान्वितों की संख्या (दिनांक 1-1-2004 से अब तक)	जिला चूरू की तहसील राजगढ़ में विकलांग लाभान्वितों की संख्या (दिनांक 1-1-2004 से अब तक)
1.	विकलांग पेन्शन योजना	202	397
2.	राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम जिला चूरू से 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण स्वीकृत	3	1
3.	सुखद जीवन योजना (विकलांग विवाह)	1	-
4.	विकलांग छात्रवृत्ति	73	77
5.	विकलांग प्रमाण पत्र	52	97

हनुमानगढ़ जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना

543. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले में "केन्द्रीय सहकारी बैंक" खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। हनुमानगढ़ जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक खोलने की सिद्धान्तः सहमति दी जा चुकी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा नवीन केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण होते ही नाबार्ड से बैंक के गठन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

निवाई क्रय विक्रय सहकारी समिति में प्राप्त शिकायतें

544. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति, निवाई में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनके आधार पर क्या कार्यवाही की गई एवं क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? प्राप्त शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

गत पांच वर्षों में 6 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री प्रदीप शर्मा. उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस निवाई द्वारा दिनांक 22-5-2000 को कर्मचारी श्री धूलीराम मीणा, व्यवस्थापक (निरी.-कार्य.) श्री सत्यनारायण शर्मा, लेखापाल एवं श्री अजीत सिंह,

(सहकारिता मंत्री)

सेल्समैन के विरूद्ध समर्थन मूल्य सरसों खरीद में अनियमितताएं बरतने बाबत् शिकायत प्राप्त हुई जिसकी धारा-70 के तहत जांच कराई गई। जांच में श्री नाथूलाल, सेल्समैन द्वारा रूपये 6460/- बी.पी.एल. गेहूं शोर्टेज करके गबन/दुरूपयोग का दोषी पाया गया। श्री नाथूलाल से वसूली हेतु सहायक रजिस्ट्रार, टोंक स्तर से अधिनियमान्तर्गत धारा-57 की कार्यवाही की जा रही है। श्री धूलीराम मीणा, श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री अजीत सिंह को जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्दोष पाया गया।

2. श्री दीनानाथ, श्री कालूराम, श्री रामनाथ, श्री बिहारीलाल एवं समस्त सहकार बन्धुओं द्वारा दिनांक 6-8-2001 को श्री धूलीराम मीणा, निरीक्षक कार्यकारी एवं व्यवस्थापक के विरूद्ध परिवहन में अनियमितता करने एवं प्राईवेट फर्मों से माल क्रय करने बाबत् शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत पत्र में वर्णित बिन्दुओं की तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा धारा-570 के अन्तर्गत जांच कराई गई। जांच परिणाम में दोषी नहीं पाये गये, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. श्री बाबूलाल द्वारा दिनांक 3-11-2001 को कर्मचारी श्री धूलीराम मीणा, व्यवस्थापक एवं निरीक्षक कार्यकारी के विरूद्ध परिवहन में अनियमितता करने एवं प्राईवेट फर्मों से माल क्रय करने बाबत् शिकायत प्राप्त हुई। धारा-70 की जांच कराई गई जांच में दोषी नहीं पाये गये अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

4. श्री छीतरमल द्वारा दिनांक 14-1-2004 को कर्मचारी श्री धूलीराम मीणा, व्यवस्थापक एवं निरीक्षक कार्यकारी के विरूद्ध किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., निवाई में उड़द व मूंग खरीद में अनियमितता बाबत् शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच कार्यवाही जारी है।

5. श्री रामसिंह झाडौन्दा, श्री सीताराम मीणा, श्री छीतर, श्री रामलाल, श्री सुखपाल गुर्जर, श्री रामेश्वर जाट एवं श्री हनुमान शर्मा झिलाय

(सहकारिता मंत्री)

द्वारा दिनांक 19-3-2004 को कर्मचारी श्री सत्यनारायण लेखापाल के विरूद्ध गेहूं. तेल. खाद. बीज सप्लाई करने में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार कर लाखों की सम्पत्ति बनाने बाबत् शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच कराई गई, शिकायतकर्ता ने शिकायत फर्जी बताई, रेकार्ड के आधार पर तथ्य प्रमाणित नहीं हुए। शिकायत जिला कलक्टर, टोंक के माध्यम से प्राप्त हुई थी. अतः जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर, टोंक को भिजवाई।

6. श्री भंवरलाल शर्मा द्वारा दिनांक 1-6-2004 को श्री धूलीराम मीणा, व्यवस्थापक एवं निरीक्षक कार्यकारी. श्री सत्यनारायण, लेखापाल श्री मोहन लाल, वाहन चालक के विरूद्ध संस्था हानि पहुंचाने बाबत् शिकायत प्राप्त हुई। जांच कार्य सहायक रजिस्ट्रार, टोंक स्तर पर जारी है। शिकायत की प्रतियां परिशिष्ट-1 से 6 तक संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

काणूजा ग्राम पंचायत (पाली) द्वारा जारी पट्टे

545. **श्री सी.डी. देवल (रायपुर)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत काणूजा पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली द्वारा जनवरी, 2000 से जून, 2004 तक कितने पट्टे किन-किन लोगों को जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत ने उक्त सभी पट्टों की राशि पट्टाधारियों से पंचायत नियमों के तहत वसूल की हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित सरपंच से राशि वसूल करने का विचार रखती है ?

(3) उक्त ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे कहां-कहां दिये गये तथा उक्त भूमि किस किस्म की भूमि में है ? क्या उक्त प्रकार की भूमि में ग्राम पंचायत पट्टे जारी कर सकती है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त गलत पट्टे जारी करने के लिये सम्बन्धित सरपंच के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? उक्त पट्टों की सूची मय भूमि की किस्म खसरा नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री सी.जी. देवल)

(4) क्या उक्त ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये सभी पट्टे नियमों के तहत जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पट्टे रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत काणुजा पंचायत समिति रायपुर जिला-पाली ने जनवरी 2000 से जून 2004 तक कुल 35 पट्टे जारी किए गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त ग्राम पंचायत ने 35 पट्टों की राशि पट्टाधारियों से पंचायत नियमों के तहत वसूल कर ली है।

(3) उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में पट्टे ग्राम पंचायत काणुजा की आबादी भूमि में जारी किये गये है। आबादी भूमि में ग्राम पंचायत पट्टे जारी कर सकती है।

(4) पंचायत समिति, रायपुर द्वारा प्रत्युत्तर के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गये सभी उक्त अवधि में पट्टे नियमों के तहत दिये गये हैं।

कार्यालय पंचायत समिति, रायपुर, पाली

ग्राम पंचायत कानूजा में वर्ष जनवरी 2000 से जून, 2004 तक जारी सूची

क्र. सं.	पट्टा नम्बर	प्रार्थी का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत
1.	1016	श्रीमति सुशीला/छगन सिंह	कानूजा	कानूजा
2.	1017	" भंवरी शिवनाथ	कानूजा	कानूजा
3.	1018	" फेजी देवी/भानसिंह	पेलावास	कानूजा
4.	1019	" पुनी देवी W/o भेरसिंह	नाडी	कानूजा
5.	1020	" राधादेवी/लक्ष्मणसिंह	चुनियों की बेरी	कानूजा
6.	1021	" भाडीदेवी/धन्नाराय देवासी	वेवासियों की ढाणी	कानूजा
7.	1022	श्री हरजी नाथ/शिवनाथ जी	नायों का मौहल्ला	कानूजा
8.	1023	" प्रेमसिंह/धनसिंह	मोतीदा	कानूजा
9.	1024	" वीरमसिंह/धनसिंह	मोतीदा	कानूजा
10.	1025	" गोपाल सिंह/धन्नासिंह	कानूजा	कानूजा
11.	1026	" पूर्ण सिंह/गाजी सिंह	सादों का बाडिया	कानूजा
12.	1027	" बनेसिंह/हिरासिंह	मोतीवा	कानूजा
13.	1028	" गोविन्द सिंह/पन्ना सिंह	कानूजा	कानूजा
14.	1029	" मदनलाल/नाथूलाल	कानूजा	कानूजा
15.	1030	" खेगार सिंह/भेरसिंह	कानूजा	कानूजा
16.	1031	" केशरसिंह/भेरसिंह	कानूजा	कानूजा
17.	1032	" मोहन सिंह/केशर सिंह	कानूजा	कानूजा

क्र. सं.	पट्टा नम्बर	प्रार्थी का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत
18.	1033	श्रीमति मगदू/भूर सिंह	कानूजा	कानूजा
19.	1034	श्री अमर चन्द S/o नाथू सुथार	कानूजा	कानूजा
20.	1035	" भेरूनाथ S/o जवान नाथ	कानूजा	कानूजा
21.	1036	" मिठा नाथ S/o जवाननाथ	कानूजा	कानूजा
22.	1037	" तारानाथ S/o जवाननाथ	कानूजा	कानूजा
23.	1038	" लक्ष्मण S/o किशनाराम गाडिया लोहार	कानूजा	कानूजा
24.	1039	श्रीमति कमला W/o लक्ष्मणराम	कानूजा	कानूजा
25.	1040	श्री सोहनलाल S/o तारूराम	कानूजा	कानूजा
26.	1041	श्री श्रवणराम/तारूराम	कानूजा	कानूजा
27.	1042	" गिरधारीराम S/o किशनाराम	कानूजा	कानूजा
28.	1043	श्रीमति ढगलाई W/o व्येवरराम देवासी	पेलावास	कानूजा
29.	1044	श्री मोहनसिंह S/o भूरसिंह	गेट-चौक	कानूजा
30.	1045	" राम सिंह/केशरसिंह	कानूजा	कानूजा
31.	1046	" श्रवणसिंह/जवानसिंह	कानूजा	कानूजा
32.	1047	श्री भंवरी गुरू/धापू	कानूजा	कानूजा
33.	1048	" मिठूसिंह/गेनसिंह	उजिना	कानूजा
34.	1049	" गुमानसिंह/चतुरसिंह	पेलावास	कानूजा
35.	1050	" किशनसिंह/उदयसिंह	मोतीवा	कानूजा

संगणकों के रिक्त पद

546. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)** : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में संगणकों के कुल कितने पद हैं ? उक्त पदों में से 30 जून. 2004 तक कुल कितने पद हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? उक्त पदों को भरने की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में संगणकों के कुल 571 पद है। उक्त पदों में से दिनांक 30 जून, 2004 को 320 पद संगणकों के रिक्त थे। उपरोक्त 320 रिक्त पदों में से 151 पद माह जून 2004 में संगणकों के सांख्यिकी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के कारण रिक्त हुये है।

(2) जी हां। रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संगणकों की भर्ती विभागीय लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है।

नोहर (हनुमानगढ़) के ऐतिहासिक/धार्मिक स्थलों का विकास

547. **श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नोहर जिला हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों यथा पल्लू एवं गोगामेड़ी जहां लाखों पर्यटक सालाना आते हैं, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पर्यटन विभाग द्वारा गोगामेड़ी के मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है। पल्लू एवं गोगामेड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गंगरार के पर्यटन स्थलों का विकास

548. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार कि किस-किस स्थल को सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में कौन-कौन से पर्यटक स्थल हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई एवं कितनी-कितनी राशि का उपयोग हुआ ? सूची पर्यटन स्थल वार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मातृ कुण्डिया, मरमीमाताजी, सारेणेसर महादेव, गढ़ के हनुमानजी गंगरार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के तथा कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग के द्वारा किसी भी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है, अपितु वर्ष पर्यन्त पर्यटकों की आवक-जावक के आधार पर स्थान विशेष स्वतः ही पर्यटक स्थल स्थापित हो जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में स्थित मातृ कुण्डियां के विकास कार्य हेतु वर्ष 2001-02 में राशि रूपये 2.49 लाख का बजट स्वीकृत कर कार्य करवाया जा चुका है।

(3) जी नहीं। पर्यटन विभाग के सीमित बजट संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सभी स्थलों को विकसित किया जाना सम्भव नहीं हैं।

राजस्थान-हरियाणा के मध्य यात्री वाहन संचालन हेतु समझौता

549. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान एवं हरियाणा प्रान्त के मध्य यात्री वाहन संचालन हेतु कब-कब समझौते किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त राज्यों में पिछले 10 वर्षों में यात्री भार में बढोतरी हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि समझौता होने के पश्चात् कुछ मार्गों पर यात्री भार अत्यधिक होने से बसों की संख्या काफी कम है ?

(4) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए बढ़े हुए यात्री भार के अनुसार स्कोप बढ़ाकर नया समझौता करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के मध्य वैध समझौता सन् 1968 में तथा अन्तिम समझौता 15 जुलाई, 1997 को हुआ।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह सही है कि समझौता होने के पश्चात् मार्गों पर यात्री भार अत्यधिक होने से बसों की संख्या कम है।

(4) जी हां। यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बढ़े हुए यात्री भार के अनुसार मार्गों पर स्कोप बढ़ाना तथा नये मार्गों के प्रस्ताव के साथ पारम्परिक समझौते का प्रारूप दिनांक 07-04-2003 को हरियाणा सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। अन्तरराज्यीय समझौता अन्य राज्य से सहमति पर निर्भर है अतः समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

निगम द्वारा संचालित बस सेवा में मासिक पास में छात्रों को रियायत

550. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने हेतु मासिक व त्रैमासिक यात्रा पास बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उसका शुल्क सामान्य व्यक्ति व विद्यार्थियों से समान रूप से लिया जाता है ?

(यातायात मंत्री)

(2) क्या सरकार इन मासिक व त्रैमासिक यात्रा टिकट (पास) में विद्यार्थियों को 50% तक रियायत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य व्यक्ति को किराये में 40 प्रतिशत किराये में छूट देकर 60 प्रतिशत किराया राशि वसूल की जाती है तथा विद्यार्थियों को किराये में 50 प्रतिशत किराये में छूट देकर 50 प्रतिशत किराया राशि वसूल की जाती है।

(2) जी हां। विद्यार्थियों को किराये में 50 प्रतिशत की रियायत पूर्व से ही दी जा रही है।

माडा योजनान्तर्गत आबंटित राशि का उपयोग

551. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित माडा, बिखरी, जनजाति, कलस्टर एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) योजना में पिछले पांच वर्षों में किस-किस जिले को विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आवणिटत की गई ? जिलेवार मद, उपमदवार एवं वर्षवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) आबंटित राशि में से किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? जिलेवार मदवार एवं वर्षवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माडा योजना में प्राप्त राशि का उपयोग केवल माडा योजना चयनित चिन्हित गांवों में ही व्यय करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में दिनांक 31 मार्च, 2004 तक व्यय राशि किस -किस चयनित गांव में व्यय की गई ? जिलेवार मदवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित वि.के. सहायता के अन्तर्गत माडा, बिखरी जनजाति, कलस्टर एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1)

(जनजाति क्षेत्रीय विकास)

में पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है

(लाखों में)

वर्ष	माडा	माडा कलस्टर	बिखरी	275(1)
1999-2000	402.44	32.02	134.38	100.00
2000-01	574.08	26.89	140.15	859.29
2001-02	1212.80	17.94	248.84	1293.08
2002-03	411.83	27.76	232.51	426.28
2003-04	554.59	16.24	269.54	524.19

जिलेवार, उपमदवार एवं वर्षवार आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ठ '1' पर प्रस्तुत है। (पृष्ठ 1 से 27 तक)

(2) आबंटित राशि में से जिला स्तर पर स्वीकृत राशि की कार्यवार/मदवार एवं वर्षवार सूचना परिशिष्ठ 62' पर संलग्न है। (पृष्ठ 1 से 72 तक)

(3) विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत राशि क्षेत्र विशेष यथा माडा लघुखण्ड, माडा कलस्टर एवं बिखरी आबादी क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक प्राप्त होती है इसलिये उक्त मद में माडा क्षेत्र हेतु प्राप्त होने वाली राशि का व्यय माडा क्षेत्र में ही करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राशि कार्य विशेष हेतु स्वीकृत की जाती है जिसका क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है पिछले पांच वर्षों में 31-3-2004 तक माडा चयनित जिन गांवों में राशि व्यय की गई उसका योजनावार, गांववार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ठ '3' पर प्रस्तुत है। (पृष्ठ 1 से 110 तक)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी में माडा योजनान्तर्गत कार्य

552. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कान्ती प्रसाद मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में माडा एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में कौन-कौनसे कार्य किन-किन गांवों में कितनी-कितनी राशि के करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्ष 2004-05 में माडा एवं बिखरी जनजाति के व्यक्तियों के लिये कौन-कौनसी योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कार्य प्रस्तावित करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में माडा एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में कराये गये कार्यों एवं उन पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्ष 2004-05 में माडा, बिखरी एवं संविधान की धारा 275(1) में प्रस्तावित कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित राशि का विवरण परिशिष्ठ-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

माडा एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची विशेष केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	वर्ष	मद/कार्य का नाम	स्थान/गांव का नाम	व्यय राशि	योजना का नाम
1.	1999-2000	सामु. पम्पसेट वितरण	लालपुरा	56100	माडा
2.	1999-2000	सामु. पम्पसेट वितरण	प्रतापगढ़ आगर	93500	बिखरी
3.	1999-2000	छात्रावास में जेट पम्प मरम्मत एवं पाईप लाईन को टंकियों से जोडना	थानागाजी	35000	माडा
4.	1999-2000	सामु. पम्पसेट वितरण	चांदपुरा, लालपुरा	56100	माडा
5.	1999-2000	सामु. पम्पसेट वितरण	भडाज, आगर	56100	बिखरी
6.	2000-01	डीजल पम्पसेट वितरण	चाहकावास, निटाटा, झिरी, मेजोड	36000	बिखरी
7.	2000-01	डीजल पम्पसेट वितरण	प्रतापगढ़	42000	माडा
8.	2001-02	छात्रावास में मरम्मत कार्य	थानागाजी	49000	माडा
9.	2001-02	डीजल पम्पसेट वितरण	चांदपुरी	40000	बिखरी
10.	2001-02	डीजल पम्पसेट वितरण	पचपडी	6000	माडा
11.	2001-02	डीजल पम्पसेट वितरण	प्रतापगढ आगर	12000	बिखरी
12.	2001-02	छात्रावास में आवासित छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तक वितरण	थानागाजी	3326	माडा
13.	2001-02	छात्रावास में मरम्म व कार्य	थानागाजी	18000	माडा
14.	2001-02	प्रतिभावन छात्रवृत्ति	रा.मा.उ.मा.वि. थानागाजी	2500	माडा
15.	2001-02	एनीकट निर्माण	जेतपुर ब्राह्मण	200000	माडा
16.	2002-03	प्रतिभावन छात्रवृत्ति	रा.उ.मा.वि. थानागाजी	2500	माडा
17.	2002-03	फव्वारा सिंचाई सेट वितरण	लालपुरा	18000	माडा

क्र.सं.	वर्ष	मद/कार्य का नाम	स्थान/गांव का नाम	व्यय राशि	योजना का नाम
18.	2002-03	फव्वारा सिंचाई सेट वितरण	आगर	9000	बिखरी
19.	2002-03	डीजल पम्पसेट वितरण	लालपुरा, समरा, गुवाडाराडी	80000	माडा
20.	2002-03	डीजल पम्पसेट वितरण	पडाकछापली, प्रतापगढ़	20000	बिखरी
21.	2002-03	छात्रावास में नि:शुल्क पोशाक वितरण	थानागाजी	40000	माडा
22.	2002-03	छात्रावास में नि:शुल्क पोशाक वितरण	थानागाजी	3563	माडा
23.	2003-04	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि	श्री कृष्ण महाविद्यालय नारायणपुर	3500	बिखरी
24.	2003-04	प्रतिभावन छात्रवृत्ति	रा.मा.उ.मा.वि. थानागाजी	3500	बिखरी
25.	2003-04	डीजल पम्पसेट वितरण	चांदपुरा, गुवाडा रामजी	40000	माडा
26.	2003-04	डीजल पम्पसेट वितरण	प्रतापगढ़, भडाज नरहेट	30000	बिखरी
27.	2003-04	फव्वारा सिंचाई सेट वितरण	प्रतापगढ़	9000	बिखरी
28.	2003-04	हैण्डपम्प निर्माण	अजबगढ़	40000	बिखरी
29.	2003-04	छात्रावास में आवासित छात्राओं को छात्रवृत्ति	थानागाजी	40000	माडा
30.	2003-04	छात्रावास में आवासित छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तक	थानागाजी	3149	माडा
	योग			**1047838**	

परिशिष्ट-1

धारा 275(1)

राशि लाख रू.

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम	गांव का नाम	स्वीकृत राशि
1.	2001-02	हैण्डपम्प निर्माण राजीव गांधी पाठशाला	रामपुर	0.500
2.	2001-02	हैण्डपम्प निर्माण	कोलाका बास	0.500
3.	2001-02	हैण्डपम्प निर्माण	वाडगुजरान	0.500
4.	2001-02	हैण्डपम्प निर्माण	कुशाल सिंहढाणी	0.500
5.	2001-02	हैण्डपम्प निर्माण	विजयपुरा	0.500
6.	2001-02	हैण्डपम्प निर्माण	बुद्धासिंह ढाणी	0.500
7.	2001-02	सी.सै. स्कूल कमरा मय बरामदा निर्माण	बसई जोगियान	2.500
8.	2001-02	उ.प्रा.शा. कमरा मय बरामदा निर्माण	वड गूजरान	2.500
9.	2001-02	उ.प्रा.शा. कमरा मय बरामदा निर्माण	वसई जोगियान	1.000
10.	2001-02	सामुदायिक भवन निर्माण	वसई जोगियान	2.500
11.	2003-04	अति. कमरा मय बरामदा नि.उ.प्रा.वि.	लीलामढा	0.890
12.	2003-04	अति. कमरा मय बरामदा नि.उ.प्रा.वि.	तुर्कियावास	1.250
13.	2003-04	अति. कमरा मय बरामदा नि.उ.प्रा.वि.	सीली बावडी	1.250
14.	2003-04	अति. कमरा मय बरामदा नि.उ.प्रा.वि	वकाढ गुजरान	1.250
15.	2003-04	शिक्षाकर्मी विद्यालय में अति. कमरा मय बरामदा नि.	बसई जोगियान	1.250
16.	2003-04	अति. कमरा मय बरामदा नि.उ.प्रा.वि.	बुद्धासिंह की ढाणी	1.250
17.	2003-04	अति. कमरा मय बरामदा नि.उ.प्रा.वि.	बसई जोगियान	1.250
18.	2003-04	अति. कमरा मय बरामदा नि.उ.प्रा.वि.	बाछडी	1.250
	योग			**26.14**

परिशिष्ट-2

वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कराये जाने वाले कार्य की सूची

1. धारा 275(1) में वर्ष 2003-04 में स्वीकृत कार्य जिनका कार्य वर्ष 2004-05 में करवाया जावेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि (लाखों में)
1	स्कूलों में अति. कमरा निर्माण	
अ	रा.उ.प्रा.वि. बसई जोगियान में दो कमरा मय बरामदा	3.40
ब	शिक्षाकर्मी वि. ढाणी खारिया ग्राम प. बामनवास में दो कमरा मय बरामदा निर्माण	2.50
	राजीव गांधी पाठशाला रामपुर में एक कमरा मय बरामदा निर्माण	1.25
	योग	7.15
2	हैण्डपम्प निर्माण	
अ	रा.उ.प्रा.वि. बाढ गुजरान के पास	0.40
ब	शिक्षाकर्मी विद्यालय दुर्गावालों की ढाणी के पास	0.40
स	जयराम मीणा की ढाणी बसई जोगियान	0.40
द	पीलीपाल की जोडडी पर थानागाजी में	0.40
य	ढाणी हीरालाल मुण्डावरा	0.40
र	सागसिगांला बसई जोगियान में	0.40
	योग	**2.40**

2. धारा 275(1) में प्रस्तावित कार्य वर्ष 2004-05

1	अति. कमरा निर्माण	
अ	रा.प्रा.वि. काबलीगढ	1.25
ब	रा.प्रा.वि. डूमेडा	1.25
2	आश्रम छात्रावास थानागाजी में कमरा निर्माण	2.00

3. माडा एवं बिखरी जनजाति कार्यक्रमान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित कार्य

1.	एनीकट निर्माण सीली बावडी	3.50
2.	डीजल पम्पसेट वितरण	1.00
3.	फव्वारा सिंचाई सेट	0.60
4.	आश्रम छात्रावास में गैस पाइप लाइन फिटिंग	0.15
	योग	**5.25**

जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कर्मियों का बकाया वेतन

553. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सराकर द्वारा जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को कृषि विभाग से अलग कर पंचायत राज विभाग के अधीन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब व किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जल ग्रहण विकास भू-संरक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियोंको कब से एवं क्यों ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को कब से एवं क्यों ? अब कब तक उनके वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 2-7-2003 से, संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुड़ी गतिविधियों के पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जाने हेतु गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर माननीय मुख्य मंत्री के अनूमोदन अनुसार जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को कृषि विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण से अलग किया जा कर पंचायती राज विभाग के अधीन किया गया है।

(2) जी नहीं। वास्तविकता यह है कि विभाग में कार्यरत 1140 कर्मियों में से 767 को जून, 2004 तक वेतन भुगतान हो चुका है। फरवरी, 2004 से 6 मार्च, 2004 से 150, अप्रैल 2004 से 151, मई 2004 से 216 व जून 2004 से 373 कार्मिकों का वेतन भुगतान बकाया है। इस तरह कुल शेष 373 कर्मियों को भुगतान की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से विलम्बित हुई हैं।

संविधान संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विभाग को पंचायत राज को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कतिथ आदेश जारी किये गये थे। इसके फलस्वरूप दिनांक 28-2-2004 को विभाग ने कार्यरत क्षेत्रीय

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

स्तर के कर्मियों को विभिन्न 237 पंचायत समितियों में स्थानान्तरित किया गया था। इन स्थानान्तरित कर्मियों ने अपने नये पदस्थापन कार्यालयों पर काफी विलम्ब से ड्यूटी जोइन की एवं 129 कर्मियों ने उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं पीठ जयपुर से उक्त आदेशों के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये एवं कुछ कर्मियों ने पंचायत राज विभाग के स्थान पर पूर्व नियन्त्रण पैत्रिक विभाग में रखे जाने एवं उनके वेतन का भुगतान पूर्ववत मूल विभाग से किये जाने के न्यायिक अन्तरिम आदेश प्राप्त किये है, इस कारण भुगतान व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो गया। अतः इन्हें पंचायत राज से नये पदस्थापित स्थानों से वेतन भुगतान नहीं हो पाया एवं इनके सम्बन्ध में वित्त विभाग को अलग से पुनः बजट प्रावधान मूल विभाग में स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। यह स्वीकृति प्राप्त होने पर अब भुगतान किये जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

निदेशालय के अन्तर्गत 24 इकाईयों के 192 कर्मी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत वेतन प्राप्त कर रहे थे अब इस योजना के प्रावधानों में संशोधन के कारण बजट अपर्याप्त रहा गया। राज्य सरकार को अलग से वेतन भुगतान हेतु राशि आवण्टन करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निवेदन प्रस्ताव भिजवाये गये इसकी सवीकृति प्रक्रिया में समय लगा है एवं हाल ही दिनांक 20-07-2004 को उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सशर्त सहमति प्राप्त हुई हैं।

उपरोक्त कार्यवाही के परिपेक्ष में समस्त स्थानान्तरित कर्मियों को वेतन भुगतान की आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जा रही है।

राज्य बीमा विभाग में रिक्त पद

554. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या राज्य बीमा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में सहायक निदेशकों/उप निदेशकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त विभाग में सहायक निदेशक/उप निदेशकों के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं व इनके रिक्त रहने के क्या कारण हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राम किशोर मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में सहायक निदेशकों/उप निदेशकों के पदों पर जो पदोन्नति की जानी है, उनमें अधिकांश अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित हैं ? यदि हां, तो वरीयतानुसार उनके नाम, पद नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक विगत पांच वर्षों में कब-कब आयोजित की गई तथा उनमें कौन-कौन सदस्य सम्मिलित हुए तथा बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार पदोन्नतियां हुई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिये गए निर्णयों को प्रसारित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा किस अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई ? उस अधिकारी के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त खाली पदों पर पदोन्नति कर यथाशीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में सहायक निदेशकों के 58 पद एवं उपनिदेशकों के 22 पद स्वीकृत हैं। उपनिदेशक के स्वीकृत पदों में से एक उपनिदेशक का पद अतिरिक्त निदेशक के पद में दिनांक 18-6-2004 को क्रमोन्नत कर उसका पदनाम विशेषाधिकारी रखा गया है। सूची परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में सहायक निदेशकों के 33 पद एवं उपनिदेशक के 2 पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-दो पर संलग्न है। सीधी भर्ती के सात पर चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण तथा पदोन्नति के 26 पद विभागीय पदोन्नति समिति के वर्ष 2000-01 के कार्रवाई विवरण अनुमोदित नहीं हो पाने के कारण तथा आगे वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो पाने के कारण रिक्त हैं।

(राज्य बीमा मंत्री)

(3) सहायक निदेशक के पद की वर्ष 2000-01 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के कार्रवाई विवरण पर निर्णय के पश्चात् ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) इस विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की गत पांच वर्षों में हुई बैठकों एवं उसमें सम्मिलित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-तीन पर संलग्न है। उपनिदेशक के पद पर हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार पदोन्नतियां हो चुकी हैं जबकि सहायक निदेशकों की वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की अनुशंषाओं का राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनुमोदन होने के फलस्वरूप आदेश जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2000-01 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति तथा वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषायें परीक्षणाधीन हैं।

(5) दिनांक 10-7-2003 को हुई पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को प्रसारित नहीं किया गया है, क्योंकि प्रकरण परीक्षणाधीन है। इसमें किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई है। अतः कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी हां। वर्ष 2000-01 की नियमित विभागीय पदोन्नति की बैठक तथा वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के बारे में निर्णय होने के पश्चात् आगामी वर्षों की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।

परिशिष्ट-एक

उपनिदेशक/सहायक निदेशक के स्वीकृत पदों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	उपनिदेशक	सहायक निदेशक
1.	मुख्यालय	5	4
2.	साधारण बीमा योजना	1	1
3.	जयपुर सम्भाग		1
4.	जयपुर शहर	1	2
5.	जयपुर ग्रामीण	1	2
6.	जयपुर सचिवालय	1	1
7.	झुंझुनूं	1	1
8.	सीकर	1	1
9.	अलवर	1	1
10.	दौसा		1
11.	भरतपुर सम्भाग		1
12.	भरतपुर	1	1
13.	धौलपुर		1
14.	करौली		1
15.	सवाईमाधोपुर		1
16.	अजमेर सम्भाग		1
17.	अजमेर	1*	2
18.	ब्यावर		1
19.	टोंक		1
20.	भीलवाड़ा	1	1
21.	नागौर	1	1

क्र.सं.	जिले का नाम	उपनिदेशक	सहायक निदेशक
22.	उदयपुर सम्भाग		1
23.	उदयपुर	1	2
24.	चित्तौडगढ़	1	1
25.	राजसमन्द		1
26.	बांसवाड़ा		2
27.	डूंगरपुर		1
28.	प्रतापगढ़		1
29.	बीकानेर सम्भाग		1
30.	बीकानेर	1	2
31.	चूरू		2
32.	हनुमानगढ़		1
33.	श्रीगंगानगर		1
34.	जोधपुर सम्भाग		1
35.	जोधपुर शहर	1	2
36.	जोधपुर ग्रामीण		1
37.	पाली	1	1
38.	जालौर		1
39.	सिरोही		1
40.	बाड़मेर		1
41.	जैसलमेर		1
42.	कोटा सम्भाग		1
43.	कोटा	1	2
44.	बूंदी		1
45.	बारां		1
46.	झालावाड़		1
	योग	**22**	**58**

*उपनिदेशक अजमेर का पद अतिरिक्त निदेशक में क्रमोन्नत करते हुए उक्त पद का पदनाम विशेषाधिकारी किया गया।

परिशिष्ट-दो

रिक्त पदों का विवरण

(दिनांक जब से विभाग में पद रिक्त हैं)

	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद की दिनांक
	4	1-1-2002, 1-7-2002, 13-3-2003, 1-8-2003
	1	1-9-2002
	1	1-4-1999
	1	1-5-2001
	1	15-2-2001
	1	4-8-2000
	1	1-11-2003
	1	1-4-1998
	2	5-8-2000, 1-5-2002
	1	1-1-2002
	1	1-8-1998
	1	1-4-1999
	2	1-7-1998, 16-6-2002
	1	3-7-1999
	1	8-5-1999
	1	1-4-1998
	1	23-1-2002
	1	1-10-2002
	2	1-1-2003, 13-3-2003
	1	13-3-2003
	1	13-3-2003
	1	13-3-2003
	1	13-3-2003

	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद की दिनांक
	1	17-6-2003
	1	29-9-2003
	1	1-1-2004
	1	1-1-2004
2. उपनिदेशक	1	14-1-2003 श्रीमती ऋतु गुप्ता की प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप
	1	19-6-2004 उपनिदेशक का पद अतिरिक्त निदेशक में क्रमोन्नत होने तथा विशेषाधिकारी पदनाम होना
	1	21-6-2004

परिशिष्ट-तीन

गत पांच वर्षों में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सूची

पदनाम जिस पर पदोन्नति हेतु बैठक आयोजित की गई	वर्ष	दिनांक
उपनिदेशक	1998-1999	31-7-1998
	1998-99 पुनर्वालोकन	27-9-2000
	2000-2001	27-9-2000
	2002-2003	16-8-2003
	2003-2004	7-7-2004
सहायक निदेशक	1998-1999	31-7-1998
	1999-2000	18-2-2000
	2000-2001	27-9-2000
	1998-99 से 2000-01 तक पुनर्वलोकन	10-7-2003

उक्त बैठकों में निम्नांकित अधिकारी सम्मिलित हुए हैं:-

1.	सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग/विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (राजस्व)	सदस्य
3.	शासन सचिव, कार्मिक विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
4.	निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग/अतिरिक्त निदेशक	सदस्य सचिव

<u>स्थगित प्रश्न</u>

(दिनांक 13 जुलाई, 2004)

चित्तौड़गढ़ जिले में कार्यरत हैण्डपम्प मिस्त्री

53. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील वार कुल कितने हैण्डपम्प मिस्त्री कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हैण्डपम्प मिस्त्रियों की नियुक्ति के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(3) यदि हां, तो मानदण्डों के अनुसार कितने हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कमी है व इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौडगढ़ जिले में कुल 156 हैण्डपम्प मिस्त्री कार्यरत है तहसीलवार विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। हैण्डपम्प मिस्त्रियों की नियुक्ति के लिए सेवा नियम बनाये जा रहे है।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में हैण्डपंम्प मिस्त्रियों के वर्तमान में 27 पद रिक्त है। सेवा नियम बनने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-तीन

क्र.सं.	नाम तहसील	कार्यरत हैण्डपम्प मिस्त्रियों की संख्या
1-	अरनोद	6
2-	प्रतापगढ़	21
3-	छोटी सादड़ी	9
4-	बड़ी सादड़ी	13
5-	निम्बाहेड़ा	9
6-	भदेसर	12
7-	डूंगला	11
8-	चित्तौडगढ़	17
9-	कपासन	17
10-	राशमी	9
11-	गंगरार	9
12-	बैगू	15
13-	रावतभाटा	8
	योग	**156**

ह./-

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 जुलाई, 2004)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाओं का नियमन

109. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सहकारी समितियों द्वारा काटी गयी योजनाओं के अनुमोदन व भूखण्डधारियों को पट्टा देने के लिये कैम्प आयोजित कर भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो नियमन से गत वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित था तथा उसकी तुलना में कितनी राशि प्राप्त हुई ? राशि कम प्राप्त होने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि प्राधिकरण ने अब कैम्प लगाकर समितियों की योजनाओं के नियमन का कार्य बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003-04 में नियमन से 160 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसकी तुलना में 39,62,52,177/- रू. प्राप्त हुये है। चूंकि गतवर्ष राजस्थान विधान सभा के चुनावों की अधिसूचना जारी होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने से योजनाओं के अनुमोदन एवं ले-आउट प्लान की स्वीकृति हेतु समितियों की बैठकें नहीं होने के कारण तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की बीपीसी की बैठक नहीं होने के कारण लम्बित योजनाओं का अनुमोदन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार सहिता लागू किये जाने से इस योजनाओं के अनुमोदन हेतु समितियों की बैठक आयोजित नहीं किये जाने से योजनाओं का नियमन सम्भव नहीं होने से लक्ष्य से कम राशि प्राप्त हुई है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-333 की प्रति)

I. <u>माडा लघुखण्डों के गठन के मापदण्ड</u>

भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11014/3/77/टीडी/दिनांक 29-4-1978 के द्वारा माडा लघुखण्डों के गठन हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शन प्राप्त हुए थे। आदेश पत्र की प्रति परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

1. माडा लघुखण्डों के गठन हेतु जिले को इकाई माना गया हैं।
2. प्रत्येक माडा लघुखण्ड में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक होनी चाहिए जिसकी 50 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिए।
3. माडा लघुखण्ड में सम्मिलित ग्रामों की बाउन्ड्री आपस में गांवों से मिली हुई होनी चाहिए साथ ही गांवों का एक समूह प्रकट होना चाहिए।
4. माडा लघुखण्ड की सीमा के प्रत्येक ग्राम में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति होना आवश्यक है।

4/2(2)/86

1/c

No. 11013/6/85-TD(R)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

[illegible] Wing,
[illegible] Bhavan,
[illegible] Market, New Delhi-110003,
Dated [illegible] April, 1986.

To

Shri Anil Kumar,
Secretary,
Social Welfare Deptt., and Tribal
Area Dev. Commissioner,
Govt. of Rajasthan,
JAIPUR.

Subject:- Cluster approach - Identification of.

....

Sir,

You are aware that the tribal sub-Plan strategy adopted since the Fifth Five Year Plan period continues to be the main instrument for the integrated development of tribal areas and tribal people. As per this approach, the areas of tribal concentration were carved out in [illegible] States and Union Territories and 181 Integrated Tribal Development Projects (ITDPs) established as operational units. Later, in the Sixth Plan, under the Modified Area Development Approach (MADA) to tribal sub-Plan, 245 pockets of tribal concentration were carved out in [illegible] States. The criteria applied for carving out MADA pockets was a total population of 10,000 and a scheduled tribe population of fifty percent or more in each pocket. Apart from this, special programmes are also undertaken for 72 identified primitive tribal groups.

2. The present tribal sub-Plan areas (ITDPs), pockets of tribal concentration and primitive tribal groups cover about seventy five percent of the scheduled tribe population in 18 States and Union Territories leaving about 25 percent scheduled tribes outside the TSP approach. The State-wise left-out percentage varies considerably.

3. The Working Group on Development of Scheduled Tribes during the Seventh Five Year Plan (1985-90) had occasion to examine the coverage of scheduled tribe population under tribal sub-Plan approach. The Working

-2-

[illegible] inter-alia, suggested that in areas out [illegible] the TSP, smaller pockets of tribal concentration might be located by lowering the present norm of a total of not less than 10,000 population of which not less than 50 percent is scheduled tribe.

[illegible] In the light of above, it is suggested that clusters having a total population of at least 5,000 and above with a scheduled tribe concentration of 50 percent or more may please be identified in your State immediately. It is further suggested that complete [illegible] for carving out clusters of scheduled tribe concentration indicating village-wise total population and scheduled tribe population (with census code number) along with indicative map of each cluster may please be forwarded [illegible] by 31 May positively so that appropriate financial provision could be made during the year for development of scheduled tribe population in such clusters. This may please be treated as urgent.

Yours faithfully,

(G.L. [illegible])
[illegible] JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

COPY

...S. LARMA
...SECRETARY

D.O. NO.11014/3/77-TD
Government of India
Ministry of Home Affairs

99-A, South Block
New Delhi-110001

April, 29 1978.

Sub: Identification of additional Sub-Plan areas.

Dear Shri

You may please refer to my d.o. No.11014/3/77-TD dated ...9.1977, in which you were requested to identify pockets of tribal concentration having more than 10,000 population with more than 50 per cent tribals. In this connection, I wish to invite your attention to earlier experience of Kerala and Tamil Nadu where some unconventional methods were adopted to identify the tribal concentration areas for having effective area-based programmes. In both the states, it was found that while there are sizable compact areas with substantial tribal population, they were by-passed by all tribal programmes since they did not conform to the prescribed norms.

2. In identifying tribal concentration areas, administrative boundaries have been generally treated as unchangeable. The areas of tribal concentration are generally hilly and forest regions. When the administrative boundaries were drawn up in the last century, administrative convenience of the Headquarters was the primary concern. Therefore, the compact tribal areas were sub-divided into various parts falling in different states, different districts, different taluks or different blocks. A look at these areas will make it clear that they are located on the boundaries or tri junctions of States, districts, taluks and blocks. Although these areas are distributed in more than one administrative unit, their agro-economic conditions are the same and they are amenable to an area development approach.

3. In Tamil Nadu, these areas of tribal concentration are located on the boundaries of taluks and /or district. In one case, it was possible to have a compact area of ... tribals with more than 90 per cent tribal concentration which was sub-divided into 3 taluks, each one of which was not a viable unit. The Government of Tamil Nadu, therefore, decided to carve out one ITDP comprising this entire area. Similar identification was also done in other ITDPs. In Kerala, a slightly different approach was adopted. After working out all permutations with the revenue administrative b...

- 3 -

[illegible]
in [illegible] backward areas. Therefore, the areas of tribal concentration were carved out with reference to forest ranges rather than following revenue boundaries. In this case, if the problems were looked at from the point of view of revenue administrative units, it would have meant division of even village panchayats and, therefore, no rational picture would have emerged. However, as soon as the problem was looked from the tribal end, a workable concentration have been located for the area-based programmes with focus on the tribals.

4. The above two cases are just illustrative. Similar situations will be found in all the States. It is, therefore, necessary at this stage to look at the problem of tribal concentration unfettered by the existing administrative boundaries. We have already identified large compact areas which happed to be co-terminus with the accepted administrative boundaries. Now, we may identify other compact areas and have a look at the problems afresh. In some cases, it may be difficult to change the administrative boundaries. While in others we may have to live with the existing administrative boundaries and devise an appropriate institutional frame so that adequate attention can be focussed on that compact area. For example, in [illegible] Hills, there are five blocks with similar socio-economic characteristics distributed over three districts. The Government have constituted a project Authority for these blocks without disturbing the district boundaris. The main point is that in the first instance problem has to be identified and then we can think about an appropriate solution in each specific case.

5. I hope the problem of identification of these tribal pockets would have already progressed further. I shall be grateful if the proposals in this regard are sent to us latest by the 15th May, 1978 so that it may be possible for us to consider including them in the tribal sub-plan and make some further allocation in the current financial year for their intensive economic development. Since the task of preparation of next tribal sub-plan for the year 1978-83 will be taken up soon, it is necessary that the identification of the additional areas is completed without any further delay otherwise they will lose their legitimate share in the allocation of funds.

With regard,

Yours sincerely,

Sd/-

([illegible] Sharma)

All Secretary/Tribal Commissioners

Copy to :- Do (C)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-334 की प्रति)

जिलेवार सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	दिनांक 31-03-2004 को वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की संख्या
1.	अजमेर	13426
2.	अलवर	7597
3.	बांसवाड़ा	22647
4.	बाड़मेर	3979
5.	भरतपुर	10931
6.	भीलवाड़ा	9500
7.	बारां	5607
8.	बीकानेर	4726
9.	बून्दी	2845
10.	चित्तौडगढ़	11144
11.	चूरू	3863
12.	दौसा	4478
13.	धौलपुर	5672
14.	डूंगरपुर	19633
15.	हनुमानगढ़	5562
16.	जयपुर	11674

क्र.सं.	जिले का नाम	दिनांक 31-03-2004 को वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की संख्या
17.	जैसलमेर	1170
18.	जालौर	22119
19.	झालावाड़	2653
20.	झुंन्झुनूं	2343
21.	जोधपुर	13949
22.	करोली	3598
23.	कोटा	7947
24.	नागौर	7517
25.	पाली	8835
26.	राजसमन्द	19756
27.	सवाईमाधोपुर	3734
28.	सीकर	5542
29.	सिरोही	3514
30.	गंगानगर	10823
31.	टौंक	8150
32.	उदयपुर	52155
	योग	**317089**

सदस्य सूची

बुधवार, 28 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुरातत्व

-पाली जिले की पुरामहत्व की इमारतों का रख रखाव 394

तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-बाली के माड़ा योजना में चयनित गांव 15

क्रम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या